B9ED112DST

हिन्दी भाषा शिक्षण-I

बी. एड.

(प्रथम सेमेस्टर के लिए)

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
हैदराबाद-32, तेलंगाना, भारत

Copyright © 2025, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad

All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanically, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing form the publisher (registrar@manuu.edu.in)

ISBN	:	978-81-975953-5-6
Course	:	Pedagogy of Hindi - I
First Edition	:	August 2024
Copies	:	200
Price	:	430/-

Programme Coordinator (B. Ed.)

Prof. Sayyad Aman Ubed, Professor (Education), CDOE, MANUU

Editorial Board/Editors

Prof. Mushtaq Ahmed I. Patel (Chairperson)
Professor, CDOE, MANUU

Prof. Shaikh Shaheen Altaf (Member)
HOD, Dept. of Edu &Training, MANUU

Prof. Siddiqui Mohd Mahmood (Member)
Senior Professor, Dept. of Edu &Training, MANUU

(Late) Prof. Najmus Saher (Member)
Professor, CDOE, MANUU

Prof. Sayyad Aman Ubed (Member)
Programme Coordinator, B.Ed. (ODL) (Language Editor)

Dr. Shaikh Wasim (Member Convener)
Associate Professor, CDOE, MANUU

Dr. Sameena Basu (Member)
Associate Professor, CDOE, MANUU

Prof. Patan Rahim Khan
Professor, Dept. of Hindi, MANUU (Content Editor)

Production

Prof. Nikhath Jahan, Professor (Urdu), CDOE, MANUU

Mr. P Habibulla, Assistant Registrar, Purchase & Stores Section, MANUU

Dr. Mohd Akmal Khan, Assistant Professor (C), CDOE, MANUU

Mohd Abdul Naseer, Section Officer, CDOE, MANUU

Shaik Ismail, UDC, CDOE, MANUU

Faheemuddin, LDC, Purchase & Stores Section, MANUU

On behalf of the Registrar, Published by:

Centre for Distance and Online Education

Maulana Azad National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad-500032 (TG), India
*Director:*dir.dde@manuu.edu.in *Publication:*ddepublication@manuu.edu.in
Phone number: 040-23008314 Website: manuu.edu.in

CRC Prepared by: Dr. Mohd Adil, Asst. Prof. (C), CDOE, MANUU

Title Page: Dr. Mohd Akmal Khan, Asst. Prof. (C), CDOE, MANUU

Printed at: Print Time & Business Enterprises, Hyderabad

सूची

	सन्देश	कुलपति	4
	संदेश	निदेशक	5
	प्रस्तावना	प्रोग्राम-समन्वयक	6
इकाई संख्या	**इकाई**	**लेखक**	**पृ. सं.**
1	भाषा का अर्थ व परिभाषा	प्रो. अश्वनी प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	7
2	भाषा के विभिन्न रूप		19
3	राजभाषा		33
4	शिक्षा समितियों के रिपोर्ट में भाषा-भाषाओं की स्थिति		48
5	भाषायी दक्षताएं - सुनना, बोलना पढ़ना एवं लिखना	डॉ. प्रविनी पंडागले सहायक प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, भोपाल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी	61
6	पठन		73
7	वाचन (पठन) शिक्षण की विधियाँ		89
8	लेखन		102
9	भाषा शिक्षण की विधियों का शिक्षण में महत्व	डॉ. प्रवीण कुमार सृजन सहायक प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, वाराणसी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी	117
10	व्याकरण अनुवाद प्रणाली		132
11	ढाँचागत प्रणाली अथवा संरचनात्मक प्रणाली		142
12	उद्देश्य परक सम्प्रेषणात्मक प्रणाली		150
13	सूक्ष्म शिक्षण (MICRO TEACHING)	डॉ. पूजा सिंह सहायक प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, नूह, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी	159
14	प्रमुख शिक्षण कौशल		174
15	सृजनात्मक भाषा के विविध रूप		205
16	नाटक, कविता व समकालीन साहित्य को पढ़ना-पढ़ाना		234
	प्रश्न पत्र का नमूना		270

संदेश

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे NAAC द्वारा ग्रेड A+ प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, 1. उर्दू भाषा का प्रचार-प्रसार, 2. उर्दू माध्यम में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को सरल भाषा में उपलब्ध कराना, 3. पारंपरिक और दूरस्थ शिक्षा माध्यमों के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, 4. महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। ये विशेषताएँ इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को अन्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है।

उर्दू माध्यम से ज्ञान प्रसार का मुख्य उद्देश्य यह है कि उर्दू जानने वाले समुदाय को समकालीन ज्ञान और विभिन्न विषयों तक सहज पहुँच मिल सके। लंबे समय तक उर्दू में पाठ्य सामग्री की कमी रही है। अब उर्दू विश्वविद्यालय के पास उर्दू में 350 से अधिक पुस्तकों का भंडार है, और यह संख्या हर सेमेस्टर के साथ बढ़ती जा रही है।

उर्दू विश्वविद्यालय को यह गर्व है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार मातृभाषा/घरेलू भाषा में सामग्री उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। इसके परिणामस्वरूप, उर्दू भाषी समुदाय अब अद्यतन ज्ञान, उभरते हुए क्षेत्रों की जानकारी और मौजूदा विषयों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने में पिछड़ा हुआ नहीं रह गया है, क्योंकि अब उर्दू में पढ़ने योग्य सामग्री उपलब्ध है। इन ज्ञान क्षेत्रों से संबंधित विषय-वस्तु की उपलब्धता ने ज्ञान प्राप्त करने के प्रति एक नई जागरूकता उत्पन्न की है, जो उर्दू जानने वाले समुदाय की बौद्धिक प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु, विश्वविद्यालय का दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र संबंधित विषयों में स्व-अध्ययन सामग्री तैयार करना सुनिश्चित करता है। विश्वविद्यालय दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा के छात्रों को यह स्व-अध्ययन सामग्री नि:शुल्क प्रदान करता है। यही सामग्री ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नाममात्र मूल्य पर भी उपलब्ध है। शिक्षण तक पहुँच को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से उर्दू/हिन्दी/अंग्रेज़ी/अरबी में स्व-अध्ययन सामग्री(eSLM) विश्वविद्यालय की वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड की जा सकती है।

मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि संबंधित संकाय के परिश्रम और लेखकों के पूर्ण सहयोग से चारवर्षीय स्नातक (4YUG) कार्यक्रम के अंतर्गत बी.ए.(आनर्स), बी. एस. सी.(आनर्स) और बी.काम. (आनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर आरंभ हो चुकी है। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सुविधा प्रदान करने हेतु स्व-अध्ययन सामग्री(Self-Learning Material) की तैयारी और प्रकाशन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मेरा विश्वास है कि हम अपनी स्व-अध्ययन सामग्री के माध्यम से एक व्यापक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य को सफलतापूर्वक निभाते हुए देश में अपनी उपस्थिति को सार्थक सिद्ध कर पाएँगे। मैं विश्वविद्यालय से जुड़े सभी विद्यार्थियों को इस परिवार का अंग बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय का शैक्षिक मिशन सदैव उनके लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। शुभकामनाओं सहित!

प्रो. सैयद ऐनुल हसन
कुलपति

संदेश

वर्तमान युग में दूरस्थ शिक्षा को पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्रभावशाली और उपयोगी शिक्षा प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है और बड़ी संख्या में लोग इस शिक्षा प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने भी उर्दू भाषी जनसंख्या की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थापना के समय से ही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। विश्वविद्यालय की स्थापना 1998 में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के साथ हुई थी और नियमित कार्यक्रमों की शुरुआत 2004 से हुई, इसके पश्चात विभिन्न विभागों की स्थापना की गई।

भारत में शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (Centre for Distance and Online Education) के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम, जो ओपेन और दूरस्थ शिक्षा मोड में हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा अनुमोदित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने दूरस्थ और नियमित शिक्षा के पाठ्यक्रमों को समन्वित करने पर जोर दिया है, ताकि दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के स्तर को बढ़ाया जा सके। चूंकि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक ड्यूल मोड विश्वविद्यालय है, जो दूरस्थ और पारंपरिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है, इसलिए UGC-DEB के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) लागू किया गया और स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नई स्व-अध्ययन सामग्री तैयार की गई है।

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र फिलहाल उन्नीस (19) कार्यक्रम चला रहा है, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड., डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम शामिल हैं। इसके साथ ही, तकनीकी कौशल आधारित कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं। इस केंद्र ने अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के अनुसार जुलाई 2025 से 4-वर्षीय स्नातक (4YUG) कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ऑनर्स कार्यक्रम B.A., B.Sc. और B.Com राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (NCF) के अनुसार डिजाइन किए गए हैं, जो छात्रों को ऑनर्स डिग्री प्राप्त करने में सहायता करेंगे। वर्ष 2025-2026 से MBA कार्यक्रम ODL मोड में शुरू किया गया है।

छात्रों की सुविधा के लिए 9 क्षेत्रीय केंद्र (बैंगलोर, भोपाल, दरभंगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची तथा श्रीनगर) और 6 उप-क्षेत्रीय केंद्र (हैदराबाद, लखनऊ, जम्मू, नूह, वाराणसी तथा अमरावती) का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा, विजयवाड़ा में एक विस्तार केंद्र भी स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय केंद्रों के अंतर्गत 157 से अधिक लर्नर सपोर्ट सेंटर (LSCs) और बीस कार्यक्रम केंद्र एक साथ संचालित किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों को शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता प्रदान की जा सके। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों में ICT का पूर्ण उपयोग करता है, और अपने सभी कार्यक्रमों में प्रवेश केवल ऑनलाइन मोड से ही प्रदान करता है।

छात्रों के लिए स्व-अध्ययन सामग्री (SLM) की सॉफ्ट कॉपी दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है और ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग के लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा ई-मेल और व्हाट्सएप समूहों की सुविधाएँ छात्रों को प्रदान की जा रही हैं, जिनके माध्यम से पाठ्यक्रम पंजीकरण, असाइनमेंट, काउंसलिंग, परीक्षाओं आदि जैसे कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में छात्रों को सूचित किया जाता है। नियमित काउंसलिंग के अलावा, पिछले दो वर्षों से छात्रों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त ऑनलाइन रेमेडियल काउंसलिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

आशा है कि दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी को समकालीन शिक्षा की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में बदलाव किए गए हैं, इससे ओपेन और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने में मदद मिलेगी।

प्रो. मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान

निदेशक,

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र

भूमिका

हिन्दी भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर हिन्दी शिक्षण के लिए प्रभावी शिक्षक तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम में यह प्रयास किया गया है कि हिन्दी शिक्षण के शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके उनके व्यावहारिक प्रयोग करने की क्षमता आप में विकसित हो सके। इसमें आपको ऐसी सामग्री प्रदान करने का प्रयास किया गया है जिससे आप के भाषा तथा साहित्य विषयक ज्ञान का नवीकरण होने के साथ-साथ उसका समुन्नयन व संवर्धन भी हो।

हिन्दी को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को दिया था। भारतीय संविधान की धारा 350-क. में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं और धारा 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गये है। इस तरह हिन्दी के पठन व शिक्षण को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। अध्यापन के क्षेत्र में हिन्दी अध्यापक की मांग बढ़ती जा रही है। सूचना व संप्रेषण के युग में सोशल मीडिया बुनियादी जरूरत बन गयाहै। इंटरनेट की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो गई हैं जिस कारण भारत में आज हिन्दी का बोलबाला बढ़ रहा है। आज हिन्दी के शिक्षक को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। सूचना व संप्रेषण तकनीक ने सभी भाषाओं के पढ़ने-पढ़ाने के तौर तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आज हिन्दी शिक्षक को भी वर्तमान दौर में नई शिक्षण विधियों से परिचित होना होगा जिस से वह शिक्षण की प्रक्रिया में अपने आपको पिछड़ा महसूस ना करें। इस पाठ्यक्रम में यह कोशिश की गई है कि आप हिन्दी की आधुनिक शिक्षण विधियों से परिचित होकर कक्षा में आसान तरीकों से हिन्दी अध्यापन करें जिस से विद्यार्थी व अध्यापक दोनों सहजता का अनुभव करें।

इस पुस्तक में कुल सोलह इकाइयाँ हैं। पहली और दूसरी इकाई में भाषा का अर्थ, परिभाषा और भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा की गई है। तीसरी इकाई में राजभाषा के बारे बताया गया है। चौथी एवं पांचवीं इकाई में भाषायी दक्षताएँ एवं शिक्षा समितियों रिपोर्ट में भाषा की स्थिति को बताया गया है। इकाई छटवीं से आठवीं तक भाषा कौशल पर प्रकाश डाला गया है। इकाई नौवीं से ग्यारह तक में भाषा शिक्षण की विधियाँ, व्याकरण अनुवाद और ढाँचागत अथवा संरचनात्मक प्रणालियों की बात की गई है। इकाई बारह से लेकर पंद्रह तक सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण कौशल, सृजनात्मक भाषा के विविध रूप की चर्चा की गई है। और अंत में इकाई सोलह में हिन्दी साहित्य के नाटक, कविता विधाओं पर प्रकाश डाला गया है। आशा है इस पुस्तक के अध्ययन से भाषा शिक्षार्थी भाषा के विविध गतिविधियों के साथ-साथ उस भाषा कौशल के आधार पर प्रयोग कर सकेंगे।

इस समस्त पाठ सामग्री को तैयार करते समय सरलता, सहजता, बोधगम्यता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस कार्य में हमें जिन विद्वान इकाई लेखकों, ग्रंथकारों और संपादकों से सहायता मिली है, उन सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं।

प्रो. सय्यद अमान उबेद

पाठ्यक्रम समन्वयक

इकाई 1 : भाषा का अर्थ एवं परिभाषा*

इकाई की रूपरेखा

1.0 प्रस्तावना

1.1 उद्देश्य

1.2 भाषा का अर्थ

1.3 भाषा की परिभाषा

1.4 भाषा के आधार

1.4.1 भाषा का सामाजिक आधार

1.4.2 भाषा का मनोवैज्ञानिक आधार

1.4.3 भाषा का दार्शनिक आधार

1.5 भाषा का स्वरूप

1.6 भाषा का महत्व

1.7 सारांश

1.8 शब्दावली

1.9 अधिगम प्रतिफल

1.10 इकाई के अंत की गतिविधियां

1.11 संदर्भ

1.0 प्रस्तावना

हिन्दी शिक्षण का विस्तृत अध्ययन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि भाषा की सामान्यता मानव जीवन में क्या भूमिका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक गतिविधियों के लिए मनुष्यों को एक दूसरे से बातचीत करनी होती है। भाषा जो कि अभिव्यक्ति का साधन है। मनुष्य भाषा के द्वारा सहजता व सरलता से एक दूसरे के क्रियाकलापों व आचार विचारों को समझ सकता है। यदि हम अपने आस पास संसार के दूसरे जीवों पर ध्यान दे तो, सभी प्राणियों के पास अपने आपको अभिव्यक्त करने के साधन हैं जैसे भाव मुद्राओं व ध्वनि संकेतों के द्वारा वे एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। दुनिया में मनुष्य के द्वारा भाषा का

* Prof. Ashwani, Professor, Department of Education & Training, MANUU

निर्माण एक देन है। मनुष्य के द्वारा जो भी ज्ञान संजोया गया है वह सभी भाषा के द्वारा ही संभव हो पाया है। इस प्रकार भाषा को एक संकल्पना की तरह समझकर आप हिन्दी शिक्षण को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- भाषा का अर्थ एवं परिभाषा को समझकर, हिन्दी भाषा शिक्षण की समझ बना पायेंगे।
- भाषा के आधारों को समझकर, उसे हिन्दी शिक्षण के संदर्भ में जान सकेंगे।
- भाषा के स्वरूप व महत्व को समझकर, हिन्दी शिक्षण के स्वरूप व महत्व को जान पायेंगे।
- भाषा के विभिन्न रूपों को समझकर, इसे हिन्दी शिक्षण के संदर्भ में जान जायेंगे।

1.2 भाषा का अर्थ

भाषा संचार की एक संरचित प्रणाली है, जिसमें व्याकरण और शब्दावली शामिल होती है। यह प्राथमिक साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य मौखिक और लिखित दोनों रूपों में अर्थ व्यक्त करता है, और इसे सांकेतिक भाषाओं के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। अधिकांश मानव भाषाओं ने लेखन प्रणालियाँ विकसित की हैं, जो भाषा की ध्वनियों या संकेतों को रिकॉर्ड करने और संरक्षित करने की अनुमति देती हैं। मानव भाषाओं में उत्पादकता और विस्थापन के गुण होते हैं, जो अनंत संख्या में वाक्यों के निर्माण और उन वस्तुओं, घटनाओं और विचारों को संदर्भित करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो प्रवचन में तुरंत मौजूद नहीं होते हैं। मानव भाषा का उपयोग सामाजिक परंपरा पर निर्भर करता है और इसे सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

भाषा के द्वारा ही मनुष्य ने अपनी संस्कृति व सभ्यता को विकसित करके भावी पीढ़ी तक पहुँचाया है। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंत क्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार भाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। भाषा शब्द "भाष" धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। अतः भाषा में बोलना समाहित है। हम अपने आस पास के लोगों के लिए बोल कर विचार प्रकट करते हैं और दूर के लोगों के लिए हम लिख कर विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा में बोलना व लिखना दोनों समाहित है। भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है जैसे बघेली, कुमायुँनी, गढ़वाली, मेंवाती इत्यादि। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्र की बोली का प्रयोग होता है, परन्तु लिखित रूप में भाषा का ही प्रयोग करते हैं। समय के अनुसार बोलियाँ विकसित तौर पर भाषा का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार भाषा बिना हम शिक्षा के किसी भी क्रियाकलाप की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाषा शिक्षण का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। भाषा संस्कृति, साहित्य, सामाजिक

प्रक्रिया का आधार, मनुष्य के चिंतन का माध्यम व संप्रेषण का भी आधार है। भाषा से ही हमारा बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास हुआ है। एक तरह से भाषा से ही मनुष्य का विकास हुआ है।

1.3 भाषा की परिभाषा

भाषा, पारंपरिक बोली जाने वाली, मैनुअल (हस्ताक्षरित), या लिखित प्रतीकों की एक प्रणाली जिसके माध्यम से मनुष्य, एक सामाजिक समूह के सदस्यों और इसकी संस्कृति में प्रतिभागियों के रूप में खुद को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में- जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके उसे 'भाषा' कहते हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाएँ निम्न प्रकार से हैं -

- स्वीट के अनुसार, ध्वन्यात्मक (ध्वनि से) शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही 'भाषा' है।
- पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है, जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।
- प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखतें हुए कहा है कि विचार और भाषाओं में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे 'भाषा' की संज्ञा देते हैं।
- क्रोंचे के अनुसार, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है।
- प्रो. रमन बिहारी लाल की व्याख्या इस संबंध में स्पष्ट है कि - भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं सामाजिक अंतः क्रिया के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है उसे 'बोली' कहते हैं, कई समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को 'विभाषा' कहते हैं। और कई समान विभाषाओं की प्रतिनिधि शिष्ट एवं परिगृहीत विभाषा को 'भाषा' कहते हैं।

भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है।

किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं - एक मौखिक और दूसरा लिखित रूप।

प्राचीन काल से ही भाषा का ध्वन्यात्मक रूप रहा है। किसी भी समाज द्वारा अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए ध्वनि संकेतों के समूह को मौखिक भाषा कहते हैं। मानव के प्रारंभिक काल में ध्वनि संकेतों का ही प्रयोग किया जाता था एक तरह से ध्वनि के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। शिक्षा का शुरूआती रूप मौखिक ही था आजकल भी हम प्रतिदिन के व्यवहार में भाषा को ध्वनि रूप में ही प्रयोग करते हैं। आज भी अधिकांश सामाजिक व्यवहार को ध्वनि के माध्यम से मौखिक रूप में किया जाता है। ध्वनि ही विचारों और भावों की संवाहिका है। आज सूचना तकनीकी के युग में स्मार्टफोन व कम्पयूटर ने भाषा के ध्वनि रूप को बढ़ा दिया हैं। भाषण, वाद-विवाद, टेलीफोन, टेपरिकॉर्डर, सी.डी., कम्पयूटर, स्मार्टफोन, बोलचाल में भाषा का ध्वनि रूप देखने को मिलता है।

भाषा का ध्वनि रूप स्थाई नहीं माना जाता है। इसलिए लिखित रूप में भाषा हमेंशा मौजूद रहती है। लिपि ने ही मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया है। अपने से दूर स्थित लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए लिपि रूप की ही आवश्यकता पड़ती है। लिपि रूप हमेंशा के लिए स्थाई हो जाता है, जिसको आने वाली पीढ़ी भी आसानी से पढ़कर आत्मसात कर सकती है। इतिहास, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान एवं उसकी विकास प्रक्रिया सभी को लिखित भाषा के द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सकता है। आज सूचना तकनीकी के युग में भी लिखित भाषा का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। किताबों की रचना, पत्र लिखना, कार्यालय का काम भाषा का लिखित रूप हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए उसकी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे शब्दों की संख्या, बनावट व वाक्य रचना। हर भाषा को लिखित रूप के लिए उसकी अपनी प्रकृति है जिसको जानना जरूरी है। भाषा के व्याकरणिक रूप को समझना जरूरी है जिससे कि लिखने को समझ सकें। यदि हिन्दी भाषा को देखा जाएं तो जैसी ध्वनि या उच्चारण होगा लिखित रूप भी वैसा ही होगा। शब्दों को हम भाषा का शारीरिक व संरचनात्मक रूप मान सकते हैं।

1.4 भाषा के आधार

1.4.1 भाषा का सामाजिक आधार

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य भाषा को सामाजिक अन्तः क्रिया द्वारा ही सीखता है। भाषा और समाज का संबंध अभिन्न है। मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है, किंतु वह भाषा को तभी सीख पाता है जब उसे एक भाषायी समाज का परिवेश प्राप्त होता है। एक ओर समाज के माध्यम से ही भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है, तो दूसरी ओर भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। यदि मनुष्य से भाषा छीन ली जाए तो उसकी सामाजिक संरचना भी ध्वस्त हो

जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को समाज के बाहर (जैसे, जंगल में) छोड़ दिया जाए, जहाँ वह दूसरे व्यक्तियों से नहीं मिल सकता तो भाषा उसके साथ ही मृत हो जाएगी।

भाषा अध्ययन के संदर्भ में 'मनोवादी' और 'व्यवहारवादी' विचारधाराएँ प्रचलित हैं। व्यवहारवादियों द्वारा भाषा को सामाजिक वस्तु माना गया है। उनके अनुसार भाषा समाज में होती है और मानव शिशु इसे अपने समाज से ही ग्रहण करता है।

उपर्युक्त बातों के आलोक में भाषा को एक सामाजिक व्यवहार या सामाजिक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

- **सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा**

भाषा मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है। इसी के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित हुआ है। भाषा के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति तथा आदान-प्रदान संभव नहीं है। अतः भाषा नहीं होने पर हम भी अन्य प्राणियों की तरह बिखर जाएँगे।

- **सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा**

भाषा किसी समाज और संस्कृति की संवाहक होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। मानव शिशु के परिवार और समाज में जो भाषा बोली जाती है, उसे वह सीखता है।

- **सामाजिक पहचान के रूप में भाषा**

भाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान कराने में सक्षम होती है। मनुष्य को अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपने हाव भाव अभिव्यक्त करने पड़ते हैं, जिसके लिए वह अपने शारीरिक अंगो का प्रयोग करते हुए भाषा के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं को दूसरों तक पहुँचाता है। इस प्रकार भाषा का भौतिक आधार में हम अपने होंठ, नाक, जीभ, गला इत्यादि के सहयोग से ध्वनियाँ मुखावयवों से उत्पन्न करते हैं। भाषा सीखने के लिए सामाजिक माहौल का होना जरूरी है। सामाजिकता भाषा का मूल आधार है और इस आधार पर मनुष्य का शारीरिक अंगों का प्रयोग भौतिक आधार बन जाता है। हर व्यक्ति का संबंध अपनी संस्कृति से होता है और भाषा का संस्कृति से गहरा रिश्ता है। समाज विशेष का माहौल व संस्कृति भाषा का स्वरूप बनाती है। भाषा शिक्षण के अध्यापक को विद्यार्थियों के सामाजिक पर्यावरण की और ध्यान देना चाहिए, जिससे वे बच्चों के स्वभाव को समझकर अध्यापन कर सकते हैं। हालाँकि मनुष्यों में किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता होती है, वे ऐसा तभी करते हैं जब वे ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहाँ भाषा मौजूद होती है और दूसरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए भाषा बोलने वालों के समुदायों पर निर्भर होती है जिसमें बच्चे अपने बड़ों और साथियों से भाषा सीखते हैं और भाषा को अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। भाषाओं का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है, जो उन्हें संवाद करने और कई सामाजिक कार्यों को हल करने के लिए बोलते हैं। भाषा के उपयोग के कई पहलुओं को विशेष

रूप से इन उद्देश्यों के लिए अनुकूलित होते देखा जा सकता है, जिस प्रकार से भाषा पीढ़ियों के बीच और समुदायों के भीतर प्रसारित होती है, उसके कारण भाषा लगातार बदलती रहती है, नई भाषाओं में विविधता आती है या भाषा संपर्क के कारण परिवर्तित हो जाती है।

1.4.2 भाषा का मनोवैज्ञानिक आधार

अपने हाव भाव व जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति के मन में विचार आते हैं। उन विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है, जो कि मानसिक क्रिया के माध्यम से सम्भव है तो बिना विचारों के भाषा अस्तित्व में नहीं आ सकती। इस प्रकार समाज में जीवन जीने के लिए भाषा का आधार हमारे मानसिक विचार है, जिससे हम सोचते, पढ़ते, लिखते हैं इस प्रकार विचार ही हमारे भाव है जिनको हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा शिक्षण के शिक्षक को विद्यार्थियों की सोचने की विचार प्रक्रिया को समझकर विद्यार्थियों की भाषा को सशक्त बनाया जा सकता है। भाषा से विद्यार्थियों के मानसिक आधार को भी सशक्त बनाया जा सकता है। भाषा हमारे भावों-विचारों अर्थात् मन का प्रतिबिम्ब होती है। अतः भाषा की सहायता से बहुत से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। विशेष रूप से अर्थविज्ञान तो मनोविज्ञान पर पूरी तरह से आधारित है। वाक्य-विज्ञान के अध्ययन में भी मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तन का कारण जानने के लिए भी मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। भाषा की उत्पत्ति तथा प्रारम्भिक रूप की जानकारी में भी बाल-मनोविज्ञान तथा अविकसित लोगों का मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है।
मनोविज्ञान को भी अपनी चिकित्सा-पद्धति में रोगी की ऊलजलूल बातों का अर्थ जानने के लिए भाषा-विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है। अतः भाषा-विज्ञान की सहायता से एक मनोविज्ञानी रोगी की मनोग्रन्थियों का पता लगाने में सफल हो सकता है। भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान के घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण ही आजकल भाषा मनोविज्ञान नामक एक नयी अध्ययन-पद्धति का विकास हो रहा है।

1.4.3 भाषा का दार्शनिक आधार

भाषा अधिगम का दार्शनिक आधार एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। इस आधार में जब बालक को किसी भाषा का ज्ञान दिया जाता है तो, भाषा के व्याकरणीय नियमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक को भाषा का ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। भाषा का दर्शन शब्दार्थ, वाक्यविन्यास विश्लेषण (वाक्यविन्यास) और व्यावहारिकता जैसी अवधारणाओं की खोज करता है। शब्दार्थ विज्ञान भाषा के अर्थ का पता लगाता है, वाक्य-विन्यास विश्लेषण भाषा की संरचना का पता लगाता है, और व्यावहारिक संदर्भ की जांच करता है। दार्शनिक लंबे समय से उस व्यवस्थित तरीके से चिंतित रहे हैं, जिसमें भाषा दुनिया के बारे में जानकारी देती है। भाषा का दर्शन मानव भाषा की प्रकृति, इसकी उत्पत्ति और उपयोग, अर्थ

और सत्य के बीच संबंध और भाषा मानव विचार और समझ के साथ-साथ वास्तविकता से कैसे संबंधित है, इसकी जांच करता है।

1.5 भाषा का स्वरूप

प्रत्येक भाषा का अपना स्वरूप होता है। जिस प्रकार हर संस्कृति व समाज का भाषा पर अपना प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार भाषा भी विकास व परिवर्तन के कालों से गुजरती रहती है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है। लेकिन इसके स्वभाव को जान कर हम शिक्षण कार्य में आसानी से समझ बना सकते हैं। भाषा के स्वरूप की निम्न विशेषताएं हैं-

- भाषा में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का इस्तेमाल करता है, जिससे वह अपने व दूसरे के भावों को समझ सकें। ध्वनियों का सार्थक रूप होता है, जिससे इनको समझा जा सकता है। ध्वनियों के कारण भाषा का आधार व प्रारंभिक रूप मौखिक है। भाषा मौलिक रूप से मौखिक प्रकृति को अपना कर ही उसका लिखित रूप धारण करती है। इस प्रकार मौखिक ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति हुई।
- भाषा एक प्रकार से लिखित रूप में चिह्नों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। प्रत्येक भाषा में अपने वर्ण व अक्षर हैं, उनकी बनावट व वाक्य रचना का अपना स्वरूप है। भाषा के प्रचार व प्रसार में चिह्नों ने बड़ी भूमिका निभाई है, जिससें आज सभ्यता व संस्कृति के पास अनुभवों व ज्ञान का असीमित भंडार सुरक्षित है।
- भाषा को यदि दुनियावी तौर पर देखा जाएं तो यह मनुष्य की विशेषता है। सभी जीव व प्राणी अपने अपने तरीकों से अपने भाव व विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन विचारप्रधान एवं विकासशील भाषा तो मनुष्य की विशेषता व देन है।
- भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि भाषा को बच्चा जन्म से ही सीख कर पैदा नहीं होता है। भाषा को बच्चा अपने परिवेश व वातावरण से ही सीखता है। भाषा अपने आप प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उसे अर्जित करना पड़ेगा। बच्चा जिस परिवार, मौहल्ला, गांव या शहर में रहता है जहाँ उसका लालन पालन होता है उन्हीं के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा बच्चा सीखता है। इस प्रकार भाषा को अर्जित किया जाता है यह कोई पैतृक संपत्ति नहीं है।
- भाषा एक सामाजिक जीवन जीने का आधार है। विचारों व हाव भावों को व्यक्त करने की इच्छा ही उसे दूसरे लोगों के सम्पर्क में लाती हैं। भाषा के बिना हम दैनिक कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है। बच्चा समाज में ही भाषा सीखता है व प्रयोग करता है, जिससे उसकी भाषा विकसित होती है। भाषा से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है जिससे सामाजिक दक्षता भी बच्चों के अंदर पैदा होती है।
- परिवर्तन प्रकृति का नियम है जो कि भाषा पर भी लागू होता है। हम अपने पूर्वजों की भाषा को समझें और आज की भाषा में बहुत अंतर दिखाई देता है। भाषा का परिवर्तन

मनुष्य के परिवर्तन को भी दिखाता है। मनुष्य के विचारों व सभ्यता व संस्कृति में भी परिवर्तन होता रहता है। आज सूचना व संप्रेषण के दौर में मीडिया की बढ़ती भूमिका ने हिन्दी के स्वरूप को तेजी से बदल दिया है। भाषा में परिवर्तन ध्वनियों, शब्दों, पदबंधों तथा वाक्य रचनाओं आदि स्तर पर हो सकते हैं।

- बचपन से ही हम बहुत सारे शब्दों को अनुकरण से ही सीख जाते हैं चाहे हम उसका अर्थ भलें ही नहीं जानते हो। बच्चा सबसे पहले अपनी मां का अनुकरण करते हुए उसके हाव भावों को समझता है। माता पिता व परिवार, मित्रों का अनुकरण करते हुए बच्चा भाषा सीखता है। बच्चा प्रौढ़ों की अपेक्षा अनुकरण ज्यादा करता है। इसलिए भाषा शिक्षण के अध्यापक को अनुकरण की प्रक्रिया को समझना चाहिए जिससे वह कक्षागत शिक्षण में ध्यानपूर्वक शिक्षण करें, क्योंकि बच्चें उसका अनुकरण करेंगे।
- भाषा का मूल रूप यानि मानक रूप होता है। भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन फिर भी उसके मानक रूप को बनायें रखना चाहिए नहीं तो भाषा में बहुत ज्यादा विकृतियां आ जायेंगी। भाषा तथा उसकी लिपि दोनों के ही मानक रूप का प्रयोग अपेक्षित है। भाषा शिक्षण के अध्यापक को भाषा के इस मानक रूप को हमेंशा ध्यान में रखना चाहिए।
- किसी भी भाषा के विकास को उसके साहित्य में प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। किसी भी भाषा का इतिहास उस संस्कृति व सभ्यता का इतिहास होता हैं। कोई भी अकेला मनुष्य भाषा का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए उसे सामाजिक संर्पकों में आना ही पड़ता है। प्रत्येक भाषा।

1.6 भाषा का महत्व

- भाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। अब तक जो भी विकास हुआ है वह सब भाषा के माध्यम से ही हुआ है। भाषा मानव व समाज दोनों के विकास के लिए जरूरी है।
- भाषा मनुष्यों के बीच अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है। जो कि स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भाषा ही माध्यम है जिससे इंसान एक दूसरे की संस्कृति को समझता है सीखता है।
- भाषा मनुष्य के इतिहास को संरक्षित रखती है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाती है। आज कल का आधार है, जो कि भाषा के माध्यम से ही मुमकिन है।
- भाषा मानव के सामाजिक जीवन की बुनियाद है।
- भाषा ही मानव की पहचान है। भाषा के माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों व सभ्यताओं को समझ सकते हैं। भाषा से मानव के प्राचीन व आधुनिक इतिहास को समझा जा सकता है।

- राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर एकता व सदभावना के लिए भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
- मनुष्य को शिक्षित करने के लिए भाषा को ही माध्यम बनाया जाता है। ज्ञान विज्ञान का सबसे सर्वोत्तम ज़रिया भाषा ही है। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा को ही आधार बनाया जाता है।

1.7 सारांश

इस इकाई में हमने यह पढ़ा कि भाषा मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का आधार भी है। मनुष्य भाषा के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित करता है और समाज में अपनी भूमिका निभाता है।

भाषा को अनेक विद्वानों ने विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। ब्लोच और ट्रेगर ने भाषा को यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की एक प्रणाली बताया है, जिसके माध्यम से मानव संप्रेषण करता है। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार, भाषा प्रतीकों की वह व्यवस्थित प्रणाली है जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है और जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करती है। भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूप होते हैं, जिसमें मौखिक रूप सबसे पहले विकसित हुआ।

इकाई में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मातृभाषा, उपभाषा और माध्यम भाषा जैसी अवधारणाएं भाषा की विविधता को दर्शाती हैं। भाषा न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि ज्ञान और विचारों के सृजन व विकास का मूल आधार भी है। मनुष्य भाषा के माध्यम से समाज में अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करता है और अगली पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करता है।

1.8 शब्दावली

शब्द	**अर्थ**
परिभाषा	किसी विषय की सटीक व्याख्या
संप्रेषण	विचारों का आदान-प्रदान
प्रतीक	किसी विचार या वस्तु को दर्शाने वाला चिन्ह
प्रणाली	एक व्यवस्थित ढांचा या नियमों का समूह
मौखिक	बोलकर किया गया संवाद

शब्द	**अर्थ**
उपभाषा	किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा
ध्वनि संकेत	आवाज आधारित अर्थपूर्ण संकेत
सामाजिक स्वीकृति	समाज द्वारा स्वीकार किया गया व्यवहार
सांस्कृतिक विरासत	किसी समुदाय की परंपराएं और ऐतिहासिक मूल्य
सृजन	कुछ नया रचना या उत्पन्न करना

1.9 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- भाषा की विभिन्न परिभाषाओं और उनके आधारभूत तत्वों को स्पष्ट कर सकेंगे।
- भाषा की संप्रेषणात्मक और सामाजिक प्रकृति को समझ सकेंगे।
- मानव संचार में भाषा की भूमिका और महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे।
- भाषा की मौखिक और लिखित संरचना की पहचान कर सकेंगे।
- भाषा को एक जीवंत, विकासशील और समाज-सापेक्ष प्रणाली के रूप में देख सकेंगे।

1.10 अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भाषा क्या है?

A) केवल मौखिक अभिव्यक्ति

B) विचारों का आदान-प्रदान करने का माध्यम

C) केवल लेखन की विधा

D) केवल प्रतीक चिन्हों की श्रृंखला

2. ब्लोच और ट्रेगर के अनुसार भाषा क्या है?

A) एक साहित्यिक विधा

B) स्वाभाविक ध्वनि संकेतों की प्रणाली

C) यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की प्रणाली

D) संप्रेषण का गैर-ध्वन्यात्मक साधन

3. भाषा के कितने प्रमुख रूप होते हैं?

A) एक

B) दो

C) तीन

D) चार

4. 'उपभाषा' किसे कहा जाता है?

A) एक नई बनाई गई भाषा

B) तकनीकी भाषा

C) समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली

D) सिर्फ शुद्ध हिन्दी

5. 'भाषा' शब्द किस धातु से बना है?

A) सं

B) मन

C) भाष

D) लिपि

उत्तर कुंजी (Answer Key):

1 – B	2 – C	3 – B	4 – C	5 – C

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा से आप क्या समझते हैं?
2. भाषा के मनोवैज्ञानिक आधार को समझाइए।
3. बच्चों के विकास में भाषा की क्या भूमिका है?
4. हिन्दी शिक्षण में भाषा के दार्शनिक आधार पर प्रकाश डालिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा के मुख्य आधारों पर चर्चा करें?

2. किसी भी विषय के शिक्षण के लिए भाषा क्यों जरूरी है? उदाहरणों सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए।

3. मनुष्य के विकास में भाषा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए।

4. सोशल मीडिया के दौर में भाषा के सामजिक आधार के महत्व पर विस्तार से चर्चा करें।

1.11 संदर्भ

1. चतुर्वेदी, शिखा (2019) हिन्दी शिक्षण, आर. लाल बुक डिपो, मेंरठ।
2. मंगल, उमा (2016) हिन्दी शिक्षण, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली।
3. शर्मा, दीपा, सिहं, इंद्र, पाठ्यक्रम एवं विद्यालय प्रबंधन, लक्ष्मी बुक डिपो, भिवानी।
4. मधु, नरूला, हिन्दी शिक्षण , टवन्टी फर्स्ट सैन्चुरी प्रकाशन, पटियाला।
5. शर्मा, शिवमूर्ति, हिन्दी भाषा शिक्षण, नीलकमल प्रकाशन, हैदराबाद।
6. शर्मा, राजकुमारी, रामशकल, हिन्दी शिक्षण, राधा प्रकाशन, आगरा।
7. श्रीवास्तव, आर.एस. हिन्दी शिक्षण, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर।
8. सिंह, निरंजन कुमार, माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
9. कुमार, योगेश, आधुनिक हिन्दी शिक्षण, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
10. सिंह, सावित्री, हिन्दी शिक्षण, गया प्रसाद एण्ड संस, आगरा।
11. स्वयं अधिगम सामग्री, हिन्दी शिक्षण प्रविधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

इकाई 2 : भाषा के विभिन्न रूप*

इकाई की रूपरेखा

2.0 प्रस्तावना

2.1 उद्देश्य

2.2 घर की भाषा (मातृ भाषा)

2.2.1 स्कूल की भाषा

2.2.2 ज्ञान सृजन और भाषा

2.3 माध्यम भाषा

2.4 विषय के रूप में भाषा और माध्यम भाषा में अंतर

2.5 बहुभाषिक कक्षा

2.6 सारांश

2.7 शब्दावली

2.8 अधिगम प्रतिफल

2.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

2.10 संदर्भ

2.0 प्रस्तावना

भाषा का सर्जनात्मक आचरण के समानान्तर जीवन के विभिन्न व्यवहारों के अनुरूप भाषिक प्रयोजनों की तलाश हमारे दौर की अपरिहार्यता है। इसका कारण यही है कि भाषाओं को संप्रेषण परक प्रकार्य कई स्तरों पर और कई सन्दर्भों में पूरी तरह प्रयुक्ति सापेक्ष होता गया है।

भाषा की पहचान केवल यही नहीं कि उसमें कविताओं और कहानियों का सृजन कितनी सप्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापकस्तर संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल यह भी है कि उसमें सामाजिक सन्दर्भों और नये प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। इधर संसार भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे-धीरे विकसित हुई है और रोजी-रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है। जैसे

* Prof. Ashwani, Professor, Department of Education & Training, MANUU

वर्गाभाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा आदि।

हिन्दी शिक्षण का विस्तृत अध्ययन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि भाषा की सामान्यता मानव जीवन में क्या भूमिका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक गतिविधियों के लिए मनुष्यों को एक दूसरे से बातचीत करनी होती है। भाषा जो कि अभिव्यक्ति का साधन है। मनुष्य भाषा के द्वारा सहजता व सरलता से एक दूसरे के क्रियाकलापों व आचार विचारों को समझ सकता है। इस प्रकार भाषा के विभिन्न रूपों के अध्ययन से हम इसकी संकल्पना को अच्छी तरह समझकर हिन्दी शिक्षण को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- घर की भाषा का अर्थ व परिभाषा को समझकर हिन्दी भाषा शिक्षण की समझ बना पायेंगे।
- भाषा के विभिन्न रूपों को समझकर उसे हिन्दी शिक्षण के संदर्भ में जान सकेंगे।
- माध्यम भाषा व मातृ भाषा के स्वरूप व महत्व को समझकर हिन्दी शिक्षण में उसे अपना पायेंगे।
- आधुनिक शहरी वातावरण में बहुभाषिक कक्षा की संकल्पना को समझकर हिन्दी शिक्षण को आसान बना सकेंगे।

2.2 घर की भाषा (मातृ भाषा)

बच्चा जब दुनिया में आता है तो, सबसे पहले माँ के सम्पर्क में आता है। इस प्रकार बच्चा जिस भाषा को सुनना व प्रयोग करना सीखता है वह अपनी माँ से सीखता है। बच्चा अपने घर परिवार में ही सबसे पहले अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीखता है। बच्चे का अपने घर के सदस्यों को हाव भाव अभिव्यक्त करते देखने से उसकी अधिगम प्रक्रिया में भाषा को सीखना शामिल हो जाता है। अपने घर के आस पड़ोस व समुदाय में विचारों की अभिव्यक्ति को बच्चा सीखता है, जो कि उसकी मातृभाषा के माध्यम से होता है। लेकिन भाषा वैज्ञानिक इसे बोली कहते हैं, मां और घर के आस पास के संपर्क से सीखी गई भाषा घर की बोली कही जाती है। यह समाज की भाषा नहीं होती है। उदाहरण के लिए हिन्दी की अनेक बोलियां है। जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, बुन्देली, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी आदि। परन्तु इनमें खड़ी बोली को ही भाषा माना जाता है और यही हिन्दी प्रदेश के लोगों की मातृभाषा मानी जाती है। बच्चा स्कूल आकर भाषा का शुद्ध रूप सीखता है। इस प्रकार मातृभाषा मां और घर के माहौल से सीखी गई भाषा का परिमार्जित रूप है जो कि समाजी मान्यता प्राप्त या स्वीकृत होती है। प्रो. रमन बिहारी लाल के मत में “भाषावैज्ञानिक कई समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा और कई समान

विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं। यही भाषा यथा क्षेत्रों के व्यक्तियों की मातृभाषा मानी जाती है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी मातृभाषा से तात्पर्य इसी भाषा से होता है"। बच्चों की जीवन की शुरूआत मातृभाषा से ही होती है, जो कि उसके जीवन का आधार रखती है जो आगे चलकर उसका भविष्य भी तय करती है। भारत विभिन्नता का देश है। यहाँ मातृभाषा के रूप में अनेक भाषाएं है, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न शिक्षा का माध्यम है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व झारखंड में हिन्दी को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन राज्यों के स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा को रखा गया हैं।

यूनिसेफ के अनुसार मातृभाषा का महत्व

एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ आपके द्वारा सीखे गए पहले शब्द सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि समझ, आत्मविश्वास और सीखने के लिए असीमित प्यार को खोलने वाली चाबियां हैं। यह मातृभाषा शिक्षा का वादा है, जिसे अक्सर इस गलत धारणा के कारण संदेह का सामना करना पड़ता है कि यह पर्याप्त ‘‘आकांक्षात्मक‘‘ नहीं है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आइए गहराई से जानें कि शिक्षा में बच्चे की मातृभाषा को अपनाने में सांस्कृतिक गौरव, संज्ञानात्मक विकास और संभावनाओं से भरे भविष्य के धागे एक साथ बुनने की अपार संभावनाएं क्यों हैं।

कई बच्चों को, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, कक्षाएँ और शिक्षा की भाषा विदेशी लगती है, जिससे उनके और ज्ञान के बीच एक अदृश्य दीवार बन जाती है। अध्ययनों से भावनात्मक असर का पता चलता है, जिसमें बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, आत्मविश्वास खो रहे हैं और उनकी अंतर्निहित जिज्ञासा लुप्त हो रही है। यहीं मातृभाषा शिक्षा की शक्ति चमकती है। जब एक बच्चा अपनी परिचित भाषा में सीखता है, तो दुनिया खुल जाती है। अवधारणाएँ अमूर्त धारणाओं से संबंधित अनुभवों में बदल जाती हैं, समझ की चिंगारी और ‘‘मैं यह कर सकता हूँ!‘‘ की भावना को प्रज्वलित करती हैं।

यह धारणा है कि मातृभाषा शिक्षा में महत्वाकांक्षा की कमी है, वैश्विक सफलता की तुलना एक प्रमुख भाषा से करने से उत्पन्न होती है। यह बहुभाषावाद की शक्ति और सुंदरता तथा बच्चे के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को नजरअंदाज करता है।

समझने का एक सेतुः

जब बच्चे मातृभाषा में सीखते हैं तो, वे आत्मविश्वास और आसानी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अवधारणाएँ स्पष्ट हो जाती हैं, विचार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं, और खोज का आनंद बढ़

जाता है। कल्पना करें कि एक आदिवासी बच्चा अपनी भाषा के माध्यम से गणित को समझता है, जिससे अपनेपन और सक्रिय भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है।

एक मजबूत नींव का निर्माणः

अध्ययनों से लगातार पता चलता है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमें विशेष रूप से आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और रचनात्मकता में मजबूत संज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं। यह ठोस आधार भविष्य की शैक्षणिक सफलता के लिए आधार तैयार करता है, जिससे उन्हें न केवल जटिल विषयों को समझने में मदद मिलती है, बल्कि बाद में उनके सामने आने वाली अन्य भाषाओं में भी उत्कृष्टता प्राप्त होती है।

आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बढ़ानाः

शैक्षणिक लाभों से परे, मातृभाषा शिक्षा आत्म-मूल्य और सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा देती है। जब कोई बच्चा अपनी मूल भाषा में खुद को आत्मविश्वास से अभिव्यक्त करता है, तो उनमें आत्म-आश्वासन और अपनी विरासत के साथ गहरा जुड़ाव झलकता है। यह आंतरिक प्रेरणा उनकी सीखने की इच्छा को बढ़ावा देती है और उन्हें उनकी शैक्षिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

विविधता को अपनानाः

22 से अधिक आधिकारिक भाषाओं और अनगिनत बोलियों के साथ भारत का भाषाई परिदृश्य समृद्ध और विविध है। मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से इस विविधता को अपनाना प्रत्येक भाषा की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है, एक न्यायसंगत और समावेशी प्रणाली बनाता है जो सभी बच्चों की विशिष्ट पहचान को महत्व देता है।

चुनौतियाँ और अवसरः

मातृभाषा शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की विशाल संख्या के लिए सावधानीपूर्वक योजना, संसाधन आवंटन और शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इस गलत धारणा को संबोधित करने के लिए, सफलता के लिए एक प्रमुख भाषा में प्रवाह आवश्यक है, शैक्षिक प्रणाली और बड़े पैमाने पर समाज दोनों में मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।

हालाँकि, ये चुनौतियाँ असंभव नहीं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और यूनिसेफ के बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम जैसी पहल आगे बढ़ने का स्पष्ट रास्ता पेश करती हैं। पहले से ही, हम सफलता की कहानियाँ सामने आते देख रहे है। छत्तीसगढ़ में बच्चे संपन्न हो रहे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि वे अपनी मूल भाषा हल्बी में सीखते हैं। झारखंड में, कहानियों

और गीतों के माध्यम से दिलों और दिमागों को जोड़ने, जादू बुनने के लिए पांच आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान अपने भाषाई परिदृश्य का मानचित्रण कर रहा है, बहुभाषी शिक्षा के साथ उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये उदाहरण मातृभाषा शिक्षा की सशक्त क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। समुदायों, हितधारकों और प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर काम करके, हम इस क्षमता को उजागर कर सकते हैं और लाखों बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं।

https://www.unicef.org/india/stories/why-mother-tongue-eduction-holds-key-unlocking-every-childs-potential

2.2.1 स्कूल की भाषा

भारत एक बहुल सांस्कृतिक देश है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य की अपनी मातृभाषा है और वहां की अपनी भाषा का शिक्षा माध्यम भी है। भारत की भाषिक बहुलता को देखते हुए यहां पर पूरे देश में एक ही भाषा को शिक्षा व प्रशासन की भाषा नहीं बनाया जा सकता। आज अंतरराष्ट्रीय संदर्भ को देखते हुए वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का अपना महत्व है। भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाया गया है। यदि हम हिन्दी भाषी प्रांतों को देखें तो वहां पर हिन्दी मातृभाषा एवं राजभाषा दोनों ही है। अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को अन्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। अहिन्दी भाषी प्रदेशों की राजभाषा भी हिन्दी नहीं है। भारतीय संविधान के प्रावधानों में भी हिन्दी सह अंग्रेजी को भी राजभाषा का पद प्राप्त है। भारत की बहुभाषिक स्थिति को देखते हुए बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार त्रिभाषा सूत्र बनाया गया है जिसके अनुसार बच्चों को विद्यालयी स्तर पर भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर बालक को कम से कम तीन भाषाएं पढ़नी होंगी जो कि मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा की शिक्षा दी जाये। कोठारी आयोग ने भारत में भाषायी विविधता को देखते हुए त्रिभाषा सूत्र में बदलाव किया। आयोग ने भारत में अंग्रेजी भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं के शिक्षण को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया।

1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा
2. केंद्र की राजभाषा हिन्दी या सह राजभाषा अंग्रेजी
3. एक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो शिक्षा के माध्यम से अलग हो।

मातृभाषा का सीखना व प्रयोग करना बालक घर और आस पास के माहौल से ही सीख लेता है। अपने हाव भाव को अभिव्यक्त करने लगता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मातृभाषा को बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है जबकि दूसरी अन्य भाषा को प्रयासों से सीखता है जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। इस प्रकार मातृभाषा में बच्चा सहजता व आसानी अनुभव करता है इसलिए स्कूल की भाषा मातृभाषा ही होनी चाहिए।

प्रो. कृष्ण किशोर गोस्वामी के अनुसार: भाषा शिक्षण का क्षेत्र अनुप्रायोगिक है। इसमें विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह शिक्षा का माध्यम कहलाती है। शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा भी हो सकती है और दूसरी भाषा भी। इसलिए भाषा किसी-न-किसी उद्देश्य या प्रयोजन के संदर्भ में सीखी अथवा सिखाई जाती है, लेकिन मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने समाज और देश में संप्रेषण प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यापक और सशक्त बनाना होता है। वस्तुतः मातृभाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को अपने भाषायी समाज के अनेक सामाजिक संदर्भों से जोड़ती है और उसकी सामाजिक अस्मिता का निर्धारण करती है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वह उसकी संस्कृति और संस्कारों की संवाहक होती है। यह पालने की भाषा होती है जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इससे प्रयोक्ता की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक विकास के साथ-साथ उसकी संवेदनाओं और अनुभूतियों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी होती है और बच्चा अपनी भाषा में धारा-प्रवाह बोलने में समर्थ और सक्षम होता है। स्वामीनाथन अय्यर की रिपोर्ट के अनुसार "बच्चों के सीखने के लिए सर्वाधिक सरल भाषा वही है जो वे घर में बोली जाने वाली भाषा सुनते हैं। यही उनकी 'मातृभाषा' है।

https://www.garbhanal.com/language-of-education-medium

नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि जहाँ तक संभव हो सके कम से कम पांचवीं कक्षा तक बच्चों को स्कूल में उसी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए जो उनके घर पर बोली जाती हो, या उनकी मातृ-भाषा हो, या उनकी स्थानीय या प्रांतीय भाषा हो. अगर संभव हो तो ऐसा आठवीं कक्षा तक जारी रखने की अनुशंसा की गई है। उत्तर भारत के जिन नौ राज्यों में हिन्दी बोली जाती है वहां मौजूदा नीति के तहत छात्रों की पहली भाषा हिन्दी, फिर संस्कृत और फिर अंग्रेजी हो सकती है। उसके बाद इस भाषा को एक विषय की तरह पढ़ाया जा सकता है और धीरे धीरे पाठ्यक्रम में दो नई भाषाओं को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से कम से कम एक और भारतीय भाषा होनी चाहिए. छठी या सातवीं कक्षा में छात्र चाहें तो एक या एक से ज्यादा भाषाओं को बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें दसवीं कक्षा के अंत तक तीन भाषाओं पर कम से कम बुनियादी पकड़ बना लेनी होगी। उन्हें इनमें से कम से कम एक भारतीय भाषा के साहित्य पर भी पकड़ बना लेनी होगी।

नई शिक्षा नीति में भारत की शास्त्रीय भाषाओं पर भी जोर दिया गया है, लेकिन इनमें संस्कृत को प्राथमिकता दी गई है। संस्कृत को स्कूलों में और उच्च शिक्षा के संस्थानों में हर स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा और तीन भाषाई फॉर्मूला में से एक विकल्प के रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, पाली, प्राकृत और फारसी

जैसी दूसरी शास्त्रीय भाषाओं को सिर्फ एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराने की बात की गई है।

2.2.2 ज्ञान सृजन और भाषा

ज्ञान और भाषा का वैकल्पिक विषय भाषा और ज्ञान के अधिग्रहण, व्याख्या और संचार के बीच संबंधों का पता लगाता है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करते हैं, जिससे यह हमारे संज्ञानात्मक विकास की आधारशिला बन जाती है। जैसे-जैसे बच्चे प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में सीखते हैं, वे नई जानकारी का सामना करते हैं, अपनी शब्दावली और भाषा के अन्य पहलुओं का विस्तार करते हैं और नई समझ हासिल करते हैं। वे नए शब्दों में महारत हासिल करते हैं और दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो दोनों पढ़ने की समझ में सहायता करते हैं। ऐसी सीख भाषा में निहित होती है - जो हमेंशा एक पृष्ठ पर शब्द नहीं होती। बोलना, सुनना और संवाद में शामिल होना भाषा और ज्ञान के निर्माण के लिए और महत्वपूर्ण रूप से उन्हें जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

जिस भाषा और ज्ञान पर साक्षरता निर्भर करती है उसका विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है और बच्चे के पूरे जीवनकाल तक जारी रहता है। शिक्षक छात्रों को प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में पढ़ाकर, शब्दावली और भाषा के अन्य पहलुओं को बढ़ाने के प्रयासों के बारे में जानबूझकर और ज्ञान-निर्माण चर्चाओं के लिए चल रहे अवसर प्रदान करके इस प्रक्रिया का समर्थन कर सकते हैं। मनुष्य की भावाभिव्यक्ति व अपने अनुभवों को बांटने के लिए भाषा ही एक सबसे अहम माध्यम है। भाषा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाषा के द्वारा ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने सकारात्मक व विकास के अनुभव बांटते हैं। भाषा की जानकारी व ज्ञान से ही हम दूसरे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी भाषा को अच्छी तरह पढ़ लिखकर हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने व दूसरे के विचारों को ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। भाषा के ज्ञान से मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति भी बढ़ती है, उसमें मौलिकता भी आती है और वह अपने विचारों को बेहतर ढ़ंग से प्रस्तुत कर सकता है। भाषा के माध्यम से व्याकरणिक स्वरूप, वाक्य रचना, वर्तनी व काव्य रचना का ज्ञान प्राप्त करता है। भाषा से विद्यार्थी दुनिया की मुख्य विशेषताओं से परिचित होकर इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक पहलू, वैज्ञानिक व आधुनिक सूचना व तकनीकि से परिचित हो सकते हैं। साहित्य इंसान के लिए मनोरंजनात्मक, ज्ञानात्मक, बोधात्मक व अनुभवी ज्ञान का सागर उपलब्ध कराता है। विद्यार्थी उपन्यास, बाल कहानियां, यात्रा वृत्तांत, नाटक, कविताओं को पढ़ कर दुनिया में ज्ञान को प्राप्त करके सृजनात्मक की और अपना ध्यान लगाता है। विद्यार्थी लेखन कार्य सीखकर अपने विचारों को लेखात्मक स्वरूप दे

सकते हैं। भाषा सीखकर मानव समाज के लिए सृजनात्मक कार्य तथा चिंतन करके शुभ कार्य की ओर अग्रसर होता है।

2.3 माध्यम भाषा

माध्यम भाषा विद्यालयी व शैक्षिक संस्थानों के लिए प्रयुक्त शब्द है जिस भाषा में हम शिक्षा पाते हैं वह माध्यम भाषा कहलाती है। बच्चों को कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाएं इस विषय पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। महात्मा गांधी जी और गुरूदेव रविंद्रनाथ टैगोर का मत था कि बच्चे को मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचारों के आदान प्रदान का आसान माध्यम होती है। इसे प्रायः सभी जगह मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। इस प्रकार मातृभाषा अन्य भाषाओं के मुकाबलें में ज्ञान विज्ञान सीखने का आसान साधन होती है। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम व आधारशिला मातृभाषा ही होती है। भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी अंग्रेजी से आज़ाद नहीं हो पाया है। भारत में आज भी अधिकतर निजी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। मातृभाषा में पढ़ाई ज्यादातर सरकारी स्कूलों में होती है। इसलिए सभी मनोवैज्ञानिक तर्को को छोड़कर भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के तौर पर स्वीकारा जाता है। जिसे समाज की भी अनौपचारिक मान्यता है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ना सामाजिक हैसियत की तरह देखा जाता है जो कि बच्चे व परिवार को समाज में एक विशेष स्तर प्रदान करता है। लेकिन सत्य यह है कि मातृभाषा में ही विचार व चिंतन होता है। इसलिए विद्यालयी शिक्षा के किसी भी विषय का ज्ञान भी मातृभाषा के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। भारत में त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना के माध्यम से शिक्षा के माध्यम को स्पष्ट करने की कोशिश की गई हैं।

2.4 विषय के रूप में भाषा और माध्यम भाषा में अंतर

विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है। जैसे- गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। भाषा के विषयों के रूप में जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, मलयालम इत्यादि भाषाओं का अध्ययन कराया जाता हैं। जब सभी विषयों को पढ़ने के लिए किसी एक भाषा को माध्यम बनाया जाएं तो वह हमारी शिक्षा प्राप्त करने की भाषा हो गई। भारत में त्रिभाषा सूत्र के संदर्भ में बच्चा माध्यमिक स्तर तक तीन भाषाओं का अध्ययन कर लेता है। माध्यम की भाषा को भी विद्यार्थी एक विषय के तौर पर पढ़ सकता है जैसे हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया गया है और उसे विद्यालयी पाठ्यक्रम में एक विषय के तौर पर भी पढ़ाया जाता है। भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि विद्यालयों की पाठ्यचर्या में मातृभाषा को केंद्रीय स्थान दिया जाए। मातृभाषा को स्कूलों में केवल एक विषय के तौर पर ही न पढ़ाया जाएं, अपितु अन्य विषयों की शिक्षा भी उसी भाषा के माध्यम में दी जाएं।

2.5 बहुभाषिक कक्षा

यूनिसेफ के अनुसार भविष्य बहुभाषी है। कक्षा में बहुभाषावाद का तात्पर्य उन छात्रों की उपस्थिति से है, जो कई भाषाएँ बोलते हैं और विविध भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं। यह दुनिया भर की कई शैक्षिक सेटिंग्स में एक सामान्य परिदृश्य है। बहुभाषी कक्षाएँ भाषा और संस्कृति को जीवंतता प्रदान करती हैं, जो वैश्विक समझ और सहयोग के लिए मार्ग बनाती हैं। फिर भी, शिक्षकों के लिए, ये विविध भाषाई परिदृश्य अद्वितीय चुनौतियों का एक समूह प्रस्तुत करते हैं। भाषाई संपत्तियों की एक श्रृंखला से सुसज्जित एक अकेला शिक्षक, सभी छात्रों के लिए उनकी भाषाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान रूप से प्रभावी शैक्षिक अनुभव कैसे सुनिश्चित कर सकता है?

भाषाशास्त्री रमाकांत अग्निहोत्री के अनुसार 'एक बहुभाषीय कक्षा, समाज का ही एक अभिन्न अंग एवं सामान्य परिघटना है। हमें अपने बच्चों के मानसिक विकास हेतु एक भाषीय सीमाओं से ऊपर उठकर बेहतर शिक्षा और सामाजिक बदलाव की ओर प्रयास करना चाहिए तदनुरूप, शिक्षण सामग्री, भाषा प्रशिक्षण के तरीके एवं शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन अनिवार्य होंगे। यदि भाषा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु है तो, बहुभाषी कक्षा की क्षमताओं एवं सम्भावनाओं को जितनी जल्दी हम समझें, उतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा।

यहां पर बहुभाषिक कक्षा से अभिप्राय है कि जब एक कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे पढ़ते हैं तो, वह बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है-1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. कोंकणी 7. गुजराती 8. डोंगरी 9. तमिल 10. तेलुगू 11. नेपाली 12. पंजाबी 13. बांग्ला 14. बोड़ो 15. मणिपुरी 16. मराठी 17. मलयालम 18. मैथिली 19. संथाली 20. संस्कृत 21. सिंधी 22. हिन्दी। ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में हमें बहुभाषिक कक्षाएं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद एक मैट्रोपॉलीटन शहर है, जिस कारण भारत के विभिन्न राज्यों के लोग व्यवसाय व नौकरी के कारण यहां पर रहते हैं। हैदराबाद के विद्यालयों में हमें बहुभाषिक कक्षा देखने को मिल सकती है। यहां पर तेलुगू और उर्दू मातृभाषा है। हिन्दी व अंग्रेजी जानने वाले भी बहुत लोग रहते हैं। तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी बोलने वाले भी यहां रहते हैं। इस प्रकार के शहर में बहुभाषिक कक्षा का होना साधारण सी बात है। यहां पर तेलुगू, उर्दू व अंग्रेजी माध्यम के द्वारा स्कूलों में पढ़ाई होती हैं। हिन्दी को भी हैदराबाद में दूसरी व तीसरी भाषा के तौर पर बहुत सारे विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहाँ हर बच्चा, अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, अपनी मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। एक ऐसा भविष्य जहाँ कक्षाएँ भारत की भाषाओं की विविध धुनों से गूंजेंगी, सीखने के

प्रति प्रेम को बढ़ावा देंगी और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाएंगी। यह वह भविष्य है, जिसे हम मातृभाषा शिक्षा को एक सीमा के रूप में नहीं, बल्कि बच्चों को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता को उजागर करने और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में अपनाकर बना सकते हैं।

हर्षिता जैन के अनुसार समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए कक्षा में बहुभाषावाद के अर्थ, चुनौतियों और निहितार्थों को समझना शिक्षकों के लिए आवश्यक है।

विविध भाषा पृष्ठभूमिः कक्षा में बहुभाषावाद का अर्थ है कि छात्र विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं। वे घर पर अलग-अलग भाषाएँ बोल सकते हैं या शिक्षा की भाषा में उनकी दक्षता का स्तर अलग-अलग हो सकता है।

भाषा विविधताः ऐसी कक्षाओं में, बोली जाने वाली भाषाओं का मिश्रण हो सकता है, और छात्र द्विभाषी, त्रिभाषी या अधिक भाषाएँ बोलने वाले हो सकते हैं।

सांस्कृतिक विविधताः बहुभाषी कक्षाएँ अक्सर सांस्कृतिक विविधता के साथ आती हैं, क्योंकि भाषा और संस्कृति निकटता से जुड़े हुए हैं। छात्र अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण, परंपराओं और मूल्यों को कक्षा में लाते हैं।

हर्षिता जैन के अनुसार कक्षा में बहुभाषावाद की चुनौतियाँ:

भाषा बाधाएँ: शिक्षकों को उन छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी शिक्षा की भाषा में दक्षता सीमित है। इससे समझ और भागीदारी में बाधा आ सकती है।

विभेदित निर्देशः छात्रों की विविध भाषा आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षकों को विभिन्न भाषा स्तरों को समायोजित करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अनुकूलित करना होगा।

मूल्यांकनः निष्पक्ष मूल्यांकन डिजाइन करना जो भाषा की बाधाओं पर विचार करते हुए छात्रों के ज्ञान और कौशल को सटीक रूप से मापता है, जटिल हो सकता है।

सांस्कृतिक संवेदनशीलताः शिक्षकों को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने और अपनी शिक्षण प्रथाओं में पूर्वाग्रह या भेदभाव से बचने की आवश्यकता है।

संसाधन की कमीः भाषा समर्थन के लिए सीमित संसाधन, जैसे द्विभाषी सामग्री या भाषा विशेषज्ञ, प्रभावी शिक्षण में बाधा बन सकते हैं।

हर्षिता जैन ने शिक्षकों के लिए बहुभाषी कक्षा में अध्यापकों के लिए सुझाव दिए है। वे

स्कृतिक क्षमताः शिक्षकों को अपने छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को समझने और उनका सम्मान करने के लिए सांस्कृतिक क्षमता विकसित करनी चाहिए।

भेदभावः शिक्षकों को छात्रों के अलग-अलग भाषा स्तरों और सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए अलग-अलग निर्देश लागू करने चाहिए।

भाषा समर्थनः मचान, दृश्य सहायता और सहकर्मी सहायता के माध्यम से भाषा समर्थन प्रदान करने से छात्रों को कक्षा को समझने और उसमें भाग लेने में मदद मिल सकती है।
सहयोगः भाषा की चुनौतियों से निपटने के लिए भाषा विशेषज्ञों या द्विभाषी शिक्षकों के साथ सहयोग करना फायदेमंद हो सकता है।
समावेशिताः एक समावेशी कक्षा वातावरण बनाना जहाँ सभी छात्र मूल्यवान और शामिल महसूस करें, महत्वपूर्ण है।
व्यावसायिक विकासः शिक्षकों को बहुभाषी शिक्षार्थियों को पढ़ाने में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।

2.6 सारांश

इस इकाई में हमने यह पढ़ा कि भाषा एक जीवंत, बहुस्तरीय और प्रयोजनपरक साधन है, जो मनुष्य के सामाजिक जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। भाषा केवल कहानियाँ या कविताएँ रचने का माध्यम नहीं, बल्कि संप्रेषण, ज्ञान-विनिमय और सामाजिक संबंनों का निर्माण करने का भी एक प्रमुख साधन है। इसके कई रूप होते हैं — जैसे मातृभाषा, स्कूल की भाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा आदि — जो मानव जीवन के विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं।
इस इकाई में मातृभाषा और स्कूल की भाषा के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। मातृभाषा बच्चों के आत्मविश्वास, समझ और सीखने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम होती है। इसके माध्यम से बच्चों में न केवल संज्ञानात्मक विकास होता है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान की भावना भी विकसित होती है। स्कूल की भाषा और शिक्षा की भाषा जब मातृभाषा होती है, तो छात्र अधिक गहराई से विषयों को समझ पाते हैं।
इकाई में यह भी बताया गया है कि बहुभाषी कक्षा, जहाँ विभिन्न भाषायी पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, शिक्षा की एक सामान्य लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बन जाती है। ऐसे वातावरण में शिक्षकों को विविध भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए शिक्षण करना होता है। मातृभाषा में शिक्षा देने से सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समावेशी बनती है।

2.7 शब्दावली

शब्द	**अर्थ**
संप्रेषणीयता	संदेशों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता
प्रयोजनीयता	किसी कार्य या उद्देश्य के लिए उपयुक्तता

शब्द	**अर्थ**
मातृभाषा	बच्चे द्वारा पहली बार सीखी जाने वाली भाषा
मानक भाषा	औपचारिक और व्याकरण-संहित भाषा रूप
तकनीकी भाषा	किसी विशिष्ट क्षेत्र की शब्दावली से युक्त भाषा
बहुभाषिक कक्षा	जहाँ कई भाषाएं बोलने वाले छात्र एक साथ पढ़ते हैं
माध्यम भाषा	वह भाषा जिसमें शिक्षा दी जाती है
सामाजिक सन्दर्भ	समाज से संबंधित स्थितियाँ व परिस्थितियाँ
आत्म-सम्मान	स्वयं के प्रति आदर और सम्मान की भावना
सांस्कृतिक विरासत	समाज की पारंपरिक और ऐतिहासिक धरोहर

2.8 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- भाषा के विविध रूपों जैसे मातृभाषा, माध्यम भाषा, तकनीकी भाषा, मानक भाषा आदि को पहचान सकेंगे।
- स्कूल की भाषा और घर की भाषा के बीच संबंध और अंतर को समझ सकेंगे।
- बहुभाषी कक्षा की संकल्पना और उससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- ज्ञान सृजन में भाषा की भूमिका को व्याख्यायित कर सकेंगे।
- मातृभाषा में शिक्षा के लाभ और व्यवहारिक महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे।

2.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मातृभाषा किसके विकास में सहायक होती है?

A) केवल वाचन कौशल

B) केवल लेखन कौशल

C) संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक विकास

D) केवल अंग्रेजी ज्ञान

2. बहुभाषिक कक्षा का क्या तात्पर्य है?

A) जहाँ एक ही भाषा सिखाई जाती हो

B) जहाँ केवल मातृभाषा का प्रयोग हो

C) जहाँ विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले छात्र हों

D) जहाँ केवल संस्कृत पढ़ाई जाती हो

3. 'माध्यम भाषा' से तात्पर्य है—

A) स्कूल का समय

B) वह भाषा जिसमें शिक्षा दी जाती है

C) मातृभाषा का अनुवाद

D) केवल तकनीकी भाषा

4. निम्न में से कौन-सी भाषा का प्रकार नहीं है?

A) साहित्यिक भाषा

B) तकनीकी भाषा

C) स्कूल बैग भाषा

D) बोलचाल की भाषा

5. भाषा का कौन-सा रूप ज्ञान सृजन से संबंधित होता है?

A) चिह्न भाषा

B) तकनीकी भाषा

C) बोली भाषा

D) सांकेतिक भाषा

उत्तर कुंजी (Answer Key):

1 – C 2 – C 3 – B 4 – C 5 – B

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा से आप क्या समझते हैं?
2. भाषा के मनोवैज्ञानिक आधार को समझाइए।
3. बच्चों के विकास में भाषा की क्या भूमिका है?

4. हिन्दी शिक्षण में भाषा के दार्शनिक आधार पर प्रकाश डालिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा के मुख्य आधारों पर चर्चा करें?
2. किसी भी विषय के शिक्षण के लिए भाषा क्यों जरूरी है? उदाहरणों सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए।
3. मनुष्य के विकास में भाषा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
4. सोशल मीडिया के दौर में भाषा के सामाजिक आधार के महत्व पर विस्तार से चर्चा करें।

2.10 संदर्भ

1. चतुर्वेदी, शिखा (2019) हिन्दी शिक्षण, आर. लाल बुक डिपो, मेंरठ।
2. मंगल, उमा (2016) हिन्दी शिक्षण, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली।
3. शर्मा, दीपा, सिहं, इंद्र, पाठ्यक्रम एवं विद्यालय प्रबंधन, लक्ष्मी बुक डिपो, भिवानी।
4. मधु, नरूला, हिन्दी शिक्षण , टवन्टी फर्स्ट सैन्चुरी प्रकाशन, पटियाला।
5. शर्मा, शिवमूर्ति, हिन्दी भाषा शिक्षण, नीलकमल प्रकाशन, हैदराबाद।
6. शर्मा, राजकुमारी, रामशकल, हिन्दी शिक्षण, राधा प्रकाशन, आगरा।
7. श्रीवास्तव, आर.एस. हिन्दी शिक्षण, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर।
8. सिंह, निरंजन कुमार, माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
9. कुमार, योगेश, आधुनिक हिन्दी शिक्षण, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
10. सिंह, सावित्री, हिन्दी शिक्षण, गया प्रसाद एण्ड संस, आगरा।
11. स्वयं अधिगम सामग्री, हिन्दी शिक्षण प्रविधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
12. बहुभाषिताः एक कक्षा स्रोत रमाकांत अग्निहोत्री, अनुवाद निशी तिवारी

https://www.wklavya.in/magazine-activity/sandarbh-magazines/200-sandarbh-from-issue-81-to-90/sandarbh-issue-85/584-multilingualism-a-classroom-resource-by-rama-kant-agnihotri

इकाई 3 : राजभाषा*

इकाई की रूपरेखा

3.0 प्रस्तावना

3.1 उद्देश्य

3.2. राजभाषा नियम 1963, 1976 यथा संशोधित, 1987. 2007 तथा 2011

3.2.1 राजभाषा नियम 1963

3.2.2 राजभाषा संकल्प 1968

3.2.3 राजभषा अधिनियम 1976

3.2.4 हिन्दी में प्रवीणता

3.2.5 हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

3.2.6 राजभाषा विभाग के कार्य

3.3 भारतीय संविधान के भाग 17 में धारा 343-351 तक भारत में भाषाओं संबंधी प्रावधान।

3.4 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं 350 - ख भाषाई अल्पसंख्यकवर्गों के लिए विशेष अधिकारी

3.5 भारतीय संविधान की धारा 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

3.6 सारांश

3.7 शब्दावली

3.8 अधिगम प्रतिफल

3.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

3.10 संदर्भ

3.0 प्रस्तावना

राजभाषा, किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है, जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात् सरकारी काम-काज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1)

* Prof. Ashwani, Professor, Department of Education & Training, MANUU

के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- राज भाषा का अर्थ व परिभाषा को समझकर हिन्दी भाषा शिक्षण की समझ बना पायेंगे।
- राजभाषा के विभिन्न अधिनियम व नियमों को समझकर उसे हिन्दी शिक्षण के संदर्भ में जान सकते हैं।
- राज भाषा संवैधानिक स्वरूप व महत्व को समझकर हिन्दी शिक्षण में उसे अपना पायेंगे।
- भारतीय संविधान के संदर्भ में हिन्दी भाषा के विकास को समझकर हिन्दी शिक्षण को आसान बना सकेंगे।

3.2 राजभाषा नियम 1963, 1976 यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011

हिन्दी को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को दिया था। इसके लिए संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान किए गए हैं। राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं का अनुपालन करने एवं संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास करता आ रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय के अधीन 8 क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, भोपाल, दिल्ली, गाजियाबाद, कोलकाता, बेंगलूरू, गुवाहाटी, कोच्चि में कार्यरत है जो कि क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना और पत्र -पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन तथा संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व।

संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्यविवरण, पाठ्य पुस्तक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके अपेक्षित उपस्कर शामिल है।

3.2.1 राजभाषा नियम 1963

संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही, संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी। संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती है।

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। परन्तु यह और जहाँ किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा।

जब तक संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कम्पनी का कर्मचारीवृद हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही--

संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं।

संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तातियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

3.2.2 राजभाषा संकल्प 1968

“जब तक संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है कि-

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एंव विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सभी भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए यह सभा संकल्प करती है कि - उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी स्थिति हो, उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्य हो गया और परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने

के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।"

3.2.3 राजभषा अधिनियम 1976

'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है।

'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।
राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

3.2.4 हिन्दी में प्रवीणता

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो या यदि वह इन नियमों से उपलब्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है या तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

3.2.5 हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है। केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अन्तर्गत कई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो, उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे

मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011

- केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।
- हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिन्दी में दिए जाएंगे।
- कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
- कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बनी समितियां - संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय हिन्दी समिति, हिन्दी सलाहकार समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आदि।

3.2.6 राजभाषा विभाग के कार्य

राजभाषा संबंधी संविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं।

संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व है।

संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठय विवरण, पाठय पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठयक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन।

केंद्रीय हिन्दी समिति से संबंधित मामले।

विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

हिन्दी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।

3.3 भारतीय संविधान के भाग 17 में धारा 343-351 तक भारत में भाषाओं संबंधी प्रावधान

343. संघ की राजभाषा.-(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा-

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति.-(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेंगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करें और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को-

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ड़) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, अयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करें और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे

सकेगा।

345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करें तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा- संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध- यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो, वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करें, शासकीय मान्यता दी जाए।

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा-(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक-

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और

राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल 'ख्', द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के,

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुनरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया- इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुन: स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा- प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

3.4 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं 350 - ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

350-क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं- प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

350-ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.-(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

3.5 भारतीय संविधान की धारा 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश- संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

3.6 सारांश

इस इकाई में हमने यह पढ़ा कि भारत जैसे बहुभाषी देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जो संघ सरकार के प्रशासनिक कार्यों में एक मानक भाषा बन सके। इसी उद्देश्य से संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत लिया गया। यद्यपि हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया, अंग्रेज़ी को भी एक सह-राजभाषा के रूप में रखा गया ताकि प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत बनी रहे।

इकाई में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कई संस्थाओं व समितियों की स्थापना की गई, जैसे कि राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा कार्यान्वयन समिति आदि। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देना है। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी, जो निरंतर इस दिशा में सक्रिय है।

इसके अलावा, इकाई में यह भी बताया गया है कि 'राजभाषा' और 'राष्ट्रभाषा' के बीच भेद है। संविधान में 'राष्ट्रभाषा' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि 'राजभाषा' एक संवैधानिक पद है। त्रिभाषा सूत्र, न्यायपालिका में भाषाओं का प्रयोग, राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा आदि विषय भी इस इकाई में महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित हैं।

3.7 शब्दावली

शब्द	**अर्थ**
राजभाषा	वह भाषा जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होती है
राष्ट्रभाषा	पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से एकसूत्र में बांधने वाली भाषा (संविधान में उल्लेख नहीं)
संवैधानिक प्रावधान	संविधान द्वारा निर्धारित नियम
गृह मंत्रालय	भारत सरकार का एक मंत्रालय जो आंतरिक प्रशासन देखता है
कार्यान्वयन	किसी योजना या नियम को लागू करना
सह-राजभाषा	राजभाषा के साथ-साथ प्रयुक्त भाषा (जैसे अंग्रेजी)
त्रिभाषा सूत्र	शिक्षा में तीन भाषाओं के अध्ययन का सिद्धांत
अनुवाद ब्यूरो	दस्तावेजों का अनुवाद करने वाला सरकारी कार्यालय
कार्य विभाजन नियम	सरकारी मंत्रालयों के कार्यों का बँटवारा करने वाला नियम
प्रगामी प्रयोग	किसी चीज़ का धीरे-धीरे बढ़ता हुआ प्रयोग

3.8 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- 'राजभाषा' की परिभाषा, संवैधानिक स्थिति और 'राष्ट्रभाषा' से अंतर को समझ सकेंगे।

- हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाए जाने की पृष्ठभूमि और प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे।
- भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधानों (अनुच्छेद 343–351) की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- त्रिभाषा सूत्र और भाषा नीति के व्यवहारिक पक्षों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- भाषा नीति के तहत सरकारी कार्यों, न्यायालयों, और शिक्षा में हिन्दी के प्रयोग की भूमिका को समझ सकेंगे।

3.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 'राजभाषा' शब्द का क्या अर्थ है?

A) वह भाषा जो संसद में प्रयोग की जाती है

B) वह भाषा जो राष्ट्रगान में प्रयुक्त होती है

C) वह भाषा जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है

D) वह भाषा जो आम जनता बोलती है

2. संविधान में हिन्दी को किस रूप में स्वीकार किया गया है?

A) राष्ट्रभाषा

B) जनभाषा

C) राजभाषा

D) संपर्क भाषा

3. संविधान के किस अनुच्छेद में हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है?

A) अनुच्छेद 348

B) अनुच्छेद 343

C) अनुच्छेद 351

D) अनुच्छेद 370

4. संविधान में 'राष्ट्रभाषा' शब्द का क्या स्थान है?

A) प्रमुख स्थान है

B) अस्थायी प्रावधान है

C) कोई उल्लेख नहीं है

D) राज्य सूची में शामिल है

5. त्रिभाषा सूत्र में कौन-कौन सी भाषाएँ सम्मिलित होती हैं?

A) अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच

B) मातृभाषा, हिन्दी/अंग्रेज़ी, अन्य भारतीय/विदेशी भाषा

C) हिन्दी, संस्कृत, गुजराती

D) स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा

उत्तर कुंजी (Answer Key):

1 – C 2 – C 3 – B 4 – C 5 – B

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. राजभाषा से आप क्या समझते हैं?
2. राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं?
3. भारतीय संविधान में हिन्दी भाषा के प्रावधानों पर नोट लिखिए।
4. हिन्दी शिक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी क्यों जरूरी है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान में दिए गए भाषायी संबंधी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा करें।
2. राजभाषा हिन्दी के सामने आने वाली चुनौतियों पर उदाहरणों सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए।
3. भारत सरकार के राजभाषा विभाग के कार्यो पर प्रकाश डालिए।
4. राजभाषा अधिनियम 1963 की विशेषताएँ लिखिए।
5. राजभाषा संकल्प का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

3.10 संदर्भ

1. चतुर्वेदी, शिखा (2019) हिन्दी शिक्षण, आर. लाल बुक डिपो, मेंरठ।
2. मंगल, उमा (2016) हिन्दी शिक्षण, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली।
3. शर्मा, दीपा, सिहं, इंद्र, पाठ्यक्रम एवं विद्यालय प्रबंधन, लक्ष्मी बुक डिपो, भिवानी।

4. मधु, नरूला, हिन्दी शिक्षण , टवन्टी फर्स्ट सैन्चुरी प्रकाशन, पटियाला।
5. शर्मा, शिवमूर्ति, हिन्दी भाषा शिक्षण, नीलकमल प्रकाशन, हैदराबाद।
6. शर्मा, राजकुमारी, रामशकल, हिन्दी शिक्षण, राधा प्रकाशन, आगरा।
7. श्रीवास्तव, आर.एस. हिन्दी शिक्षण, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर।
8. सिंह, निरंजन कुमार, माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
9. कुमार, योगेश, आधुनिक हिन्दी शिक्षण, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
10. सिंह, सावित्री, हिन्दी शिक्षण, गया प्रसाद एण्ड संस, आगरा।
11. स्वयं अधिगम सामग्री, हिन्दी शिक्षण प्रविधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

इकाई 4 : शिक्षा समितियों के रिपोर्ट में भाषा-भाषाओं की स्थिति*

इकाई की रूपरेखा

4.0 प्रस्तावना

4.1 उद्देश्य

4.2 कोठारी कमीशन 1964-66

4.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986

4.4 कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1992

4.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

4.6 सारांश

4.7 शब्दावली

4.8 अधिगम प्रतिफल

4.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

4.10 संदर्भ

4.0 प्रस्तावना

भारत में भाषा नीति ने स्वयं को बदलती माँगों और आकांक्षाओं के अनुरूप ढाल लिया है। 1947 से वर्तमान तक की अवधि में ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो, भारत में भाषा नीतियों के परिप्रेक्ष्य में हमें आजादी से पहले के कई प्रयास देखने को मिलते हैं। विशेषकर आजादी के बाद ब्रिटिश काल में कई भाषा नीतियां बनाई गईं जो कि अभी भी प्रक्रिया जारी है। शिक्षा आवश्यकताओं में परिवर्तन राजनीतिक आकांक्षाओं पर आधारित है जैसे कि राज्यों का पुनर्गठन। भारत में भाषा नीतियों में अनेक परिवर्तन हुए जिसमें मुख्य रूप से राज भाषा, मातृभाषा, शास्त्रीय भाषा और स्कूली शिक्षा में भाषा। शिक्षा के संबंध में इसकी गतिशीलता और विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे भारत में बहुत सारी शैक्षिक नीतियों ने कई बार संबोधित किया है। चूंकि भाषा हमारी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतंत्र और भाषा में विविधता होने के कारण किसी भी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का सम्मान हमेंशा रखा गया है। भारतीय शिक्षा में त्रिभाषा फार्मूला के तहत विद्यालयी स्तर पर भाषाओं का अध्ययन

* Prof. Ashwani, Professor, Department of Education & Training, MANUU

किया जाता है। इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो पहल की है वह बहुत उपयुक्त हैं और शिक्षा में समावेशी विकास लाने के लिए बहुभाषावाद पर भी चर्चा करती है।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- कोठारी कमीशन की भाषाओं के शिक्षण संबधी सिफारिशों की समझ बना पायेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986 की विद्यालय स्तर पर भाषाओं संबधी सिफारिशों की समझ बना पायेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की भाषाओं संबंधी सिफारिशों को वर्तमान संदर्भ में समझ सकेंगे।
- बहुभाषावाद की संकल्पना को समझ सकेंगे।

4.2 कोठारी कमीशन के अनुसार भाषाओं का अध्ययन

कोठारी कमीशन के अनुसार भाषाओं का अध्ययन संशोधित त्रिभाषा सूत्र के अनुसार होगा- (क) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, (ख) संघ की राजभाषा या संघ की सहचारी भाषा, (ग) ऐसी आधुनिक भारतीय या योरोपीय भाषा जो (क) और (ख) में सम्मिलित न हो और जो शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त न हो। अवर प्राथमिक अवस्था में दो भाषाएं - मातृभाषा या (प्रादेशिक भाषा) और संघ की राजभाषा या सहचारी भाषा पढ़ाई जायेगी। अवर माध्यमिक अवस्था में वह तीनों भाषाएं पढ़ाई जायेंगी। उच्चत्तर माध्यमिक अवस्था में केवल दो भाषाएं अनिवार्य होंगी। स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनने के लिए मातृभाषा का सर्वप्रथम अधिकार है। अतः प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तकें और साहित्य, विशेष रूप से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, तैयार करने के लिए उत्साहपूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए। शैक्षिक कार्य तथा बौद्धिक आदान-प्रदान के लिए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी सम्पर्क भाषा का कार्य करेंगी। हिन्दी संघ की राजभाषा और लोगों की सम्पर्क भाषा है, इसलिए अहिन्दी क्षेत्रों में उसे प्रसार के लिए सभी उपाय किये जाने चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भाषाओं के विकास का वर्णन किया है।

- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर भी प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू करना चाहिए। हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा जो कि दक्षिण भारतीय भाषा को अपनाया जा सकता है। अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ एक

प्रादेशिक भाषा पढ़ानी चाहिए। उच्च शिक्षा के स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में उपयुक्त पाठ्यक्रम होने चाहिए जिससे विद्यार्थी इन भाषाओं में दक्षता हासिल कर सकें।

- भारतीय संविधान के 351 अनुच्छेद के अनुसार हिन्दी के विकास के हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। हिन्दी को एक सर्म्पक भाषा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
- संस्कृत को विद्यालयों तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने के लिए सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए।
- विश्व की अन्य भाषाओं व अंग्रेजी के अध्ययन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

4.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 के 8.7 में कहा गया है कि 1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। उस नीति की मूल सिफारिश में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो और ये जितनी प्रासंगिक पहलें थी उतनी ही आज भी है। किंतु देश भर में 1968 की नीति का पालन एक समान नहीं हुआ। अब इस नीति का अधिक सक्रियता और सोद्देश्य से लागू किया जाएगा।

4.4 कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1992 (Programme of Action 1992)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद समीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए POA 1992 बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषाओं के संबंध में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भाषाओं के संबंध में किए गये प्रावधानों को ही सक्रियता के साथ लागू किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति ने किसी भी तरह का परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नही किया है।

- वर्तमान में जो प्रावधान है कि विश्वविद्यालय स्तर पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए लेकिन मातृभाषा के द्वारा शिक्षा को उपलब्ध कराना जरूरी है जो कि भारतीय संविधान में भाषाओं की दी गई सूची के आधार पर हो सकता है। भारतीय संविधान भी अल्पसंख्यक भाषाओं के वर्गो के लिए भी प्रावधान की बात करता है। भारत में सैकड़ों मातृभाषाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ेगा जिसके लिए पूर्वनियोजित सुविधाओं का होना जरूरी है।
- POA 1992 में विस्तार से इस बात पर चर्चा हुई है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम को लेकर सही स्थिति नहीं है। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें व शिक्षण सामग्री सभी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। सभी भाषाओं में पढ़ाने के लिए अध्यापक भी

नहीं हैं। इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर अध्यापकों व विभिन्न भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार करने का काम करना चाहिए। न्ळब् को इस संदर्भ में व्यापक स्तर पर नियोजित तौर पर काम करना चाहिए।

- POA 1992 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन सही ढ़ग से नहीं हो पा रहा है। माध्यमिक स्तर पर सभी भाषाओं का अध्ययन नहीं हो पा रहा है। दक्षिण भारतीय भाषाओं का अध्ययन भी हिन्दी भाषी प्रदेशों में न के बराबर है। तीनों भाषाओं के अध्ययन का कार्यकाल विभिन्न राज्यों में अलग अलग है।
- POA 1992 के अनुसार अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति को लगातार बनाये रखना चाहिए और सौ प्रतिशत हिन्दी अध्यापकों की भर्ती की जानी चाहिए।
- हिन्दी व अन्य मातृभाषाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों को प्रबंध करना चाहिए। वर्तमान अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार करना चाहिए और उन्हें भाषा के प्रशिक्षण में दक्ष बनाना चाहिए।
- मंत्रालय व भाषा संस्थानों को भाषाओं के शिक्षण, भाषाओं के शिक्षण की पद्धति, भाषाओं को पढ़ानें में कंम्पयूटर व नई सूचना तकनीक पर शोध कार्य को बढ़ाना चाहिए।
- केंद्र एवं राज्यों को हिन्दी अध्यापक नियुक्ति के लिए अनुदान सहायता देनी चाहिए।
- केंद्रीय हिन्दी संस्थान, भारतीय भाषा अध्ययन संस्थान, अंग्रेजी व विदेशी भाषओं का केंद्रीय संस्थान को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर यह तय करना है कि त्रिभाषा सूत्र के संदर्भ में किस स्तर तक भाषा की क्या दक्षता होनी चाहिए।
- भारतीय संविधान की धारा 351 ने संघ का कर्तव्य तय किया है कि वह हिन्दी को एक संपर्क भाषा के तौर पर विकसित करें। हिन्दी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए हिन्दी संस्थानों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है साथ ही गैर सरकारी संगठनों को सक्रियता के साथ इसमें शामिल करना चाहिए।
- केंद्रीय हिन्दी संस्थान, भारतीय भाषा अध्ययन संस्थान, अंग्रेजी व विदेशी भाषाओं का केंद्रीय संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में लागू करने के लिए एक दूसरे को साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- शिक्षा विभाग संस्कृत भाषा और क्लासिकल भाषाओं के विकास और बढ़ावे के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय बनाया जाना चाहिए, जो कि संस्कृत भाषा और क्लासिकल भाषाओं के अकादमिक मानक तय करें और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय का भी काम करें। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सुदृढ़ करके उसे अन्य राज्यों में भी विस्तार किया जाना चाहिए। विद्यापीठ भी राज्यों में खोलें जाने चाहिए।
- गैर सरकारी संगठनों के द्वारा अरबी और फारसी भाषाओं के विकास और बढ़ावे के लिए वित्तीय सहायता के साथ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

- उर्दू और सिंधी भाषा को बोलने वाले सभी राज्यों में लोग रहते हैं। इसलिए इन भाषाओं के विकास के लिए अलग से बोर्ड बनाने चाहिए। गुजराल समिति 1970 की सिफारिशों को इस संदर्भ में लागू करना चाहिए।

4.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुभाषायी संदर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में भारतीय संस्कृति व सभ्यता को अंतर्निहित करने का संदेश लेकर आई हैं। यह नीति मुख्य तौर पर समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान पंरपरा, शिक्षा का स्थानीय व वैश्विक संदर्भ, शिक्षा में तकनीकी का यथासंभव प्रयोग, उत्कृष्ट स्तर का शोध व बहुभाषावाद पर जोर देती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतों में भाषायी संबंधी मुख्य सिद्धांत है-बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास, बहु-भाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में तकनीकी का उपयोग।

यह शिक्षा नीति बहुत ही चिंताजनक स्थिति पर भी बड़ी ही सच्चाई से लिखती है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने-जिसकी अनुमानित संख्या पांच करोड़ से भी अधिक है- बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान भी नहीं सीखा है, अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की .क्षमता भी नहीं है। इस प्रकार बहुत ही ईमानदारी से यह शिक्षा नीति बच्चों के भाषायी ज्ञान व जानकारी पर देश को अवगत करा रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मत में शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। इस प्रकार यह नीति भी शिक्षा के चहुँमुखी विकास पर बल देती हैं। युवाओं के लिए भारत की विभिन्न भाषाओं को पढ़ने व जानने के महत्व पर भी यह नीति जोर देती है। बहुलतावादी समाज की सोच में विभिन्न भाषाओं की अहम भागीदारी को यह नीति पुष्ट करती है। इस संदर्भ में नीति की निम्न सिफारिशे उल्लेखनीय है- वे

- बच्चों के ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए स्थानीय भाषा में दक्ष अध्यापकों की नियुक्ति की जाएं[5]।
- सभी भारतीय व स्थानीय भाषाओं में बच्चों की दिलचस्पी व रूचि का बाल साहित्य स्कूल व स्थानीय पुस्तकालयों में उपलब्ध कराया जाए। जिससे पढ़ने की संस्कृति का विकास हो सकें। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाए जिसमें सभी भाषाओं

की पुस्तकें उपलब्ध हों, जो कि डिजिटल पुस्तकालय से आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं[6]।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद संबंधी सुझाव व सिफारिशें[7] (4.11 से 4.22)

- नीति में शिक्षा के माध्यम के लिए सुझाव दिया है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर / स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे।
- यदि भारतीय शिक्षा नीतियों के इतिहास पर नजर डाले तो, यह नीति बहुत ही स्पष्ट तौर पर मातृभाषा के अध्ययन की पुरजोर सिफारिश करती है और घर की भाषा व मातृभाषा की स्पष्टता भी प्रदान करती हैं। यह नीति बच्चों के लिए घर की भाषा में अध्ययन पर जोर देती है यदि घर की भाषा में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो, नीति बहुत ही अच्छा सुझाव यह देती है कि स्थानीय अध्यापकों की नियुक्ति की जाएं, जिससे बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के बीच में किसी भी तरह का अंतराल उपस्थित ना हों।
- शिक्षकों को द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी तौर पर पढ़ाने में दक्ष होना चाहिए। चाहें कोई भी भाषा हो, उसे उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएं जिससे बच्चे भाषायी रूप से दक्ष हो।
- नीति बहुभाषावाद के संदर्भ में कहती है कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है, फाउंडेशनल स्टेज की शुरूआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ) एक्सपोज़र दिए जाएंगे। सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा।
- सभी भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं व भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाओं के आधार पर हो। बहुभाषी शिक्षण के लिए आपस में द्विपक्षीय समझौता किया जा सकता है। आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से हम बहुभाषी तौर पर शिक्षण कर सकते हैं, जिससे अधिगम भी आसान हो जाएगा।
- विद्यालय स्तर पर त्रि-भाषा फॉर्मूले को लचीलेपन के साथ अपनाया जाए। तीनों भाषाओं को अध्ययन के लिए चुनने का अधिकार बच्चे व राज्य का होगा। बहुभाषिकता के लिए मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षण को अनुभव आधारित बनाने के लिए

स्थानीय कलाकारों, लेखकों व विशेषज्ञों को स्कूल के साथ जोड़ना चाहिए। इस प्रकार सामुदायिक सहभागिता के द्वारा हम विद्यालय में बहुभाषिकता के द्वारा अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

- विशेष तौर पर गणित व विज्ञान के शिक्षण को द्वि-भाषी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से किया जाए, जिसमें विद्यार्थी मातृभाषा व अंग्रेजी में भी इन विषयों की सोच समझ बना सकें।
- शिक्षा नीति पुरजोर शब्दों में कहती है कि हमारे युवाओं को हमारे देश की भाषाओं के विशाल भण्डार व साहित्य को पढ़कर सचेत होना चाहिए।
- शिक्षा नीति सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट बनाने के उदाहरण से यह कहना चाहते हैं कि बहुभाषावाद को हम कक्षा के शिक्षण व अधिगम का हिस्सा बनाये जिससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक तौर पर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हो सके।
- त्रि-भाषा फॉर्मूले में संस्कृत के शिक्षण को महत्व दिया जाएगा। संस्कृत की शिक्षा से हम भारतीय संस्कृति व साहित्य के साथ-साथ गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति व अन्य विधाओं से भी परिचित हो सकते हैं। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में भी चार वर्षीय बहु विषयक डिग्री के द्वारा संस्कृत के अच्छे अध्यापक बनाये जाएगें। संस्कृत शिक्षण को संस्कृत के माध्यम से आनंददायी बनाया जायेगा।
- शिक्षा नीति केवल भारतीय भाषाओं को ही नहीं, बल्कि विश्व की अन्य भाषाओं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच व जर्मन इत्यादि विदेशी भाषाओं के अध्ययन को भी प्रोत्साहित करने के सुझाव देती है, जिससे विद्यार्थी विश्व की अन्य संस्कृतियों का भी ज्ञान समावेशी तौर पर प्राप्त कर सकें।
- भाषाओं के शिक्षण को रूचिकर व अनुभवात्मक-अधिगम शिक्षणशास्त्र की बुनियाद पर बनाया जाएगा। तकनीकी गतिविधि आधारित सरल माध्यमों से जैसे ऐप्स इत्यादि के द्वारा सरलीकृत पद्धतियों से पढ़ाया जाना चाहिए। फिल्म, थियेटर, वीडियों व समाजी मीडिया के माध्यम से हम अपने देश के अनुभवों को संजोते हुए बहुभाषायी अध्ययन को बढ़ावा दे सकते हैं।
- बधिर विद्यार्थियों के लिए भारतीय साइन लैंग्वेज को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही हमें अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं का भी ध्यान रखना है। नीति समावेशी शिक्षा की सोच समझ में भाषा को भी शामिल करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अध्याय 22 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन में भी भाषाओं संबंधी उल्लेखनीय सुझाव व सिफारिशें दी है[8]।

- विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के साथ ही अपनी भाषाओं के लिए भी सकारात्मक भावना व आत्म सम्मान पैदा करना चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति की पहचान को

सदियों तक जिंदा रख सकें। इस प्रकार सांस्कृतिक पहचान के लिए भाषायी सोच समझ व ज्ञान के महत्व को माना गया है।

- शिक्षा नीति में बहुत ही विशेष तौर पर कहा है कि 'संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है' इस प्रकार भाषा को कला एवं संस्कृति से संबंधित माना है। यदि हम अपनी भाषाओं की पहचान व संरक्षण व संवर्धन रखते हैं तो, हमारी संस्कृति स्वयं ही सुरक्षित हो जाएगी। भाषा का व्यक्ति के भावनात्मक व मानसिक विकास से गहरा अटूट रिश्ता है जो कि संस्कृति के विकास में स्वाभाविक रूप से शामिल रहती है। हमें अपनी संस्कृति व भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिससे लुप्त होती भारतीय भाषाओं को बचाया जा सकें।
- भारतीय संविधान की सूची में दी गई भाषाओं के माध्यम से शिक्षण व अधिगम को विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक एकीकृत करके या अंतर्निहित तरीके से बढ़ावा देने की जरूरत है।
- सभी भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़े। सभी भाषाओं के शब्दकोशों को बनाने व अपडेट करने की जरूरत है, जिससे सभी मुद्दों पर हम समय के अनुसार चर्चा कर सकें। विभिन्न भाषाओं में अनुवाद से भी भाषाओं की सोच समझ व प्रसार उचित रूप से होता है। इसलिए बहुभाषी शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए अनुवाद व अच्छे शब्दकोशों का निर्माण बहुत ही जरूरी है। अनुवाद व शब्दकोशों को हम आधुनिक तकनीकी से जोड़कर भाषायी संपर्को को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं।
- बहुभाषावाद के लिए बहुत ही जरूरी है कि भाषा पढ़ाने वाले अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। भाषा शिक्षण में सुधार व शोध की जरूरत है जिससे भाषा के द्वारा बातचीत व अंतक्रिया सरल तौर पर हो सके। भाषाओं को केवल साहित्य व व्याकरण की समझ ही नहीं बल्कि उसे बातचीत व सीखने सीखाने में प्रयोग किया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा में भी विभिन्न भाषाओं के अध्ययन अध्यापन के लिए दोहरी डिग्री वाले चार वर्षीय कोर्स विकसित किए जाए जिससे अच्छे भाषा शिक्षकों को विकसित करने में मदद मिले। बहुभाषा शिक्षण को लेकर उच्च स्तर का शिक्षण भी होना चाहिए। उच्च शिक्षा में मातृभाषा व स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के तौर पर उपलब्ध होना चाहिए। उच्च शिक्षा को द्विभाषित तौर पर शिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे नामांकन दर भी बढ़ेगी।
- नीति में कहा गया है कि इंस्टिटयूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जायेगी। यह संस्थान बहुभाषी भाषा और जानकारों के द्वारा अनुवाद व व्याख्या को प्रसारित करेंगे, जिससे विभिन्न भाषाओं में पढ़ना आसान हो जाएगा। अनुवाद और व्याख्या के लिए आईसीटी का अच्छे तौर पर प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के अनुसंधानों को बाद में अन्य राज्यों में भी खोला जा सकता है।

- देश भर के संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के संस्थानों व विभागों को सुविधाओं के साथ सुदृढ़ किया जाएगा। शास्त्रीय भाषाओं में पुराने इतिहास व संस्कृति को पढ़ने व सुरक्षित रखने के लिए शोध व अध्ययन कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। भाषायी विश्वविद्यालयों को बहुविषयी बनाया जाएगा, जिससे वे अध्ययन में अंर्तविषयी सोच समझ के साथ भाषा की समझ बना सके।
- आदिवासी भाषाएं और जो भाषाएं लुप्त हो गई या जिनपर लुप्त होने का खतरा है इस प्रकार की भाषाओं को प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों की सहायता से संरक्षित किया जाएगा।
- संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाओं के लिए एक अकादमी बनाई जाएगी। अकादमी नवीन व अद्यतन शब्दकोश तैयार करें, जो कि हमारी शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन व बातचीत आदि में इस्तेमाल हो सके। शब्दकोश हमेंशा आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाये जाने चाहिए हो सके तो शब्दकोश के निर्माण में आम जनता का भी सहयोग लेना चाहिए। इस प्रकार की कोशिशों से बहुभाषा के ज्ञान व प्रसार के माध्यम से लोगों की दो से ज्यादा भाषाओं में रूचि बढ़ेगी।
- भारतीय भाषाओं एवं उनसे संबंधित कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वेब आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया के माध्यम से इनसे संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाऐगी, जो कि आम जनता के प्रयोग व योगदान के लिए भी हमेंशा उपलब्ध रहेगी। आम लोगों के माध्यम से भाषाओं के स्वाभाविक रूप को बचाया जा सकता है जैसे बोलने के तरीके, कहानियां व कविता को सुनाने के ढ़गों को हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहेज कर रख सकते हैं।
- भाषाओं के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान करके उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। भाषाओं के संरक्षण के लिए जरूरी है कि उन्हें शिक्षण व अधिगम का हिस्सा बनाया जाए जिससे अध्ययन व अध्यापन के माध्यम से भाषाएं स्वाभाविक रूप से प्रगति करती हुई भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकें।
- विभिन्न भाषाओं में रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए जिससे समाज में स्वयं ही प्रेरणा पैदा होगी कि हम भाषाओं में अध्ययन अध्यापन करें।

4.6 सारांश

इस इकाई में हमने यह पढ़ा कि भारत की विभिन्न शिक्षा समितियों और आयोगों ने शिक्षा व्यवस्था में भाषा की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। भारत जैसे बहुभाषिक देश में शिक्षा नीति बनाते समय भाषायी विविधता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से कोठारी आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 जैसी नीतियों में भाषा के विषय पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इन नीतियों में यह सुझाव दिया

गया कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाए ताकि वे सहज रूप से ज्ञान अर्जित कर सकें।

कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों को तीन भाषाएं—मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी/राजभाषा, और एक अन्य भारतीय या विदेशी भाषा—सीखने की अनुशंसा की गई। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी न केवल भाषाओं में दक्ष हों बल्कि विभिन्न संस्कृतियों से भी परिचित हों। नई शिक्षा नीति 2020 ने इस सिद्धांत को और सुदृढ़ करते हुए मातृभाषा में पठन-पाठन, क्षेत्रीय भाषाओं की प्रोत्साहना और बहुभाषावाद को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बताया।

इकाई में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भाषा न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि यह बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार भी है। शिक्षा समितियों ने शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे बहुभाषिक कक्षाओं की चुनौतियों को समझें, छात्रों की भाषायी विविधता का सम्मान करें और सभी को समान अवसर प्रदान करें, जिससे एक समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

4.7 शब्दावली

शब्द	**अर्थ**
त्रिभाषा सूत्र	शिक्षा में तीन भाषाओं के अध्ययन का सिद्धांत
मातृभाषा	व्यक्ति द्वारा पहली सीखी गई भाषा
बहुभाषावाद	एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग की नीति
शिक्षा नीति	शिक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों का दस्तावेज
क्षेत्रीय भाषा	किसी विशेष राज्य या क्षेत्र की प्रमुख भाषा
समावेशी शिक्षा	सभी को समान अवसर देने वाली शिक्षा व्यवस्था
कोठारी आयोग	1964-66 में गठित शिक्षा सुधार समिति
पठन सामग्री	अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे पुस्तकें
भाषाई विविधता	विभिन्न भाषाओं का सह-अस्तित्व
अनुशंसा	सुझाव या प्रस्ताव जो नीति निर्माण में सहायक हो

4.8 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- विभिन्न शिक्षा आयोगों और समितियों (जैसे कोठारी आयोग, एनईपी 1986, 2020) द्वारा भाषा पर दिए गए सुझावों को समझ सकेंगे।
- त्रिभाषा सूत्र की अवधारणा और उसके शैक्षिक महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे।
- मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों को व्याख्यायित कर सकेंगे।
- बहुभाषिक भारत में भाषा नीति की व्यावहारिक चुनौतियों और अवसरों को पहचान सकेंगे।
- भाषा एवं शिक्षा के परस्पर संबंध को एक व्यापक शैक्षिक दृष्टिकोण से देख सकेंगे।

4.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. कोठारी आयोग ने किस भाषा संबंधी सूत्र की सिफारिश की थी?

A) द्विभाषा सूत्र

B) त्रिभाषा सूत्र

C) एकभाषा नीति

D) अंतरराष्ट्रीय भाषा सूत्र

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए?

A) केवल अंग्रेज़ी

B) केवल संस्कृत

C) मातृभाषा / स्थानीय भाषा

D) विदेशी भाषा

3. बहुभाषावाद का क्या लाभ बताया गया है?

A) केवल शुद्ध उच्चारण सीखना

B) भाषा को कठिन बनाना

C) संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक विकास

D) केवल प्रतियोगिताओं में सफलता

4. शिक्षा में भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) केवल वाचन सिखाना

B) परीक्षा पास कराना

C) संवाद, संप्रेषण और ज्ञान का विकास

D) केवल व्याकरण सिखाना

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किस पर जोर दिया?

A) केवल अंग्रेज़ी शिक्षण

B) विदेशी भाषाओं का प्रचार

C) विद्यालय स्तर पर मातृभाषा और बहुभाषावाद

D) संस्कृत को अनिवार्य बनाना

उत्तर कुंजी (Answer Key):

1 – B 2 – C 3 – C 4 – C 5 – C

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. त्रिभाषा सूत्र की व्याख्या कीजिए।
2. बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं?
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की भाषाओं संबंधी मुख्य सिफारिशें क्या क्या है?
4. विद्यालय स्तर पर भाषाओं के अध्ययन की नीति क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में दिए गए बहुभाषावाद संबंधी सुझावों पर चर्चा कीजिए?
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में भाषायी संबंधी सिफारिशों की व्याख्या कीजिए।
3. प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 में दिए गए भारतीय भाषाओं संबंधी सुझावों पर चर्चा कीजिए।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और कोठारी कमीशन की भाषाओं संबंधी सिफारिशों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।

4.10 संदर्भ

1. चतुर्वेदी, शिखा (2019) हिन्दी शिक्षण, आर. लाल बुक डिपो, मेंरठ।
2. मंगल, उमा (2016) हिन्दी शिक्षण, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली।
3. शर्मा, दीपा, सिहं, इंद्र, पाठ्यक्रम एवं विद्यालय प्रबंधन, लक्ष्मी बुक डिपो, भिवानी।
4. मधु, नरूला, हिन्दी शिक्षण , टवन्टी फर्स्ट सैन्चुरी प्रकाशन, पटियाला।
5. शर्मा, शिवमूर्ति, हिन्दी भाषा शिक्षण, नीलकमल प्रकाशन, हैदराबाद।
6. शर्मा, राजकुमारी, रामशकल, हिन्दी शिक्षण, राधा प्रकाशन, आगरा।
7. श्रीवास्तव, आर.एस. हिन्दी शिक्षण, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर।
8. सिंह, निरंजन कुमार, माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
9. कुमार, योगेश, आधुनिक हिन्दी शिक्षण, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
10. सिंह, सावित्री, हिन्दी शिक्षण, गया प्रसाद एण्ड संस, आगरा।
11. स्वयं अधिगम सामग्री, हिन्दी शिक्षण प्रविधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1986), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नई दिल्लीः भारत सरकार।
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1992), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986: कार्यान्वयी योजना 1992, नई दिल्लीः भारत सरकार।
14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्लीः भारत सरकार।
15. Ministry of Education, GOI, https://www.education.gov.in/en
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्लीः भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-11

इकाई 5 : भाषायी दक्षताएं – सुनना, बोलना पढ़ना एवं लिखना*

इकाई की रुपरेखा

5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देश्य

5.2 भाषायी दक्षताएं – सुनना, बोलना पढ़ना एवं लिखना

5.3 सुनना (श्रवण)

5.3.1 सुनने के आवश्यक तत्व एवं आधार

5.3.2 श्रवण कौशल का विकास

5.4 श्रवण कौशल का विकास, श्रवण कौशलों के विकास में बोलने का लहजा शैली एवं भाषाई विविधता व इसका प्रभाव

5.5 सुनने एवं बोलने के कौशल के सत्रोंत एवं सामग्री

5.6 सारांश

5.7 शब्दावली

5.8 अधिगम प्रतिफल

5.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

5.10 संदर्भ

shutterstock.com · 2154710657

* Dr. Pravini Pandagale, Assistant Professor, MANUU CTE, Bhopal

5.0 प्रस्तावना

भाषा संपूर्ण प्राणी जगत के लिए एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माध्यम है। यह हमारे भाव, हमारे ज्ञान, हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा विकास प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हमारे समाज और संस्कृति की संरचना बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी एक पहचान का आधार होती है। मनुष्य अपनी भाषा के प्रयोग से अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर सकता है। हर भाषा अपनी विशेषता और विकास की वजह से अपनी अलग पहचान बना लेती है, साथ ही संपूर्ण संसार के एकीकरण में यह एक मजबूती का आधार स्तंभ भी बनती है। भाषा का महत्व, सांसारिक मेंलजोल और व्यवहार के सुखद अनुभव में भी दिखाई देता है। व्यक्ति अपने भाव को, विचारों को, सुख-दुखों को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकता है। साथ ही उसके प्रयोग से वह दूसरों तक अपने व्यवहार, विचारों को आसानी से पहुंचा सकता है। भाषा एक जीवित साधन है, जो समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होती रहती है। नई भावनाएँ, नये व्यवहार, नये वाक्य, नये शब्द की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भाषा में बदलाव होते रहते हैं, साथ ही हमारे प्राचीन ग्रंथ, काव्य और लोकप्रिय कहानी भाषा के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है। भाषा का अध्ययन हम विचारों को आदान-प्रदान करने के लिए तो करते ही है साथ ही उसकी आवश्यकता पड़ने पर सही जगह पर प्रयोग करते हैं, इस प्रकार भाषा समाज के लिए एक उपयोगी माध्यम बना रहता है

"भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेत की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करता है।"

ब्लोच एवं ट्रेगर का कहना है कि "भाषा यादृश्चिक ध्वनि संकेत की व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव विचारों का आदान-प्रदान करता है।”

भाषा विज्ञान

5.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- भाषाई दक्षता के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे।
- श्रवण कौशल विकास के अवसरों को बता सकेंगे।
- धैर्यपूर्वक सुनना एवं सुनने के शिष्टाचार का पालन करना सीख सकेंगे।
- सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास कर सकेंगे।
- सुनने व बोलने के स्रोत व उपलब्ध सामग्री बता सकेंगे।
- भाषायी विविधता को भली-भांति समझ सकेंगे।

- साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।

5.2 भाषायी दक्षताएं – सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना

कोई भी व्यक्ति जब धारा प्रवाह गति से बोलता है तो, उसका यह अर्थ होता है कि उसके पास भाषाई दक्षताएं जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये उच्च स्तर के हैं।

भाषा से संबंधित जब चारों भाषा क्षमताएं आपस में क्रिया करते हैं तो, उसे हम भाषाई दक्षताएं कहते हैं। इन चारों दक्षताओं का एक-दूसरे से आपस में अंतर-संबंध होता है और यह भाषा को एक नया आयाम देते हैं। इन भाषा कौशलों का विकास हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर तक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों में इन कौशल का होना अनिवार्य हो जाता है।

जब हम विचारों की अभिव्यक्ति या आदान प्रदान करते हैं तब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यह भाषाई दक्षतायें अनिवार्य हो जाती है। वक्ता द्वारा उच्चारित की गयी भिन्न ध्वनियां एवं उससे बने शब्द, वाक्य को सुनकर विचारों और भावों को समझने की योग्यता के साथ ही उसके विचारों को परस्पर आदान-प्रदान करने की क्षमता श्रोता के पास हो ताकि वह उसे समझ सके।

जब हम भाषा के लिखित रूपों को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल कर लेते हैं तो अन्य व्यवहार जैसे वाचन तथा लेखन की कुशलता भी सीखनी पड़ती है। यह चार भाषाई दक्षताएं जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आदि का संबंध भाषा के सभी तत्व ध्वनि, आरोह-अवरोह, शब्द एवं वाक्य सरंचना के साथ-साथ भाषा की संस्कृति से भी होता है। भाषाई दक्षता को सीखने का अर्थ यह है कि भाषा की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी लेना एवं उनके उचित उपयोग की कुशलता का विकास करना है। इस प्रकार भाषा शिक्षण का अर्थ है कि- भाषा कौशल में दक्षता उत्पन्न करना और साथ ही व्यवहार में योग्यता उत्पन्न करना। भाषा की दक्षता का महत्व भाषा शिक्षण में भाषा के कौशलों का उचित महत्व है। भाषाओं को अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है और इसकी आदत पैदा की जा सकती है। मातृभाषा के मुख्य कौशलों को तो, बालक परिवार में रहकर स्वभाविक रूप से इसे ग्रहण कर लेता है। लेकिन अन्य भाषाओं को जब वह सीखता है तो उसे इन चारों दक्षताओं को सीखना भी जरूरी हो जाता है। अन्य भाषा में विचारों का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक मूल्य, भाषाओं से परिचित कराने के लिए इसका उच्चारित एवं लिखित रूप का भी अभ्यास करना जरूरी है। सुलेख, आलेख, शृतलेख, प्रतिलेख आदि का भी अभ्यास छात्रों से करवाया जाता है। उसे छोटी-छोटी कहानी लिखना, कहानी का वर्णन करना भी बच्चों को सिखाया जाता है, ताकि उनमें भाषण दक्षताएं पैदा हो सके और वह भाषाई कौशल में दक्षता प्राप्त कर सके।

5.3 सुनना (श्रवण)

श्रवण से आशय सही ढंग से सुनने की क्षमता है। श्रवण शब्द 'श्रु' धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना और अध्ययन करना। मनुष्य जब ध्वनियों को सुनकर उसका अनुकरण करते हैं तब उसमें धीरे-धीरे श्रवण कौशल का विकास होता है। श्रवण के माध्यम से बच्चे या विद्यार्थी ध्वनियों को सुनकर उसमें अंतर करने का सामर्थ्य विकसित करते हैं। जब कोई वक्ता अपने विचारों को एवं भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है तो हम उसे सुनकर उसके भाव और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, यह क्रिया श्रवण क्रिया कहलाती है। जब विद्यार्थियों में वक्ता के स्वर के कथन को पहचान सकने की क्षमता विकसित होगी तभी उसका श्रवण कौशल उपयुक्त रूप से विकसित हो सकेगा अर्थात श्रवण कौशल के अंतर्गत छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता एवं दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर उसका शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता होती है।

5.31 सुनने के आवश्यक तत्व एवं आधार

किसी के द्वारा कही हुई बातों को या मौखिक अभिव्यक्ति को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण एवं भाव ग्रहण करने के लिए जिन ज़रूरी तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें ही सुनने या श्रवण के आवश्यक तत्व एवं आधार कहा जाता है यह तत्व निम्नलिखित हैं –

श्रोता ध्यान केंद्रित करके मनोयोग पूर्वक सुने।

सुनने में शीघ्रता अनुचित है।

श्रोता धैर्य पूर्वक सुने ताकि सुनते समय उसका अर्थ ग्रहण किया जाए।

श्रोता के श्रवणेंद्रियों में विकार ना हो।

श्रोता में भाषा ध्वनियों एवं ध्वनि समूह शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है।

श्रोता की सुनने में रुचि एवं अवधान होना आवश्यक है।

श्रोता में सुनी हुई सामग्री का अर्थग्रहण करने की क्षमता हो।

5.3.2 श्रवण कौशल का विकास

जब हम श्रवण कौशल के विकास की बात करते हैं तो, उसका आशय केवल यह नहीं होता कि वह ध्वनि, सुर, लय, आवाज़ को सुनने में पारंगत हो, बल्कि वह जो कुछ भी सुने उसे समझे तथा उसका अर्थ ग्रहण करें।

श्रवण कौशल के विकास में बच्चा किसी भी विषय-सामग्री को ध्यानपूर्वक या मनोयोग पूर्वक सुनकर उसके विचारों, आदर्शों एवं सूत्रों को ग्रहण करता है। शिक्षक को भी चाहिए कि वह उन्हें श्यामपट्ट पर या कॉपी में लिखने के लिए कह सकते हैं, इसे हम अवधानात्मक श्रवण भी कहते हैं। श्रवण कौशल में रसात्मक श्रवण भी अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि इसमें उचित स्वराघात, गति, लय, आरोह-अवरोह एवं लहजे के साथ विषय-सामग्री सुनाई जाती है, जिससे श्रोता आनंद का अनुभव करता है। श्रवण कौशल के विकास में विद्यार्थी जब किसी पुस्तक-सामग्री या किसी वक्ता के विचारों और भावों को सुनकर उसका तुलनात्मक दृष्टि से विचार करता है या अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसका मूल्यांकन करके कुछ निष्कर्ष निकालता है इस विश्लेषणात्मक श्रवण में शिक्षक भी बच्चों की सहायता कर सकते हैं। अतः श्रवण कौशल का विकास कई क्रियाकलापों के माध्यम से किया जा सकता है।

5.4 श्रवण कौशलों के विकास में बोलने का लहजा, शैली एवं भाषाई विविधता व इसका प्रभाव

"भाषाई विविधता कोई बनी बनाई या उधार ली गई चीज नहीं है यह गतिशील प्रक्रिया है इसका कोई एक स्वरूप सब पर लागू करना असंभव है। भाषा ना तो राजनीति है ना धर्म उसकी रचनात्मकता चिंता और उल्लास का केंद्र तो मनुष्य है।" - मृणाल पांडे साहित्यकार

श्रवण कौशल अपनी विकासात्मक दृष्टि से कई यात्राओं से होकर गुजरता है, जिसमें भाषा अपने स्वभाव, शैली, लहजा एवं विविध शब्दावली का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं जो उनकी संचार शैली को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। भाषा विविधता एक अत्यंत विचारणीय विषय है, जो हमारे समाज में एकात्मकता की भावना को बढ़ावा देता है। भाषा विविधता का मुख्य उद्देश है कि एक दूसरे के विचारों का, उनकी अलग-अलग विचारधारों की समझ और संवेदनाओं का आदर करना है। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है और भाषा के माध्यम से हमें उनका विशिष्ट परिचय, संस्कृति, सामाजिकता और समानता का पता चलता हैं। हमारी भाषा की विविधता का प्रभाव हमारे देश को सकारात्मक और समृद्ध पूर्ण बनाता है। एक दूसरे की भावनाओं को हम महत्व देते हैं और एक दूसरे के साथ समाज में जीवनयापन करते हैं।

भाषा की विविधता का महत्व समाज में ही नहीं बल्कि शालाओं में भी है। स्कूल आने से पहले बच्चे एक भाषा नहीं बल्कि अनेक भाषाओं को सीखते हैं। स्कूल आने से पहले बच्चा लगभग 5000 अथवा उससे भी अधिक शब्दों को श्रवण करता है साथ ही जानता भी है। अतः भाषा की विविधता ही हमारी पहचान है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि भाषा की विविधता का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहनशीलता, विकेंद्रित चिंतन एवं शैक्षिक उपलब्धि से सकारात्मक संबंध होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, सभी भाषाएं चाहे वह बोली, आदिवासी या खिचड़ी भाषण हो, सब समान रूप से वैज्ञानिक होती है। इसके बोलने की शैली और इसका प्रभाव एक-दूसरे के सानिध्य में फलता-फूलता है, साथ ही अपनी विशेष पहचान भी बनाता है। भाषा की विविधता या बहुभाषिकता यह कक्षा में बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। कक्षा में हर बच्चे की भाषा को सम्मान दिया जाना चाहिए और भाषाई विविधता को शिक्षण विधियों का हिस्सा मानकर भाषा सिखाई जानी चाहिए।

5.5 सुनने एवं बोलने के कौशल के स्त्रोत एवं सामग्री

मनुष्य को अपने दिन-प्रतिदिन की क्रिया में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने की क्रियाओं को अत्यधिक करनी पड़ती है। लेकिन इनमें से सबसे अधिक श्रवण क्रिया करनी पड़ती है, किंतु महत्व की दृष्टि से सुनने से बढ़कर बोलना है और आज के इस लोकतांत्रिक युग में भाषण के बल पर ही दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। अतः सुनने तथा बोलने की विविध प्रकार की सामग्रियां निम्नलिखित है -

सहज अभिव्यक्ति

विद्यार्थी कई परिस्थितियों में अपने संप्रेषण कौशलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बहस में तार्किक, विश्लेषणात्मक और संरचनात्मक ढंग से हिस्सा ले। कही गई बातों को सुने, समझे और फिर तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात आगे वाले के सामने रखें। इन सारे क्रियाकलापों में स्वाभाविक तौर पर भाषा के चार कौशलों का इस्तेमाल एक साथ हो सकता है।

संवेदनशीलता

संवेदनशीलता के माध्यम से विद्यार्थियों में विषय-वस्तु के अंतर्गत आने वाले परिवेश, लोगों का रहन-सहन, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति आदि उन्हें संवेदनशील बना कर सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करने में सहायक हो सकते हैं।

सृजनात्मक

विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता विकसित करने के लिए उन्हें कक्षा में पर्याप्त अवसर देने चाहिए। साथ ही उन्हें खुला माहौल भी देना चाहिए, ताकि वह उचित ढंग से सुनकर या बोलकर अपने भाव को बेझिझक अभिव्यक्त कर सकें और उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके।

कविता सुनना

विद्यार्थी ऐसी कविताओं को आसानी से सीख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं, जो उन्हें काफी पसंद होती है। ऐसे में शिक्षक कोई रुचिकर कविता को चुन कर उसे सहज रूप में आरोह-अवरोह, हाव-भाव, मुद्रा के साथ प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे उसे आसानी से सुनकर बोल सके, इससे विद्यार्थी बेहतर ध्यान दे सकेंगे, जिससे उनके सुनने एवं बोलने के कौशलों का विकास हो सकेगा।

कहानी सुनाना

छोटे बच्चों को कहानियां सुनना और उन्हें याद करना बहुत अच्छा लगता है। शिक्षक को चाहिए कि वो ध्यान रखें कि कहानी सरल हो ताकि बच्चे उसे आसानी से सहज तरीके से समझ सके और दूसरों को सुना सकें। वह कहानी को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या स्वयं बोलकर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे बच्चों के सुनने और बोलने दोनों कौशलों का विकास हो सकेंगा।

अर्थपूर्ण और सस्वर वाचन

जब कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को सस्वर वाचन के लिए कहते हैं तो विद्यार्थियों द्वारा किए गए वाचन को शिक्षक ध्यानपूर्वक सुनता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दुरुस्त भी करता है, जिससे शिक्षक यह जान पाता है कि छात्रों का श्रवण और पठन कौशल कितना विकसित हो रहा है।

अभिनय करना

इसके अंतर्गत कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे-छोटे समूहों में बांट दिया जाता है, इसमें उन्हें दूसरों के अनुभव का अनुकरण करना होता है और उस चरित्र के अनुसार विद्यार्थी उसकी भूमिका को निभाते हैं जिसमें श्रवण और वाचन दोनों कौशलों का भली-भांति विकास संभव हैं।

मल्टीमीडिया

मल्टीमीडिया का प्रयोग भाषा की सभी विधाओं में किया जाता है। जैसे कहानी सुनाने, कविता पठन करने, नाटक दिखाने में आदि। जिससे विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है साथ ही व्याकरण की दृष्टि से भी इसकी सहायता ली जा सकती है।

भाषा प्रयोगशाला

प्रत्येक विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला होना जरूरी है। जिससे भाषा के सभी कौशलों को आसानी से सीखा जा सकता है। यह भाषा सिखाने का एक सशक्त, रोचक एवं उपयोगी माध्यम है। बिना झिझक के छात्र ऑनलाइन अपनी भाषा शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला में सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी नए शब्द सुनते हैं तो, वह भाषण की स्पष्टता के कारण इसे आसानी से समझने में सक्षम होते हैं। विद्यार्थी अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। कक्षा में पाठ को पढ़ाते समय भाषा प्रयोगशाला काफी सहायक सिद्ध होती है।

बहस या वाद-विवाद

सुनने या बोलने का प्रशिक्षण देने के लिए बहस या वाद-विवाद यह मुख्य स्रोत है। इसके कुछ नियम होते हैं, इस क्रिया में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बहुत सावधान रहना पड़ता है और ध्यान से सुनना पड़ता है। यदि वह ध्यान से नहीं सुनेंगे तो, अपने विपक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकेंगे। वाद-विवाद से इस बात का पता चल जाता है कि छात्र कितने ध्यान पूर्वक सुन रहे थे।

5.6 सारांश

भाषा, मात्र भाव और विचारों के संप्रेषण का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन को समझने और उसे जीने का प्रमुख साधन भी है। भाषा के चार अहम कौशल है - सुनना,

बोलना, पढ़ना, लिखना। चारों कौशलों में से सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना यह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सुनना और बोलना बच्चों घर पर रहकर सीखते हैं, जबकि पढ़ना और लिखना यह कौशल विद्यार्थी स्कूल में जाकर सीखते हैं।

भाषा की विविधता का महत्व समाज में ही नहीं, बल्कि शालाओं में भी है। स्कूल आने से पहले बच्चे एक भाषा नहीं, बल्कि अनेक भाषाओं को सीखते हैं। स्कूल आने से पहले बच्चा लगभग 5000 अथवा उससे भी अधिक शब्दों को सुनता है साथ ही जानता भी है। अतः भाषा की विविधता ही हमारी पहचान है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि भाषा की विविधता का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहनशीलता, विकेंद्रित चिंतन एवं शैक्षिक उपलब्धि से सकारात्मक संबंध होता है।

इस इकाई के अंतर्गत, सुनने और बोलने के कौशल के स्रोत एवं सामग्री की बात की गयी, साथ ही इसमें बहस एवं वाद विवाद, कहानी सुनाना, संवेदनशीलता, अर्थपूर्ण और सस्वर वाचन, अभिनय करना, कविता सुनना, भाषा प्रयोगशाला, मल्टीमीडिया, सृजनशीलता, सहज अभिव्यक्ति आदि पर भी चर्चा की गयी।

5.7 शब्दावली

सांसारिक मेंलजोल – जिसका संबंध मुख्यतः जीवन/संसार की आवश्यकताओं, प्रीति संबंध, घनिष्ठता से हैं।

भाषाई दक्षतायें - मानव अपने भावों का आदान प्रदान सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर करता है, भाषा से संबंधित इन चारों योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता ही भाषा दक्षता कहलाती है।

संवेदनशीलता - संवेदनशीलता का अर्थ भावों की पूर्णता से है , वह दूसरों को खुश देखकर सुख व दुःखी देखकर करुणा अनुभव करना है।

श्रवणेंद्रियां - शरीर का वह अंग जिसके द्वारा किसी प्रकार की ध्वनि सुनी व समझी जा सकती है।

सहज अभिव्यक्ति - अभिव्यक्ति का अर्थ अपनी बात, भाव एवं विचारों कों दूसरों के समक्ष आसानी एवं सहज रूप से रखना। व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है।

सृजनात्मक - किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबद्ध या किसी समस्या का समाधान

निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या खोज सम्बंधित करने की प्रक्रिया है।

संचार शैली - संचार शैली से तात्पर्य है कि व्यक्ति रोजमर्रा की बातचीत और अंतःक्रियाओं में खुद को किसी भी परिस्थिति में कैसे अभिव्यक्त करते हैं और दूसरों को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।

भाषा प्रयोगशाला - भाषा प्रयोगशाला एक ऐसी प्रणाली है जो एक निष्क्रिय भाषा कक्षा को एक सक्रिय शिक्षण स्थान में बदल देती है और भाषा में नए-नए प्रयोग करती है।

5.8 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्रः

- भाषाई दक्षता के महत्व को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे।
- श्रवण कौशल विकास के अवसरों को बताने में सक्षम होंगे।
- धैर्यपूर्वक सुनना एवं सुनने के शिष्टाचार का पालन करने में सक्षम होंगे।
- सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करने में सक्षम होंगे।
- सुनने व बोलने के स्रोत व उपलब्ध सामग्री बताने में सक्षम होंगे।
- भाषायी विविधता को भली-भांति समझने में सक्षम होंगे।
- साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए सक्षम होंगे।

5.9 इकाई के अंत की गतिविधियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. श्रवण शब्द किस धातु से बना है?

(अ) 'श्रु' (ब) शु (स) श्र (द) स

2. स्कूल आने से पहले बच्चा लगभग कितने शब्दों को श्रवण करता है साथ ही जानता भी है।

(अ)5000 अथवा उससे भी अधिक (ब) 1000 अथवा उससे भी अधिक
(स)**2000** अथवा उससे भी अधिक (द) **3000** अथवा उससे भी अधिक

3. "भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेत की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करता है।" यह कथन किस का है?

(अ) भोलाप्रसाद (ब) श्यामसुंदर (स) ब्लोच एवं ट्रेगर (द) जयशंकर

4. छोटे बच्चों को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।

(अ) पढ़ना (ब) कहानियां सुनना (स) पाठ याद करना (द) ये सभी

5. किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी नए शब्द सुनते हैं?

(अ) भाषा प्रयोगशाला (ब) भाषा कक्षा (स) मैदान (द) समूह

6. विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता विकसित करने के लिए उन्हें क्या देना उचित है?

(अ) कक्षा में ही सीमित रखना चाहिए (ब) परम्परागत रूप से पढ़ाना चाहिए
(स) उन्हें खुला माहौल भी देना चाहिए (द) ये सभी।

7 . भाषा के कितने कौशल होते हैं?
(अ) 5   (ब) 4   (स) 3   (द) 6

8. श्रवण से आशय क्या है?
(अ) सही ढंग से सुनने की क्षमता (ब) सही ढंग से पढ़ने की क्षमता
(स) सही ढंग से बोलने की क्षमता (द) सही ढंग से पठन की क्षमता
9 . भाषाई दक्षता को सीखने का अर्थ यह है कि-
(अ) भाषा की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी लेना।
(ब) लेखन की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी लेना।
(स) पठन की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी लेना।
(द) उपरोक्त सभी
10. सबसे अधिक किस स्तर में विद्यार्थियों को कविताएं सुनना पसंद आती है?
(अ) उच्च (ब) प्राथमिक (स) माध्यमिक (द) यह सभी

उत्तर कुंजी

1. (अ) 2. (अ) 3. (स) 4. (ब) 5. (अ) 6. (स) 7. (ब) 8. (अ) 9. (अ) 10. (ब)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भाषाई दक्षता का क्या अर्थ है?
2. भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं?
3. भाषा कौशल में सुनना इस कौशल को स्पष्ट कीजिये।
4. श्रवण कौशल के विकास के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे?
5. भाषा प्रयोगशाला पर टिप्पणी लिखिए।
6. बहस या वादविवाद को विश्लेषित कीजिये।
7. भाषाई कौशल का विकास कैसे करेंगे?
8. संवेदनशीलता पर टिप्पणी लिखे।
9.   भाषा प्रयोगशाला के लिए क्या जरूरी है?
10. भाषा में मल्टीमीडिया की भूमिका लिखे।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सुनने के आवश्यक तत्व एवं आधार पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
2. भाषा को परिभाषित करते हुए, उसकी दक्षता पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
3. सुनने एवं बोलने के कौशलों के स्त्रोत एवं सामग्री पर प्रकाश डालिए।
4. बहुभाषिकता को अपने शब्दों में समझाईये।

5. श्रवण कौशलों के विकास में बोलने का लहजा,शैली एवं भाषाई विविधता का आपस में क्या संबंध हैं?

5.10 सन्दर्भ

1. पांडे,आर.,हिन्दी शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
2. रावत,आर.,हिन्दी भाषा शिक्षण, राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा
3. पंडागले,पी.,हिन्दी शिक्षण, अजय पब्लिशर्स,भोपाल

इकाई 6 : पठन कौशल के विकास में बोध का महत्व*

इकाई की रुपरेखा

6.0 प्रस्तावना

6.1 उद्देश्य

6.2 पठन कौशल के विकास में बोध का महत्व

6.3 पठन का महत्व

6.4 पठन की मुख्य विधियाँ एक परिचय

6.4.1 वर्ण एवं अक्षर पद्धति

6.4.2 संगत विधि

6.4.3 वाक्य शिक्षण विधि

6.4.4 कथा तथा कहानी सुनाना

6.4.5 वेत पाठ विधि

6.4.6 संयुक्त विधि

6.4.7 शब्द शिक्षण विधि

6.5 मुखर/सस्वर वाचन या पठन
सस्वर वाचन के मुख्य उद्देश्य
हिन्दी शिक्षण में वाचन के प्रकार

6.6 सस्वर वाचन के गुण

6.6.1 स्वर व्यंजन एवं ध्वनियों का ज्ञान

6.6.2 उच्चारण की स्पष्टता एवं शुद्धता

6.6.3 विराम चिन्हों का प्रयोग

6.6.4 शुद्धता एवं स्पष्टता

6.6.5 धारा प्रवाहिता

6.6.6 उपयुक्त लय एवं बालाघात

6.6.7 स्वर में रसात्मकता

* Dr. Pravini Pandagale, Assistant Professor, MANUU CTE, Bhopal

6.6.8 वाचन की मुद्रा

6.6.9 रुचि

6.6.10 वास्तविकता

6.7 सारांश

6.8 शब्दावली

6.9 अधिगम प्रतिफल

6.10 इकाई के अंत की गतिविधियां

6.10.1 बहुविकल्पीय प्रश्न

6.10.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

6.10.3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

6.11 संदर्भ

6.0 प्रस्तावना

भाषा अर्जित करने का एक प्रमुख कौशल पठन है। भाषा कौशल जैसे- सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन कौशलों में पढ़ना या पठन कौशल होना अति आवश्यक है। पठन यह भाषा सीखने की एक प्रविधि है, इसके द्वारा हम अपने ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में और साथ ही वे समाज और समुदाय में अपना स्थान ग्रहण कर सके इसके लिए भी पठन अत्यंत आवश्यक है। एक विख्यात अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि "पठन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है" अर्थात मनुष्य पठन कौशल के द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करता है। साथ ही यह हमारे अनुभवों को भी विकसित करता है। यह न सिर्फ तर्क, मनन, चिंतन करने के ढंग को बेहतर बनाता है बल्कि एक बालक के मस्तिष्क की जिज्ञासा को भी उद्दीप्त करता है। पठन अपनी साहित्यिक विरासत को उपलब्ध कराने और उसका आनंद प्राप्त करने में भी हमारी मदद करता है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति और समाज के विकास को प्राप्त करने की दृष्टि से पठन का कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों को पठन कौशल में प्रवीण बनाएं ताकि वह विद्यालय स्तर पर और बाद में अपने भावी जीवन में इन कौशलों का उचित ढंग से प्रयोग कर सके।

सामान्य रूप से किसी लिखित भाषा का वाचन करने की प्रक्रिया पठन कहलाती है। जैसे - समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना आदि। लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन का अर्थ होता है कि किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव तथा विचारों को पढ़कर समझना।

दैनिक जीवन में हम किसी लेख, निबंध, कहानी, नाटक को पढ़ते हैं तथा उसका भाव ग्रहण करते हैं तो हमारी इस क्रिया को पढ़ना अथवा पठन कहा जा सकता है।

पठन की परिभाषा बी. एम. सक्सेना के अनुसार "शिक्षा के क्षेत्र में वाचन से तात्पर्य सार्थक प्रतीक, लिपि, चिन्हों को पहचानना मात्र न होकर, उनके अर्थ ग्रहण करने से हैं।"

रामशकल पांडे के अनुसार "वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ-साथ चलते हैं"।

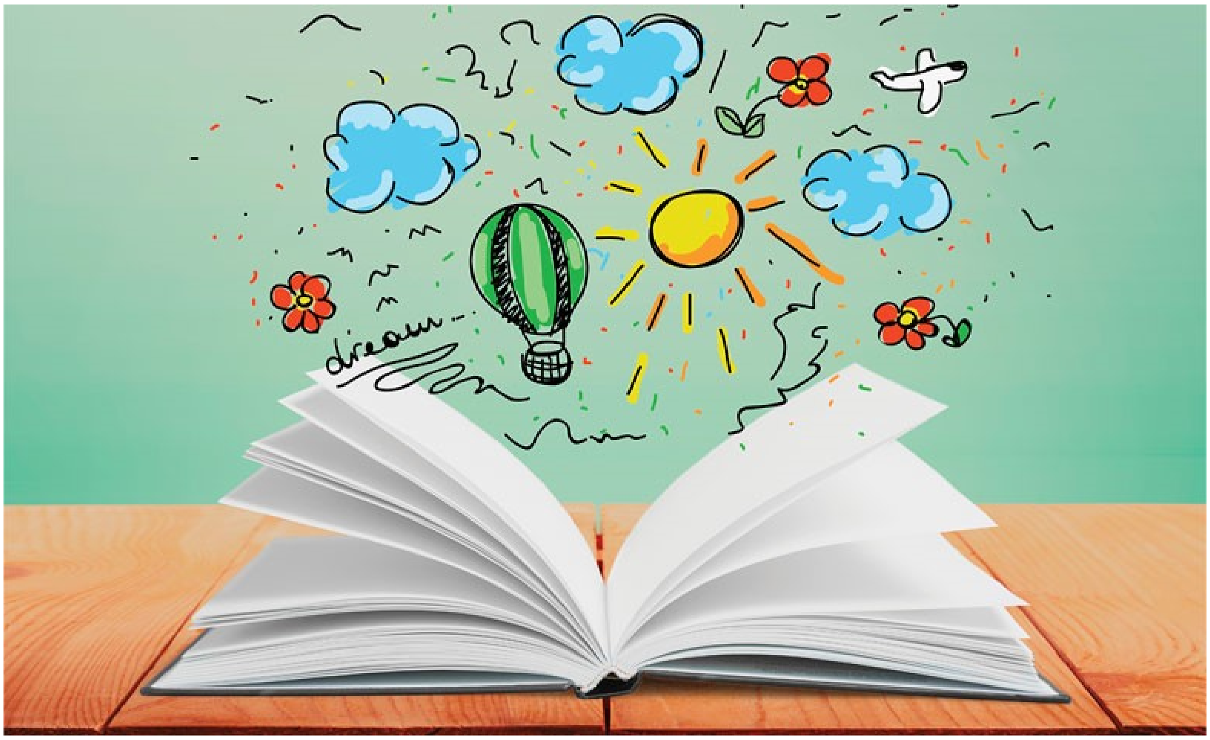

6.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- पठन कौशल की परिभाषा और उसकी विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- पठन की विभिन्न विधियों और रणनीतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- पठन के विभिन्न स्तरों जैसे शाब्दिक, व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक पठन को पहचान सकेंगे।
- पठन बोध (समझ) के महत्व को समझकर उसे प्रभावी पठन में जोड़ सकेंगे।
- पठन से संबंधित कठिनाइयों की पहचान कर उनके समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझा सकेंगे।
- कक्षा में प्रभावी पठन कौशल और बोध विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों को लागू कर सकेंगे।

6.2 पठन कौशल के विकास में बोध का महत्व

पठन कौशल के महत्व को समझने से पहले उसके उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है।

पठन के माध्यम से आप सभी अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

पठन के माध्यम से लेखक के भाव को समझ सकेंगे।

शब्द, ध्वनियां, उच्चारण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

खुद को पठन के योग्य बनाकर दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे।

ध्वनि के हावभाव, बलाघात, लय, गति को समझकर उसके उपयोग के महत्व को समझ सकेंगे।

सभी प्रकार की मात्राओं, चिन्हों, अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

वस्तु सामग्री के मूल भाव को समझ सकेंगे।

लेखन में हुई गलतियों की पहचान करने की क्षमता उनके अंदर विकसित होगी।

वर्तमान जीवन में पठन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मनुष्य में ज्ञानार्जन की जिज्ञासा होती है और इसके लिए वह निरंतर प्रयास करते रहता है यानी उसके अंदर सीखने की इच्छा सदैव बनी रहती है।

वाचन या पठन के लिए डॉक्टर श्रीधर नाथ मुखर्जी लिखते हैं कि "वाचन एक कला है और यही ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल विषय को पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंश को बोल सकता है, लिख सकता है। "वाचन कर विद्यार्थी अच्छा वक्ता बन सकता है और अच्छा लेखक भी अर्थात स्पष्ट है कि वाचन क्रिया मृत्युपर्यंत मानव की साथी है।

व्यक्ति अपने जीवन में केवल सुनकर या देखकर ही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता बल्कि उसे परिपूर्णता और उत्सुकता को संतुष्ट करने वाली ज्ञान की प्राप्ति के लिए पठन आवश्यक है। भाषा का विकास तभी संभव है जब मनुष्य पठन कर सके। भाषा के सभी कौशलों में पठन महत्वपूर्ण कौशल है, जिसके माध्यम से हम विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं।

6.3 पठन का महत्व

पठन यह हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम लिखित शब्दों को पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सके। इसके कई महत्वपूर्ण तत्वों कों नीचे बताया गया है – वे

प्राचीन इतिहास के संबंध में यदि जानना है तो, हमें किताबों को पढ़ना जरूरी है।

पठन से व्यक्ति में सभ्यता का विकास होता है।

सामाजिक कुशलता के लिए पठन कौशल का विशेष महत्व है।

किसी भी लिखित भाषण के अर्थ को समझने के लिए पठन आवश्यक है।

किसी भी प्रकार के संदेश को पढ़ने के लिए पठन जरूरी है।

ज्ञान के विस्तार के लिए पठन का विशेष महत्व है। किसी भी पाठ्यवस्तु को पढ़कर दूसरों को समझाया जा सकता है।

जब हम किताबों का परिचय बच्चों से करवाते हैं तो, पढ़ने की बेहतर शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती। हमें बच्चों की रूचि को ध्यान में रखकर उन्हें विविधता भरी किताबें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए जिससे वह स्वयं को अपनी रूचि के साथ शामिल करेंगे और आनंद के साथ इसे पढ़ सकेंगे। छोटे बच्चों को अक्सर कहानी और कवितायें पसंद आती हैं। शिक्षक को चाहिए, कि हमें पठन के महत्व को ध्यान में रखते हुए बच्चों को छोटी-छोटी कहानियों की किताब और कविताओं की किताब का सुझाव दें, ताकि वह उसे पढ़ सके और पठन के महत्व को बरकरार बनाए रख सकें।

पढ़ने या पठन के महत्व को जानने के बाद निश्चित रूप से आप भी पढ़ने की आदत को अपना लेंगे। पढ़ने के महत्व को निम्न रूप में समझाया गया है -

- पढ़ना एक ऐसी योग्यता और कुशलता है, जो इंसान को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है।
- पठन से हमें ज्ञान और प्रेरणा मिलती है, साथ ही कई नए-नए विचारों का उद्गम भी होता है।
- पढ़ने के महत्व से तात्पर्य यह है कि हम कई नई जानकारियां उपलब्ध कर सकते हैं साथ ही हम हमारे मनोरंजन के लिए भी उपन्यास, कहानियां, कविताएं आदि को पढ़ सकते हैं जिससे ये हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं।
- पठन से मस्तिष्क का व्यायाम होता है साथ ही हमें कई अनुभव जैसे सुख, दुख, प्यार, ममता, डर, आदि भाव भी महसूस होते हैं।
- पठन हमारी याददाश्त को बेहतर बनाने में भी मदद करता है साथ ही हमारे तनाव को भी कम करता है।
- अच्छी किताबें एक महान निवेश की तरह है इसलिए एक किताब 100 दोस्तों के बराबर हो सकती है।
- यदि सभी इंसान पढ़ने की आदत को विकसित कर ले तो, वह अपनी जिंदगी में कभी बोरियत महसूस नहीं करेंगे और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन का विकास कर सकेंगे।

- पढ़ने से हमारे उच्चारण क्षमता, गति आरोह-अवरोह, शब्दावली आदि का विकास होता है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है।
- पठन के कौशल से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, सृजनात्मकता और कल्पनात्मकता का विकास होगा, जिससे किसी भी समस्या को वह नवीनता और खुले ढंग से सोचने की और उसे आसानी से हल करने की समझ उनके अंदर जागृत होगी।
- पढ़ने से किसी भी जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या कर वह उसे प्रस्तुत कर सकते हैं साथ ही कोई मजबूत निर्णय भी ले सकते हैं।
- पठन के माध्यम से वह अपने-अपने संस्कृति को जान पाएंगे और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे ले जाया जाए इसकी समझ भी उनमें जागृत होगी।

6.4 पठन की मुख्य विधियाँ एक परिचय

पठन की विधियां

बच्चों को पहले पढ़ना सिखाया जाना चाहिए या लिखना। इस संदर्भ में कई विचारकों ने अपने मत दिए हैं। बालकों को सर्वप्रथम पढ़ना आना चाहिए और इसकी शुरुआत कैसे की जाए इस पर कई विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ का कहना है कि अक्षरों का ज्ञान वाक्य से आरंभ किया जाना चाहिए और कुछ के अनुसार शब्दों से। तीन-चार वर्ष की आयु में बालकों की स्नायु इंद्रियां विकसित नहीं हो पाती, जिससे बच्चा लिख सकें। बालकों को ध्वनि का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे वे सरल अक्षरों एवं शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं, साथ ही बालकों को पढ़ने के साथ-साथ लिखना भी आना आवश्यक होता है। पठन शिक्षण की विधियों में कुछ विधियां प्रचलित है। वे

6.4.1 वर्ण एवं अक्षर पद्धति

भाषा में वर्ण के दो रूप है स्वर एवं व्यंजन। इन दोनों के मिलने से अक्षर की निर्मिती होती है। स्वर 13 होते हैं एवं व्यंजन 33। बालक को स्वर से परिचित किया जाता है ताकि वह आसानी से व्यंजन को समझकर उसे पढ़ सकें। जब बालकों को स्वर एवं व्यंजन का ज्ञान हो जाता है तब वह आसानी से शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाता है। वर्णों का ज्ञान प्राप्त होने से कई लाभ होते हैं-

- विद्यार्थी क्रमबद्ध रूप से वाक्य को पढ़ते हैं।
- उन्हें पुस्तक को पढ़ने में रुचि आने लगती है और उसका अधिक समय पुस्तकालय में बीतते हैं।
- विद्यार्थी कठिन से कठिन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाकर पढ़ने का प्रयास करते है।
- विद्यार्थियों को स्वर एवं व्यंजन को मिलाकर अक्षर निर्माण करने में रुचि आने लगती है।
- पढ़ने से विद्यार्थी को भाषा उच्चारण में मदद मिलती है।

समान ध्वनि वाले शब्द

बालकों को पूर्व प्राथमिक शाला में समान ध्वनि वाले शब्दों को सिखाया जाता है। जैसे- राजेश, रमेंश, सुरेश, सीता, गीता आदि ऐसे शब्द विद्यार्थी आसानी से सीख जाते हैं।

देखकर सीखना (पढ़ना)

बालकों को प्राथमिक कक्षाओं में चित्र दिखाकर आसानी से पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे- आम का चित्र दिखा कर उसे पहचानने के लिए कहा जाता है। कलम दिखाकर विद्यार्थी उसे झट पहचानता है। इस विधि का प्रयोग पाठ की प्रस्तावना करते समय किया जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे चित्र कक्षा में प्रस्तुत करें जिससे बालक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस विधि के अनेक गुण होते हैं जो निम्न प्रकार है। वे-

- छोटे बच्चों को चित्र आकर्षित करते हैं जिससे वह आसानी से पढ़ना सीख जाते हैं।
- चित्र को देखने से विद्यार्थी का व्यावहारिक ज्ञान दृढ़ हो जाता है एवं वह उसके स्मृति पटल पर लंबे समय तक रहता है।
- कई मनोवैज्ञानिक इस विधि को पढ़ना सीखने की आसान विधि मानते हैं।

6.4.2 संगत विधि

संगत विधि का आविष्कार मैडम मान्टेसरी ने किया था। यह एक पाश्चात्य विधि है। इस विधि में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कुछ वस्तुएं जैसे पतंग, खिलौना, रेलगाड़ी, गुड़िया आदि दिखाया जाता है और उन वस्तुओं के सामने उनके नाम के कार्ड रख दिए जाते हैं। कार्डों को मिलाकर विद्यार्थियों में वितरित कर दिया जाता है। तत्पश्चात छात्र संगति के अनुसार अपनी ज्ञान का उपयोग कर नाम के कार्ड को वस्तु की जगह यथास्थान रखने का प्रयास करते हैं। यह विधि विद्यार्थियों कों बहुत रुचिकर लगती है।

6.4.3 वाक्य शिक्षण विधि

पढ़ने की पहली अवस्था वर्णों को समझना है तत्पश्चात अक्षर-शब्द को मिलाकर वाक्य विकसित करना है। यह पढ़ने का एक क्रम है। भाषा लिखने से पूर्व बालक सुनता एवं बोलता है। कक्षा में अध्यापक पढ़ने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए इकाई को छोटे-छोटे वाक्य में विभक्त करता है। जब वह पढ़ने में पारंगत हो जाता है, तब विद्यार्थियों को लंबे वाक्यों को पढ़ने के लिए कहा जाता है।

6.4.4 कथा तथा कहानी सुनाना

क्लिष्ट पाठ को सीखने से पहले बालकों को कहानी सुनाई जाती है जिससे वह पाठ्यवस्तु की ओर आकर्षित होकर आसानी से सीखते हैं। कक्षा में अध्यापक कहानी पर आधारित चित्रों को प्रस्तुत करते हैं एवं बालक उन चित्रों के माध्यम से कहानी को वाक्य के रूप में पढ़ते जाते हैं। यह पद्धति प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए उपयुक्त है। अतः इस विधि से बालकों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बना रहता है।

6.4.5 समवेत पाठ विधि

इस विधि में छोटे पद्य एवं गीत सिखाने की सुविधा होती है। अध्यापक पाठ के एक अंश को स्वयं भावपूर्ण रीति से पढ़ता है तथा कक्षा के सब विद्यार्थियों से उसकी आवृत्ति करने के लिए कहता है। ऐसा करने में वाचन संस्कार दृढ़ हो जाता है और यह विधि कुछ सीमा तक लाभकारी है।

6.4.6 संयुक्त विधि

उपरोक्त सभी विधियों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि आवश्यकतानुसार उपयुक्त संपूर्ण विधियों का मिश्रण करके पठन कक्षा में करवाया जाना चाहिए। जिससे सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा रुचि लेकर ज्ञान अर्जित कर सकें। यह एक सम्मिश्रित विधि है जिसका प्रयोग सभी विधियों के गुणों का सम्मिश्रण करके एक नवीन पद्धति का निर्माण करके किया जाता है। संयुक्त विधि में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए-

- विद्यर्थियों से वर्ण, अक्षर और शब्द पृथक-पृथक कराये जाए।
- छात्रों से देखो व कहो विधि की सहायता से फ्लैश कार्ड, लकड़ी के ब्लॉक आदि का प्रयोग करके वर्णों की जानकारी दी जाए।
- छात्रों से वर्णों का विभेदीकरण कराया जाए जैसे - ब- व, श -ष- स, ह -क्ष आदि। विद्यार्थियों को संयुक्त वर्णों की भी जानकारी दी जाए।
- वर्णों के साथ मात्राओं का प्रयोग करके उनका उच्चारण करवाया जाए।
- आकर्षक चित्रों के द्वारा वर्णों व शब्दों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षण किया जाए।
- मौखिक रूप से छात्रों में वाचन के प्रति उत्सुकता व रुचि विकसित की जाए।

6.4.7 शब्द शिक्षण विधि

इस विधि में विद्यार्थियों को सार्थक एवं सरल शब्दों को सिखाने की शिक्षा दी जाती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसलिए छात्र इसमें पर्याप्त रुचि लेते हैं, परंतु इसके लिए कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है।

6.5 मुखर या सस्वर वाचन या पठन

वाचन का संबंध पढ़े-लिखे होने से हैं। यदि हमें समाज में रहना है तो, हमें इस कौशल में पारंगत होना आवश्यक है। व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य, शहर या गांव का हो सभी को पढ़ने/वाचन की आवश्यकता होती है। यदि हमें समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो, वाचन की योग्यता प्रत्येक में होनी चाहिए। हम दूसरों के द्वारा पढ़कर सुनने के बजाय यदि स्वयं किसी कथा, कहानी, नाटक और उपन्यास को पढ़ते हैं तो, हमें एक विशिष्ट अनुभूति

की प्राप्ति होती है। वाचन करते समय हमें शुद्धता और स्पष्टता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम देश के अच्छे नागरिक बने तो हमें वाचन के इस कौशल को व्यक्तित्व में उतारना होगा।

वाचन के कई प्रकार हो सकते हैं। उसमें से एक मुख्य और अहम प्रकार है सस्वर वाचन। इसका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में किया जाता है। पठन एवं वाचन में सस्वर वाचन का समावेश होता है। समाज में भाषण प्रस्तुत करने के लिए हम स्वयं भाषण को लिखित रूप में तैयार करते हैं, जिससे हम वाद-विवाद, चर्चा अथवा सामान्य अवसरों में अपने विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। साहित्यिक, प्रभावी एवं धारा प्रवाह वाचन आम जनता को प्रभावित करता है। जिस प्रकार अनेक शैक्षिक अवसरों पर जैसे वर्कशॉप, सेमिनार, वाद-विवाद, परिचर्चा में सस्वर वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है उसी प्रकार सामाजिक जलसों, पारिवारिक कार्यक्रमों, ऐतिहासिक कार्यक्रमों, धार्मिक उत्सव आदि में भी सस्वर वाचन की भूमिका सराहनीय होती है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। वह जनसाधारण को प्रभावित करता है एवं उसमें नेतृत्व व जिम्मेदारी के गुणों का विकास होता हैं।

6.5.1 सस्वर वाचन के मुख्य उद्देश्य

विद्यार्थी में सस्वर वाचन की कला होनी चाहिए। जिसमें वाचन के सभी नियमों की जानकारी विकसित होती है। सस्वर वाचन के कुछ उद्देश्य होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। वे -

1. व्यंजन एवं स्वर से निर्मित अक्षर को स्पष्टता एवं शुद्धता के साथ वाचन करना।
2. बल, लय, स्वर, आरोह,अवरोह के साथ पढ़ना।
3. पढ़ने या वाचन करते समय विषय के अनुकूल भाव हमारे मुख पर आना।
4. वाचन के दौरान वाचक में आत्मविश्वास जागृत करना।
5. भाषा की सभी ध्वनियों की जानकारी बालक को देना।
6. पढ़ते समय विद्यार्थियों की वाचन की गति पर नियंत्रण रखना। वाचन ना धीमी गति से हो और ना ही तीव्र गति से।
7. वाचन करते समय सभी रसों का प्रयोग करना।

6.5.2 हिन्दी शिक्षण में वाचन के प्रकार

हिन्दी भाषा में वाचन के दो प्रकार हैं-

- आदर्श वाचन
- अनुकरण वाचन

आदर्श वाचन -कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि वह आदर्श वाचन की ओर विशेष ध्यान दें।

यथासंभव पाठ, कविता, निबंध का वाचन प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा में किया जाए। वाचन में दो बातों का प्रमुखता से ध्यान रखा जाता है।

1. विद्यार्थियों के सम्मुख गद्य -पद्य वाचन का आदर्श रखना।
2. पाठ्य-विषय एवं सामग्री को विद्यार्थियों द्वारा आत्मसात करना।

आदर्श वाचन में अध्यापक की भूमिका

1. आदर्श वाचन में विद्यार्थियों के सम्मुख अध्यापक द्वारा वाचन करना।
2. विद्यार्थियों में वाचन के प्रति निर्माण हो रहे भय एवं शंका को दूर करना।
3. वाचन करते समय अध्यापक को अपना चित्त प्रफुल्लित रखना चाहिए। मुख के ऊपर निरसता न होकर मृदु मुस्कान होनी चाहिए।
4. पाठ्य सामग्री के भाव के अनुसार मुख के भाव हो।
5. आदर्श वाचन करते समय अध्यापक को अपने खड़े होने का ढंग तथा पुस्तक पकड़ने का ढंग आदि को ध्यान में रखना चाहिए। झुककर या टेढ़े होकर खड़े होने की बजाय सीधे खड़े होना चाहिए। बाएं हाथ में पुस्तक ली जाए और सीधे हाथ को स्वतंत्र संचालन के लिए छोड़ दिया जाय।
6. परिस्थिति और आवश्यकतानुसार सीमित मात्रा में अंगों, हाथों का संचालन किया जाय।
7. जिस समय अध्यापक वाचन कर रहा है उस समय विद्यार्थी - पुस्तक खोलकर न देखें, ऐसा करने से विद्यार्थी अध्यापक के मुख के भाव समझ सकेंगे तथा उच्चारण और पढ़ने की गति की ओर उनका ध्यान रहेगा, जिससे विद्यार्थी अनुकरण वाचन के लिए तैयार हो सकेंगे।
8. पाठ का वाचन करते समय विराम आदि चिन्हों का ध्यान अवश्य रखा जाए तथा भावानुसार ध्वनि का उतार-चढ़ाव हो।
9. वाचन करते समय भावों का भी अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

अनुकरण वाचन

आदर्श वाचन के पश्चात अनुकरण वाचन किया जाये। विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करने का मुख्य उद्देश्य उनके वाचन कला में निपुणता लाना है। साथ ही उनके उच्चारण को भी शुद्ध करना है। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पठन करने से उनकी झिझक दूर होती है। अनुकरण पठन का प्रारंभ सर्वप्रथम उस विद्यार्थी से कराया जाये, जिसका उच्चारण शुद्ध तथा पढ़ने का ढंग कलात्मक हो। अनुकरण पठन के कई लाभ है, जो निम्न प्रकार से दिए गए हैं। वे -

1. शिक्षक कक्षा में स्वयं वाचन करें एवं विद्यार्थियों से अनुकरण करवायें।
2. जब शिक्षक कक्षा में आदर्श वाचन करता है तो, वाचन संबंधी नियमों का पालन करें ताकि बालक उचित रूप से अनुकरण कर सकें।

3. वाचन ऐसा हो कि वाक्यों का अर्थ, विचार, बोध स्पष्ट हो जाए।

6.6 सस्वर वाचन के गुण

अच्छे वाचन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वे -

6.6.1 स्वर व्यंजन एवं ध्वनियों का ज्ञान

वाचन करते समय विद्यार्थी को स्वर, व्यंजन एवं ध्वनियों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे - अ, आ, इ, ई, क, ख, ग आदि ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए।

6.6.2 उच्चारण की स्पष्टता एवं शुद्धता

जब विद्यार्थी शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे उच्चारण की शुद्धता और स्पष्टता का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे- स्कूल-इस्कूल, विद्यालय- विधालय, क्षेत्रीय-छत्रिय, स्त्री- इस्त्री आदि का शुद्ध उच्चारण आना चाहिए।

6.6.3 विराम चिन्हों का प्रयोग

विराम चिन्ह को ध्यान में रखकर ही वाचन किया जाना चाहिए अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको, मत जाने दो। रोको मत, जाने दो

6.6.4 शुद्धता एवं स्पष्टता

वाचन में वक्ता को शुद्ध वाचन करना चाहिए जैसे श्रोताओं की जितनी संख्या है उतनी ही आवाज वक्ता की निकले ताकि श्रोता तक स्पष्ट रूप में पहुँच सके और वे उसे समझ सके।

6.6.5 धारा प्रवाहिता

जब भी हम वाचन कार्य कर रहे होते हैं तो, उसकी गति न धीमी होनी चाहिए ना तेज और ना ही रुक-रुक कर पढ़े अर्थात उसकी धारा प्रवाहिता बनी रहनी चाहिए।

6.6.6 उपयुक्त लय एवं बालाघात

पढ़ते समय वाचक को यह ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि वह किस अक्षर पर, किस शब्दों पर कितना बल दे रहा है। किस अक्षर पर बल कितना अधिक लगाना है और कितना कम यह ध्यान रखना जरुरी है।

6.6.7 स्वर में रसात्मकता

दुःख पूर्ण रस सामग्री में वीर रस नहीं दिखना चाहिए। श्रृंगार रस की विषय सामग्री में वीभत्स रस नहीं होना चाहिए।

6.6.8 वाचन की मुद्रा

- वाचन करते समय सिर को अधिक नहीं हिलाना है।
- हाथ को बहुत ज्यादा ऊपर-नीचे नहीं करना है।
- उंगलियों को अधिक मात्रा में नहीं चलाना है।
- ना काफी झुककर पढ़ना है ना अकड़ कर पढ़ना है, सीधा खड़े होकर पढ़ना है।
- पुस्तक को सही ढंग से पकड़ना है।

6.6.9 रुचि

यदि अच्छा वाचन हो रहा है तो श्रोता उसको सुनने में अपने आप रुचि लेने लगते हैं, उनमें किसी भी तरह की ऊब नजर नहीं आती है।

6.6.10 वास्तविकता

वाचक जब वाचन कार्य करता है तो, वह वास्तविक लगना चाहिए। उसके स्वर, ध्वनि, व्यंजन, अक्षरों, शब्दों में किसी भी तरह की कृत्रिमता नजर नहीं आनी चाहिए।

6.7 सारांश

पठन कौशल के महत्व को समझने से पहले उसके उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। पठन के माध्यम से सभी अक्षर वर्ण शब्द वाक्य आदि की जानकारी प्राप्त करना पठन का प्रमुख उद्देश्य है।

तीन-चार वर्ष की आयु में बालकों की स्नायु इंद्रिया विकसित नहीं हो पाती जिससे बच्चा लिख सकें। बालकों को ध्वनि का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे वे सरल अक्षरों एवं शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही बालकों को पढ़ने के साथ-साथ लिखना भी आना आवश्यक होता है। इस इकाई में पठन शिक्षण की विधियों में कुछ विधियां प्रचलित है जैसे - वर्ण एवं अक्षर पद्धति, समान ध्वनि वाले शब्द, देखकर सीखना (पढ़ना), संगत विधि, वाक्य शिक्षण विधि, समवेत पाठ विधि, शब्द शिक्षण विधि और संयुक्त विधि आदि। हिन्दी भाषा में वाचन के दो प्रकारों को विस्तृत किया गया - आदर्श वाचन, अनुकरण वचन। पठन एवं वाचन में सस्वर वाचन का समावेश होता है। समाज में भाषण प्रस्तुत करने के लिए हम स्वयं भाषण को लिखित रूप में तैयार करते हैं, जिससे हम वाद-विवाद, चर्चा अथवा सामान्य अवसरों में अपने विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। साहित्यिक, प्रभावी एवं धारा प्रवाह वाचन आम जनता को प्रभावित करता है। अतः उपरोक्त सभी बातों पर चर्चा इस इकाई में की गयी है।

6.8 शब्दावली

साहित्यिक विरासत - वे रचनाएँ शामिल हैं, जिन्होंने एक लेखक के रूप में आपको कई समय तक प्रभावित किया है, जिन पर आपका विकास हुआ है, साथ ही जो वर्षों तक आपके साथ रहे हैं और दूसरी पीढ़ी तक भी पहुँच रही है।

ज्ञानार्जन- किसी विषय के सब अंगों या भागों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखने, समझने या पढ़ने की क्रिया।

धाराप्रवाहिता - जो नदी की धारा की तरह एक गति में बह जाय।

समवेत - "समवेत" के लिए हिन्दी अर्थ- एक जगह इकट्ठा किया हुआ। सामूहिक, यह शब्द हिन्दी में काफी प्रयुक्त होता है।

बलाघात - जब कोई व्यक्ति बोलता है तो, सभी ध्वनियों का उच्चारण एक जैसा नहीं होता है। कभी किसी वाक्य के एक शब्द पर अधिक बल होता है , तो कभी दूसरे शब्द पर।

सम्मिश्रित - चीजों को एक साथ मिलाना किसी और चीज के साथ मिश्रित करना।

अनुकरण - अनुकरण, एक व्यक्ति द्वारा दुसरे व्यक्ति की शारीरिक व्यवहार और शारीरिक क्रियाओं की नक़ल करने को कहते हैं।
सराहनीय - प्रशंसा के योग्य।

6.9 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- पठन और बोध के बीच के संबंध को व्याख्यायित कर सकेंगे।
- विभिन्न पठन स्तरों का शिक्षण और मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे।
- विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और भाषा स्तर के अनुसार पठन सामग्री का चयन कर सकेंगे।
- पठन बोध को बढ़ाने वाली शिक्षण रणनीतियाँ नियोजित कर सकेंगे।
- पठन कौशल के विकास हेतु मूल्यांकन तकनीकों का उचित चयन कर सकेंगे।
- कक्षा में ऐसा वातावरण निर्मित कर सकेंगे जो छात्रों के पठन कौशल और बोध को बढ़ावा दे।

6.10 इकाई के अंत की गतिविधियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. पठन का अर्थ होता है।
(अ) किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव तथा विचारों को पढ़कर समझना।
(ब) किसी के द्वारा केवल पढ़ना।

(स) किसी दूसरे से पढ़वाना।

(द) उपरोक्त सभी।

2. "वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ-साथ चलते हैं"। यह कथन किसने लिखा है -

(अ) किशोरी दास (ब) फ्रायड (स) रामशकल पांडे (द) क्रेसन

3. अनुकरण वाचन से तात्पर्य-

(अ)शिक्षक कक्षा में स्वयं वाचन करें एवं विद्यार्थियों से अनुकरण करवायें।

(ब) शिक्षक कक्षा में केवल विद्यार्थी से वाचन करवायें।

(स) विद्यार्थी कक्षा में स्वयं वाचन करें।

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

4. मौन वाचन से अभिप्राय -

(अ) स्वर के साथ पढ़ना (ब) चुपचाप पढ़ना (स) मन से वाचन (द) ये सभी।

5. पढ़ने की पहली अवस्था -

(अ) वर्णों को समझना है। (ब) अक्षरों कों समझना है।

(स) व्यंजन कों समझना है। (द) ये सभी।

6. हिन्दी लिपि को क्या कहा जाता है।

(अ) जर्मनी (ब) देवनागरी (स) रोमन (द) अरबी

7. हिन्दी भाषा में वाचन के कितने प्रकार है?

(अ) 2 (ब) 4 (स) 3 (द) 5

8. वाचन करते समय विद्यार्थी को

(अ) स्वर, व्यंजन एवं ध्वनियों का ज्ञान होना जरूरी है।

(ब) ध्वनियों का ज्ञान होना जरूरी है।

(स) केवल व्यंजन का ज्ञान होना जरूरी है।

(द) केवल स्वर का ज्ञान होना जरूरी है।

9. इस विधि में छोटे पद्य एवं गीत सिखाने की सुविधा होती है।

(अ) समवेत पाठ विधि (ब) कहानी विधि (स) प्रोजेक्ट विधि (द) ये सभी।

10. सस्वर वाचन से अभिप्राय-

(अ) मौन से पढ़ना (ब) स्वर के साथ पढ़ना (स) समूह में पढ़ना (द) ये सभी।

उत्तर कुंजी

1. (अ) 2. (स) 3. (अ) 4. (ब) 5 (अ) 6 . (ब) 7. (अ) 8. (अ) 9. (अ) 10. (ब)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वाचन के अर्थ को लिखिए।
2. अनुकरण वाचन किसे कहते हैं?
3. समवेत पाठ विधि को समझाईये।
4. आदर्श वाचन में अध्यापक की भूमिका को समझाईये।
5. मौन वाचन और सस्वर वाचन के अंतर के स्पष्ट कीजिये।

6. शब्द शिक्षण विधि को समझाईये।
7. अनुकरण वाचन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें लिखे।
8. सस्वर वाचन के उद्देश्य लिखे।
9. वाचन की मुद्रा कों स्पष्ट करें।
10. विराम चिह्नों के महत्व कों स्पष्ट करें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पठन कौशल के विकास में बोध का महत्व को विस्तार से समझाईये।
2. पठन की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिये।
3. हिन्दी शिक्षण में वाचन के प्रकार को लिखिए।
4. सस्वर वाचन के गुणों की चर्चा कीजिये।
5. वाचन या पठन पर विस्तार से निबंध लिखे।

6.11 सन्दर्भ

1. पांडे,आर., हिन्दी शिक्षण,विनोद पुस्तक मंदिर,आगरा।
2. ओझा.,पी.के., हिन्दी शिक्षण, अनमोल पब्लिकेशन,नई दिल्ली।
3. पंडागले,पी.,हिन्दी शिक्षण,अजय पब्लिशर्स,भोपाल।

इकाई 7 : मौन वाचन का महत्व*

इकाई की रुपरेखा

7.0 प्रस्तावना
7.1 उद्देश्य
7.2 मौन वाचन का महत्व
7.2.1 समय की बचत
7.2.2 अबाधित पठन
7.2.3 ध्यान केन्द्रित
7.2.4 अभ्यास की आदत
7.2.5 मितव्ययता
7.2.6 इंद्रियों का अनुकूल प्रयोग
7.2.7 मौन पठन आजीवन उपयोगी
7.3 गहन पठन व विस्तृत पठन
7.3.1 गहन पठन की अवधारणा
7.3.2 गहन पठन का महत्व, प्रासंगिकता एवं विशेषताएं
7.3.3 विस्तृत पठन
7.3.4 विस्तृत पठन की कुछ विशेषताएं
7.4 आलोचनात्मक पठन
7.5 पढ़ने के कौशल के विकास में सृजनात्मक साहित्य
7.6 सारांश
7.7 शब्दावली
7.8 अधिगम प्रतिफल
7.9 इकाई के अंत की गतिविधियां
7.10 संदर्भ

* Dr. Pravini Pandagale, Assistant Professor, MANUU CTE, Bhopal

7.0 प्रस्तावना

सस्वर वाचन में विद्यार्थी योग्य होने के पश्चात उसमें मौन वाचन के अभ्यास की आदत का विकास होने लगता है। मौन वाचन उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। बच्चों को सस्वर वाचन ही अधिक पसंद आता है परंतु बड़ी आयु एवं कक्षा के विद्यार्थियों को मौन पठन के लिए जोर देना चाहिए। इसी संदर्भ में जड़ महोदय के अनुसार- "बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो, घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है।" इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो, सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषायी दक्षता पर अधिकार का सूचक है।"

मौन वाचन में मुख्य भूमिका हमारे आंखों की होती है। इसमें होंठ, तालु अर्थात वाग्यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मौन वाचन करते समय हमारे परिश्रम की बचत होती है, क्योंकि हमें बोलना नहीं पड़ता है। मौन वाचन में तीव्र गति से पठन किया जा सकता है। सामान्यतः विद्यार्थी 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द पढ़ते हैं और मौन वाचन में इतने ही समय में 210 शब्द पढ़ते हैं।

मौन वाचन यह किसी अन्य व्यक्ति के वाचन में बाधित नहीं होता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कहीं भी मौन पठन कर सकता है। यह कम समय में अधिक जानकारी को आत्मसात करता है।

मौन पठन, पठन कौशल को सीखने की अंतिम सीढ़ी है। यह एक ऐसा कौशल है, जो केवल भाषा को ही नहीं सिखाता, बल्कि दूसरे विषयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोई भी विद्यार्थी तब तक अपने विषयों में अपने समय का पूर्ण फायदा नहीं उठा पाएंगे जब तक उन्होंने मौन पठन की कला ना सीख ली हो। अतः यह एक ऐसा कौशल है, जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। शिक्षार्थीयों के पठन कौशल के विकास में मौन पठन के प्रशिक्षण को विशेष स्थान मिलना ही चाहिए।

मौन पठन का मुख्य उद्देश्य किसी अवतरण के विचार को ग्रहण करना है। यह अवतरण के महत्वपूर्ण विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका है। मौन पठन का पूरा ध्यान विषय-वस्तु के अर्थ को समझने पर होता है। मौन पठन की विशेषता यह है कि इसमें बोलकर पढ़ना नहीं है। अतः शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को यह स्पष्ट कर दे कि मौन पठन होता क्या है, इसमें आंखों की भूमिका सबसे अहम होती है।

प्रायः मौन वाचन का अभ्यास स्कूलों में कक्षा सातवीं या आठवीं से कराया जाता है। जब छात्रों में वाचन के प्रति एकाग्रता आ जाती है। डॉक्टर रामशकल पांडेय लिखते हैं, कि "मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषायी दक्षता पर अधिकार का सूचक है।" सामान्य रूप में हम सब जानते हैं कि समाज में प्रौढ़ व्यक्ति समाचार पत्र, मैगज़ीन, उपन्यास, पुस्तक आदि को चुप रहकर या मौन रहकर ही पढ़ते हैं, जिससे की आस-पास बैठे हुए लोगों को परेशानी या बाधा ना हो जिससे पाठक इसे पढ़कर आनंद लेते हैं और इसका अर्थ ग्रहण करते हैं।

7.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- विद्यार्थी पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
- वाचन करते समय दूसरों के वाचन में बाधा ना डालें।
- किसी भी समय एवं जगह पर मौन पठन कर सकेंगे।
- मौन वाचन के माध्यम से विषय को समझकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे।
- मौन पठन से बालकों में एकाग्रता का विकास होगा।
- मौन वाचन से बालकों में कल्पनाशक्ति एवं तर्कसंगतता का विकास होगा।
- मौन वाचन से विद्यार्थियों में स्व-अध्ययन की आदतों का विकास होगा।
- विद्यार्थियों में विचारों, तथ्यों की क्रम बद्धता की पहचान होगी।
- पाठ्य-वस्तु का सारांश अपने शब्दों में बता सकेंगे।

7.2 मौन वाचन का महत्व

मौन वाचन के महत्व को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है

7.2.1 समय की बचत

मौन वाचन से समयकी बचत होती है। श्रीमती ग्रे रीस के एक परीक्षण से यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में वचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने ही समय में 210 शब्द बोलते हैं।

7.2.2 अबाधित पठन

एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के पठन में कोई भी मुश्किल उपस्थित नहीं करता है। कभी-कभी सामूहिक वाचन के बजाय मौन वाचन भी करवाना चाहिए।

7.2.3 ध्यान केन्द्रितता

मौन वाचन करते समय विचारों में सक्रियता आती है और विद्यार्थियों का ध्यान एक जगह केंद्रित होता है।

7.2.4 अभ्यास की आदत

मौन वाचन के द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है और इसमें विद्यार्थी वाचन के द्वारा आनंद के भाव को भी महसूस करता है। वह अक्सर अपने मनोरंजन के लिए मौन रूप में ही पड़ता है।

7.2.5 मितव्ययता

कम खर्चीला होने के कारण विद्यार्थी कहीं भी, किसी भी जगह, बिना किसी को बाधित किये इसका आधिकाधिक प्रयोग कर सकते हैं, जबकि सस्वर वाचन अधिकतर शालेय जीवन तक ही सीमित होता है।

7.2.6 इंद्रियों का अनुकूल प्रयोग

मौन वाचन के समय सिर्फ आंखों और मस्तिष्क की भूमिका अहम होती है। मुँह से किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती। केवल मस्तिष्क और नेत्र के द्वारा ही संपूर्ण पठन क्रिया हो जाती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि जब विद्यार्थी मौन पठन कर रहा हो तो, वह उसका निरीक्षण करें। यह देखें कि कहीं वह मौन पठन करने के बजाय होंठो को बुदबुदा तो नहीं रहा या फिर पंक्तियों पर केवल उंगलियां तो नहीं फेर रहा।

7.2.7 मौन पठन आजीवन उपयोग

सस्वर पठन प्रारंभिक कक्षाओं में अधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन उच्च कक्षाओं में मौन पठन किया जाता है। सस्वर पठन को स्कूल तक सीमित होता है बल्कि मौन पठन मानव के

जीवन में निरंतर बना रहता है। वह तीव्र गति से बिना किसी को तकलीफ़ दिए कम समय में किसी भी विषय-वस्तु का भाव ग्रहण कर सकते हैं।

7.3 गहन पठन व विस्तृत पठन

7.3.1 गहन पठन की अवधारणा

पठन कौशल में एक महत्वपूर्ण विधा है गहन पठन। यह पठन के कई प्रकारों में से एक मुख्य प्रकार है। इसके अंतर्गत वाचक द्वारा विषय-सामग्री का गहराई से अध्ययन किया जाता है। गहन पठन करने वाला वाचक, अर्थ के साथ भाव को भी पूर्णरूप से विषय-वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। गहन पठन को उच्च स्तर की श्रेणी में रखा जाता है लेकिन इसका अभ्यास प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करना ज़रूरी होता है, जैसे कि एक छात्र किसी कहानी या कथा को पढ़ता है तो, पढ़ने के दौरान कहानी में अब आगे क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या था? और इसमें कौन-कौन से पक्ष छिपे हुए हैं? आदि का गहनतम विचार करता है। यह क्रियायें गहनतम पठन की श्रेणी में आती है। गहन पठन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर एस.के.दुबे लिखते हैं कि- "गहन पठन का आशय उस भावपूर्ण एवं निमग्नता के साथ पठन से है जिसमें छात्र पद्यांश या गद्यांश के उद्देश्य, सुधारात्मक पक्ष एवं कलात्मक पक्ष पर ध्यान देता है तथा उसके व्यावहारिक प्रयोग पर विचार करता है।" उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि गहन पठन एक उच्च स्तर का कलात्मक पठन है, जो विद्यार्थियों के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

7.3.2 गहन पठन का महत्व प्रासंगिकता एवं विशेषताएं

गहन पठन के द्वारा विषय-सामग्री के भाव, विचार, भाषा शैली आदि की व्याख्या करते हुए हम उसे ग्रहण करते हैं। गहन पठन द्वारा विद्यार्थी विषय-सामग्री में भाषा में प्रयुक्त शब्दों के विशेष अर्थ तथा प्रयोग से परिचित होता है। विद्यार्थी किसी कहानी, पाठ, नाटक, निबंध तथा कविता में लेखक/कवि क्या कहना चाह रहा है, उसे समझकर उसका मूल्यांकन करता है। साथ ही वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खुले रूप में एक विचारधारा का निर्माण करता है।

किसी लेखक ने ठीक ही कहा है कि- "गहन पठन करते समय शिक्षार्थी, भाषा के प्रत्येक अंग का गहन अध्ययन करता है, विचार की एक-एक बारीकी का अवलोकन करता है, भाव की प्रत्येक लहर में अवगाहन करता है।" इसलिए पाठ को भी गहन अध्ययन कहा जाता है। मान लीजिए यदि कक्षा में "लहरों से डरकर" नामक कविता पढ़नी है। पहले कविता का शिक्षक के द्वारा आदर्श पठन होगा, फिर विद्यार्थी उसका सस्वर पठन करेंगे। सस्वर पाठ के उपरांत, कविता में व्यक्त इंसान को किसी भी मुश्किल से हार नहीं माननी है, यह समझने का प्रयास

करेंगे। जैसे - "चींटी कितनी बार भी दीवारों पर चढ़ती है और चढ़कर गिर जाती है। लेकिन फिर भी हार नहीं मानती, क्योंकि एक दिन वह दीवार पर चढ़कर विजय प्राप्त कर लेती है। इस कविता के भाव विद्यार्थी समझ जाते हैं, मनुष्य जीवन से चींटी के संघर्ष की तुलना करते हुए हम विद्यार्थियों के मन में यह बिठाने का प्रयत्न करेंगे कि हमें भी एक छोटी-सी चींटी की तरह अपने हौसलों को बुलंद रखना है।

इसी प्रकार यदि पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ को पढ़ाना है तो, उसके विभिन्न अंश जैसे आदर्श पाठ, व्यापक पाठ, अनुकरण पाठ, मौन पाठ, विचार विश्लेषण आदि के माध्यम से गहराई से पाठ के अध्ययन की अपेक्षा की जाती है।

गहन पठन की विशेषताएं

गहन पठन की विशेषताएं निम्नलिखित रूप में वर्णित है। वे -

सार्थक पठन

गहन पठन को सार्थक या चिंतन पठन के रूप में माना जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी जब किसी वाक्य को पढ़ता है तो, तर्कपूर्ण ढंग से उसकी सार्थकता पर विचार करता है और उसके भाव को समझने का प्रयास करता है।

चिंतन करने की प्रेरणा

गहन पठन के माध्यम से चिंतन करने की प्रेरणा विद्यार्थियों में उत्पन्न होती है। किसी भी विषय-वस्तु का पठन करने के उपरांत वह उसका चिंतन एवं मनन करता है और साथ ही उसके सुधार की संभावनाओं पर विचार-विमर्श भी करता है।

विश्लेषण युक्त पठन

विश्लेषण युक्त पठन में वाक्य के विभिन्न अर्थ को समझते हुए विद्यार्थी इसका अर्थ निकालता है। किसी भी संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करके उसका पठन करता है।

अभिप्रेरित पठन

गहन पठन की एक प्रमुख विशेषता है कि वह वाचक को अभिप्रेरित करती है। जैसे किसी कहानी या उपन्यास को विद्यार्थी गहनता से पठन करता है तो, वह जब तक समाप्त नहीं होता उसे पढ़ने के लिए स्वप्रेरित रहते हैं। इस प्रकार गहन पठन स्वप्रेरणा या रुचि पर आधारित होती है।

मनोयोग पठन

यह एक मानसिक क्रिया है, जो पूर्ण मनोयोग के साथ पठन क्रिया को पूर्ण करती है। जब किसी वाचक को किसी कविता या पाठ में आनंद का अनुभव होता है तो, वह कविता या पाठ के भाव को ग्रहण करता हुआ पढ़ता है तो, यह समझा जाता है कि पठन की क्रिया गहनता के साथ संपन्न हो रही है।

मनोरंजन की अनुभूति

गहन पठन के अंतर्गत वाचक को मनोरंजन की अनुभूति होती है। वह जितनी एकाग्र मन से पाठ्यवस्तु का अध्ययन करेंगा उसको उतने ही आनंद या मनोरंजन की अनुभूति होने लगेगी और वह पाठ्यवस्तु की गहराई में उतरता चला जाएगा।

उद्देश्य पूर्ण पठन

गहन पठन उद्देश्य पठन के रूप में भी जाना जाता है। इसको पाठक या वाचक किसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पढ़ता है। जब पाठ्य-वस्तु पढ़कर समाप्त हो जाती है तो, वह एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचता है और सार्थक या निरर्थक संबंधी पक्षों पर भी विचार करने की योग्यता उसमें आने लगती है।

7.3.3 विस्तृत पठन

व्यापक पठन को विस्तृत पठन भी कहा गया है। इसका उद्देश्य यह है कि शब्द भंडार में विस्तार एवं ज्ञान अनुभव में वृद्धि। पठन कौशल का विकास आनंद तथा द्रुत गति से पढ़ने की दक्षता का विकास करना है। भाषा पर अधिकार करने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत पठन का अभ्यास आवश्यक है। इसके द्वारा हम मौन पठन की दक्षता का भी विकास करते हैं, जिससे अभ्यास की आदत में वृद्धि होती है साथ ही मनोरंजन भी होता है।

अधिकांशतः हम देखते हैं कि विद्यार्थी कहानी, एकांकी में ज्यादा रुचि लेते हैं, किंतु उपन्यास और नाटक जैसे वृहद ग्रंथों को पढ़ने में अरुचि और बोरियत महसूस करने लगते हैं। इसका कारण व्यापक पठन की दक्षता पर ज्यादा ध्यान ना देना है। औपचारिक दृष्टि से देखा जाए तो कक्षा में व्यापक पठन के बजाय गहन पठन पर अधिक जोर दिया जाता है। इसके लिए विशिष्ट पठन का सहारा लेना उपयुक्त रहता है। जैसे किसी संस्मरण, घटना, व्रत या कहानी को पढ़ते समय कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण मुद्दों को निर्देश करें और विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करने के लिए कहे क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी यदि अपनी गति, आनंद एवं रुचि के अनुकूल पढ़े तो, ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। दूसरी ओर कक्षा-शिक्षक के द्वारा दिए गए मुख्य बिंदुओं को ध्यान में भी रखा जा सकता है। स्व-अध्ययन के बाद कक्षा में शिक्षक प्रश्नों की सहायता से यह पता कर सकता है कि विद्यार्थी ने पाठ को कितना पढ़ा एवं समझा है। इस विधि से शिक्षक अपना समय और परिश्रम, भाषा की दृष्टि से जो कठिन पाठ है उन पर लगा सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी द्वारा ऐसे पाठों को पढ़वाने से पहले स्वयं उसे पढ़े और मुख्य बिंदुओं को निर्देशित करें।

7.3.4 विस्तृत पठन की कुछ विशेषताएं

व्यापक/विस्तृत पठन की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से है। वे -

- व्यापक पठन में रोचक कहानियां एवं घटनाएं हो।
- इसमें महापुरुष के जीवनी का परिचय होता है।
- विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुकूल पठन करें।
- व्यापक वाचन में उपन्यास और एकांकी के रूप में सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हो।
- इसके अंतर्गत वर्णनात्मक और व्यंगात्मक लेखों को शामिल किया जाना चाहिए।
- वैज्ञानिक खोज पर प्रकाश डालने वाली विषय-सामग्री भी हो।
- विषय-वस्तु विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो।
- विस्तृत पाठ का अध्ययन स्थूल होता है ना की सूक्ष्म।
- इसका संबंध जो अर्जित शब्द भंडार है, उसे सक्रिय करने के लिए होता है।
- सस्वर वाचन की आवश्यकता नहीं होती केवल विषय-सामग्री के अर्थ और ज्ञान का ध्यान रखा जाता है।
- व्यापक वाचन या पठन में व्याकरण संबंधी नियमों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।
- विस्तृत पाठ में अर्थ ग्रहण करते हुए, द्रुत गति से वाचन पर बल डाला जाता है।

7.4 आलोचनात्मक पठन

विषय वस्तु के गुण-दोष, उसके लक्षण की विवेचना करना आलोचनात्मकता कहलाता है। इसमें पठन कार्य के अंतर्गत संभावित प्रतिवादों की गहन जांच भी शामिल है। पाठक पढ़ते समय विषय-वस्तु की पुनर्व्याख्या और पुनर्निर्माण की क्षमता भी रख सकता है। साथ ही पाठ के लेखक के तर्क में स्पष्ट गुण और दोष की पहचान कर, उन्हें व्यापक रूप से संबोधित करने की क्षमता भी रखता है। आलोचनात्मक पठन संबंधित तर्कों के लिए साक्ष्य बिंदुओं का जुड़ाव होती है।

जॉन स्टीमबैक के अनुसार- "एक कहानी के उतने ही संस्करण होते हैं, जितने उसके पाठक होते हैं। हर कोई, उसे जो चाहता है या कर सकता है उसे लेता है और इस प्रकार अपने अनुसार बदल देता है। कुछ हिस्सों को चुनते हैं और बाकी को अस्वीकार करते हैं, कुछ पूर्वाग्रह के माध्यम से कहानी को दबाते हैं तो कुछ इसे अपनी खुशी से रखते हैं।" पढ़ते समय पाठक अपना तर्क देने में सक्षम होते हैं। लिखित रूप में आपने जो पढ़ा है, उसके बारे में दूसरों से बात करके जवाब भी दे सकते हैं या फिर यह आलोचनात्मक प्रतिक्रिया अपने लेख नोटबुक में लिख सकते हैं अर्थात आलोचनात्मक खोज की सक्रिय प्रक्रिया है।

आलोचनात्मक पठन की विशेषताएं निम्नलिखित है। वे -

पाठ के अंतर्गत सभी प्रश्नों पर गद्य एवं पद्य के समग्र लक्ष्य और अर्थ के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। कई अनुच्छेदों में विचार विषय वाक्य में स्थित होता है। विचार से पहले

एक या दो वाक्य हो सकते हैं, जो उसके पृष्ठभूमि से संबंधित हो। पाठ में विस्तृत विवरण दिया जाता है लेकिन पाठक को उसे पहचान कर विशिष्ट विवरण में रूपांतरण करते आना चाहिए।

पढ़ते-पढ़ते किसी वाक्य को लेकर पाठक उलझन में पड़ जाता है, तब उसे अनुमान लगाना चाहिए कि लेखक यहां क्या कहना चाहता है? इसकी पहचान करनी आनी चाहिए, पाठ को लेकर उसे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इसमें लेखक का उद्देश्य क्या होगा?

जब किसी भी गद्यांश, पद्यांश या कहानी को पाठक पढ़ता है तो, उसके अंत में वह निष्कर्ष के अनुप्रयोग को सीमित कर देता है और अपनी ओर से एक निष्कर्ष निकालता है, जरूरी नहीं कि वह निष्कर्ष श्रोता को पहचान में आ जाये। लेखक के पसंदीदा शब्द, पसंदीदा वाक्य, पसंदीदा सोच कौन सी है, लेखक के उद्देश्य की पहचान करना, पूर्ण रूप से पढ़ लेने के बाद पाठ के उद्देश्य या शब्दों के चुनाव वाक्य का समीकरण पाठक को समझ में आ जाता है।

7.5 पढ़ने के कौशल के विकास में सृजनात्मक साहित्य

पढ़ने के सृजनात्मक साहित्य का अर्थ यह है कि जो सामग्री लिखित या मुद्रित हो उसके अर्थ को समझकर उसके दिशा को स्पष्ट करते हुए पढ़ना। सृजनात्मक सामग्रियां कई हो सकती है- पुस्तक, अखबार, पत्रिका-पत्र, दस्तावेज, मैटेरियल, ई-लाइब्रेरी आदि। लेकिन इसे पढ़ते समय अर्थ भी ग्रहण होते चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक सामग्री को पढ़ने के बाद दूसरी सामग्री को पढ़ा जाए हम साथ-साथ अनेक सामग्री को पढ़ते हुए चले जा सकते हैं।

एनसीईआरटी के अनुसार- "पठन एक बहुआयामी जटिल प्रक्रिया है। जिसमें लिपि प्रति की पहचान तथा उनके उच्चारण की कुशलता के साथ-साथ अपठित सामग्री का अर्थग्रहण एवं उसके पूर्ण आशय समझ लेने की योग्यता का समावेश है। इसमें ग्रहण किए गए अर्थ की व्याख्या, मत निर्धारण तथा अर्जित ज्ञान का प्रयोग भी शामिल है।"

पढ़ने का मतलब यह है कि हमें अक्षर, स्वर, व्यंजन की पहचान या उसके उच्चारण कर लेने मात्र से नहीं है। बल्कि वह क्या कहना चाहता है? उसका आशय क्या है? यह ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी सामग्री को पढ़ते हैं तो, उसे टुकड़ों-टुकड़ों में या फिर शब्दों को जोड़-जोड़ कर पढ़ते हैं तब उस समय दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे उसका अर्थ समझने की शक्ति कहीं खो जाती है अर्थात उसे पढ़ने का आनंद भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है।

इस संदर्भ में एक स्टडी की गई है- श्री संजय कबड्डी के माध्यम से अपने हिन्दी को सुधारते हैं। श्री संजय एक निजी स्कूल में भाषा के शिक्षक है और उनका यह शौक उनकी हिन्दी सुधारने में मदद कर रहा है। उनके अनुसार- मुझे कबड्डी में बहुत दिलचस्पी है, इसमें मेंरा अतिरिक्त समय बीत जाता है। मुझे खिलाड़ियों, टीमों इत्यादि के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने पता भी लगाया है कि इंटरनेट पर इस विषय में कई सारी जानकारियां उपलब्ध है। इसमें

से कुछ जानकारी अंग्रेजी में है, लेकिन बहुत सारी जानकारी हिन्दी में भी है और मुझे पता चला है कि मैं इस प्रकार से बहुत सारी हिन्दी पढ़ने लगा हूं।

कबड्डी की भारतीय टीम अभी ईरान यात्रा पर है और मैं मैचों के बारे में हिन्दी में पढ़ रहा हूं। मुझे यह कोई खास कठिन नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे दूसरे खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से ही थी और मैं कबड्डी के पारिभाषिक शब्द और साथ ही खेल संबंधी कुछ शब्द भी जानता हूं। लेकिन पढ़ते-पढ़ते मैंने कुछ नए शब्द और इस कबड्डी के नियम के बारे में भी सीखा है- जैसे "रेड" करना और "डिफेंस" करना आदि। इन शब्दों का मैंने काफी उपयोग भी किया है और कभी-कभी मैं अपने विद्यार्थियों को भी इन सब की जानकारी देता हूं।

दूसरी बात, जो मुझे इंटरनेट पर उपलब्ध आर्टिकल के बारे में पसंद है वह यह है कि पाठक और अन्य प्रशंसक कभी-कभी टिप्पणियां करते हैं। मुझे उनकी टिप्पणियां पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उनकी वह टिप्पणियां पढ़कर मैं अभिप्रेरित भी हो जाता हूं। इससे पहले मैंने महसूस नहीं किया था। लेकिन मेंरा यह अनुमान है कि इससे मुझे हिन्दी में पढ़ने और लिखने का अधिक अभ्यास होगा।

मेंरे एक साथी भी ऐसा ही कुछ करता है। लेकिन उनका जुनून क्रिकेट खेलने में है और फिल्में देखने में हैं। वे फिल्मों के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। वह एक छोटी-सी नोटबुक भी रखने लगे हैं और उसमें जो भी नए शब्द और नए वाक्य है, जो उन्हें अच्छे लगते हैं उन्हें नोट करते हैं और अपनी हिन्दी को सुधारने के लिए वह वाकई उत्सुक है।

इस प्रकार हम सभी सृजनात्मक साहित्य एवं क्रियाओं का उपयोग करके अपने पढ़ने के कौशल कों सुधार सकते हैं।

7.6 सारांश

बच्चों को सस्वर वाचन ही अधिक पसंद आता है, परंतु बड़ी आयु एवं कक्षा के विद्यार्थियों को मौन पाठन के लिए जोर देना चाहिए। इसी संदर्भ में जड़ महोदय के अनुसार- "बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो, घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है।" इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो, सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। अतः इस इकाई के अंतर्गत हमने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है - मौन वाचन का महत्व, इसके अंतर्गत समय की बचत, अबाधित पठन, ध्यान केन्द्रितता, अभ्यास की आदत, मितव्ययता,इंद्रियों का अनुकूल प्रयोग,मौन पठन आजीवन उपयोगी, गहन पठन की अवधारणा, गहन पठन का महत्व,प्रासंगिकता एवं विशेषताएं, उद्देश्य पूर्ण पठन,विस्तृत पठन की कुछ विशेषताएं,आलोचनात्मक पठन,पढ़ने के कौशल के विकास में सृजनात्मक साहित्य आदि।

7.7 शब्दावली

मितव्ययता - मितव्ययता का अर्थ किसी भी वस्तु को सोच समझकर या कम खर्च करने या आवश्यकतानुसार प्रयोग करने की अवस्था या भाव।

अनुभूति - किसी एहसास को कहते हैं, जो दूसरे के भावों कों महसूस कर सके, यह शारीरिक रूप से स्पर्श, दृष्टि, सुनने या गन्ध सूंघने से हो सकती है या फिर विचारों से भी उत्पन्न होती है।

दस्तावेज - वह कागज जिसमें दो या कई आदमियों के बीच के व्यवहार की बात लिखी हो और जिस पर आपस में व्यवहार करनेवालों के हस्ताक्षर हों।

अनुप्रयोग - किसी भी चीज़ को किसी विशेष उद्देश्य के लिए, संचालन में लाने की क्रिया, या प्रयोग करने की क्रिया में इसका उपयोग किया जाता है।

साक्ष्य बिंदुओं - जब किसी विशेष बिंदु(तत्वों) को, तार्किक तरीके से जोड़ने की आवश्यकता होती है, उसे साक्ष्य बिंदु कहते हैं।

बहुआयामी - शब्द से ही अर्थ का पता चलता है , अगर हम शब्द को अलग-अलग कर गौर से देखें तो, यह दो शब्द बहुत और आयाम से मिलकर बना है, अर्थात दो शब्दों के अलग-अलग अर्थ होते हैं, जो एक दूसरे से जोड़े जा सकते हैं।

अवधारणा - संकल्पनाओं के वस्तु-अर्थ तथा अर्थ को वस्तुओं एक दूसरे के साथ जोड़ती है और स्वतंत्र रूप से परिचालित करने की संभावना प्रदान करती है।

प्रतिवाद - वह बात या घटना जो किसी अन्य बात अथवा सिद्धातं के विपक्ष में कही जाय उसे प्रतिवाद कहा जाता है।

7.8 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- विद्यार्थी पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे।
- वाचन करते समय दूसरों के वाचन में बाधा ना डालें इसके लिए सक्षम होंगे।
- किसी भी समय एवं जगह पर मौन पठन करने में सक्षम होंगे।
- मौन वाचन के माध्यम से विषय को समझकर उसका अर्थ ग्रहण करने में सक्षम होंगे।
- मौन पठन से बालकों में एकाग्रता का विकास करने में सक्षम होंगे।
- मौन वाचन से बालकों में कल्पनाशक्ति एवं तर्कसंगतता का विकास करने में सक्षम होंगे।
- मौन वाचन से विद्यार्थियों में स्व-अध्ययन की आदतों का विकास करने में सक्षम होंगे।
- विचारों, तथ्यों की क्रम बद्धता की पहचान करने में सक्षम होंगे।

- पाठ्य-वस्तु का सारांश अपने शब्दों में बता सकने में सक्षम होंगे।

7.9 इकाई के अंत की गतिविधियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. "बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो, घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है"। यह कथन किसका है-

(अ) फ्रायड महोदय के अनुसार, (ब) जड़ महोदय के अनुसार

(स) वुडवर्थ महोदय के अनुसार, (द) इनमें से कोई नहीं।

2. किस कक्षा में मौन पठन किया जाता है?

(अ) प्राथमिक कक्षा (ब) निम्न प्राथमिक कक्षा (स) उच्च कक्षाओं में

(द) उच्च प्राथमिक कक्षा

3. किस में पठन आंखों और मस्तिष्क की भूमिका अहम होती है?

(अ) सस्वर (ब) आदर्श (स मौन (द) इनमें से कोई नहीं

4. सामान्यतः विद्यार्थी 1 मिनट में सस्वर वाचन में कितने शब्द बोलते हैं

(अ) 120 (ब) 50 (स) 100 (द) 170

5. वृहद का क्या अर्थ है?

(अ) विस्तृत (ब) छोटा (स) सामान्य (द) या कोई नहीं

6. सार्थक या चिंतन पठन के रूप में माना जाता है।

(अ) आलोचनात्मक (ब) गहन पठन (स) सस्वर (द) ये सभी।

7. किसी विषय वस्तु के गुण-दोष, उसके लक्षण की विवेचना करना क्या कहलाता है?

(अ) आलोचनात्मकता (ब) गहन पठन (स) सस्वर (द) विस्तृत

8. गद्य किसे कहते हैं?

(अ) कविता को (ब) पाठ को (स) पद्य को (द) इनमें से कोई नहीं

9. मौन वाचन में 1 मिनट में कितने शब्द बोलते हैं।

(अ) 210 (ब) 100 (स) 150 (द) उपरोक्त सभी

10. सबसे अधिक किस स्तर में विद्यार्थियों को कविताएं सुनना पसंद आती है?

(अ) उच्च (ब) प्राथमिक (स) माध्यमिक (द) यह सभी

उत्तर कुंजी

1. (ब) 2. (स) 3. (स) 4. (द) 5 (अ) 6 . (ब) 7. (अ) 8. (ब) 9. (अ) 10. (ब)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. मौन वाचन किसे कहते हैं?
2. विस्तृत और गहन पठन किसे कहते हैं?
3. गहन पठन की प्रासंगिकता को लिखिए।
4. मौन वाचन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
5. वाचन एवं चिंतन करने की प्रेरणा किस प्रकार से बन सकती है स्पष्ट करें।
6. अभिप्रेरित पठन किसे कहते हैं ?
7. वाचन में इंद्रियों का अनुकूल प्रयोग कैसे किया जाता है?
8. मौन वाचन में समय की बचत किस प्रकार की जाती है?
9. सार्थक पठन किसे कहते हैं ?
10. पठन से मनोरंजन की अनुभूति किस प्रकार की जा सकती है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. मौन वाचन के महत्व पर विस्तार से निबंध लिखिए।
2. गहन पठन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।
3. पढ़ने के कौशल के विकास में सृजनात्मक सामग्री पर प्रकाश डालिए।
4. गहन पठन का महत्व एवं विशेषताएं समझाईये।
5. आलोचनात्मक पठन पर विस्तार से निबंध लिखिए।

7.10 सन्दर्भ

1. श्रीवास्तव, आर. एस., हिन्दी शिक्षण, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर
2. पांडे, आर., हिन्दी शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
3. रावत, आर., हिन्दी भाषा शिक्षण, राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा
4. पंडागले, पी., हिन्दी शिक्षण, अजय पब्लिशर्स, भोपाल
5. https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/1586

इकाई 8 : लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार*

इकाई की रुपरेखा

8.0 प्रस्तावना

8.1 उद्देश्य

8.2 लेखन का अर्थ

8.3 लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार

8.4 लेखन कौशल का विकास

8.5 लेखन के चरण एवं प्रक्रिया

8.6 औपचारिक एवं अनौपचारिक लेखन

8.7 नियमबद्ध रचना

8.7.1 वाक्य छोटे-छोटे और संक्षिप्त में रखें

8.7.2 मूल्य प्रदान करें

8.7.3 आप अपने शब्दों के चयन को सरल एवं शब्द जाल से मुक्त रखें

8.7.4 आपको छः "क" को याद रखना है

8.7.5 कहानियों या उदाहरणों का प्रयोग करें

8.7.6 अपना लेखन कार्य तेज और जोर से पढ़े

8.8 मुक्त रचना

8.8.1 अनुच्छेद लेखन

8.8.2 कहानी रचना

8.8.3 रिपोर्ट लिखना

8.8.4 पुस्तक की आलोचना

8.8.5 निबंध रचना

8.8.6 पत्र-लेखन

8.8.7 आत्मकथा

* Dr. Pravini Pandagale, Assistant Professor, MANUU CTE, Bhopal

8.9 सारांश

8.10 शब्दावली

8.11 अधिगम प्रतिफल

8.12 इकाई के अंत की गतिविधियां

8.13 संदर्भ

8.0 प्रस्तावना

लेखन कौशल भाषा के चारों कौशलों में से आवश्यक कौशल है। यह कौशल विद्यार्थी औपचारिक रूप से विद्यालय में सीखता है। औपचारिक रूप से जिस व्यक्ति को लिखना आता है, उसे 'साक्षर' कहते हैं। विद्यार्थी बाल्यावस्था में लिखने की शुरुआत करता है और लिखना तभी संभव हो पाता है, जब उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाए अर्थात उसका अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण हो।

इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा है कि- "लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सीखना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र है"। मानव दो रूपों से अपने भाव को अभिव्यक्त करता है पहले मौखिक रूप एवं दूसरा लिखित रूप। लिपि, अक्षर एवं शब्दों को जोड़कर बालक लिखना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में बच्चा आड़ी, तिरछी, खड़ी रेखाएं खींचता है, तत्पश्चात वह अक्षरों को सिखना प्रारंभ करता है। शिक्षकों को विद्यार्थी की लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। साथ ही उन्हें खेलों के माध्यम से एवं निरीक्षण शक्ति के द्वारा उंगलियों से लिखने की दृढ़ता उत्पन्न कर क्षमताओं को परिपक्क करना चाहिए।

रॉबर्ट लेडो के अनुसार, "अन्य भाषा में लेखन-कौशल सीखने से आशय लेखन-व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है, जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चरित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हों।"

जब बच्चा तीन-चार साल का होता है, तब वह कलम से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है। कक्षा में अध्यापक भी लेखन कार्य आरंभ करने से पहले बालकों को रेखाएं, वृत, अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब बच्चे इसमें पारंगत हो जाते हैं, तब वर्ण सरलता से रूप लेने लगते हैं। अक्षरों का ज्ञान होने के पश्चात बालकों को वर्णमाला के अनुसार सिखाया जाता है। जैसे उन्हें बिना मात्रा के अक्षरों से तैयार शब्दों को लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे चल, कल, कमल, इधर, आदि। आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः के अक्षरों से बने शब्दों को सिखाया जाता है। शब्दों को जोड़ने से वाक्य निर्मित होते हैं।

8.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- लेखन कौशल के आवश्यक तत्वों (विषय, भाषा, संगठन, उद्देश्य आदि) की पहचान कर सकेंगे।
- लेखन प्रक्रिया के चरणों जैसे योजना, मसौदा, संशोधन और प्रस्तुति को समझ सकेंगे।
- औपचारिक एवं अनौपचारिक लेखन के भेद को स्पष्ट कर सकेंगे।
- लेखन में रचनात्मकता, स्पष्टता और अभिव्यक्ति की सटीकता का महत्व समझ सकेंगे।
- लेखन की सामान्य त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधार सकेंगे।
- शिक्षण में लेखन कौशल विकसित करने हेतु उपयुक्त विधियों और अभ्यासों का चयन कर सकेंगे।

8.2 लेखन का अर्थ

लेखन अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण जरिया है। पठन के माध्यम से विद्यार्थी लिखी हुई भाषा का अर्थ ग्रहण करने में सक्षम होता है, साथ ही वह लिखित विचारों और भावों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार पठन एवं लेखन यह एक संयुक्त योग्यता है, जो एक दूसरे के बगैर अधूरी है। पठन भले ही व्यक्ति को सक्रिय बनाता है। लेकिन लेखन उसे पूर्ण बना देता है। लेखन कौशल एक कला होती है, जिसमें हर एक को निपुण होना चाहिए। लेखन के माध्यम से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सभी अपने भाव, विचारों व अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट कर सके, क्योंकि यह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। एक लेखक अपने लेखन कौशल के माध्यम से दूसरों को आसानी से एवं सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। अच्छे लेखन कार्य के लिए अच्छे विचारों का भी होना ज़रूरी है। जिस मुद्दे पर आप लिख रहे हैं, उसकी आपको जानकारी भी होनी चाहिए।

8.3 लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार

लेखन के तत्व एवं आधार निम्नालिखित हैं-

लिपि :- लिपि को भाषा का मूल तत्व कहा जाता है। लिपि की स्पष्ट जानकारी होने पर ही लेखक अपनी भाषा को लिखित अर्थ प्रदान कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि लेखनकर्ता को सबसे पहले अपने अक्षर, वर्ण, स्वर एवं व्यंजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष मात्राओं की स्पष्ट जानकारी होनी आवश्यक है। हिन्दी भाषा में मुक्त ध्वनि के अलावा संयुक्त ध्वनि भी है, जिनके कुछ अलग-अलग चिन्ह है जो संयुक्त रूप में प्रकट किये जाते हैं।

शब्द : - शब्द-ज्ञान के अंतर्गत दो तत्वों को शामिल किया जाता है- शब्द का शुद्ध उच्चारण एवं सही वर्तनी के साथ लेखन। शब्द-ज्ञान का अर्थ उसका सही अर्थ लगाना है। हिन्दी भाषा में शब्दों की मात्रा एवं उसका शुद्ध उच्चारण ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। जब तक लेखनकर्ता शब्दों का सही उच्चारण नहीं करेंगा वह उन्हें स्वच्छ और शुद्ध रूप में नहीं लिख सकता है। हिन्दी भाषा के अंतर्गत समानार्थी शब्द पाए जाते हैं तथा इन शब्दों के अर्थों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। अतः यह आवश्यक है कि लेखक को शब्दों के सही-सही अर्थों की पहचान हो।

वाक्य :- वाक्य भाषा के एक अभिव्यक्तिकरण का प्रमुख तत्व है। लेखनकर्ता भाषा में निपुण तभी हो सकता है, जब वह सर्वमान्य वाक्य रचना, रूप रचना, शब्द रचना का प्रयोग करें। वाक्य रचना के अंतर्गत दो बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए- लेखक वाक्य में शब्दों को उनके क्रमानुसार रखें एवं व्याकरणिक नियमों का ठीक-ठाक प्रयोग करें। जैसे- 'रोको मत', 'जाने दो' वाक्य में यदि हम अल्प विराम बदलकर रोको, मत जाने दो लिख दे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

तर्कानुसार विचार प्रस्तुत करना : लेखन कार्य में यह आवश्यक तत्व है कि लेखक को भाव एवं विचारों की ज्ञान एवं अनुभूति का गहरा ज्ञान हो तथा वह पाठकों के सम्मुख उसे तर्कानुसार प्रस्तुत कर सके।

विषय अनुकूल भाषा एवं शैली : अपने मत, विचार एवं अभिव्यक्तिकरण करने हेतु लेखक को चाहिए कि वह विषय के अनुसार शैली का उपयोग करें। जैसे- शौर्य का वर्णन कविता में, नीति की बात दोहों में और श्रृंगार का वर्णन गेय पदों में करना अधिक प्रभावशाली होता है। लिखते समय लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके लेखन कार्य में दूसरे को सही रास्ते पर लाने के लिए या समझने के लिए संगतता प्राप्त हो।

मुहावरें व लोकोक्तियां : हिन्दी भाषा में लोकोक्ति एवं मुहावरों का एक अहम स्थान होता है क्योंकि यह ना तो वाक्य होते हैं ना शब्द। लेकिन इनके प्रयोग से लेखनकार्य चमत्कारिक व प्रभाव पूर्ण हो जाता है। अतः लेखकों को शब्दों के अर्थों के साथ-साथ लोकोक्तियां एवं मुहावरों का भी ज्ञान एवं अनुभूति होनी चाहिए और उसे कहाँ, कब और कैसे प्रयोग में लाना है इसकी समझ भी होनी चाहिए।

सुंदर एवं सुवाच्य लेखन कार्य : लेखन कार्य हमेंशा ही सुवाच्य और सुंदर होना चाहिए। सुंदर लेख से तात्पर्य यह है कि अक्षरों का आकार एवं रूप न अधिक बड़ा हो ना कम हो। प्रत्येक अक्षर की ऊंचाई एक जैसी हो और उनका आकार सुडौल हो। दो शब्दों के बीच, अक्षरों के बीच, वाक्य के बीच एक जैसी लंबाई होनी चाहिए। शब्दों के ऊपर हमेंशा शिरोरेखा खींची जानी चाहिए और मात्राओं एवं विराम चिन्हों को उनके नियत स्थान पर लगाया जाना चाहिए।

8.4 लेखन कौशल का विकास

लेखन कौशल भाषा के अनेक कौशलों में से एक अहम कौशल है। इसकी कठिनता का स्तर अन्य कौशलों के अपेक्षा अधिक है। बोलने की तरह लेखन भी अभिव्यक्ति का एक सशक्त जरिया है। जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करते हैं या बोलते हैं, तो सुनने वाला सामने बैठा होता है इसीलिए हम उसके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को संप्रेषण या वार्तालाप करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। किंतु लेखन में पाठक हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए जो कुछ लेखक के द्वारा लिख दिया जाता है, लेखक उसको स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं होता है। लेखन कार्य करते समय व्याकरणिक रूप से शुद्ध लिखने, उसका अर्थ ग्रहण करवाने एवं विचारों में क्रमबद्धता लाने के लिए लेखन कार्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही उनमें आवश्यक लेखन के तत्वों का भी विकास किया जाना चाहिए। लेखन कार्य बेहतर बनाने के लिए जरूरत होती है- अभ्यास की। हम जितना अधिक लेखन कार्य करेंगे इस कौशल में उतने ही अधिक पारंगतता प्राप्त कर सकेंगे। कई क्रियाकलापों को लेखन कार्य के विकास के लिए किया जा सकता है। कई पूरक क्रियाकलाप कक्षा में विकसित कर सकते हैं, जरूरत है कि यह क्रियाएं मनोरंजनात्मक रूप में होनी चाहिए, ताकि बच्चों में दिलचस्पी जगायी जा सकती है। लेखन के क्रियाकलाप के विकास में लेखन का आकार, उसकी लंबाई, रूप, लिखावट, हस्ताक्षर, मात्रायें, वर्तनी, विराम चिन्ह आदि की आवश्यकता होती है।

8.5 लेखन के चरण एवं प्रक्रिया

लेखन कार्य के कई चरण और प्रक्रियाएं होती है-

शुद्ध वर्तनी : अपने शाला के कार्य को सफलतापूर्वक बनाने के लिए एवं भावी जीवन में लेखन कार्य की सफलता के लिए शुद्ध वर्तनी लिखने की योग्यता एवं ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सभी स्तरों में शुद्ध वर्तनी पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों की अभिवृत्ति शुद्ध वर्तनी के लिए क्या है यह जानना भी जरूरी है। कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि उन्हें शब्दों का वाचन करवायें जिससे उनकी अशुद्ध वर्तनी दूर हो सके। एक दूसरे के साथ वार्तालाप करवायें और बताएं कि वार्तालाप में शुद्ध वर्तनी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो बच्चा बोलता है वही लिखता है। इसलिए वार्तालाप करते समय वर्तनी को भी महत्त्व दिया जाता है। एक समय में कई ज्यादा शब्दों को ना सिखाए जिससे विद्यार्थी उलझन में पड़ जाते हैं, बार-बार की असफलता, निराशा को जन्म दे सकती है। श्यामपट्ट पर शिक्षक को खुद लिखना चाहिए और साथ ही बच्चों से भी उसका अभ्यास करवाना चाहिए।

अनुच्छेद लेखन: अनुच्छेद या परिच्छेद को लिखते समय बच्चों से या विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जो भी विषय-सामग्री को प्रस्तुत करें उसमें कुछ विचार और सूचनाओं को देखकर अंत में अनुच्छेद समापन के लिए कुछ वाक्य को अवश्य जोड़ें।

कक्षा में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी विषय-वस्तु को जैसे महात्मा गांधी विषय के ऊपर यदि उन्हें निबंध लिखना है तो, वह पहले अनुच्छेद में उनका पूरा नाम, माता-

पिता का नाम, जन्म स्थान, उनकी शिक्षा आदि को लिखकर अनुच्छेद को समाप्त कर दूसरे अनुच्छेद पर आए और दूसरे अनुच्छेद में उन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए जो प्रयास किये उस पर चर्चा की जा सकती है।

कहानी रचना : कहानी वस्तुतः किसी नायक, वस्तु, स्थान आदि से संबंधित होती है। विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई कथा-कहानियों में भिन्नता हो सकती है। कहानी लेखन छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। कक्षा में अध्यापक किसी चित्र को दिखाकर, कहानी को संक्षेप में कहकर बालकों को कहानी लेखन के लिए दे सकता है। जैसे- कहानी स्वार्थी मित्र, अमन एवं पवन गहरे मित्र थे। एक बार वह काम ढूंढने के लिए गांव से शहर में पहुंचे। पास के जंगल में देखा कि एक काला रीछ उन दोनों के पास आ रहा है। पवन पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अमन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के नीचे सांस रोक कर लेट गया। रीछ उसके पास आया और सूंघकर चला गया। पवन पेड़ से नीचे उतरा फिर पवन ने अमन से पूछा कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? अमन ने कहा काला रीछ मेरे कान में यह कह रहा था कि स्वार्थी मित्र से बचो।

विद्यार्थियों से उपरोक्त कहानी को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जा सकता है। कहानी छोटे-छोटे वाक्य में हो ताकि बच्चों की समझ में आ सके। कहानी क्रमानुसार हो तथा भाषा सरल एवं आकर्षित हो। अतः लेखन कार्य स्पष्ट, प्रभावोत्पादक एवं क्रमबद्ध होना चाहिए।

निबंध लेखन : निबंध लेखन विचारों की क्रमबद्धता है। इसमें प्रस्तावना, व्याख्या, निष्कर्ष के अलावा कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है जो निम्नलिखित है। वे

- निबंध 250-300 शब्दों के बीच हो।
- बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार निबंध के विषय निश्चित किये जाए।
- साधारण एवं सरल भाषा का प्रयोग किया जाए।
- शब्दों की सीमा का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाए।
- निबंध में भाव के अनुसार अनुच्छेदों को वर्गीकृत करके लिखा जाए।
- निबंध लिखते समय उसकी प्रस्तावना एवं निष्कर्ष प्रभावशाली ढंग से लिखा जाए।
- निबंधों में मूर्त विषयों का समावेश किया जाना चाहिए।
- विचारों एवं भावों की प्रधानता होनी चाहिए।

सुलेखन : सुलेखन कौशल का विकास करते समय शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन का ज्ञान देता है। इसके लिए वह सुलेख, शृतलेख का प्रयोग करता है। साथ ही सुलेखन के समय कई बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है।

सुलेख के लिए लिखते समय विद्यार्थियों की इंद्रियों की पकड़ मजबूत हो - आंखों का संचालन एवं कलम की गति में एकरूपता हो। स्वर, व्यंजन, मात्राओं की पहचान उन्हें हो

ताकि सुलेख में आसानी हो सके। अक्षरों का आकार मध्यम हो ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। दो शब्दों के मध्य अंतर एक जैसा हो। अल्पविराम, अर्धविराम आदि का प्रयोग उपयुक्त एवं आवश्यकता अनुसार करना जरूरी है। लेखन में विचारों की क्रमबद्धता एवं अर्थपूर्णता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

8.6 औपचारिक एवं अनौपचारिक लेखन

लेखन के दो रूप है यानी औपचारिक लेखन और अनौपचारिक लेखन। औपचारिक लेखन वह है जो स्पष्ट, पूर्वग्रहित, व्यवस्थित एवं उचित रूप से तैयार किया गया हो। इस प्रकार से अनौपचारिक लेखन से तात्पर्य जो अचानक या आकस्मिक लेखन के रूप में किया जाता है साथ ही इसका उपयोग अधिकतर बोलचाल या वार्तालाप में किया जाता है। औपचारिक लेखन थोड़े लंबे और जटिल होते हैं, जबकि अनौपचारिक लेखन सरलता पूर्वक छोटे-छोटे वाक्य में किया जाता है। औपचारिक लेखन सूत्र में बंधा होता है और अनौपचारिक लेखन प्रत्यक्ष होता है। औपचारिक लेखन शैली वह है, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है जबकि अनौपचारिक लेखन शैली का उपयोग आकस्मिक या व्यक्तिगत कारण से किया जाता है।

औपचारिक लेखन थोड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया है, क्योंकि औपचारिक लेखन करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान देना होगा।

- शब्द चयन एवं लहजा मृदु अथवा विनम्र होना चाहिए।
- प्रथम और द्वितीय पुरुष, एकवचन, सर्वनाम का उपयोग नहीं होना चाहिए।
- दोहराने की क्रिया से बचना चाहिए।
- उचित वर्तनी, मात्राओं और विराम चिह्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- वाक्य पूरी तरह से विस्तृत एवं निष्कर्षित होना चाहिए।
- शब्दों के जाल से बचना चाहिए।
- भावात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- बिना संदर्भ के कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने चाहिए।
- अनौपचारिक लेखन में छोटे-छोटे एवं साधारण वाक्य का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है।
- व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक हो सकता है।

8.7 नियमबद्ध रचना

लेखन की कई नियमबद्ध रचनाएँ होती हैं। अपना लेखन कार्य प्रभावित करने के लिए किसी भी विषय-वस्तु के विचारों को प्राकृतिक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये वो कौशल है जो अभ्यास के माध्यम से लगातार बेहतर हो सकता है। नियमबद्ध लेखन रचना करने के कई नियम है, जिसका पालन आवश्यक है। वे-

8.7.1 वाक्य छोटे-छोटे और संक्षिप्त में रखें - जब आप किसी भी विषय पर लिखना शुरू करेंगे तो, कुछ वाक्य लंबे होंगे कुछ जटिल होंगे। चूंकि पाठक आपके सामने नहीं होंगे तो, आप उन्हें विश्लेषित नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिखे गए वाक्यों को छोटा और संक्षेप में लिखें। आप जिसके लिए लिख रहे हैं आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि आप के पाठक किस वर्ग के हैं और वह आपके लिखे हुए विषय-वस्तु को क्या आसानी से समझ सकते हैं? क्या वे विषय वस्तु के विशेषज्ञ है? उनके पास किस प्रकार का ज्ञान है? वह इस विषय में रुचि क्यों रखते हैं? क्या वह पेशेवर श्रोता है? तो अपने पाठकों को समझकर लेखन को उनकी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं।

8.7.2 मूल्य प्रदान करें - प्रभावी लेखन नियमबद्ध रचना के लिए आपको कुछ मूल्य प्रदान करने चाहिए। कुछ सार्थक कहना चाहिए और नई जानकारी को जोड़ना चाहिए साथ ही आपको अपना लेखन कार्य का उद्देश्य परिभाषित करना है। साथ ही कुछ मूल्य अवश्य प्रदान करें। पाठकों की आवश्यकताओं का समाधान कर उन्हें क्रियाशील बनाए रखना है ताकि, वे आपके लिखी हुई बातों को निरंतर गति से पढ़ते रहें साथ ही संक्षिप्त में लिखें, क्योंकि हर एक के पास अधिक समय नहीं होता है।

8.7.3 आप अपने शब्दों के चयन को सरल एवं शब्द जाल से मुक्त रखें - आप अपने लेखन कार्य को जटिल और तकनीकी भाषा में ना लिखें। आपके स्पष्ट और आकर्षक लेखन के लिए आप जिन शब्दों का चयन करें, वह बहुत स्पष्ट हो और पाठकों के अनुरूप हो। जो भी इसे पढ़ रहा है, वह भ्रमित ना हो बल्कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, वह उन्हें स्पष्ट समझ में आ जाए।

8.7.4 आपको छः "क" को याद रखना है- प्रभावी लेखन के लिए क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे। इसमें आपको आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी होता है। यह प्रश्न केवल पाठकों के लिए ही नहीं, बल्कि लेखक के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेखक जो काफी आकर्षक जानकारी पाठकों को देना चाहते हैं, चाहे आप एक समाचार-पत्र में लेख लिख रहे हैं चाहे कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं या कोई मार्केटिंग लिख रहे हैं। लेकिन आपको उपरोक्त बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका लेखन कार्य प्रभावी माना जाएगा।

8.7.5 कहानियों या उदाहरणों का प्रयोग करें- लेखनकर्ता को लिखते समय उसे वास्तविकता में डालना अत्यंत जरूरी होता है, जो उसे समझने के योग्य बनाती है। कहानियां आपकी बात को स्पष्ट करती है जिससे यह अधिक प्रासंगिक और समझने योग्य बना सकती है।

8.7.6 अपना लेखन कार्य तेज और जोर से पढ़े - लेखक को चाहिए कि जब वह अपना लेखन कार्य समाप्त करें तो, शुरुआत से अंत तक अपने लेखन को जोर-जोर से पड़े ताकि लेखन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है और आप खुद अपनी त्रुटियों को पकड़ सकते हैं। लेखन के

प्रवाह और लय में सुधार करने, स्वर को समझने और वाक्यांश की पहचान करने में यह मदद कर सकता है। जोर से पढ़ना आपको अटपटा लग सकता है। लेकिन आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि यह तकनीक काफी प्रभावी साबित होगी और आप पाएंगे कि आपने अपने विचारों का विस्तार आसानी से किया है। यह आपके लेखन कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने का आसान और सरल तरीका है।

8.8 मुक्त रचना

मुक्त रचना में अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, वर्णन, निबंध लेखन, संवाद, पत्र-लेखन आदि का समावेश होता है। जब हम विद्यार्थियों में मुक्त रचना की योग्यता के विकास की बात करते हैं तब हम अनुच्छेद, कहानी लेखन, विचारों का मंथन, निबंध-लेखन, पत्र या संवाद लेखन आदि की योग्यता पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह वांछनीय है कि लिखित रचना के कई क्षेत्र है और उसका विकास करने के लिए हमें विद्यार्थियों की सहायता करनी होगी।

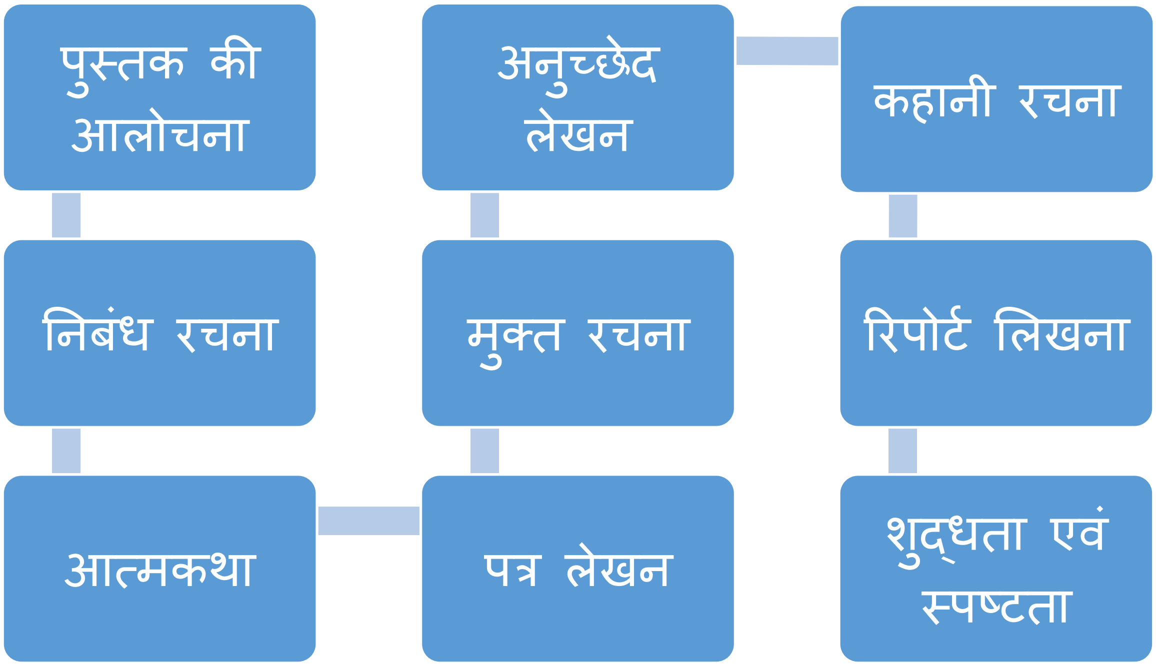

8.8.1 अनुच्छेद लेखन- जब भी परिच्छेद लेखन में, विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे कुछ वाक्य लिखे जिससे उसके ज्ञान, अनुभव, विचार और सूचनाओं का पता लग सकें साथ ही अंत में उस परिच्छेद को समाप्त भी करें। जैसे कि वह अपने माता-पिता पर, अपने परिवार के बारे में, अपने पसंदीदा शिक्षक के बारे में, मित्र के बारे में, कक्षा अध्यापक पर ऐसे कई विषयों पर अनुच्छेद लिख सकते हैं और यदि वह अपने परिवार के साथ या कक्षा शिक्षक के

साथ एजुकेशन ट्रिप पर जाते हैं तो वहां के अनुभव भी शिक्षक, अनुच्छेद में लिखने के लिए कह सकते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं कि वे अनुच्छेद लिखें।

8.8.2 कहानी रचना

कहानी में विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी कोई कहानी लिखता है तो वे सर्वप्रथम अपने पूर्व अनुभव के बारे में सोचते हैं और फिर विचारों का चयन कर उन्हें अच्छे शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कोई कथा या कहानी लिखने के लिए कहें तो पहले यह सुनिश्चित कर ले कि जिस विषय-वस्तु पर उनको लिखने के लिए कहा गया है उससे वह पूर्ण परिचित हो। भाषा शिक्षण की कक्षा में हमारा मुख्य ध्यान विद्यार्थियों की भाषा कौशल दक्षता पर रहता है, यदि ग्रामीण जीवन जैसा विषय लिया है तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी, ग्रामीण जीवन को अपने कॉपी में अच्छी तरह से उकेरेंगे लेकिन शहरी पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी वास्तविक तस्वीरों को पेश नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी जो कुछ भी लिखें यह ध्यान रखें कि वह उनके अपने स्वयं के अनुभव हो ताकि यह संपूर्ण कहानी में प्रामाणिकता और मानकता आ जाए।

8.8.3 रिपोर्ट लिखना

किसी भी कार्यक्रम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में कई क्रियाकलापों को रखा जाता है जिसकी रिपोर्ट लिखना विद्यार्थियों को आनी चाहिए। इसमें किन-किन बातों का समावेश आवश्यक है यह छात्रों को पहले से ही बता देना चाहिए। जैसे- निबंध प्रतियोगिता की रिपोर्ट लिखनी है तो कुछ बातें आवश्यक है। वे -

निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्था में हुआ है?

उसका विषय वस्तु क्या है ?

निबंध प्रतियोगिता की तारीख व समय क्या है?

निबंध प्रतियोगिता में निर्णायक कौन है?

कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है?

निबंध प्रतियोगिता को रोचक प्रसंग, उनके निर्णायकों के निर्णय, अध्यक्ष महोदय का भाषण, आभार प्रदर्शन आदि का ध्यान रिपोर्ट लिखते समय किया जाना चाहिए।

8.8.4 पुस्तक की आलोचना- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पुस्तक की आलोचना करने एवं लिखने के अभ्यास दिए जा सकते हैं। किसी भी मग्ज़ीन का आर्टिकल, पत्र-पत्रिकाएं पढ़कर उनके विषय में आलोचक अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। समीक्षा का अर्थ है किसी भी विषय-वस्तु के गुण-दोष के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करना। अक्सर

लोग समीक्षा का संबंध नकारात्मक दृष्टिकोण से जोड़ लेते हैं अर्थात विषय-वस्तु की बुराई से लेते हैं परंतु वास्तविक रूप में आलोचना या समीक्षा उस विषय-वस्तु के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए उसके गुण-दोष दोनों को भी बताया जा सकता है। जैसे किसी पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? पुस्तक के अंतर्गत किस विचारों का उल्लेख किया गया है, लेखक का आशय, पुस्तक में उपयोग में लाई गई भाषा और साथ ही उसकी प्रतिक्रिया आदि।

8.8.5 निबंध रचना- निबंध लेखन यह मुक्त रचना का एक रूप है। विद्यार्थियों में निबंध लेखन की योग्यता के विकास के लिए यह देखना आवश्यक है कि उनमें चिंतन मनन की योग्यता कितनी विकसित हुई है? वह कितना उचित तरीके से सोचते हैं? जानकारी को कितना स्मरण में रख पाते हैं? और अपने विचारों और समस्याओं को संगठित करने की क्षमता उनमें कितनी है? किसी भी विषय पर निबंध लिखवाने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि-

निबंध का विषय विद्यार्थियों के लिए चिर-परिचित हो।
विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित हो।

विद्यार्थियों द्वारा देखा, अवलोकित या अनुभूत किया जा चुका हो।
विद्यार्थियों द्वारा कभी कहीं पढ़ा जा चुका हो।
विद्यार्थियों के लिए मनोरंजनात्मक हो।

8.8.6 पत्र-लेखन - पत्र लेखन भी मुक्त रचना का एक अहम हिस्सा है। लिखित भाषा की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया पत्र लेखन है। पत्र का संबंध हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं होता है। पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दो रूपों में लिखा जाता है। शिक्षक के नाते हम विद्यार्थियों को पत्र लिखना अवश्य सिखाएं। आरंभ में उन्हें अपने मित्र, माता-पिता, रिश्तेदार को पत्र लिखना सिखाएं जिसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। इसके बाद उन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाए कि वह एक औपचारिक पत्र लिखें इसके कुछ निश्चित मानदंड और आधार है।

8.8.7 आत्मकथा- मुक्त रचना में आत्मकथा तथा जीवनी की भूमिका अहम है। आत्मकथा या जीवनी हम अक्सर महापुरुषों की पढ़ते हैं। जिससे विद्यार्थी किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़कर उसे अपनी भाषा, अपने विचार, अपनी सोच दे सकता है। यह एक अभिप्रेरित करने वाला विषय सिद्ध हो सकता है। आत्मकथा लिखने के लिए विद्यार्थी उच्च माध्यमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर इस शैली से अवगत हो सकते हैं। साथ ही वह अपनी रोचक वस्तुओं का वर्णन किसी भी स्तर पर कर सकते हैं। जैसे- एक छाते की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा आदि।

8.9 सारांश

लिपि, अक्षर एवं शब्दों को जोड़कर बालक लिखना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में बच्चा आड़ी, तिरछी, खड़ी रेखाएं खींचता है। तत्पश्चात वह अक्षरों को सिखना प्रारंभ करता है। शिक्षकों को विद्यार्थी की लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। साथ ही उन्हें खेलों के माध्यम से एवं निरीक्षण शक्ति के द्वारा उंगलियों से लिखने की दृढ़ता उत्पन्न कर क्षमताओं को परिपक्व करना चाहिए। इस इकाई के अंतर्गत इन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है- लेखन का अर्थ, लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार –लिपि, शब्द, वाक्य, तर्कानुसार विचार प्रस्तुत करना, विषय अनुकूल भाषा एवं शैली, मुहावरें व लोकोक्तियां, सुंदर एवं सुवाच्च लेखन कार्य आदि। साथ ही लेखन कौशल का विकास, लेखन के चरण एवं प्रक्रिया, औपचारिक एवं अनौपचारिक लेखन, नियमबद्ध रचना, मुक्त रचना आदि।

8.10 शब्दावली

अभिव्यक्त - अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों एवं भावों के प्रदर्शन से है।
मुक्त रचना - स्वतंत्र रूप से खुले भाव के साथ की गई रचना।
प्रासंगिक - कोई चीज़ तभी प्रासंगिक होती है, जब वह उपयुक्त हो या वर्तमान मामले से जुड़ी हो। प्रासंगिक चीज़ें सहायक और उपयुक्त है। प्रासंगिक चीजों को आज के साथ जोड़ा जाता है, तभी वह समझ में आती है।

समीक्षा - किसी भी विषय-वस्तु के गुण-दोषों का अच्छी प्रकार से मापन, छान- बीन, जांच करना।

प्रामाणिकता – किसी भी वस्तु की मानकता हर परिस्थिति में एक जैसी होती है।
व्यक्तिपरक - यह वस्तुनिष्ठ परक के विपरीत होती है जिसमें तथ्य सार्वभौमिक रूप से सही होते हैं और बोध करने वाले व्यक्ति या जीव के आंतरिक गुणों पर निर्भर नहीं होते।

परिच्छेद - जब किसी विषय-वस्तु को अलग अलग भागों में बांटा जाता है तो उसे हम परिच्छेद कहते हैं।

क्रियाकलाप - क्रियाकलाप में कलाप का अर्थ होता है- समूह या झुंड। अर्थात जब कोई कार्य/क्रिया समूह में किया जाता है तो, उसे क्रियाकलाप कहते हैं।

8.11 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- लेखन के विभिन्न प्रकारों (जैसे रचनात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक) में भेद कर सकेंगे।
- लेखन की योजना बनाने एवं क्रमबद्ध ढंग से विचार प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे।

- लेखन सामग्री में विषय की संगति और भाषा की शुद्धता सुनिश्चित कर सकेंगे।
- छात्रों में लेखन कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ लागू कर सकेंगे।
- लेखन अभ्यास के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त मानदंडों का निर्धारण कर सकेंगे।
- लेखन को एक रचनात्मक और प्रभावशाली अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग करने में समर्थ होंगे।

8.12 इकाई के अंत की गतिविधियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. जिस व्यक्ति को लिखना आता है उसे क्या कहते हैं।

(अ) सुअक्षर

(ब) निरक्षर

(स) साक्षर

(द) इनमें से कोई नहीं

2. अनुच्छेद का दूसरा नाम क्या है?

(अ) परिच्छेद

(ब) पैराग्राफ

(स) स्टेन्जा

(द)इनमें से कुछ नहीं

3. "लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र है। यह कथन किसका है?

(अ) रवींद्रनाथ टैगोर

(ब) महात्मा गांधी

(स विवेकानंद

(द) अरबिंदो

4. वह कौन सा लेखन है जो स्पष्ट, पुर्वग्रहित, व्यवस्थित एवं उचित रूप से तैयार किया गया?

(अ) निरोपचारिक

(ब) औपचारिक

(स) अनौपचारिक

(द) इनमें से कुछ नहीं

5. पत्र कितने प्रकार के होते हैं?

(अ) 2 (ब)1 (स) 3 (द) 5

6. भाषा का मूल तत्व किसे कहते है?

(अ) स्वर (ब) व्यंजन (स) लिपि (द) अक्षर

7. किस स्तर पर पुस्तक की आलोचना करने एवं लिखने के अभ्यास दिए जा सकते हैं?

(अ) प्राथमिक

(ब) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर

(स) निम्न प्राथमिक

(द) उच्च प्राथमिक

8. पद्य किसे कहते हैं?

(अ) कविता को (ब) पाठ को (स) गद्य को (द) इनमें से कोई नहीं

9. समीक्षा का अर्थ है -

(अ) किसी भी विषय वस्तु के गुण-दोष के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करना।

(ब) किसी भी वस्तु के केवल गुण देखना

(स) किसी भी वस्तु की बुराइयां करना

(द) उपरोक्त सभी

10. "अन्य भाषा में लेखन-कौशल सीखने से आशय लेखन-व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है, जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चरित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हों।" यह कथन किसका है

(अ) श्यामसुंदर तिवारी

(ब) भोला प्रसाद

(स) रॉबर्ट लेडो

(द) इनमें से कोई नहीं

उत्तर कुंजी

1. (स) 2. (अ) 3. (ब) 4. (ब) 5 (अ) 6. (स) 7. (ब) 8. (अ) 9. (स) 10. (स)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. लेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. लेखन कौशल को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है?
3. पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें?
4. शुद्ध वर्तनी का महत्व स्पष्ट कीजिए।
5. नियमबद्ध रचना को परिभाषित करें।
6 . पुस्तक की आलोचना को संक्षिप्त में लिखिए।
7. लेखन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आप क्या करेंगे?
8. आत्म कथा लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?
9. रिपोर्ट लिखने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
10. अनुच्छेद लेखन के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार को लिखें।
2. लेखन कार्य के चरण एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट करें।
3. नियमबद्ध पर निबंध लिखें।
4. लेखन कौशल को परिभाषित कर उस पर विस्तृत चर्चा करें।
5. औपचारिक और अनौपचारिक लेखन पर प्रकाश डालिए एवं उसके अंतर को स्पष्ट कीजिए।

8.13 सन्दर्भ

1. श्रीवास्तव, आर. एस., हिन्दी शिक्षण, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर
2. रावत, आर., हिन्दी भाषा शिक्षण, राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा
3. पंडागले, पी., हिन्दी शिक्षण, अजय पब्लिशर्स, भोपाल
4. https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/1586
5. https://ncert.nic.in/pdf/publication/otherpublications/BhashaShikshanBhag-II.pdf

इकाई 9 : भाषा शिक्षण की विधियों का शिक्षण में महत्त्व*

इकाई की रुपरेखा

9.0 प्रस्तावना
9.1 उद्देश्य
9.2 अच्छे शिक्षण की विशेषताएँ
9.3 भाषा शिक्षण
9.3.1 भाषा शिक्षण का अर्थ
9.3.2 भाषा शिक्षण की परिभाषा
9.3.3 भाषा शिक्षण के आधार
9.3.4 भाषा शिक्षण का स्वरुप
9.3.5 भाषा शिक्षण का महत्व
9.4 भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत
9.4.1 भाषा शिक्षण में रूचि का सिद्धांत
9.4.2 भाषा शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत
9.4.3 भाषा शिक्षण में स्वाभाविकता का सिद्धांत
9.4.4 भाषा शिक्षण में अभ्यास का सिद्धांत
9.4.5 भाषा शिक्षण का संवादात्मक सिद्धांत
9.5 भाषा शिक्षण की विधियाँ
9.5.1 कहानी विधि
9.5.2 वाद-विवाद विधि
9.5.3 भाषा शिक्षण यंत्र विधि
9.5.4 शृतलेखन अभ्यास विधि
9.5.5 वाक्य विधि
9.5.6 वाचन विधि

* Dr. Praveen Kumar Surjan, Assistant Professor, MANUU CTE, Varanasi

9.6 भाषा शिक्षण की विधियों का शिक्षण में महत्व

9.7 भाषा शिक्षण के सूत्र

9.8 सारांश

9.9 शब्दावली

9.10 अधिगम प्रतिफल

9.11 इकाई के अंत की गतिविधियां

9.12 संदर्भ

9.0 प्रस्तावना

भाषा की उत्पत्ति का विषय भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। भाषा के लिए तो मूर्त चिंतन को ध्वनि-संकेतों में व्यक्त करने की क्षमता आवश्यक है। भाषा वास्तव में अभिव्यक्ति एवं संकेतों की प्रक्रिया है। इसी सन्दर्भ में डार्विन जैसे विचारकों का मत है कि भाषा ध्वनियों, शब्दों एवं बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज अपनी इस अवस्था में पहुंची है। ऐसा भी माना जाता है कि भाषा विकास और मानव विकास में सीधा संबंध है। भाषा विचारों एवं भावों की जननी तथा अभिव्यक्ति का एक अहम् साधन एवं माध्यम है। इसके साथ ही भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन भी है। हिन्दी भाषा विश्व की प्रगतिशील भाषाओ में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। आज विश्व में हिन्दी तीसरी लोकप्रिय भाषा भी है। भाषा और कुछ नहीं, बल्कि संचार का एक स्रोत है, हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। भाषा मानवीय आदतों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति देना है। वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में विश्व के संचार क्षेत्र में हिन्दी भाषा की विशेष एवं प्रमुख भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी विशेष पहचान है। पढ़ाते समय शिक्षक को विषय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। शिक्षण के लिए कुछ निश्चित दिशाओं की आवश्यकता होती है, आख़िरकार शिक्षण की सफलता उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों पर निर्भर करती है।

9.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- छात्र शिक्षक भाषा शिक्षण के सभी भाषायी कौशलों के बारे में समझ सकेंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग शिक्षण क्रियाओं में कर सकेंगे।
- शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग कब और कैसे करना है जान सकेंगे।

- छात्रों की रुचियों, योग्यताओं एवं पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षक क्रियाओं को किस प्रकार रोचक बनाना है सीख जाएंगे।
- कक्षागत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतः क्रिया प्रक्रिया का प्रयोग समझ सकेंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक व तार्किक पक्षों को समझकर इसका अध्ययन में प्रयोग कर सकेंगे।

9.2 अच्छे शिक्षण की विशेषताएं

- **प्रेरणादायक**: एक अच्छे शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वह प्रेरणादायक होता है। अर्थात एक शिक्षक अपने छात्रों को इस आधार पर शिक्षण करवाता है कि जिस भी सूचना का आदान-प्रदान जिस माध्यम से किया जा रहा है, उसे उसके विद्यार्थी किसी न किसी प्रेरणा को प्राप्त कर सकें।
- **प्रगतिशीलता**: प्रगतिशील शिक्षण से तात्पर्य है सदैव आगे बढ़ता शिक्षण, जो एक जगह पर स्थिर न हो तथा सदैव गतिशील होता रहे। उदाहरण के लिए जब बालक छोटा होता है तो, वह पहले ध्वनि संकेत से भाषा को सीखना है उसके पश्चात वह वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द व शब्दों से वाक्य बनाना सीखता है। इस पूरी प्रक्रिया में बालक एक जगह स्थिर न रहकर गतिशील रहता है। इसी आधार पर शिक्षण को गतिशील प्रक्रिया कहा जाता है।
- **निदानात्मक एवं उपचारात्मक**: निदानात्मक-निदानात्मक शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रोग को जानना वह उससे संबंधित निर्णय लेना। यदि किसी विद्यार्थी को शिक्षण में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है तो, अध्यापक के द्वारा उस बाधा को जानना और उसे दूर करने का प्रयास करना जिससे बालक को शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो।
- **उपचारात्मक:** उपचार का शाब्दिक अर्थ होता है- इलाज। इस शब्द की उत्पत्ति वेद शास्त्र और औषधि शास्त्र से मानी जाती है। जिस प्रकार एक चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की चेष्टा करता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक छात्रों के अधिगम संबंधी दोषो को दूर करके उनका ज्ञानार्जन को उत्तम दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता है।
- **पूर्व ज्ञान पर आधारित**: शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक यह मानकर चलता है कि कक्षा में जिस पाठ पर चर्चा की जा रही है, उससे संबंधित बालक पूर्व ज्ञान रखते हैं। उदाहरण के लिए बालक को जब पढ़ाया जाता है, उसे मिलता-जुलता उसने पहले पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पढ़ा हुआ होता है।

- **अनुसंधान के नवीन विकल्पों से युक्त**: एक अच्छा शिक्षण वही है, जहाँ पर हर प्रकृति के छात्र-छात्राओं को अपनी रुचि संबंधित क्षेत्र में जानने का अवसर मिले तथा उनके लिए अनुसंधान के नवीन विकल्प खुले हो। एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने शिक्षण को इतना सुचारु इतना व्यवस्थित तथा इतना नवीन विकल्पों से युक्त रखें कि प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के अनुसार उसे नवीन क्षेत्र खोजने का अवसर प्राप्त हो सके।
- **अपेक्षित सूचनाओं का आदान-प्रदान**: अपेक्षित सूचनाओं अर्थात चाही गई सूचनाओं का आदान-प्रदान से है। यदि कोई बालक किसी प्रश्न को पूछता है या किसी ज्ञान को जानना चाहता है तो वह उससे ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है। यह शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह बच्चों के प्रश्न का उत्तर दें तथा उसके चाहे हुए ज्ञान को प्रदान करें। इस प्रकार एक शिक्षक की भी अपेक्षा होती है कि वह भी छात्र-छात्राओं को उनके सर्वांगिक विकास संबंधी सूचनाएँ उन्हें प्रदान करें और आदान-प्रदान का क्रम चलता रहे।
- **प्रभावी नियोजन**: प्रभावी नियोजन से तात्पर्य- पाठ योजना के निर्माण से है। एक शिक्षक कक्षा-कक्ष में जाने से पूर्व स्वयं अपनी पूरी तैयारी से जाता है कि उसे क्या कार्य कक्षा में करवाना है। उस कार्य को करवाने के लिए उसे कौन-कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है।

9.3 भाषा शिक्षण

9.3.1 भाषा शिक्षण का अर्थ

विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही बालक भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। वह अपने अनुभव और विचारों को अभिव्यक्त करने में भी सक्षम हो जाता है परंतु उस समय उसका यह भाषायी ज्ञान अपूर्ण होता है और उसका शब्द भंडार सीमित तथा भाषा के लिखित रूप से वह अपरिचित होता है। इसके साथ-साथ उसका वाक्य विन्यास भी त्रुटिपूर्ण होता है इसलिए विद्यालय में भाषा शिक्षण उसे भाषा के विभिन्न तत्वों से परिचित करवाता है। उसे व्याकरण सम्मत एवं मानक भाषा का प्रयोग करना सीखाता है। भाषा के लिखित रूप का ज्ञान देता है। अतः भाषा शिक्षण वह है - जिसके द्वारा बालक के विभिन्न कौशलों (श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल) का विकास किया जाता है, जिससे बालक की चिंतन शक्ति और लिखित भाषा का विकास होता है।

9.3.2 भाषा शिक्षण की परिभाषा

डॉ रविंद्र नाथ श्रीवास्तव (2016) ने भाषा शिक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “भाषा शिक्षण के मूल में भाषा व्यवहार और भाषिक कौशल होते हैं, स्वयं भाषा की अपनी

संरचना या प्रकृति नहीं।”

9.3.3 भाषा शिक्षण के आधार

- भाषा को भली प्रकार पढ़ने और समझने की योग्यता का विकास करना शिक्षण का आधार होना चाहिए।
- भाषा को समझने की बोधगम्यता का विकास होना चाहिए।
- लेखन के कौशलों का विकास होना चाहिए।
- व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होना।
- भाषा संबंधी शब्दावली की पूर्ण जानकारी होना।

9.3.4 भाषा शिक्षण का स्वरूप

भाषा सोचने और विचार करने का माध्यम के साथ-साथ अभिव्यक्ति का भी माध्यम होती है, जिसका अर्थ होता है कि भाषा हमारे चिंतन को संचालित और व्यवस्थित करती है। हम जानते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है। इसलिए देश में भाषा के स्वरूप में भी अंतर है और उसके शिक्षण के स्वरूप में भी अंतर पाया जाता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी अधिक भाषाओं के सीखने-सिखाने, पढ़ने-पढाने के लिए एक समृद्ध भाषिय परिवेश की आवश्यकता होती है।

प्रसिद्ध भाषा विद सुब्बाराव की राय भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वह अपने एक लेख में कहते हैं कि “भले ही भाषाएँ एक दूसरे से बाहय रूप से भिन्न हो। भारत की भाषाओं में अन्तर्निहित रूप से काफी समानताएं हैं। भारत में हर व्यक्ति कम से कम अपनी मातृभाषा के अलावा एक या दो भाषाओ को जानता ही है। वह इन भाषाओं के जरिए अपने रोजमर्रा के कामकाज आराम से करता है। भाषा उसके काम में बाधा नहीं बनती, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, बाबू हो अथवा अफसर हो, भाषा की वजह से किसी का काम नहीं रुकता”।

भाषा जिस रूप में सीखी-सिखाई जाती है उसके स्वरूप का भिन्न होना स्वाभाविक ही है। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा सीखने पर बल देते हैं। भाषा के रूप में बच्चा अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा सीखता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक और भाषा उसके अध्ययन का हिस्सा बनती है। जिसमें राजभाषा हिन्दी व आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी शामिल हो जाती है। बालक के अलग-अलग स्तरों पर भाषा शिक्षण का स्वरूप अलग-अलग होता है, जो क्षेत्र विशेष की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

9.3.5 भाषा शिक्षण का महत्व

भाषा शिक्षण, भाषा को सीखने के साथ-साथ अन्य विषयों को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण का महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है।

- भाषा शिक्षण अभिवृत्ति का साधन
- राष्ट्र के विकास में सहायक
- ज्ञान के संरक्षण व प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण
- चिंतन शक्ति को विकसित करना
- बौद्धिक विकास में वृद्धि करना
- बालकों के सर्वांगीण विकास (चारित्रिक, नैतिक, शारीरिक, ज्ञानात्मक, भावनात्मक) में सहायक
- बालको में समालोचना की प्रवृत्ति का विकास होना

9.4 भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत

बालक जिस सामाजिक परिवेश में जन्म लेता है व पलता-बढ़ता है, वह वहां की ध्वनियों को अपने अवचेतन मन में ग्रहण करने लगता है, फिर अनुकरण करते हुए स्वयं ही इन ध्वनियों को अभिव्यक्त करने लगता है।

अनुकरण के द्वारा परिवार से सीखी गई यह भाषा जीवन यापन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। अभिव्यक्ति को प्रभावशाली शुद्ध एवं परिमार्जित बनाने के लिए बालक को शब्द-ज्ञान, वाक्य-ज्ञान व व्याकरण नियमों का ज्ञान करना आवश्यक होता है इसके लिए विद्यालय में अध्यापक द्वारा भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है।

9.4.1 भाषा शिक्षण में रुचि का सिद्धांत

किसी भी बालक को भाषा तभी सिखाई जा सकती है जब उसकी रुचि भाषा को सीखने में होगी। भाषा अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे पाठ्य सामग्री का प्रयोग करें जिससे बालक की रुचि उसे सीखने में उत्पन्न होने लगे। भाषा को सीखने के लिए अध्यापक अनेक उपाय कर सकता है। जैसे...

- बालकों की रुचि व आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करके।
- चित्र, मॉडल व चार्ट आदि दृश्य-श्रव्य सामग्री दिखाकर।
- भाषा ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़कर।
- कविता शिक्षण में कविता पाठ अंताक्षरी, कविता कंठस्थ आदि करने के लिए प्रेरणा देकर।
- कक्षा-कक्ष में नाटक का प्रयोग करके व अन्य अभिनय कौशलों का प्रयोग करके।
- बालकों के लिए साहित्यिक क्रियाओं का आयोजन करके।

9.4.2 भाषा शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत

भाषा शिक्षण का दूसरा मुख्य सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत माना जाता है। बाल मनोविज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि बालक कभी भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता, वह सदैव कुछ ना कुछ कार्य में क्रियाशील रहता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने व शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इस सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए अध्यापक निम्लिखित विधियों का प्रयोग कर सकता है।

- कक्षा-कक्ष में पढ़ाते समय आदर्श वाचन के पश्चात बालको से अनुकरणवचन करा सकते हैं।
- अर्जित ज्ञान को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर देकर बालकों को सक्रिय कर सकता है।
- बालकों से वार्तालाप, घटना वर्णन, कहानी व कविता सुनना आदि क्रियाओ के द्वारा बालकों को क्रियाशील रख सकता है।

9.4.3 भाषा शिक्षण में स्वाभाविकता का सिद्धांत

बालक सबसे पहले अपने घर के परिवेश से भाषा सीखना प्रारंभ करता है जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, अपने आसपास के वातावरण के द्वारा भाषा ज्ञान में वृद्धि करता है। इस प्रकार वह सुनना व बोलना सीखता है। भाषा शिक्षण में इसी स्वाभाविक क्रम को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के रूप में सिखाया जाता है। किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहले माध्यम अनुकरण को माना जाता है। बालक अपने परिवार व माता-पिता का अनुकरण करके भाषा को सुनना और बोलना सीख लेता है। वह जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है, जैसा देखता है, वैसा ही लिखता है, भाषा शिक्षण में अध्यापक सदैव भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करता है, जिससे बालक भाषा के शुद्ध रूप का ही अनुकरण करें।

9.4.4 भाषा शिक्षण में अभ्यास का सिद्धांत

बालकों में भाषाई कौशलों का विकास करने के लिए उनको निरंतर अभ्यास की आदत डाली जाती है, क्योंकि भाषा शिक्षण का प्रत्येक कौशल अभ्यास पर आधारित होता है। तथापि अध्यापक का कर्तव्य है कि वह बालकों में भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास कराये, जैसे अशुद्ध उच्चारण करने वाले बालकों को यदि बार-बार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए तो निश्चित ही वह शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं।

9.4.5 भाषा शिक्षण का संवादात्मक सिद्धांत

भाषा की कक्षा में विचार-विनिमय अर्थात बोलचाल के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा विचार-विनिमय का प्रमुख साधन है। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित हैं। भाषायी कौशल विकसित करने के लिए कक्षा में बालकों को बोलने व लिखने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। अध्यापक अपने शिक्षण के माध्यम से प्रश्नोत्तर, कहानी वर्णन, वाद विवाद, कविता-पाठ, भाषण एवं संवाद आदि की सहायता से बालकों में शुद्ध उच्चारण, गति, हाव-भाव, वाणी में उतार-चढ़ाव एवं प्रभावशाली ढंग से भाव अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित कर सकता है।

कक्षा-कक्ष में सभी बालकों की रुचि एवं योग्यता एक दूसरे से भिन्न होती है तथा अध्यापक को सभी छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए चयन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। उसे छात्रों की योग्यता व रुचि के अनुसार ही उचित शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों को एक ही शिक्षण विधि के प्रयोग से नहीं पढ़ाया जा सकता। इस प्रकार शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच समझकर चयन की गई क्रियाएं एवं पाठ्य सामग्री उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है।

9.5 भाषा शिक्षण की विधियाँ

शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक का दायित्व होता है कि वह शिक्षार्थियों की सक्रियता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करें। इसके दो रूप होते हैं पहला शिक्षक जो ज्ञान बालकों को देना चाहता है, उसकी विषय-वस्तु पर उसका अधिकार हो और दूसरा इस ज्ञान को बालको तक पहुंचाने के लिए वह किस पद्धति का प्रयोग करता है।

जब शिक्षण कार्य का आयोजन किसी निश्चित और व्यापक स्वरूप के अनुसार आयोजित किया जाता है तो, इस निश्चित स्वरूप पद्धति और विधि की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में प्रयुक्त पद्धति का अनुसरण कर शिक्षक अपने शिक्षण को अपेक्षित दिशा एवं आवश्यक गति प्रदान करता है। भाषा शिक्षण के लिए शिक्षक निम्नलिखित विधियों का प्रयोग अपनी शिक्षण विधि के रूप में कर सकता है।

9.5.1 कहानी विधि

कहानी कहना एक प्राचीन कला है, जिसके द्वारा किसी विषय या घटना को मनोरंजक बनाकर छात्रों को उसका ज्ञान सरलता और सफलता से प्रधान किया जाता है। इस विधि के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। भाषा शिक्षण के दौरान कहानी विधि के प्रयोग करने से विद्यार्थियों के मन में कल्पना एवं कौतूहल जागृत होता

है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके माध्यम से बालकों में नैसर्गिक शक्तियों का विकास तो किया जाता ही है। इसके साथ ही इसके माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पाठ्यवस्तु को सरल एवं रोचक बनाने में समर्थ होता है।

9.5.2 वाद-विवाद विधि

आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित हैं। आज का छात्र निष्क्रिय श्रोता ही नहीं, बल्कि विषय को सीखने की प्रक्रिया में वह स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेता है। बालक को सक्रिय बनाने के दृष्टिकोण से वाद विवाद विधि का प्रयोग अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। वाद-विवाद विधि शिक्षण की वह विधि है, जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक सामूहिक वाद-विवाद में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। जेम्स एम. ली के अनुसार- "वाद-विवाद एक शिक्षक-छात्र सामूहिक क्रिया है, जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।"

9.5.3 भाषा शिक्षण यंत्र विधि

इस विधि को उपकरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में भाषा शिक्षण के लिए ग्रामोफोन, टेप-रिकॉर्डर कैसेट, वर्णन-चित्र, सहायक पुस्तक, टीवी जैसे श्रव्य यंत्र अथवा दृश्य दोनों यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों के माध्यम से कक्षा में छात्रों को शुद्ध उच्चारण से युक्त भाषा या पाठ को सुनाया जाता है। छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह उस पाठ को सुनकर वैसा ही उच्चारण करें। इस विधि में बच्चे आंख, कान, हाथ का सक्रिय प्रयोग करते हैं अतः रचना में उनकी रुचि बनी रहती है।

9.5.4 शृतलेखन अभ्यास विधि

छात्रों की वर्तनीगत अशुद्धियों को सुधारने या शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षक के द्वारा बोलकर लिखवाना शृत लेखन विधि कहलाता है। शृतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है। उसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। शृतलेख में बच्चों को सुनकर लिखना होता है, जो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेगा वही पूरी सामग्री को लिख पाता है। परंतु जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख में बीच-बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाते हैं।

9.5.5 वाक्य विधि

वाक्य को भाषा की इकाई माना जाता है। अतः इस विधि में चार्ट पर लिखा हुआ वाक्य प्रस्तुत किया जाता है और अध्यापक वाक्य पड़ता है। बच्चे अध्यापक का अनुकरण करते हुए वाक्य का उच्चारण करते हैं। बार-बार वाक्य को पढ़ते हुए बालक उसके शब्दों से परिचित हो जाते हैं फिर वाक्य में प्रस्तुत शब्दों को अलग-अलग क्रम में छात्रों के सामने रखते हैं।

9.5.6 वाचन विधि

वाचन वह क्रिया है, जिसमें प्रतीक ध्वनि एवं अर्थ दोनों ही निहित होते हैं। पढ़ते समय अक्षरों के प्रत्यय मस्तिष्क में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं, और हम उसे उच्चरित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ ध्वनि भी निहित होती है, उसे 'वाचन विधि' कहा जाता है।

9.6 भाषा शिक्षण की विधियों का शिक्षण में महत्व

भाषा शिक्षण की विधियों के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है:

- **मानसिक तथा शारीरिक श्रम का समन्वय:** एक श्रेष्ठ पाठन पद्धति बालक को केवल मानसिक श्रम करने के लिए ही उत्साहित नहीं करती बल्कि वह शारीरिक श्रम के लिए भी उत्साहित करती है। इस प्रकार उसमें शारीरिक और मानसिक श्रम का समन्वय किया जाता है।
- **प्रेरणादायक होना:** शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा उतना ही वह सफल माना जाएगा अतः अच्छी पाठन पद्धति छात्रों को सीखने की प्रेरणा देती है।
- **पूर्व ज्ञान पर आधारित:** जो विधि छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर रहती हैं, उसमें शिक्षक को सफलता निश्चित रूप से मिलती है। क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्र नवीन ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।
- **सुव्यवस्थित होना:** शिक्षण विधि सुव्यवस्थित होनी चाहिए, सुव्यवस्थित शिक्षण विधि के उपयोग से शिक्षक सफलता हासिल करता है। सुव्यवस्थित होने पर शिक्षक आत्मविश्वास तथा बिना शर्त के अध्यापन का कार्य करता है।
- **उपचार पूर्ण होना:** अच्छी शिक्षण विधि में बालकों की भूलों को आसानी से उपचार किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में बालकों द्वारा भूल करने पर उन्हें मारा पीटा नहीं जाता है बल्कि उनका सहानुभूति पूर्वक उपचार किया जाता है।
- **बाल मनोविज्ञान के अनुकूल:** अच्छी शिक्षण विधि बाल मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। इसमें शिक्षक समस्त बालकों को एक ही प्रकार के मार्ग पर ना ले जाकर उनकी शारीरिक, मानसिक व व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। अतः शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह बालकों के स्वभाव तथा मनोविज्ञान के पक्ष को भली भांति समझे।

9.7 भाषा शिक्षण के सूत्र

किसी भी भाषा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली उद्देश्य पूर्ण और सुगम बनाने के लिए जिन सूत्रों व नियमों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें 'शिक्षण सूत्र' कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण व सुगम बनाने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र बताएं हैं, जिनके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्य पूर्ण बनाया जा सके। वे निम्नलिखित हैं-

- **ज्ञात से अज्ञात की ओर:** इस सूत्र में बालकों के पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नए ज्ञान की नींव रखी जाती है। अर्थात बालक जो कुछ भी जानते हैं, उसी को आधार मानकर (पूर्व ज्ञान) नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब अध्यापक कक्षा-कक्ष में बालकों को नया पाठ सिखाना चाहता है तो, वह पहले प्रश्न पूछ कर यह जानने का प्रयास करता है कि बालकों को उस पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान है या नहीं। बालकों के पूर्व ज्ञान को आधार मानकर वह उन्हें नया ज्ञान प्रदान करता है।
- **सरल से जटिल की ओर:** शिक्षण कार्य को सरल व रुचिकर बनाने के लिए छात्रों को पहले सरल चीजों को सीखाया जाना चाहिए। जिससे उनकी रुचि पठन क्रिया में बनी रहे, फिर उसे धीरे-धीरे सरल से जटिल विषयवस्तु को सीखाया जाना चाहिए। जिससे वह पठन क्रिया को आसानी से सीख सके। उदाहरण के लिए एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि कभी भी व्याकरण के संप्रत्यय को बताने के लिए वह पहले बालकों को सरल उदाहरण तथा तथ्यों की सहायता से जटिल नियमों को समझाएं।
- **मूर्त से अमूर्त की ओर:** इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। जो वस्तु बच्चों के सामने हैं, वह उसे प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा है उसे वह अच्छी तरह से सीख जाता है। दूसरी ओर जो वस्तु अमूर्त व अप्रत्यक्ष है, उसको सीखने में उसे कठिनाइयों का अनुभव होता है। इसलिए छात्रों को अमूर्त वस्तुओं के बारे में पढ़ाते समय उनका चित्र, मॉडल या प्रतिरूप प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे बालक अमूर्त चीजों को आसानी से सीख सके।
- **पूर्ण से अंश की ओर:** इस सूत्र के अनुसार छात्रों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे पहले पूर्ण रूप से उसके सामने रखा जाता है। उसके बाद उसके अंगों व अंशों को बताया जाता है। यह सूत्र गेस्टाल्ट वादी मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें पहले हम पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फिर उसके अंगों व भागों का विस्तार से वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ी कविता को पढ़ाने के लिए भाषा अध्यापक उसे भागों में बांटकर भावाभिव्यक्ति करता है।
- **विशेष (विशिष्ट) से सामान्य की ओर:** इस सूत्र के अंतर्गत बालक को विशेष ज्ञान की ओर से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। अर्थात किसी भी समस्या के समाधान के लिए पहले बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद सामान्य नियम प्रस्तुत किए जाते हैं।
- **विश्लेषण से संश्लेषण की ओर:** विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़कर पढ़ना तथा संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़कर पढ़ना। यदि भाषा के शिक्षक को संधि जैसे विषय को पढ़ाते समय विभिन्न शब्दों का वर्ण विन्यास करके वर्णों का वर्ण से मेंल समझाने के लिए विश्लेषण करना होता है तथा उन्हीं वर्णों से शब्दों के निर्माण के दौरान संश्लेषण करते हुए पढ़ाना होता है।

- **अनिश्चित से निश्चित की ओर:** अध्यापक यह मानकर चलता है कि जो ज्ञान छात्रों के पास है वह अनिश्चित तथा अस्पष्ट है। उसी को आधार मानकर छात्रों को निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर किया जाता है।

9.8 सारांश

भाषा जिस रूप में सीखी-सिखाई जाती है, उसके स्वरूप का भिन्न होना स्वाभाविक ही है प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा सीखने पर बल देते हैं। भाषा के रूप में बच्चा अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा सीखता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक और भाषा उसके अध्ययन का हिस्सा बनती है। जिसमें राजभाषा हिन्दी व आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी शामिल हो जाती है। बालक के अलग-अलग स्तरों पर भाषा शिक्षण का स्वरूप अलग-अलग होता है, जो क्षेत्र विशेष की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।
इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया को सरल व रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण के कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों की मानसिक क्षमताओं, रुचियो, योग्यताओं आदि के अनुसार विभिन्न सिद्धांतों को अपनाकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, प्रभावपूर्ण व उद्देश्य पूर्ण बनाने का प्रयास करें।

9.9 शब्दावली

शब्द	अर्थ
भाषा शिक्षण विधियाँ	भाषा सिखाने के लिए प्रयुक्त शिक्षण तकनीकें व रणनीतियाँ
व्याकरण प्रणाली	भाषा के नियमों पर आधारित शिक्षण पद्धति
प्रत्यक्ष प्रणाली	वस्तु और शब्द के सीधे संबंध द्वारा शिक्षण
हसियंत प्रणाली	शिक्षा का आधार अनुभव और अभ्यास को बनाना
सहयोग प्रणाली	शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सहयोगात्मक वातावरण में भाषा शिक्षण
सरलीकरण	कठिन विषयवस्तु को सरल रूप में प्रस्तुत करना
प्रयोजनमूलक भाषा	व्यवहारिक एवं कार्य-आधारित भाषा उपयोग
प्राकृतिक विधि	भाषा को स्वाभाविक माहौल में सिखाने की विधि
अभ्यासात्मक शिक्षण	निरंतर अभ्यास के माध्यम से भाषा सीखना
सृजनात्मक विधि	कल्पना और रचनात्मकता आधारित भाषा शिक्षण विधि

9.10 अधिगम प्रतिफल

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत छात्र-शिक्षक:

- छात्र शिक्षक भाषा शिक्षण के सभी भाषायी कौशलों के बारे में समझ सकेंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग शिक्षण क्रियाओ में करने में सक्षम होंगे।
- शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- छात्रों की रुचियों, योग्यताओं एवं पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षक क्रियाओं को रोचक बनाने में सक्षम होंगे।
- कक्षागत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतः क्रिया-प्रक्रिया का प्रयोग अपने शिक्षण में करने में सक्षम होंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक व तार्किक पक्षों को समझकर इसका अध्ययन में प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

9.11 इकाई के अंत की गतिविधियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1 भाषा वास्तव में अभिव्यक्ति एवं संकेतों की प्रक्रिया है।

(अ) कथन सही है (ब) कथन गलत है (स) कथन बेबुनियाद है (द) कथन अस्पष्ट है

प्रश्न 2 भाषा विचारों एवं भावों की.............................का एक अहम् साधन एवं माध्यम है।

(अ) जननी तथा अभिव्यक्ति (ब) साध्य (स) साधन (द) साध्य एवं साधन

प्रश्न 3 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है?

(अ) अनुच्छेद 344 (ब) अनुच्छेद 343 (स) अनुच्छेद 334 (द) अनुच्छेद 354

प्रश्न 4 भाषा सोचने विचारने के माध्यम के साथ-साथ.....................का भी माध्यम होती है।

(अ) सुनने (ब) अभिव्यक्ति (स) पढने (द) लिखने

प्रश्न 5 बालक के अलग-अलग स्तरों पर भाषा शिक्षण का स्वरूप कैसा होता है?

(अ) एक-जैसा (ब) अलग-अलग (स) एक-सामान (द) अच्छा

प्रश्न 6 ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र में बालकों के किस ज्ञान को आधार मानकर नए ज्ञान की नींव रखी जाती है?

(अ) नए ज्ञान (ब) ज्ञान (स) समझ (द) पूर्व ज्ञान

प्रश्न 7 सरल से जटिल की ओर सूत्र में शिक्षण कार्य को सरल व रुचिकर बनाने के लिए छात्रों को पहले किन चीजों को सिखाया जाना चाहिए?

(अ) नई चीजों (ब) कठिन चीजों (स) मुश्किल चीजों (द) सरल चीजों

प्रश्न 8 अच्छी शिक्षण विधि किसके अनुकूल होती है?

(अ) बाल-मनोविज्ञान (ब) बाल-चिकित्सा (स) बाल-दर्शन (द) बाल-समाज

प्रश्न 9 वाक्य को भाषा की...................माना जाता है।

(अ) दहाई (ब) चिन्ह (स) इकाई (द) अंग

प्रश्न 10 किसी भी भाषा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली उद्देश्य पूर्ण और सुगम बनाने के लिए जिन सूत्रों व नियमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं?

(अ) शिक्षण सूत्र (ब) शिक्षण चिन्ह (स) शिक्षण इकाई (द) शिक्षण

उत्तर कुंजी 1(अ) 2(अ) 3(ब) 4(ब) 5(ब) 6(द) 7(द) 8(अ) 9(स) 10(अ)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा शिक्षण का अर्थ समझाये।
2. अच्छे शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए।
3. भाषा शिक्षण किन आधारों पर किया जाता है?
4. भाषा शिक्षण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? किसी एक विधि को संक्षिप्त में लिखिए?
5. भाषा शिक्षण के किन्हीं दो सूत्रों की सक्षिप्त में व्याख्या कीजिये।
6. भाषा शिक्षण में स्वाभाविकता का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?
7. भाषा शिक्षण में संवादात्मक सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।
8. भाषा शिक्षण की विधियों का शिक्षण में महत्व को समझाइए।
9. बालक के अलग-अलग स्तरों पर भाषा शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए?
10. भाषा शिक्षण में बाल-मनोविज्ञान के महत्व पर अपने विचार लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. छात्रों की रुचियों, योग्यताओं एवं पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर, शिक्षक क्रियाओं को किस प्रकार से रोचक बना सकते हैं? कुछ उदाहरणों सहित विस्तार से लिखिए।

2. हिन्दी भाषा शिक्षण की विधियां लिखिए। शिक्षक हिन्दी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग शिक्षण क्रियाओ में कैसे करते हैं?
3. कक्ष कक्ष में पढ़ाते समय शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? विस्तार से समझाइए।
4. हिन्दी भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक व तार्किक पक्षों को समझाइए।
5. भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? भाषा शिक्षण के किन्हीं तीन सिद्धांतों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिये।

9.12 सन्दर्भ

1. नीलम, (2016), हिन्दी शिक्षण, अर्थ विजन पब्लिकेशन, गुडगाँव हरियाणा
2. सक्सैना, मालती (2016), हिन्दी का शिक्षण शस्त्रीय स्वरुप, राखी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, आगरा
3. सिंह, निरंजनकुमार (2019) माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
4. ओझा, पी.के.,(2008) हिन्दी शिक्षण, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
5. डबास, जयदेव (2013) हिन्दी भाषा शिक्षण, दोआबा हाउस, नई दिल्ली
6. चतुर्वेदी, शिक्षा (2008) हिन्दी शिक्षण, आर.लाल बुक डिपो, मेंरठ
7. नरूला, मधु (2015) हिन्दी शिक्षण, ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी पब्लिकेशन, पटियाला
8. पंडागले, प्रविनी (2015) हिन्दी शिक्षण, क्वालिटी पब्लिकेशन लिमिटेड, भोपाल

इकाई 10 : व्याकरण अनुवाद प्रणाली*

इकाई की रुपरेखा

10.0 प्रस्तावना

10.1 उद्देश्य

10.2 व्याकरण की विशेषताएँ एवं उद्देश्य

10.3 व्याकरण शिक्षण की प्रणालियाँ

10.3.1 भाषा संसर्ग प्रणाली

10.3.2 सिद्धांत प्रणाली

10.3.3 व्याख्या अनुवाद प्रणाली

10.3.4 सहयोग प्रणाली

10.4 प्रत्यक्ष प्रणाली के गुण एवं दोष

10.5 सारांश

10.6 शब्दावली

10.7 अधिगम प्रतिफल

10.8 इकाई के अंत की गतिविधियां

10.9 संदर्भ

10.0 प्रस्तावना

व्याकरण ऐसा शास्त्र है वाक्य में कौन सा शब्द कहाँ रहना चाहिए। व्याकरण भाषा के सर्वमान्य रूप का संरक्षण करता है। यह भाषा संबंधित नियमों का ज्ञान कराता है। किसी भी भाषा की संरचना का सिद्धांत अथवा नियम ही उसका व्याकरण है। भाषा यदि साध्य है तो, व्याकरण उसका साधन है।

यदि व्याकरण को विस्तृत रूप से समझा जाए तो कहा जा सकता है कि व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र, 'व्याकरोति भाषामिति व्याकरणम' अर्थात जो भाषा को विश्लेषित करता है, वह व्याकरण है। दूसरे शब्दों में वह विद्या या शास्त्र जो भाषा के पदो (अंग-प्रत्यंग) का विश्लेषण कर, प्रकृति प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताकर उसके स्वरूप को स्पष्ट करता

* Dr. Praveen Kumar Surjan, Assistant Professor, MANUU CTE, Varanasi

है और शब्द उच्चारण करने, समझने तथा लिखने की रीति का नियमन करता है व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा का नियमन (अनुशासन) करता है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, अर्थात शब्दों पर अनुशासन रखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। इसी प्रकार से डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है, जो शब्दों के रूपों और प्रयोग का निरूपण करता है। वहीँ डॉक्टर स्वीट ने व्याकरण को भाषा और उसके स्वरूप का व्यावहारिक विश्लेषण बताया है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्याकरण भाषा के एक अभिन्न अंग है जिसके बिना भाषा अधूरी है।

10.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- व्याकरण का अर्थ एवं उसकी विभिन्न परिभाषाओं को समझ सकेंगे।
- व्याकरण की विशेषताओं एवं उसके उद्देश्य का अध्ययन कर सकेंगे।
- व्याकरण शिक्षण की विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे।
- प्रत्यक्ष प्रणाली के गुण एवं दोषों का अपने शब्दों में उल्लेख कर सकेंगे।

10.2 व्याकरण विशेषताएँ एवं उद्देश्य

भाषा में व्याकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- ➢ व्याकरण भाषा को अव्यस्थित और उच्छृंखल होने से बचाता है।
- ➢ भाषा की पूर्णता के लिए बोलना, सुनना, पढ़ना व लिखना चारों कौशलों की शुद्धता व्याकरण के नियमों से आती है।
- ➢ व्याकरण भाषा के स्वरूप व उसकी बनावट का संरक्षण करता है।
- ➢ व्याकरण प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या है।
- ➢ व्याकरण गद्य व पद्य साहित्य का आधार है।
- ➢ भाषा की संरचना शुद्धता भाषा के व्याकरण से आती है।
- ➢ व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण करता है।

व्याकरण शिक्षण

व्याकरण शिक्षण भाषा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। व्याकरण शिक्षण में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि शिक्षक व्याकरण के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देने के स्थान पर उसके व्यवसायिक पक्ष को अधिक महत्व दे। किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ व्याकरण का ज्ञान होना भी जरुरी है। व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा के नियमों को ढूंढ कर उन्हें स्थिर एवं क्रमबद्ध करना है। व्याकरण ही भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध रूप से अवगत करवाता है।

व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य

व्याकरण भाषा का सहचर है। व्याकरण की सहायता से ही हम वर्ण-रचना, शब्द-रचना, वाक्य-रचना तथा भाषा व्यवस्था संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे तो बालक अनुकरण के द्वारा बोलचाल की भाषा सीख जाता है लेकिन कुछ समय उपरांत उसे शुद्ध अभिव्यक्ति के लिए भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करना होता है। शुद्ध आचरण, शुद्ध शब्दावली, वाक्य-रचना, विराम-चिन्हों का उचित प्रयोग आदि की आवश्यकता होती है। इन सबके ज्ञान के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक होता है। इस सन्दर्भ में पंडित लज्जा शंकर झा लिखते हैं कि, भाषा के शुद्ध रूप को समझने और उसके पहचान में समर्थ बनाना ही व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है।

इस दृष्टि से व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है-

- छात्रों में सही भाषा का प्रयोग करने व भाषा को सही रूप से सीखने में रुचि उत्पन्न करना।
- व्याकरण के माध्यम से छात्रों की चिंतन एवं तर्कशक्ति का विकास करना।
- व्याकरण शिक्षण के माध्यम से छात्रों को शब्द योजना शब्दों के शुद्ध रूप एवं वर्तनी का ज्ञान करवाना।
- छात्रों को ध्वनियों एवं उच्चारण के नियमों का ज्ञान करवाना।
- छात्रों को वर्ण, वर्तनी, शब्द रचना, पद व्याख्या, वाक्य भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरों, लोकोक्तियों, विराम चिन्हों आदि के प्रयोग से अवगत कर, उनकी भाषा को समृद्ध बनाता है।
- छात्रों को शब्द अलंकार, रस, मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालकर स्वराघात एवं बलाघात के अनुसार अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना।
- छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के समय सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करने योग्य बनाना।
- छात्रों को लिखित अभिव्यक्ति के समय शुद्ध वर्तनी लिखने, शुद्ध वाक्य-रचना करने एवं विराम-चिन्हो का शुद्ध प्रयोग करने के योग्य बनाना।
- भाषा के व्याकरण संगत रूप को सुरक्षित रखना सिखलाना है।

10.3 व्याकरण शिक्षण की प्रणालियाँ

जिस प्रकार से भावों की स्पष्टता भाषा पर निर्भर करती है, उसी प्रकार से भाषा की शद्धता व्याकरण पर निर्भर रहती है। भाषा के एक व्यवस्थित रूप को तैयार करने के लिए व्याकरण भाषा का संगठन करती है। व्याकरण की जानकारी बिना भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। व्याकरण की शिक्षा, भाषा की शिक्षा का आवश्यक अंग है। यह भाषा रूपी रथ का सारथी है। यह भाषा का स्वरूप बनाता है एवं उस पर नियन्त्रण रखता है।

प्रत्येक भाषा की ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था तथा वाक्य व्यवस्था होती है। भाषा शिक्षण के प्रयोगो में शुद्धता और स्पष्टता लाने के लिए छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सीखने, सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करने तथा भाषा विश्लेषण एवं तर्कशक्ति का विकास करने के उद्देश्य से व्याकरण शिक्षण किया जाता है। इसी कारण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है।

व्याकरण शिक्षण के महत्व तथा उपयोगिता के विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा शिक्षण में व्याकरण का बहुत महत्व है। बगैर व्याकरण के जाने भाषा पर कोई व्यक्ति पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। करुणापति त्रिपाठी लिखते हैं कि, "भाषा शिक्षण का कार्य व्याकरण की शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता। व्याकरण के माध्यम से ही भाषा रूपी माध्यमिक नौका का संचालन हो सकता हैं। व्याकरण ज्ञान की अवहेलना से भाषा में उच्छ्रखलता आ जाती है तथा वह संस्कृति का विनाश कर देती है। भाषा प्रयोग का उचित रहस्य समझने हेत व्याकरण ज्ञान अत्यन्त जरूरी है।"

भाषा के रहस्य को समझने हेत यह अति जरूरी है कि व्याकरण के नियमों को भी समझा जाए। ऐसा माना जाता है कि भाषा में बोलने तथा लिखने की शद्धता बगैर व्याकरण-ज्ञान के नहीं आ सकती। व्याकरण का ज्ञान या समझ को उसकी शिक्षण प्रणालियों के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। व्याकरण शिक्षण की विभिन्न प्रणालियाँ निम्नलिखित है।

व्याकरण शिक्षण की प्रणालियाँ

- भाषा-संसर्ग प्रणाली
- सिद्धांत प्रणाली
- व्याख्या अनुवाद प्रणाली
- सहयोग प्रणाली
- प्रत्यक्ष प्रणाली

उपरोक्त प्रणालियों की विस्तृत चर्चा क्रमबद्ध रूप से इस इकाई में आगे की गयी है, जिसके माध्यम से आप प्रत्येक प्रणाली को गहनता से समझने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही इस इकाई में प्रत्येक प्रणाली को विस्तृत रूप से लिखा गया है, जिससे आपको इन्हें समझने में सहायता मिलेगी।

10.3.1 भाषा-संसर्ग प्रणाली

व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना है, अतः इस प्रणाली के अनुसार बच्चों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाती हैं जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। बच्चों को ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करने के अवसर दिए जाएं, जो मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना, भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग अनुकरण के माध्यम से करवाया

जाता है। जबकि कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि छात्रों को व्याकरण की औपचारिक शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे मानते हैं कि मनुष्य शिष्ट, सभ्य तथा शिक्षित लोगों के संपर्क में रहते-रहते ही स्वाभाविक रूप से भाषा सीख जाता है।

छात्र व्याकरण की औपचारिक शिक्षा के बगैर ही लिंग, वचन, काल, क्रिया विशेषण आदि का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। हालाँकि यह विधि सरल दिखलाई पड़ती है, परन्तु इसमें छात्र को शुद्ध उच्चारण एवं भाषा प्रयोग सीखने में अधिक समय लगता है तथा उच्चारण, शब्द रचना, वाक्य विन्यास आदि का भी ज्ञान नहीं हो पाता है। इस विधि को अव्याकृत विधि भी कहा जाता है। यह विधि या प्रणाली प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, जहाँ छात्र शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर शुद्ध शब्दावली विकसित करते हैं।

10.3.2 सिद्धांत प्रणाली

इस प्रणाली को परम्परागत प्रणाली अथवा परम्परागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रणाली नियम से शुरू होकर उदहारण की ओर अग्रसर होती है। इस प्रणाली में शिक्षक अपनी भाषा में छात्रों को नियम या परिभाषा बताकर, उदहारण देकर उनके सिद्धांत को स्पष्ट करता है। इस विधि में छात्र सिद्धांतों एवं परिभाषाओं को याद करने पर जितना ध्यान देता है उतना भाषा प्रयोग की शुद्धता पर नहीं देता। यह प्रणाली भी शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों जैसे ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म , आदि सिद्धांतों के विपरीत है। सिद्धांत प्रणाली का प्रयोग अधिकतर विद्यालयों में किया जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक पहले बच्चों को व्याकरण के नियम बताता है और उसके बाद उदाहरण देकर नियम को स्पष्ट करता है। यह प्रणाली दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली के दो रूप पुस्तक प्रणाली एवं सूत्र प्रणाली हैं।

- **पुस्तक प्रणाली:** इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराने के लिए पुस्तक होती हैं। पुस्तक में एक-एक अध्याय में एक-एक नियम उसके उदाहरण तथा अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। अंत में पुनरावृत्ति के लिए या गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्नों को घर से हल करके लाना होता है। इस प्रणाली में व्याकरण की पुस्तक के आधार पर व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है। इसमें व्याकरण के लिए एक पाठ्य-पुस्तक होती है। शिक्षक पहले पुस्तक से नियमों की व्याख्या करता है तथा उसके पश्चात् छात्र उन नियमों एवं उदाहरणों को कंठस्थ कर लेते हैं। यह विधि कक्षाओं पर प्रयोग की जा सकती है परन्तु इसे विद्यार्थी के सहयोग से पढाया जाना चाहिए तभी यह प्रणाली प्रभावी हो सकती है।
- **सूत्र प्रणाली:** यह प्रणाली प्राचीन प्रणालियों में से एक है। इसमें व्याकरण के सिद्धांत एवं सूत्र तथा उनके उपयोग छात्रों को समझा दिए जाते हैं। छात्र सभी सूत्रों को याद कर लेते हैं। यह प्रणाली अज्ञात से ज्ञात तथा अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह प्रणाली विशेष रूप से संस्कृत भाषा में प्रयुक्त की जाती है। इस प्रणाली में व्याकरण के नियम सूत्र रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। छात्र इन सूत्रों को बिना सोचे समझे रट लेते हैं। आजकल हिन्दी शिक्षण में इसका प्रयोग ना के बराबर किया जाता है।

10.3.3 व्याख्या अनुवाद प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण के नियम समझने के लिए उनकी पूरी व्याख्या एवं विश्लेषण किया जाता है। इस प्रणाली में आगमन एवं निगमन दोनों विधियों का प्रयोग कर उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रणाली को दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्रों के सामने उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है उसके पश्चात् विश्लेषण करके उनका नियमीकरण करवाया जाता है। यहाँ तक आगमन विधि का प्रयोग होता है। नियमीकरण के उपरांत नियम की पड़ताल करने के लिए पुनः कुछ उदहारण दिए जाते हैं और नियम का प्रयोग करवाया जाता है, जिससे कि नियम से उदहारण की ओर बढ़कर निगमन विधि का पालन किया जा सके। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं और रुचिपूर्ण तरीके से व्याकरण के नियम सीखते हैं।

- **आगमन विधि:** इस विधि में छात्रों को उदाहरण देकर उनकी तर्कशक्ति एवं चिंतन क्षमताओं को विकसित किया जाता है। इस विधि में छात्र उदाहरण के द्वारा ही स्वयं नियमों को समझने लगते हैं। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर ले जाती है। यह विधि सिखाने की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल देती है। भाषा शिक्षण के अध्यापक को आगमन विधि का प्रयोग करके ही छात्रों को समझाना चाहिए।
- **निगमन विधि:** इस विधि को सिद्धांत विधि भी कहा जाता है। क्योंकि यह नियम से प्रारंभ होकर उदाहरण की ओर बढ़ती है। इस विधि में अध्यापक स्वयं नियम, परिभाषा बताता है तथा उसके उपरांत उदाहरण देकर उनके सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। इस विधि में छात्र परिभाषा व नियमों को रटने लगते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त एवं स्थूल से सूक्ष्म आदि सिद्धांतों के आधार पर चलती है। यह परिभाषा से उदाहरण की ओर नियम का पालन करती है।

10.3.4 सहयोग प्रणाली

इस प्रणाली में भाषा के अंतर्गत मौखिक व लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पाठ्य-पुस्तक पढ़ाते समय, या रचना कार्य कराते समय ही प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इसमें व्याकरण के लिए अलग से पुस्तक प्रयोग नहीं की जाती, अपितु व्याकरण के नियमों का उदाहरण पाठ्य पुस्तक के पाठों से ही लिए जाते हैं। इस प्रणाली को समन्वय विधि भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षक को पाठ के समय यथा अवसर तथा यथा प्रसंग छात्रों को व्याकरण के नियम एवं सिद्धांतों से अवगत करवान चाहिए। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें सिद्धांत, परिभाषा एवं नियम याद करवाने तथा अमूर्त रूप से उसके उदाहरण प्रस्तुत करने के बजाए पाठ पढ़ाने से सामने आए उदाहरणों को आधार बनाकर छात्रों की सहायता से नियमों को निकलवाया जाता है और इसके साथ ही अन्य उदहारण से नियमों को स्पष्ट किया जाता है।

सहयोग प्रणाली की उपयोगिता यह है कि इसमें व्याकरण के नियमों के उदहारण अन्य स्थान की अपेक्षा पाठ्यपुस्तक से ही लिए जाते हैं। इसके साथ ही व्याकरण की शिक्षा अलग कालांश में न देकर, गद्य रचना आदि पढ़ाते हुए दी जाती है। व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए यह विधि उपयुक्त है। परन्तु इससे व्याकरण की क्रमबद्ध शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि तथ्य पुस्तक में व्याकरण के नियम विभिन्न स्थानों पर बिखरे होते हैं, जिससे छात्रों को उन नियमों का तार्किक एवं व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करना कठिन हो जाता है।

10.4 प्रत्यक्ष प्रणाली के गुण एवं दोष

प्रत्यक्ष प्रणाली के गुण एवं दोषों को जानने एवं समझने से पहले यह समझना बेहद जरुरी है कि प्रत्यक्ष प्रणाली किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति+अक्षि अर्थात आंख के सामने स्पष्ट दिखाई दे रही विषयवस्तु से है। वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखना प्रत्यक्ष विधि का अर्थ है। भाषा शिक्षण में किसी नवीन भाषा को प्रत्यक्ष विधि से सीखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिसमें वस्तुओं और जीव-जंतुओं का चित्र या प्रतिमान दिखाकर क्रियाओं को सिखाया जाता है। जैसे- किसी सेब के चित्र को दिखाकर बालक को बताएं यह सेब है और बार-बार आवृत्ति से बालक सेब शब्द का प्रयोग करना सीख जाता है। इस विधि को अन्य नामो से भी जाना जाता है। जैसे- सुगम विधि, स्वतंत्र विधि, प्राकृतिक विधि एवं प्रवाही विधि आदि।

प्रत्यक्ष प्रणाली में शिक्षक द्वारा नए-नए शब्दों मुहावरों व लोकोक्तियो से छात्रों को परिचित कराया जाता है तथा छात्र इनकी आवृत्ति करते हुए सीखते हैं। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित करके पढाया जाता है। इसके साथ ही इसमें सुनने और बोलने पर बल दिया जाता है, जबकि इसमें लेखन गौण होता है। इस प्रणाली के गुण एवं दोष निम्नलिखित हैं।

10.4.1 प्रत्यक्ष प्रणाली के गुण

- इस प्रणाली में वार्तालाप, मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- इस प्रणाली के प्रयोग से व्याकरण अनुवाद विधि के दोष दूर हो जाते हैं।
- इस प्रणाली में अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती।

10.4.2 प्रत्यक्ष प्रणाली के दोष

- इस विधि में सीमित शब्दावली का ज्ञान दिया जाता है।
- अनेक शब्द ऐसे होते हैं, जिनकी प्रत्येक व्याख्या नहीं हो सकती है।
- भाववाचक शब्दो, विशेषणों एवं संरचनात्मक शब्दों के ज्ञान में कठिनाई होती है।

- इस विधि में केवल संज्ञा या उन शब्दों का ज्ञान दिया जा सकता है, जिनका चित्र या प्रतिमान बना सके या चित्रों को कक्षा-कक्ष तक लाया जा सके।
- इस विधि में लेखन तथा व्याकरण का ज्ञान सही से नहीं हो पाता है।

10.5 सारांश

उपर्युक्त वर्णित व्याकरण शिक्षण प्रणालियों का अध्यापन करने के लिए चयन करते समय शिक्षक को छात्रों के कक्षायी एवं बौद्धिक स्तर का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि शिक्षक इन अवयवों का ध्यान नहीं कहेंगे तो व्याकरण शिक्षण छात्रों के लिए नीरस, उबाऊ, एवं बोझ मात्र बनकर रह जाएगा तथा व्याकरण शिक्षण के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उपरोक्त सभी प्रणालियों के अध्ययन के उपरांत यह स्पष्ट है कि आगमन विधि मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक होने के कारण प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर श्रेष्ठ है। सहयोग प्रणाली, व्याख्या प्रणाली का प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं के लिए तथा उच्चतर कक्षाओं के लिए निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि यह कहना उचित होगा कि इस प्रणालियों एवं विधियों के गुण-दोष जानने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई विधि किसी एक परिस्थिति में सदा उपयोगी एवं प्रभावशाली ही होगी। इसलिए शिक्षण विधि के चयन का उतरदायित्व शिक्षक का ही होना उचित है और उसे यह कार्य सावधानी से करना चाहिए जिससे छात्र की व्याकरण अध्ययन में रूचि स्थापित हो एवं उनके अधिगम को स्थिर एवं स्थायी बनाया जा सके।

10.6 शब्दावली

शब्द	अर्थ
व्याकरण	भाषा के नियमों और रचनात्मक संरचना का ज्ञान
अनुवाद	एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ को रूपांतरित करना
हनगमन विधि	सामान्य से विशेष की ओर भाषा सिखाने की विधि
अगमन विधि	विशेष से सामान्य की ओर शिक्षण प्रक्रिया
वाक्य रचना	शब्दों को नियमबद्ध ढंग से संयोजित करना
वाचन	उच्च स्वर में पढ़ना या पढ़कर सुनाना
पारंपरिक प्रणाली	पुरानी और स्थापित शिक्षण विधियाँ
भाषा संरचना	भाषा के विभिन्न अवयवों की संगठनात्मक बनावट
व्याख्या-अनुवाद प्रणाली	अर्थ स्पष्ट करने के साथ-साथ अनुवाद की पद्धति
द्विभाषिक शिक्षण	दो भाषाओं का प्रयोग करके शिक्षण

10.7 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- व्याकरण का अर्थ एवं उसकी विभिन्न परिभाषाओं को अपने शब्दों में व्याख्या करने में सक्षम होंगे।
- व्याकरण की विशेषताओं एवं उसके उद्देश्य का विस्तृत उल्लेख करने में सक्षम होंगे।
- व्याकरण शिक्षण की विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान अर्जित कर, अपनी कक्षाओं में छात्रों को इन विधियों से पढ़ाने में सक्षम होंगे।
- प्रत्यक्ष प्रणाली के गुण एवं दोषों का उल्लेख करने में सक्षम होंगे।

10.8 इकाई के अंत की गतिविधियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

व्याकरण भाषा के सर्वमान्य रूप किस प्रकार है?

(अ)नियमन करता है (ब)संरक्षण करता है (स)संयमन करता है (द)स्पष्ट करता है

"भाषा यदि साध्य है तो, व्याकरण उसका साधन है"। यह कथन क्या है?

(अ) सही है (ब) गलत है (स) कुछ कह नहीं सकते (द) सही नहीं है

महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को क्या कहा है?

(अ) भाषा (ब) व्याकरण (स) शब्दानुशासन (द) अनुशासन

व्याकरण शिक्षण भाषा शिक्षण का एक कैसा अंग है?

(अ) भिन्न अंग है (ब) अभिन्न अंग है (स) नया अंग है (द) प्राचीन अंग है

भाषा के रहस्य को समझने हेतु क्या समझना अत्यंत जरूरी है?

(अ) भाषा के नियम (ब) व्याकरण के नियम (स) नए नियम (द) पुराने नियम

पुस्तक प्रणाली और सूत्र प्रणाली निम्न में से किस प्रणाली के रूप हैं?

(अ) प्रत्यक्ष प्रणाली (ब) व्याकरण प्रणाली (स) सिद्धांत प्रणाली (द) सहयोग प्रणाली

किस प्रणाली में व्याकरण के लिए अलग से पुस्तक प्रयोग नहीं किया जाता है ?

(अ) प्रत्यक्ष प्रणाली (ब) व्याकरण प्रणाली (स) सिद्धांत प्रणाली (द) सहयोग प्रणाली

किस प्रणाली को परंपरागत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है?

(अ) प्रत्यक्ष प्रणाली (ब) व्याकरण प्रणाली (स) सिद्धांत प्रणाली (द) सहयोग प्रणाली

किस प्रणाली के अंतर्गत वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित करके पढाया जाता है?

(अ) प्रत्यक्ष प्रणाली (ब) व्याकरण प्रणाली (स) सिद्धांत प्रणाली (द) सहयोग प्रणाली

किस प्रणाली को सुगम विधि, स्वतंत्र विधि, प्राकृतिक विधि एवं प्रवाही विधि आदि के नाम से भी जाना जाता है?

(अ) प्रत्यक्ष प्रणाली (ब) व्याकरण प्रणाली (स) सिद्धांत प्रणाली (द) सहयोग प्रणाली

उत्तर कुंजी: 1 (ब) 2(अ) 3(स) 4(ब) 5(ब) 6(स) 7(द) 8(स) 9(अ) 10(अ)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. व्याकरण से आपका क्या तात्पर्य है?
2. व्याकरण शिक्षण की भाषा सीखाने के लिए क्यों आवश्यक है?
3. व्याकरण शिक्षण की चार प्रणालियों के नाम लिखिए।
4. व्याकरण शिक्षण की कोई चार उद्देश्य लिखिए।
5. व्याख्या अनुवाद प्रणाली की आगमन विधि से क्या तात्पर्य है?
6. निगमन विधि से आपका क्या तात्पर्य है?
7. सिद्धांत प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
8. सहयोग प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
9. प्रत्यक्ष प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
10. सहयोग प्रणाली एवं सिद्धांत प्रणाली के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रत्यक्ष प्रणाली किसे कहते हैं? इस प्रणाली के गुण और दोषों की चर्चा कीजिये।
2. व्याकरण शिक्षण की कौन से प्रणाली किस कक्षायी स्तर के लिए बेहतर है? और क्यों? पुष्टि कीजिये।
3. व्याकरण शिक्षण की सिद्धांत प्रणाली एवं प्रत्यक्ष प्रणाली के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिये।
4. भाषा शिक्षण में व्याकरण को किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है? व्याकरण शिक्षण की विशेषताएँ भी लिखिए।
5. प्रत्यक्ष प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली के दोष और गुणों का उल्लेख कीजिये।

10.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- नीलम, (2016), हिन्दी शिक्षण, अर्थ विजन पब्लिकेशन, गुडगाँव, हरियाणा
- सक्सैना, मालती (2016), हिन्दी का शिक्षण शस्त्रीय स्वरुप, राखी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, आगरा
- सिंह, निरंजनकुमार (2019) माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
- ओझा, पी.के.,(2008) हिन्दी शिक्षण, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- डबास, जयदेव (2013) हिन्दी भाषा शिक्षण, दोआबा हाउस, नई दिल्ली
- चतुर्वेदी, शिक्षा (2008) हिन्दी शिक्षण, आर.लाल बुक डिपो, मेंरठ
- नरूला, मधु (2015) हिन्दी शिक्षण, ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी पब्लिकेशन, पटियाला
- पंडागले, प्रविनी (2015) हिन्दी शिक्षण, क्वालिटी पब्लिकेशन लिमिटेड, भोपाल

इकाई 11 : ढांचागत शिक्षण प्रणाली अथवा संरचनात्मक प्रणाली*

इकाई की रुपरेखा

11.0 प्रस्तावना

11.1 उद्देश्य

11.2 प्रमुख इकाई वाक्य भाषा सीखने के स्वाभाविक क्रम पर आधारित

11.3 सरल से जटिल की ओर सूत्र पर आधारित

11.4 क्रियाशीलता, रूचि, सजीवता से अनुप्रमाणित कक्षा का वातावरण

11.5 शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास पर बल

11.6 सारांश

11.7 शब्दावली

11.8 अधिगम प्रतिफल

11.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

11.10 संदर्भ

11.0 प्रस्तावना

संरचनात्मक दृष्टिकोण एक ऐसी तकनीक है, जिसमें शिक्षार्थी वाक्य के पैटर्न में महारत हासिल करता है। संरचनाएं किसी-न-किसी स्वीकृत शैली में शब्दों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। इसमें विभिन्न तरीके शामिल हैं, जिनमें खंड, वाक्यांश या शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि भाषा को वाक्य और शब्दावली की संरचनाओं या वैज्ञानिक चयन के माध्यम से सरल तरीके से सिखाया जा सकता है।

यह पद्धति श्रव्य मौखिक पद्धति के रूप में जानी जाती है। भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है, जब छात्रों को हिन्दी सीखानी होती है, जबकि उनकी मातृभाषा कोई अन्य भाषा होती है। इस पद्धति में छात्रों को हिन्दी भाषा का ज्ञान हिन्दी की संरचनाओं के माध्यम से दिया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी भी भाषा में निश्चित संरचनाएं होती हैं, जिसके ज्ञान से वह भाषा सीखी जा सकती है, अतः इस विधि में भाषा को शब्दों व वाक्यों की संरचनाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। इसके लिए शिक्षक

---

* Dr. Praveen Kumar Surjan, Assistant Professor, MANUU CTE, Varanasi

हिन्दी की किसी एक संरचना का चयन करता है। छात्रों को उसका अर्थ बताता है, उसके पश्चात छात्रों को उस संरचना का अलग-अलग स्थितियों में प्रयोग करने के लिए कहता है। छात्र उसकी उन संरचनाओं का प्रयोग अलग-अलग वाक्य में करते हैं, इससे छात्र इस संरचना से परिचित हो जाते हैं। इसके बाद संरचना को पढ़ना व लिखना सिखाया जाता है। इस प्रकार एक-एक करके हिन्दी भाषा की अधिकतम संरचनाओं का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। अतः छात्रों को हिन्दी भाषा का ज्ञान हो जाता है। यह पद्धति भाषा शिक्षण की नई मान्यताओं पर आधारित है इसलिए इस पद्धति के अनेक लाभ है।

11.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- प्रमुख इकाई वाक्य भाषा सीखने के स्वाभाविक क्रम को समझकर उसका उल्लेख कर सकेंगे।
- सरल से जटिल की ओर सूत्र की व्याख्या कर सकेंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण में सरल से जटिल की ओर सूत्र के महत्व को सकझ सकेंगे।
- क्रियाशीलता, रूचि, सजीवता से अनुप्रमाणित कक्षा के वातावरण पर प्रभाव को समझकर उसका प्रयोग करने के उपायों को समझ सकेंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास पर बल दे सकेंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास के महत्व का उल्लेख कर सकेंगे।

11.2 प्रमुख इकाई वाक्य भाषा सीखने के स्वाभाविक क्रम पर आधारित

संरचनाओं को वाक्यों के माध्यम से दर्शाया जाता है। अतः इस विधि की इकाई वाक्य को माना जाता है। इस विधि में अधिक बल भाषा को सुनने व बोलने पर दिया जाता है। इस कारण यह विधि भाषा शिक्षण की एक अच्छी विधि मानी जाती है। वर्तमान मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार सही बैठती है। इस पद्धति में वाक्य को आधार बना लिया जाता है और उसकी सहायता से विशेष व्याकरणिक गठन अथवा शब्दावली का अभ्यास कराया जाता है। इसमें वाक्य गठन विभिन्न प्रकार से बार-बार कराया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परस्पर संबंध, पारस्परिक निर्भरता एवं क्रमबद्ध होना चाहिए, तभी वाक्य अपने भाव और अर्थ को ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकता है। इसके कुछ उदहारण निम्नलिखित है।

- हिन्दी भाषा में वाक्य में पदक्रम के बारे में सामान्य नियम यह है कि पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया पद रखा जाता है। जैसे- “गीता खाना खा रही है।”
- वाक्य में कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले, कर्म का विस्तार कर्म से पहले और क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले आता है। जैसे- “कक्षा के अध्यापक सातवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा

रहे हैं”

- विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे- “अच्छे बच्चे कभी भी शरारत नहीं करते”
- क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। जैसे- “वह धीरे-धीरे चल रहा है”
- प्रश्नवाचक पद व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे- “तुम कौन-सी पुस्तक पढ़ रहे हो?”, “क्या आप कोलकाता जाएंगे?”, “राधा किस दिन घर आएगी?”, आदि।
- विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। जैसे- “हाय! क्या हो गया?”, “अच्छा! तुम पास हो गए।”

11.3 सरल से जटिल की ओर सूत्र पर आधारित

इस सूत्र के अनुसार बालक को सर्वप्रथम सरल बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए और तत्पश्चात कठिन विषयवस्तु का ज्ञान करवाना चाहिए। छात्र की रुचि के अनुरूप पाठ क्रमिक विकास करना ही सरल से जटिल की ओर अग्रसर करना है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि रुचि के आधार पर बालक पहले सरल वस्तुओं को सिखना अधिक पसंद करेंगा उसके उपरांत कठिन विषयों को सीखना पसंद करेंगा। यदि अध्यापक आरंभ से ही कठिन बातों को बालकों के सम्मुख उपस्थित कर देगा तो, बालक हतोत्साहित हो जाएगा और उसमें एक ऐसी घबराहट आ जाएगी कि आगे का सरलता से सीख सकने वाला पाठ वह न सीख सकेगा। इसीलिए उचित यह है कि सीखने-सीखाने की इस प्रकिया में सरल से जटिल की ओर बढ़ जाए।

11.4 क्रियाशीलता, रूचि, सजीवता से अनुप्रमाणित कक्षा का वातावरण

बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। भाषा शिक्षण के समय भी इस बात का प्रयास करना चाहिए कि यह क्रियाशीलता कक्षा-कक्ष में बनी रहे। शिक्षक के साथ-साथ छात्रों की भी सहभागिता निरंतर क्रियाशील रहनी चाहिए। इस सन्दर्भ में शिक्षक पढ़ाते समय प्रश्न पूछ सकता है तथा छात्रों द्वारा उसका उत्तर दिया जाए तथा मौखिक वर्णन के उपरांत शिक्षक छात्रों को उसको लिखित रूप में भी लिखवा सकता है, जिससे कक्षा में क्रियाशीलता बनी रहे। यदि किसी कार्य को करने के लिए छात्रों को उत्प्रेरित कर दिया जाए तो, वह उस कार्य को बड़ी निष्ठा और तत्परता से रुचि पूर्वक करेंगे। इसलिए कक्षा-कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बालकों की क्रियाशीलता के साथ-साथ उनकी रुचियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

छात्रों को पढ़ते समय वास्तविकता, घटनाओं तथा अनुभव से परिचित कराते हुए पढ़ाया जाए तो, अध्यापन उतना ही स्पष्ट एवं सफल होगा। भाषा संबंधी समस्या को दूर करने के लिए छात्रों को सप्ताह में कम से कम दो बार भाषा प्रयोगशाला में शुद्ध उच्चारण के लिए ले जाया

जाना भाषा शिक्षण के लिए लाभकारी साबित होगा। इसके लिए कक्षा-कक्ष में भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए।

उपयुक्त वातावरण निर्माण

भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यदि बच्चे के माता-पिता या आस-पड़ोस के लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो, बच्चा भी अशुद्ध उच्चारण करने लगता है। कक्षा में भाषा का अध्ययन कराते हुए अध्यापक को यह ध्यान में रखकर शिक्षण कराना होता है कि छात्र की भाषा पर उसके अलग-अलग परिवेश का प्रभाव है। इसलिए अध्यापक को ऐसा वातावरण कक्षा-कक्ष में बनाना होता है कि उच्चारण संबंधी कोई भी त्रुटि न हो जिससे छात्र शुद्ध उच्चारण करना सीख जाए तथा धीरे-धीरे वह शुद्ध भाषा बोलने व लिखने में अभ्यस्त हो सकें। अतः वाक्य के गठन का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है। मातृभाषा शिक्षण में भी सुनना और बोलना महत्व रखता है। क्योंकि कक्षा में बोली जाने वाली भाषा एवं घर में बोली जाने वाली भाषा में अंतर होता है। कक्षा में छात्र शुद्ध भाषा बोलने एवं लिखने का अभ्यस्त हो जाता है। वाक्य के गठन का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना बेहद जरुरी हो जाता है।

11.5 शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास पर बल

हिन्दी भाषा की हर ध्वनि के उच्चारण का अपना एक निश्चित मनोवैज्ञानिक ढंग है। हर ध्वनि के उच्चारण में जिहवा को एक निश्चित ढंग से, निश्चित स्थान पर स्पर्श करना होता है। मुख्यतः वाक्य में सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन होने पर ध्वनि भी परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चों को भाषा की शिक्षा देते समय सबसे पहले हिन्दी की ध्वनियों के वर्गीकरण का ज्ञान दिया जाए। ध्वनियों के वर्गीकरण का ज्ञान होने से बच्चे हर ध्वनि को अलग-अलग पहचान सकेंगे। स्वर क्या है? व्यंजन क्या है? स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है? अतः ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण के बिना भाषा के शुद्ध रूप की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए बचपन से ही बच्चों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना एवं अभ्यास करवाना अत्यंत आवश्यक होता है।

11.6 सारांश

भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम होता है। जैसे- सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आदि। संरचनात्मक पद्धति इसी क्रम के अनुसार भाषा शिक्षण के पक्षपाती है। शैशवास्था एवं बाल्यावस्था में बच्चों में अनुकरण प्रवृत्ति बड़ी तीव्र होती है और बालक अनुकरण से ही भाषा सीख जाता है। उसके उपरांत पढ़ना और लिखना भी प्रारंभ कर देता है। किंतु हमारे स्कूलों में यह क्रम भंग कर दिया है। भाषा शिक्षक का दायित्व बनता है कि विद्यालय में समय-समय पर

विभिन्न प्रकार की भाषा संबंधी क्रियाएं एवं खेल आयोजित किए जाएं ताकि बच्चों को इनमें अपने कौशलों के अभ्यास का अवसर मिले।

11.7 शब्दावली

शब्द	अर्थ
संरचना	भाषा की वाक्यात्मक व्यवस्था या ढाँचा
ढाँचागत प्रणाली	भाषा सिखाने की वह विधि जिसमें संरचनाओं का अभ्यास कराया जाता है
अभ्यास	बार-बार दोहराकर सीखी गई चीज़ों को मज़बूत करना
उपयुक्तता	सिखाई जा रही संरचना का व्यवहारिक उपयोग
एकरूपता	एक समान पैटर्न का निरंतर प्रयोग
संयोजन	विभिन्न शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया
पैटर्न अभ्यास	भाषा संरचना के नियमानुसार वाक्य बनाने का अभ्यास
उद्दीपन	विद्यार्थी को सीखने हेतु प्रेरित करने की क्रिया
लचीलापन	भाषा के ढाँचों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन
वास्तविक स्थिति	दैनिक जीवन की घटनाओं से जुड़ी संवाद-स्थिति

11.8 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- प्रमुख इकाई वाक्य भाषा सीखने के स्वाभाविक क्रम को समझकर उसका उल्लेख करने में सक्षम होंगे।
- सरल से जटिल की ओर सूत्र की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण में सरल से जटिल की ओर सूत्र के महत्व को समझकर उसका उल्लेख करने में सक्षम होंगे।
- क्रियाशीलता, रूचि, सजीवता से अनुप्रमाणित कक्षा के वातावरण पर प्रभाव को समझकर, उसका प्रयोग करने के उपायों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास पर अपनी कक्षा में हिन्दी भाषा पढ़ाते वक्त प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- हिन्दी भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास के महत्व का उल्लेख करने में सक्षम होंगे।

ऐसा माना जाता है कि किसी भी इकाई को सम्पूर्ण करने के उपरांत उस इकाई के उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य होगी। हिन्दी भाषा शिक्षण इस इकाई में विभिन्न अवयवों का अध्ययन करने के उपरांत छात्र-शिक्षक उपरोक्त कार्यों को करने सक्षम होंगे।

11.9 इकाई के अंत की गतिविधियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1 संरचनात्मक दृष्टिकोण एक ऐसी तकनीक है, जिसमें शिक्षार्थी वाक्य के पैटर्न में महारत हासिल करता है।

(अ) सही है (ब) गलत है (स) बिलकुल गलत है (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 2 कौनसी पद्धति भाषा शिक्षण की नई मान्यताओं पर आधारित है?

(अ) सिद्धांत प्रणाली (ब) संरचनात्मक प्रणाली (स) सहयोग प्रणाली (द) कोई नहीं

प्रश्न 3 संरचनाओं को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है?

(अ) लेखन के (ब) कहानी के (स) वाक्य के (द) शब्दों के

प्रश्न 4 विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द में कहाँ लगते हैं?

(अ) शब्द में (ब) शब्द के बीच में (स) शब्द के अंत में (द) शब्द के प्रारंभ में

प्रश्न 5 हिन्दी भाषा में वाक्य में पदक्रम के बारे में सामान्य नियम क्या है?

(अ) पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया पद रखा जाता है।

(ब) पहले क्रिया, फिर कर्म, फिर कर्ता पद रखा जाता है।

(स) पहले कर्म, फिर कर्ता, फिर क्रिया पद रखा जाता है ।

(द) पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म पद रखा जाता है ।

प्रश्न 6 भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम क्या होता है?

(अ) बोलना, सुनना, लिखना और पढना ।

(ब) सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ।

(स) लिखना, पढना, बोलना और सुनना।

(द) सुनना, पढना, लिखना और बोलना।

प्रश्न 7 कक्षा-कक्ष में भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए किस पर बल दिया जाना चाहिए?

(अ) अधिक से अधिक अभ्यास पर

(ब) अधिक से अधिक सुनने पर

(स) अधिक से अधिक बोलने पर

(द) अधिक से अधिक लिखने पर

प्रश्न 8 छात्र की भाषा पर उसके कैसे परिवेश का प्रभाव पड़ता है?

(अ) अधिक से अधिक परिवेश

(ब) कम से कम परिवेश

(स) एक जैसे परिवेश

(द) अलग-अलग परिवेश

प्रश्न 9 बच्चों को भाषा की शिक्षा देते समय सबसे पहले हिन्दी की.................के वर्गीकरण का ज्ञान दिया जाए।

(अ) किताबों (ब) वाक्यों (स) शब्दों (द) ध्वनियों

प्रश्न 10 बालक स्वभाव से कैसे होते हैं?

(अ) निष्क्रिय होते हैं।

(ब) क्रियाशील होते हैं।

(स) कोरी सलेट होते हैं।

(द) उपरोक्त सभी।

उत्तर कुंजी: 1(अ) 2(ब) 3(स) 4(द) 5(अ) 6(ब) 7(अ) 8(द) 9(द) 10(ब)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संरचनात्मक शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं?
2. हिन्दी भाषा सीखाने के लिए शिक्षक को कक्षा का कैसा वातावरण बनाना चाहिए?
3. भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या होता है?
4. बच्चों को भाषा की शिक्षा देते वक्त हिन्दी की ध्वनियों का वर्गीकरण करने की क्यों आवश्यता है?
5. छात्र की भाषा पर उसके परिवेश का कैसा प्रभाव पड़ता है?
6. कक्षा-कक्ष में भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास पर बल क्यों दिया जाना चाहिए?
7. बालक के स्वभाव का हिन्दी भाषा सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है?
8. मातृभाषा शिक्षण में भी सुनना और बोलना क्यों महत्वपूर्ण होता है?
9. शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास पर बल, हिन्दी भाषा सीखने के लिए क्यों जरुरी है?
10. हिन्दी भाषा शिक्षण में सरल से जटिल की ओर सूत्र के महत्व को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. क्रियाशीलता, रूचि, सजीवता से अनुप्रमाणित कक्षा के वातावरण पर प्रभाव को समझाइए और उसके प्रयोग करने के उपायों की व्याख्या कीजिये।
2. वाक्य भाषा सीखने की प्रमुख इकाई हैं- उदहारण सहित विस्तृत उल्लेख कीजिये।
3. हिन्दी भाषा शिक्षण में सरल से जटिल की ओर सूत्र के महत्व को समझाइए ।
4. हिन्दी भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास के महत्व का उल्लेख कीजिये।

5. ढांचागत शिक्षण प्रणाली अथवा संरचनात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यह प्रणाली कैसे हिन्दी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है?

11.10 सन्दर्भ ग्रन्थसूचि

1. नीलम, (2016), हिन्दी शिक्षण, अर्थ विजन पब्लिकेशन, गुडगाँव हरियाणा
2. सक्सैना, मालती (2016), हिन्दी का शिक्षण शस्त्रीय स्वरुप, राखी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, आगरा
3. सिंह, निरंजनकुमार (2019) माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
4. ओझा, पी.के.,(2008) हिन्दी शिक्षण, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
5. डबास, जयदेव (2013) हिन्दी भाषा शिक्षण, दोआबा हाउस, नई दिल्ली
6. चतुर्वेदी, शिक्षा (2008) हिन्दी शिक्षण, आर.लाल बुक डिपो, मेंरठ
7. नरूला, मधु (2015) हिन्दी शिक्षण, ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी पब्लिकेशन, पटियाला
8. पंडागले, प्रविनी (2015) हिन्दी शिक्षण, क्वालिटी पब्लिकेशन लिमिटेड, भोपाल

इकाई 12 : उद्देश्य-परक संप्रेषणात्मक प्रणाली*

इकाई की रुपरेखा

12.0 प्रस्तावना

12.1 उद्देश्य

12.2 संप्रेषण का अर्थ एवं उद्देश्य

12.2.1 संप्रेषण का अर्थ

12.2.2 संप्रेषण के उद्देश्य

12.3 संप्रेषण कौशल के प्रकार व कक्षा संप्रेषण में सहायक तत्व

12.3.1 औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण

12.3.2 शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण

12.3.3 लिखित संप्रेषण

12.3.4 व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संप्रेषण

12.3.5 कक्षा संप्रेषण में सहायक तत्व

12.4 शिक्षक का कार्य व कक्षा की गतिविधि

12.5 कक्षा संप्रेषण में बाधक तत्व

12.6 सारांश

12.7 शब्दावली

12.8 अधिगम प्रतिफल

12.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

12.10 संदर्भ

12.0 प्रस्तावना

जिस प्रकार से इन्सान के लिए घर और भोजन महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से 'संप्रेषण' भी जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि हम अपने आस-पास देखें तो, अनेक संप्रेषण के माध्यमों को पहचान सकते हैं। संप्रेषण लोगों तथा पर्यावण के साथ अंतःक्रिया

* Dr. Praveen Kumar Surjan, Assistant Professor, MANUU CTE, Varanasi

की प्रक्रिया को भी समझा जा सकता है। जब हम अन्य लोगों से बातचीत करते हैं तो, सूचनाओं, विचारों, एवं अभिवृतियों को साझा करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण अपनी बातों, विचारों एवं अभिव्यक्तियों को दूसरों तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। संप्रेषण एक संवाद की प्रक्रिया है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच चलती रहती है। इसमें संवाद या प्रतिक्रिया की विशेष भूमिका होती है।

इस इकाई के अंतर्गत संप्रेषण का अर्थ एवं विभिन्न परिभाषाओं के साथ-साथ संप्रेषण कौशल के प्रकार एवं कक्षा में भाषा सीखते समय सहायक तत्वों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही संप्रेषण किस तरह से शिक्षक की कक्षा-कक्ष गतिविधियों में भाषा शिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक को कक्षा संप्रेषण में किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह इकाई छात्र-शिक्षकों में संप्रेषण के कक्षा-कक्ष में बेहतर उपयोग के लिए महत्वपूर्ण समझ विकसित करेंगी।

12.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- संप्रेषण के अर्थ एवं उद्देश्यों को समझ सकेंगे और उनका विस्तृत उल्लेख कर सकेंगे।
- संप्रेषण कौशल के प्रकार व कक्षा संप्रेषण में सहायक तत्व का अध्ययन कर सकेंगे और अपनी कक्षा में पढ़ाने के दौरान इनका उयोग कर सकेंगे।
- शिक्षक का कार्य व कक्षा की गतिविधि में संप्रेषण के उपयोग को विस्तार से समझकर, उसका विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे।
- कक्षा संप्रेषण में बाधक तत्व को जान सकेंगे और उनके उपाय खोज सकेंगे।

12.2 संप्रेषण का अर्थ एवं उद्देश्य

12.2.1 संप्रेषण का अर्थ

'संप्रेषण' शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिन्दी रूपांतरण है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'कम्युनिस' से हुई है। जिसका अभिप्राय है साझा करना। संप्रेषण दो या उससे अधिक व्यक्तियों के भावों व विचारों के ऐसे आदान-प्रदान से है जहाँ दोनों सहयोगियों को परस्पर लाभ मिल सके। अंग्रेजी शब्द 'कम्यूनिकेशन' लैटिन 'कम्युनिस' से लिया गया है, जिसका अर्थ है सामान्य ज्ञान। संप्रेषण शब्द का अर्थ समान विचारों को साझा करना है। दूसरे शब्दों में, तथ्यों, विचारों, राय, भावनाओं या दृष्टिकोणों का प्रसारण और अंतःक्रिया को भी 'संप्रेषण' कहते हैं।

संप्रेषण एक दोतरफा प्रक्रिया है, जिसमें सूचना या संदेशों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करना शामिल है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें अपने

विचारों व संदेशों को भेजने के लिए कम से कम एक प्रेषक और प्राप्तकर्ता शामिल होता है। ये संदेश या तो कोई विचार, कल्पना, भावनाएँ या विचार हो सकते हैं।

संप्रेषण की विभिन्न परिभाषाएं

मैरीहस के अनुसार- "संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों और संवेगो के आपसी आदान-प्रदान की एक प्रक्रिया है।"

एजर डालेस के अनुसार- संप्रेषण "विचारों तथा अनुभूतियों को परस्परिक मनोवृति में बांटने की एक प्रक्रिया है"।

कीश डेविड के अनुसार- "संप्रेषण सूचना एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्रिया है।

परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि "संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विचारों व भावों का आदान-प्रदान किया जाता है"।

12.2.2 संप्रेषण के उद्देश्य

- व्यक्ति के जीवन की कोई भी गतिविधि एवं प्रक्रिया बिना किसी उद्देशों के नहीं हो सकती। इंसानी जिन्दगी में संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके निम्लिखित उद्देश्य हैं। वे -
- बालकों में स्वाभाविक रूप से शुद्ध प्रभाव पूर्ण एवं प्रभावोत्पादक ढंग से वार्तालाप करने की योग्यता विकसित करना ताकि वह अपने मनोभावों को सरलता से दूसरों के सामने प्रकट कर सकें।
- शिक्षक संप्रेषण प्रक्रिया के द्वारा बालकों के मौखिक रूप को और अधिक विकसित कर सकता है जिससे वह समूह को संबोधित करने का कौशल सीख सकें।
- छात्रों में क्रमिक रूप से निरंतर बोलते रहने की क्षमता पैदा करना, जिससे उनमें संकोच, झिझक और आत्महीनता की भावना दूर हो सके।
- संप्रेषण का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना भी होता है। संप्रेषण के द्वारा ही शिक्षक को छात्रों की रुचि एवं योग्यताओं का पता चलता है जिससे वह ऐसी शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन करता है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती हैं।
- शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों को नवीन तकनीक एवं सूचनाओं से छात्रों को अवगत कराना आवश्यक होता है, जिससे छात्र संप्रेषण कौशल में निपुण हो सके।

12.3 संप्रेषण कौशल के प्रकार व कक्षा संप्रेषण में सहायक तत्व

संप्रेषण कौशल के प्रकार को समझने के लिए संप्रेषण को विभिन्न आधारों पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है।

- औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण
- शाब्दिक और शाब्दिक संप्रेषण
- लिखित संप्रेषण
- व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संप्रेषण

12.3.1 औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण

औपचारिक संप्रेषण: औपचारिक संप्रेषण सुव्यवस्थित वातावरण में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। विद्यालय में पहले से ही कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, जिनका पालन कक्षा-कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों दोनों को करना होता है। जैसे कि समय सारणी व पाठ्यक्रम आदि। इस प्रकार के संप्रेषण में विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं को निभाना पड़ता है।

अनौपचारिक संप्रेषण: अनौपचारिक संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण के नियमों से स्वतंत्र होता है। इसमें औपचारिकताएं ना के बराबर होती हैं। यह संप्रेषण कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर हो सकता है। इस प्रकार का संप्रेषण और नियोजित होता है। अध्यापक और विद्यार्थी बहुत से विषयों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान अनौपचारिक वातावरण में सहजता के साथ करते हैं।

12.3.2 शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण

शाब्दिक या मौखिक संप्रेषण: मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण है। इसमें विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों आमने-सामने होकर, मौखिक वार्तालाप करते हैं। शिक्षण का यह संप्रेषण कौशल अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कक्षा-कक्ष शिक्षण में मौखिक संप्रेषण अधिकतर मौखिक या शाब्दिक अंतः क्रिया के रूप में होता है। जैसे- प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, व्याख्या करना, प्रदर्शन करना आदि।

अशाब्दिक या अमौखिक संप्रेषण: अमौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में चिन्हों, संकेतों, प्रतीको एवं हाव-भावों आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख मुद्रा, आंखों के इशारे, शारीरिक हलचल आदि के द्वारा शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जाता है। मुख्यतः इस कौशल का प्रयोग कक्षा-कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके साथ-साथ इस संप्रेषण कौशल का उपयोग मूख-बधिर बालको को पढ़ाने के लिए किया जाता है।

12.3.3 लिखित संप्रेषण

लिखित संप्रेषण का अर्थ होता है अपने विचारों को लिखित रूप देना क्योंकि यह सूचनाओं को संप्रेषित करने का स्थाई और प्रभावशाली माध्यम होता है। लिखित संप्रेषण ज्ञान और शोध को सुव्यवस्थित करने में भी सहायता करता है। समाचार, पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तक, होडिंग्स, साइन बोर्ड, पोस्टर, ईमेंल, नोटिस आदि लिखित संप्रेषण के उदाहरण है।

12.3.4 व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संप्रेषण

इस प्रकार का संप्रेषण निम्नलिखित होता है

एक और एक के बीच संप्रेषण: इस प्रकार की स्थिति में केवल दो ही व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण होता है। इस संप्रेषण में अध्यापक-छात्र, पिता-पुत्र आदि के साथ रोज वार्तालाप को एक और एक के बीच संप्रेषण कहा जाता है।

लघु समूह संप्रेषण: इस प्रकार का संप्रेषण लघु समूह के बीच में होता है जैसे अध्यापक का अपनी कक्ष-कक्ष के छात्रों के मध्य समूह बनाकर संप्रेषण करना।

सामूहिक संप्रेषण: यह संप्रेषण तब होता है जब विद्यालय में प्रातः कालीन सभा या त्योहार, वार्षिक मेंला व प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है।

संस्थागत या संगठनात्मक संप्रेषण: इस प्रकार का संप्रेषण तब होता है जब किसी संदेश को किसी संगठन या संस्था के अंतर्गत ही भेजना हो जैसे किसी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज आदि को किसी सूचना का सन्देश भेजना।

12.3.5 कक्षा संप्रेषण में सहायक तत्व

कक्षा-कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण होना आवश्यक है। शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेषण मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। कक्षा-कक्ष में बैठकर छात्र व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों की समस्याओं का समाधान करें। छात्र भी अपने विचार निस्संकोच शिक्षक समक्ष रख सकें। जिससे शिक्षक एवं छात्रों के बीच विचारों, भावनाओं के बिना रूकावट के अंतःक्रिया होगी और संप्रेषण अच्छा होगा।

संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री, संप्रेषण परिस्थितियों तथा वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कक्षा में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश का होना, उचित मात्रा में फर्नीचर, पंखे, लाइट और मनोवैज्ञानिक वातावरण का होना आवश्यक है। इसके साथ-साथ संप्रेषण कौशल में अध्यापक का प्रभावशाली व्यक्तित्व, शिक्षण की शैली आदि भी संप्रेषण को प्रभावित करती हैं।

12.4 शिक्षक का कार्य व कक्षा की गतिविधि

इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों के द्वारा भाषा सीखने में सहायक सुविधाओं को उपलब्ध कराता है एवं उन्हें कक्षा में उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। इस प्रकार से शिक्षक एक प्रशिक्षक ना होकर सुविधा प्रदाता होता है जो छात्रों को ऐसी सुविधा अथवा वातावरण देता है जिससे छात्र में भाषा कौशल का भलीभांति विकास हो सके। इसमें पाठ्य पुस्तक श्रृंखला का उपयोग नहीं होता वरना पठन एवं लेखन से पूर्व ध्वनि या मौखिक कौशल विकसित करने पर बल दिया जाता है।

इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा की गतिविधियों का चयन करते हैं, जिससे छात्रों में संवाद करने का गुण प्रभावशाली ढंग से विकसित हो सके। संप्रेषण विधि का प्रयोग करने वाले शिक्षकों में मौखिक गतिविधियां लोकप्रिय होती हैं। यह गतिविधियां व्याकरण के अभ्यास अथवा पढ़ने लिखने की गतिविधियों के विपरीत हैं। क्योंकि इसमें शिक्षक छात्रों से सक्रिय वार्तालाप, रचनात्मक एवं प्रतिक्रियाओं पर विशेष बल देता है।

12.5 कक्षा संप्रेषण के बाधक तत्व

- कक्षा में प्रश्न किस प्रकार से किए जा रहे हैं। कभी-कभी किसी विषय पर शिक्षक व छात्र उचित प्रश्न नहीं पूछ पाते।
- छात्रों में रुचि का अभाव दिखाई पड़ता है।
- संप्रेषण सामग्री का उचित मात्रा में उपलब्ध न होना भी कक्षा-कक्ष गतिविधि में बाधक होता है।
- अपने आप में संप्रेषण के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध न होना बाधा पैदा करता है।
- संप्रेषण को सुचारू रूप से करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य होता है क्योंकि अप्रशिक्षित अध्यापकों का होना इस प्रकिया में बाधक होता है।
- वर्तमान समय में संप्रेषण के लिए आधुनिक तकनीकी का होना भी जरुरी है क्योंकि इन तकनीको का आभाव संप्रेषण में बाधक हो सकता है।

12.6 सारांश

इस इकाई में आप संप्रेषण के विविध पक्षों के साथ-साथ संप्रेषण शिक्षण के विषय में समझ विकसित कर चुके हैं। आप इस इकाई को अपनी कक्षा-कक्ष के अनुभवों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इससे आपको अपनी संप्रेषण कला विकसति करने में मदद मिलेगी। संप्रेषण एक संवाद की प्रक्रिया है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच चलती रहती है। इसमें जवाब या प्रतिक्रिया की विशेष भूमिका होती है। इसमें कक्षा-कक्ष में इस बात पर ध्यान देना होता है कि अपेक्षित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और वास्तविक प्रक्रिया क्या हुई। इससे यह भी मालूम चलता है कि संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण के मूलतत्व सामान्यतः शिक्षक

एवं छात्र के मध्य संप्रेषण पूरा होता है। परन्तु संप्रेषण की प्रक्रिया कक्षा-कक्ष गतिविधियों के सम्पूर्ण होने पर पूरी होती है। यदि अपेक्षित एवं वास्तविक प्रतिक्रिया में समानता है तो, संप्रेषण सफल होगा अन्यथा नहीं।

इस इकाई के अंतर्गत संप्रेषण का अर्थ एवं विभिन्न परिभाषाओं के साथ-साथ संप्रेषण कौशल के प्रकार एवं कक्षा में भाषा सीखते समय सहायक तत्वों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही संप्रेषण किस प्रकार से शिक्षक की कक्षा-कक्ष गतिविधियों में भाषा शिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शिक्षक को कक्षा संप्रेषण में किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह इकाई छात्र-शिक्षकों में संप्रेषण के कक्षा-कक्ष में बेहतर उपयोग के लिए महत्वपूर्ण समझ विकसित करेंगी।

12.7 शब्दावली

शब्द	**अर्थ**
संप्रेषण	विचारों, भावनाओं या सूचना का आदान-प्रदान
उद्देश्यपरक प्रणाली	पूर्वनिर्धारित लक्ष्य के आधार पर भाषा सिखाने की पद्धति
संवाद	दो या अधिक व्यक्तियों के बीच की बात-चीत
संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण	वास्तविक जीवन स्थितियों में भाषा प्रयोग को महत्व देना
लक्ष्य	शिक्षण के दौरान प्राप्त की जाने वाली उपलब्धि
सजीव शिक्षण	विद्यार्थी को केंद्र में रखकर संवादात्मक वातावरण में शिक्षा
कार्यगत शिक्षण	काम करते हुए भाषा का अभ्यास
संवादात्मक भाषा	बातचीत पर आधारित शिक्षण
शैक्षिक संदर्भ	शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सामाजिक या सांस्कृतिक स्थिति
उपयुक्त प्रतिउत्तर	प्रभावी और सटीक उत्तर देना

12.8 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- संप्रेषण के अर्थ एवं उद्देश्यों को समझ सकेंगे और उनका विस्तृत उल्लेख करने में सक्षम होंगे।
- संप्रेषण कौशल के प्रकार व कक्षा संप्रेषण में सहायक तत्व का अध्ययन करने के उपरांत, अपनी कक्षा में पढ़ाने के दौरान इनका उयोग करने में सक्षम होंगे।
- शिक्षक का कार्य व कक्षा की गतिविधि में संप्रेषण के उपयोग को विस्तार से उल्लेख करने में सक्षम होंगे।
- कक्षा संप्रेषण में बाधक तत्व को जान सकेंगे और उनके उपाय खोजने में सक्षम होंगे।

12.9 इकाई के अंत की गतिविधियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1 संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिन्दी रूपांतरण है?

(अ) कम्युनिकेशन (ब) कॉम्प्रिहेंशन (स) कैलकुलेशन (द) कोमुनिक

प्रश्न 2 संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है?

(अ) जर्मन भाषा (ब) लेटिन भाषा (स) ग्रीक भाषा (द) फ़्रांसिसी भाषा

प्रश्न 3 संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है?

(अ) सीढ़ी प्रक्रिया (ब) संवाद की प्रक्रिया (स) भाषा की प्रक्रिया (द) लेखन की प्रक्रिया

प्रश्न 4 शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेषण किस प्रकार से हो सकता है?

(अ) मौखिक (ब) लिखित (स) मौखिक और लिखित दोनों (द) उपरोक्त कोई नहीं

प्रश्न 5 लिखित संप्रेषण किन अवयवों को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है?

(अ) ज्ञान (ब) शोध (स) ज्ञान और शोध दोनों (द) उपरोक्त कोई नहीं

प्रश्न 6 मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण किसे कहते हैं?

(अ) लिखित संप्रेषण (ब) अमौखिक संप्रेषण

(स) लिखित एवं मौखिक संप्रेषण (द) मौखिक संप्रेषण

प्रश्न 7 कक्षा-कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच क्या होना आवश्यक है?

(अ) मौखिक संप्रेषण (ब) लिखित संप्रेषण (स) संप्रेषण (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 8 किस प्रकार का संप्रेषण लघु समूह के बीच में होता है?

(अ) सामूहिक संप्रेषण (ब) लघु समूह संप्रेषण

(स) संस्थागत संप्रेषण (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 9 अमौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में चिन्हों, संकेतों, प्रतीको एवं हाव-भावो आदि का उपयोग किया जाता है।

(अ) सही कथन (ब) गलत कथन (स) सामान्य कथन (द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 10 संप्रेषण कौशल में अध्यापक का प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा..................................आदि भी संप्रेषण को प्रभावित करती हैं।

(अ) सामूहिक क्रिया (ब) संप्रेषण की तकनीक

(स) शिक्षण की शैली (द) उपरोक्त सभी

उत्तर कुंजी: 1(अ) 2(ब) 3(ब) 4(स) 5(स) 6(द) 7(स) 8(ब) 9(अ) 10(स)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. लिखित संप्रेषण किसे कहते हैं?
2. मौखिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं?
3. लघु समूह संप्रेषण एवं सामूहिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट कीजिये।

4. एक और एक के बीच संप्रेषण तथा संस्थागत संप्रेषण में क्या भेद है?
5. संप्रेषण शब्द का अर्थ बताइए।
6. एक भाषा के शिक्षक को किस प्रकार के संप्रेषण कौशलों की आवश्यकता होती है ?
7. शिक्षक को कक्षा संप्रेषण में किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है?
8. संप्रेषण किस प्रकार से शिक्षक की कक्षा-कक्ष गतिविधियों में भाषा शिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
9. कक्षा में पढ़ते समय शिक्षक विशेष रूप से किन गतिविधियों पर अधिक बल देता है?
10. एक शिक्षक किस प्रकार से अपने संप्रेषण को प्रभावशाली बना सकता है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संप्रेषण के अर्थ एवं उद्देश्यों को समझाइए और उनका विस्तृत उल्लेख कीजिये।
2. संप्रेषण कौशल के प्रकार व कक्षा संप्रेषण में सहायक तत्व का विस्तृत विवरण दीजिए।
3. शिक्षक के कार्य व कक्षा की गतिविधि में संप्रेषण के उपयोग को विस्तार से उल्लेखित कीजिये।
4. कक्षा संप्रेषण में बाधक तत्व कौन-कौन से हैं ? उनका उपाय क्या हो सकता है? विस्तार से लिखिए।
5. एक शिक्षक अपनी कक्षा में भाषा पढ़ाते समय किस प्रकार से संप्रेषण प्रकिया का उपयोग करके प्रभावशाली तरीके से पढ़ा सकता है। अपने विचार व्यक्त कीजिये।

12.10 सन्दर्भ

1. नीलम, (2016), हिन्दी शिक्षण, अर्थ विजन पब्लिकेशन, गुडगाँव हरियाणा
2. सक्सैना, मालती (2016), हिन्दी का शिक्षण शस्त्रीय स्वरुप, राखी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, आगरा
3. सिंह, निरंजनकुमार (2019) माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
4. ओझा, पी.के.,(2008) हिन्दी शिक्षण, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
5. डबास, जयदेव (2013) हिन्दी भाषा शिक्षण, दोआबा हाउस, नई दिल्ली
6. चतुर्वेदी, शिक्षा (2008) हिन्दी शिक्षण, आर.लाल बुक डिपो, मेंरठ
7. नरूला, मधु (2015) हिन्दी शिक्षण, ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी पब्लिकेशन, पटियाला
8. पंडागले, प्रविनी (2015) हिन्दी शिक्षण, क्वालिटी पब्लिकेशन लिमिटेड, भोपाल

इकाई 13 : सूक्ष्म शिक्षण*

इकाई की रुपरेखा

13.0 प्रस्तावना

13.1 उद्देश्य

13.2 सूक्ष्म शिक्षण

13.2.1 सूक्ष्म शिक्षण परिचय, अर्थ एवं परिभाषा

13.2.2 सूक्ष्म शिक्षण के फीचर

13.2.3 सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं

13.2.4 सूक्ष्म शिक्षण के घटक

13.2.5 सूक्ष्म पाठ

13.2.6 सूक्ष्म शिक्षण के लाभ

13.2.7 सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य

13.2.8 सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया

13.2.9 सूक्ष्म-शिक्षण के चरण

13.2.10 सूक्ष्म शिक्षण के अनुप्रयोग

13.2.11 सूक्ष्म शिक्षण के गुण एवं दोष

13.2.12 सूक्ष्म शिक्षण दृष्टिकोण में सावधानियां

13.3 सारांश

13.4 शब्दावली

13.5 अधिगम प्रतिफल

13.6 इकाई के अंत की गतिविधियां

13.7 संदर्भ

* Dr. Pooja Singh, Assistant Professor, MANUU CTE, Nuh

13.0 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में सूक्ष्म शिक्षण एवं इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जायेगा। भाषा एक ऐसा विषय है, जिसमें ज्ञान तथा कौशल दोनों का महत्व होता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों में ज्ञान तथा कौशल दोनों से संबंधित योग्यताओं के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होता है। भाषा के पाठ अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं और पाठ शिक्षण के समय पाठों में निहित विषय विशेष से संबंधित तथ्यों, संदर्भों आदि को स्पष्ट करने के लिए शिक्षार्थियों को उससे संबंधित सामग्री का अध्ययन करने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी साहित्यकार की रचना पढ़ाते समय उसकी शिक्षण की विभिन्न विधाओं के विषय में जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि शिक्षक के पास स्वंय भी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो। भाषा के पाठों की बहुआयामी प्रकृति के कारण उन्हें विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जा सकता है एवं पाठ की विषयवस्तु एवं सामग्री के अनुसार शिक्षण के विभिन्न कौशलों के माध्यम से यह कार्य सम्पन्न हो सकता है। प्रस्तुत इकाई में इन विभिन्न प्रकार के कौशलों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के साथ सूक्ष्म शिक्षण के विषय में जानने का प्रयत्न किया गया है।

13.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- सूक्ष्म अध्यापन की परिभाषा, अवधारणा और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।
- अध्यापक-प्रशिक्षण में सूक्ष्म अध्यापन की भूमिका और महत्व को पहचान सकेंगे।
- सूक्ष्म अध्यापन के प्रमुख चरणों (योजना, प्रदर्शन, पुनः योजना, पुनः प्रदर्शन और मूल्यांकन) को समझ सकेंगे।
- सूक्ष्म अध्यापन के अंतर्गत प्रयुक्त शिक्षण कौशलों की पहचान और अभ्यास कर सकेंगे।
- एकल कौशल पर केंद्रित पाठ योजना तैयार करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे।
- शिक्षण कौशलों के सुधार हेतु समालोचना और रचनात्मक सुझाव देने की दक्षता अर्जित कर सकेंगे।

13.2 सूक्ष्म शिक्षण

शिक्षण कला में केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान का सरल हस्तांतरण शामिल नहीं होता है। दरअसल शिक्षण कला एक जटिल प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक तो बनाती ही है। साथ ही यह इसे प्रभावित भी करती है। किसी भी शिक्षक की गुणवत्ता का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी का स्तर कैसा हैं? ऐसी मान्यता है कि आवश्यक प्राथमिक शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए असल कक्षाओं का उपयोग सीखने के मंच के रूप में नहीं किया जा सकता है। शिक्षण के लिए शैक्षणिक कौशल

केवल अधिक संरचित और सुलभ संकाय प्रशिक्षण तकनीकों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म-शिक्षण शिक्षक शिक्षा या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सबसे हालिया नवाचारों में से एक है जिसका उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार शिक्षक के व्यवहार को संशोधित करना है। यह रिकॉर्डिंग, समीक्षा, प्रतिक्रिया, परिष्कृत तथा पुनर्रचित करने की एक वैषयिक प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक अभिनियंत्रित अभ्यास है, जो छात्र-शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना संभव बनाता है। इसे शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में विभिन्न सेवापूर्व और सेवाकालीन स्तरों पर प्रयोग किया जाता है। यह शिक्षकों को निर्देश देने के लिए एक अभ्यास करने हेतु स्थान प्रदान करता है, जिसमें कक्षा की सामान्य जटिलताएँ कम हो जाती हैं और जिसमें शिक्षक को अपने प्रदर्शन पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।

13.2.1 सूक्ष्म शिक्षण परिचय, अर्थ एवं परिभाषा

'सूक्ष्म शिक्षण' शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के डी. एलन ने इसे (सूक्ष्म शिक्षण) 1963 में प्रतिपादित किया था। एलन के इस प्रयोग को शिक्षक शिक्षा संस्थानों ने हाथों-हाथ लिया और देखते ही देखते सूक्ष्म शिक्षण का चलन विश्व पटल पर होने लगा। भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान भी इससे अछूते नही रहे और भारत में भी इसका चलन यहां के शिक्षण संस्थानों का एक महत्वपूर्ण सरोकार बन गया। लगभग 70 के दशक में सूक्ष्म शिक्षण भारतीय शिक्षक शिक्षा नीति का अभिन्न अंग बना दिया गया। सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य रूप से अभ्यास के रूप में आरंभ करने के पीछे यह तर्क विद्यमान था कि कोई भी शिक्षण कार्य करने से पूर्व उससे संबंधित तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है यथा सूक्ष्म शिक्षण को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। इसी क्रम में, इन कौशलों को अनिवार्य रूप से पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशलों की पहचान कर उन कौशलों पर महारत हासिल करने के लिए उनके तकनीकी आयाम का अध्ययन सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कराए जाने लगे हैं। शिक्षक के इन कौशलों में महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न उत्तर कौशल, श्यामपट्ट पर कार्य करने संबंधी कौशल आदि हैं।

बुश (1968) ने सूक्ष्म शिक्षण को 'एक शिक्षक शिक्षा तकनीक के रूप में परिभाषित किया है जो शिक्षकों को वास्तविक छात्रों के एक छोटे समूह के साथ पांच से दस मिनट की योजनाबद्ध श्रृंखला में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पाठों में सुपरिभाषित शिक्षण कौशल के अनुप्रयोग की अनुमति देता है, जिसके परिणामों को प्राय वीडियो टेप के माध्यम से देखा जा सकता हैं।

एलन (1976) का मानना है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय का एक क्षणिक शिक्षण अनुभव है।

मैक एलीज एवं अन्विन (1970) के अनुसार, “शिक्षण प्रशिक्षार्थी द्वारा सरलीकृत वातावरण में किए गए शिक्षण-व्यवहारों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए क्लोज़ सर्किट टेलीविजन के प्रयोग को प्रायः 'सूक्ष्म-शिक्षण' कहा जाता है।'

एल. सी. सिंह (1977) के अनुसार, “सूक्ष्म शिक्षण एक अल्पकालिक शिक्षण अनुभव है जहाँ एक शिक्षक 5-20 मिनट की अल्पकालिक समयावधि में पांच विद्यार्थियों के समूह की एक सूक्ष्म ईकाई को पढ़ाता है। ऐसी स्थिति एक अनुभवी या अनुभवहीन शिक्षक के लिए नए शिक्षण कौशल हासिल करने और पुराने कौशल को निखारने के लिए सहायक स्थितियां प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण अब एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक बन गई है, जो अब में दुनिया भर में प्रचलित है, और शिक्षकों को शिक्षण कौशल कहे जाने वाले विभिन्न सरल कार्यों में सुधार करके अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। दरअसल यह वास्तविक शिक्षण अनुभव को बढ़ावा देने में सहायता करता है। सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य कौशल जैसे प्रस्तुति और सुदृढीकरण कौशल, नए परन्तु अप्रशिक्षित शिक्षकों को आसानी से और अधिकतम सीमा तक शिक्षण कला सीखने में मदद करते हैं। इस तकनीक का लाभ यह है कि इसे शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों ही स्तरों में लागू किया जा सकता है। यह शिक्षक को निर्देशित करने हेतु एक अभ्यास व्यवस्था प्रदान करता है, जिसमें मूल कक्षा की सामान्य जटिलताएँ कम हो जाती है, और जिसमें शिक्षक को अपने प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। सामान्य शिक्षण के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम करने के लिए, कई आयाम एवं सीमाएँ हैं। इसमें पाठ को छोटा कर दिया जाता है जिससे पाठ का दायरा सीमित हो जाता है और शिक्षक केवल कुछ ही छात्रों को पढ़ाता है। मूल रूप से सूक्ष्म शिक्षण में, प्रशिक्षु को कम समय के लिए शिक्षण करना होता है। इसे कक्षा के आकार, (5-10 छात्रों) के पाठ को कम समय (5-10 मिनट) के संदर्भ में, यहां तक कि शिक्षण कार्यों के संदर्भ में भी छोटा किया जाता है। शिक्षण कार्यों में विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास और महारत हासिल करना शामिल होता है, जैसे - व्याख्यान देना या स्पष्टीकरण, प्रश्न पूछना या चर्चा का नेतृत्व करना, विशिष्ट शिक्षण रणनीतियों में महारत हासिल करना, लचीलापन आदि। एक समय में केवल एक ही कौशल या क्रियाकलाप लिया जाता है। यदि संभव हो तो, सूक्ष्म पाठ को वीडियो-टेप या टेप रिकॉर्ड किया जाता है। छात्र शिक्षक तुरंत अपने पाठ को देखता है, उसका मूल्यांकन करता है। अपने दृष्टिकोण में संशोधन करता है, विद्यार्थियों के दूसरे समूह को पाठ दोबारा पढ़ाता है, समीक्षा करता है और मूल्यांकन करता है। सार यही है कि यह एक ऐसी तकनीक है, जिससे कम अनुभवी अध्यापक अपनी शिक्षण-कार्य में वांछित सुधार से प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रदान कर सकता हैं

और प्रशिक्षार्थी की प्रक्रिया में कुशलता अर्जन के लिए तय स्तर पर एक-एक पल पर तकनीकी ढंग से किए अभ्यास से शिक्षण-कला को पूर्णता की ओर ले जाया जा सकता है।

13.2.2 सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं

हम सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं का अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं:

- नया आविष्कार
- वास्तविक शिक्षण
- अल्पावधि शिक्षण
- व्यक्तिगत शिक्षण उपकरण
- फ़ीडबैक प्रदान करना
- शिक्षकों की तैयारी के लिए उपकरण
- एक समय में एक कौशल का चयन करना और उसमें महारत हासिल करना
- सरल एवं त्वरित अवलोकन करने के लिए वीडियोटेप और सीसीटीवी का उपयोग करना
- प्रशिक्षण के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण।

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण एक अपेक्षाकृत नया नवाचार है। यह वास्तविक शिक्षण है। लेकिन शिक्षण कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। इसे कक्षा के आकार, पाठ की अवधि के आकार और एक समय में एक विशेष शिक्षण कौशल के संदर्भ में शिक्षण की अवधि को कम किया जाता है। यह एक अत्यधिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपकरण है। यह प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त फीडबैक प्रदान करता है। वस्तुतः यह प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने का एक उपकरण है। यह एक कौशल का चयन करने और वास्तविक कक्षाओं के माध्यम से इसका अभ्यास करने और फिर उसी तरीके से दूसरों को अपनाने का अवसर प्रदान करता है। इसमें वीडियो-टेप और क्लोज सर्किट टेलीविजन का उपयोग होता है और इस प्रकार यह अवलोकन को बहुत प्रभावी बनाता है। हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण का एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है।

13.2.3 सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं

सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं। वे

- यह एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है, न कि कक्षा निर्देश की एक विधि।
- यह इस अर्थ में सूक्ष्म है कि यह वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है।
- सामग्री में से एक समय में एक ही अवधारणा को लिया जाता है।
- केवल एक कौशल का अभ्यास किया जाता है।
- कक्षा का आकार कम कर दिया जाता है और इस प्रकार छात्रों की संख्या केवल 5 से 7 हो जाती है।
- प्रत्येक सूक्ष्म पाठ की अवधि 5 से 7 मिनट है।
- पाठ पूरा होने के तुरंत बाद फीडबैक प्रदान किया जाता है

- वीडियो टेप और क्लोज सर्किट टेलीविजन का उपयोग अवलोकन को बहुत वस्तुनिष्ठ बनाता है।
- यह अत्यधिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपकरण है।
- जब इस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो, किसी कौशल का अभ्यास करने में उच्च स्तर का नियंत्रण होता है।
- इसका निर्माण शिक्षक और छात्र के लाभ के लिए किया गया है।

यह विशिष्ट शिक्षा समस्याओं को प्रबंधनीय फोकस में लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान करता है।

13.2.4 सूक्ष्म शिक्षण के घटक

- एक अध्यापक
- विद्यार्थी (आमतौर पर 5-7)
- एक संक्षिप्त पाठ
- विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य
- पर्यवेक्षक द्वारा फीडबैक या ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग या क्लोज सर्किट टेलीविजन का उपयोग।

13.2.5 सूक्ष्म पाठ

एक सूक्ष्म शिक्षण सत्र में आम तौर पर किसी की शिक्षण शैली पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक छोटे सहकर्मी समूह के सामने एक छोटा पाठ रिकॉर्ड करना शामिल होता है। यह अभ्यास प्रतिभागियों को शिक्षण का अभ्यास करने का अवसर देता है और भयमुक्त और सहायक वातावरण में प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। माइक्रोटीचिंग प्रतिभागियों को छात्र के परिप्रेक्ष्य का अनुकरण करके उनके शिक्षण पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने की भी अवसर प्रदान करता है। माइक्रोटीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण प्रतिभागी वस्तुतः यह देखने में सक्षम हो जाता हैं कि वे "छात्रों" की आंखों के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ाते हैं - इस मामले में, उनके साथी सहकर्मी प्रतिभागियों - और रिकॉर्ड किए गए प्लेबैक के माध्यम से खुद को पढ़ाते हुए, एक सच्चे सूक्ष्म शिक्षण सत्र में, प्रतिभागी केवल 5 मिनट के लिए उपस्थित होते हैं और उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। फिर वीडियो को सभी प्रतिभागियों के सामने चलाया जाता है। माइक्रोटीचिंग का एक प्रकार लंबी शिक्षण प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड करना और प्रतिभागियों के लिए डीवीडी तैयार करना है, जिसे बाद में गोपनीय अनुवर्ती परामर्श के दौरान देखा जा सकता है।

13.2.6 सूक्ष्म शिक्षण के लाभ

दृश्य प्रतिक्रिया (रिकॉर्ड किए गए पाठ को देखने के माध्यम से) शिक्षण शक्तियों का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक प्रदान

करने के लिए पाया गया है। माइक्रोटीचिंग शिक्षण व्यवहार के आंतरिक (स्व-मूल्यांकन) और बाहरी (सहकर्मी समीक्षा) दोनों मूल्यांकन को सक्षम बनाता है। प्रभावी शिक्षण के विकास के लिए कई कौशलों और व्यवहारों को आवश्यक माना गया है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, कोई भी इन अवलोकन योग्य शिक्षण कौशल और व्यवहारों को पहचानने और उनमें सुधार करने का प्रयास कर सकता है। सूक्ष्म शिक्षण सत्र में उक्त कौशल और व्यवहार के किसी भी संयोजन के अभ्यास से कक्षा में प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। ऐसे कुछ कौशल और अवलोकनीय शिक्षण व्यवहार में शामिल हैं।

- मौखिक प्रस्तुति कौशल (आवाज मॉड्यूलेशन और अभिव्यक्ति, उत्साह, इशारे, गैर-मौखिक संकेत, स्पष्टीकरण और उदाहरणों की स्पष्टता)
- संगठन कौशल (पाठ की संरचना, मजबूत शुरुआत और समापन, अनुभागों के बीच अच्छा बदलाव, स्पष्ट सीखने के उद्देश्य, समय का प्रभावी उपयोग, अच्छी गति)
- छात्र से संबंधित (वक्ता दर्शकों को आकर्षित करता है, सामग्री दर्शकों के लिए उपयुक्त है, प्रभावी पूछताछ, वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग) शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी उपयोग (हैंडआउट्स, ब्लैकबोर्ड, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ओवरहेड पारदर्शिता, प्रॉप्स, चार्ट, आदि)

शिक्षण कौशल में सुधार के साथ-साथ शिक्षण शक्तियों की पहचान करने में मदद करने के अलावा, सूक्ष्म शिक्षण सत्र निम्नलिखित के लिए भी अवसर प्रदान कर सकते हैं:

- कोई पाठ्यक्रम देने या पहली बार किसी प्रयोगशाला का प्रदर्शन करने से पहले किसी व्याख्यान के भाग का अभ्यास करना या कोई गतिविधि चलाना या किसी प्रक्रिया को समझाना है।
- किसी अतिथि व्याख्यान का अभ्यास करना जिसे आपको किसी और के पाठ्यक्रम में देने के लिए कहा गया है।
- नौकरियों के लिए आवेदन करते समय किसी परिसर में जाने से पहले नौकरी पर चर्चा का अभ्यास करें।
- छात्रों को पहली बार संबोधित करने से पहले सार्वजनिक रूप से बोलने के कौशल का अभ्यास करें।
- यदि आप पहले से ही एक अनुभवी प्रशिक्षक हैं, तो अपनी प्रश्न पूछने की तकनीक या अपने उद्घाटन और समापन कौशल को निखारना है।

13.2.7 सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य

सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं। वे-

- कक्षा की स्थितियों की जटिलताओं को कम करके प्रशिक्षणाधीन शिक्षकों को अभ्यास शिक्षण देना।
- शिक्षकों की कमियों को पहचानना और उनके व्यवहार में सुधार के लिए तत्काल प्रतिक्रिया देना।
- प्रयोगात्मक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम विकसित करना और नए शिक्षण कौशल की पहचान करने वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षण प्रक्रिया और पर्यवेक्षण पर अधिक नियंत्रण के माध्यम से शिक्षण में सुधार करना।
- शिक्षक प्रशिक्षुओं को विद्यार्थियों के एक छोटे समूह में शिक्षण में आत्मविश्वास हासिल करने और कई शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम बनाना।
- अत्यधिक आवश्यक फीडबैक प्रदान करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षुओं की शैक्षणिक क्षमता का उपयोग करना।
- कम समय, धन और सामग्री के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करना।

13.2.8 सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया

सूक्ष्म शिक्षण में निम्नलिखित प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वे-

- **एक कौशल को परिभाषित करना:** शिक्षण कौशल के बारे में ज्ञान और जागरूकता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुओं को शिक्षण व्यवहार के संदर्भ में एक विशेष कौशल को परिभाषित किया जाता है।
- **कौशल का प्रदर्शन:** विशिष्ट कौशल का प्रदर्शन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है या शिक्षक प्रशिक्षु को वीडियोटेप या फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है।
- **पाठ की योजना बनाना:** छात्र शिक्षक अपने पर्यवेक्षक की मदद से एक संक्षिप्त (सूक्ष्म) पाठ की योजना बनाता है, जिसमें वह एक विशेष कौशल का अभ्यास कर सकता है।
- **पाठ पढ़ाना:** छात्र शिक्षक विद्यार्थियों के एक छोटे समूह (5-10) को पाठ पढ़ाता है। पाठ को पर्यवेक्षक या साथियों द्वारा देखा जाता है या वीडियोटेप या ऑडियोटेप या सीसीटीवी के माध्यम से देखा जाता है।
- **चर्चा**: प्रशिक्षु को फीडबैक प्रदान करने के लिए शिक्षण के बाद चर्चा की जाती है। अपने स्वयं के शिक्षण प्रदर्शन के बारे में जागरूकता छात्र शिक्षक को सुदृढ़ीकरण प्रदान करती है।
- **पुनः योजना बनाना:** चर्चा और सुझावों के आलोक में छात्र शिक्षक किसी विशेष कौशल का प्रभावी ढंग से अभ्यास करने के लिए पाठ की पुनः योजना बनाता है।

- **पुनः पढ़ाना:** संशोधित पाठ को विशेष कौशल का अभ्यास करने के लिए उसी कक्षा के छात्रों के दूसरे छोटे समूह को उसी अवधि के लिए दोबारा पढ़ाया जाता है।
- **पुनः चर्चा:** पुनः शिक्षण के बाद फिर से चर्चा, सुझाव और शिक्षण प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार प्रशिक्षु को फिर से फीडबैक प्रदान किया जाता है।
- **चक्र को दोहराना:** कौशल का वांछित स्तर प्राप्त होने तक 'सिखाओ-फिर से सिखाओ' चक्र दोहराया जाता है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि सूक्ष्म-शिक्षण में छात्र-शिक्षक 5R को पूरा करने का प्रयास करता है, अर्थात, रिकॉर्डिंग, समीक्षा करना, प्रतिक्रिया देना, परिष्कृत करना और फिर से करना।
इसे आरेखीय रूप से दर्शाया जा सकता है

13.2.9 सूक्ष्म-शिक्षण के चरण: क्लिफ्ट (1976) के अनुसार सूक्ष्म-शिक्षण के तीन चरण होते हैं:

- ज्ञान अर्जन चरण
- कौशल अधिग्रहण चरण
- स्थानांतरण चरण.

क्लिफ्ट (1976) ने तीन चरणों को आरेखीय रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया है ।

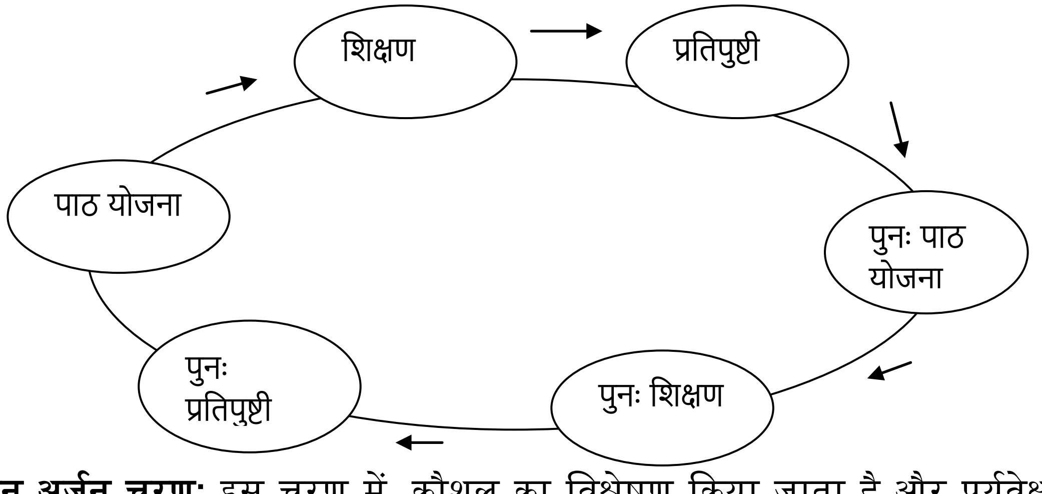

- **ज्ञान अर्जन चरण:** इस चरण में, कौशल का विश्लेषण किया जाता है और पर्यवेक्षक के साथ गहन चर्चा की जाती है। छात्रों को कक्षा में कौशल के उद्देश्य और उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का हर अवसर दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को कौशल का प्रदर्शन दिया गया।
- **कौशल अधिग्रहण चरण:** इस चरण में, प्रशिक्षु एक सूक्ष्म पाठ तैयार करता है और कौशल के लिए पाठ योजना लागू करता है। वह कौशल का अभ्यास करता है और सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलाता है। इस चरण में निम्नलिखित तीन सत्र शामिल हैं: योजना सत्र, शिक्षण सत्र और फीडबैक सत्र आदि।

- **स्थानांतरण चरण:** यहां छात्र शिक्षक विभिन्न कौशलों को व्यवस्थित और एकीकृत करना सीखता है और फिर उन्हें वास्तविक शिक्षण स्थिति में स्थानांतरित करता है। स्थानांतरण चरण वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का सिंथेटिक चरण है जहाँ कौशल एक जटिल शिक्षण व्यवहार बनाने के लिए एकजुट होते हैं।

13.2.10 सूक्ष्म शिक्षण के अनुप्रयोग

- सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने के लिए किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षु विशिष्ट शिक्षण कृत्यों और तकनीकों, और अपने शिक्षण कृत्यों की संरचना और गति से अवगत हो जाते हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षु कक्षा के भीतर बच्चों के अंतर-संबंधों में अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं को अपने शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए इस तकनीक का अध्ययन और अभ्यास करना होता है।
- सूक्ष्म शिक्षण फीडबैक सत्रों के माध्यम से शिक्षण कौशल में कमजोरी का निदान करने और उपचारात्मक सहायता प्रदान करने में भी मदद करता है।
- फीडबैक वीडियो-रिकॉर्डिंग, पर्यवेक्षक की अवलोकन संबंधी टिप्पणियों और प्रशिक्षु द्वारा पढ़ाए गए छात्रों की रेटिंग के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।

13.2.11 सूक्ष्म शिक्षण के गुण एवं दोष

हम सूक्ष्म शिक्षण के गुण और दोषों पर इस प्रकार चर्चा कर सकते हैं। वे-

गुण

- कक्षा का आकार, सामग्री और कक्षा की अवधि कम होने से शिक्षण की जटिलता कम हो जाती है।
- प्रशिक्षु शिक्षक ऑडियो/वीडियो टेप या सहकर्मी समूह/रेटिंग के माध्यम से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रशिक्षु उस कौशल का दोबारा अभ्यास कर सकता है, जब तक कि वह शिक्षण कौशल में अपनी महारत से संतुष्ट न हो जाए।
- शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रभावी प्रशिक्षण है।
- यह तकनीक शिक्षक प्रशिक्षुओं को वास्तविक शिक्षक बनने से पहले शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने में मदद करती है।

अवगुण

- यह शिक्षक प्रशिक्षुओं को वास्तविक कक्षा की समस्याओं से दूर रख सकता है।

- चूँकि एक समय में एक शिक्षण कौशल पर जोर दिया जाता है। इसलिए इसमें समग्र शिक्षण व्यवहार का अभाव होता है, क्योंकि शिक्षण केवल एक कौशल नहीं है।
- यह एक समय लेने वाली तकनीक है, क्योंकि एक प्रशिक्षु लगभग 35 मिनट में एक कौशल का अभ्यास करता है।
- चूँकि मुख्य ध्यान पढ़ाने और पुनः सिखाने पर है। इसलिए शिक्षण कौशल को एकीकृत करने को कम महत्व दिया जाता है।

13.2.12 सूक्ष्म शिक्षण दृष्टिकोण में सावधानियां

सूक्ष्म शिक्षण करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए। वे -

- सूक्ष्म शिक्षण में उद्देश्यों की स्पष्टता अनिवार्य है।
- एक समय में केवल एक ही कौशल के लिए सूक्ष्म पाठ योजना तैयार की जानी चाहिए।
- सूक्ष्म शिक्षण में मॉडल पाठ देना आवश्यक है।
- छात्र शिक्षकों के शिक्षण कौशल में सुधार के लिए इस दृष्टिकोण के साथ न केवल आलोचना बल्कि पर्याप्त सुझाव भी होने चाहिए।

इस प्रकार माइक्रोटीचिंग एक शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया है, जो अभ्यास शिक्षण को एक विशिष्ट कौशल तक सीमित करके और शिक्षण समय और कक्षा के आकार को कम करके शिक्षण स्थिति को सरल और अधिक नियंत्रित पठन में बदल देती है। सूक्ष्म शिक्षण सत्रों के प्रतिभागियों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसमें प्रतिक्रिया देने की क्षमता और खुले दिमाग से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है और उचित शिक्षण-सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। इससे मैत्रीपूर्ण वातावरण में शिक्षक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह छात्र शिक्षकों में वांछित परिवर्तन लाने में मदद करता है। व्यवहार मापने योग्य और प्रशिक्षण योग्य हैं। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूक्ष्म-शिक्षण का उपयोग शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने और शिक्षक के व्यवहार में सुधार के लिए किया जा सकता है।

13.3 सारांश

- शिक्षण: शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है, जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है।
- सीखना: सीखना व्यवहार में संशोधन, समायोजन, आदतों का अधिग्रहण, ज्ञान और पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है।
- शिक्षण कौशल: शिक्षण कौशल को शिक्षक के व्यवहार के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विशेष रूप से छात्र-शिक्षकों में वांछित परिवर्तन लाने में प्रभावी है।
- शिक्षण कौशल का एकीकरण: शिक्षण कौशल के एकीकरण को किसी दिए गए शिक्षण अर्जन की स्थिति में निर्दिष्ट निर्देशात्मक उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक प्रभावी

पैटर्न बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण कौशल के चयन, संगठन और उपयोग की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

- योजना सत्र: इस सत्र में, प्रशिक्षु एक सूक्ष्म पाठ तैयार करता है और कौशल के लिए पाठ योजना लागू करता है।
- शिक्षण सत्र: यह सत्र योजना सत्र के बाद शुरू होता है और प्रशिक्षु 4-5 छात्रों को 5 से 10 मिनट के लिए एक संक्षिप्त पाठ पढ़ाता है। इसका अवलोकन पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है।
- फीडबैक सत्र: इस सत्र में, पर्यवेक्षक और साथी प्रशिक्षु अगले शिक्षण सत्र में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षु के प्रदर्शन पर गंभीर चर्चा करते हैं।

13.4 शब्दावली

शब्द	अर्थ
सूक्ष्म अध्यापन	सीमित समय, सीमित छात्रों एवं एक विशिष्ट कौशल पर केंद्रित शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया
शिक्षण कौशल	प्रभावशाली शिक्षण हेतु आवश्यक व्यवहारिक क्षमताएँ, जैसे प्रश्न पूछना, उत्तर देना, आदि
पुनरावृत्ति चक्र	योजना, प्रदर्शन, समालोचना, पुनः योजना व पुनः प्रदर्शन का अभ्यासात्मक क्रम
मॉडल पाठ योजना	किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के अभ्यास हेतु तैयार की गई सूक्ष्म पाठ योजना
प्रशिक्षण चक्र	शिक्षण अभ्यास के चरणों की पुनरावृत्त प्रणाली जो सुधार और दक्षता के लिए होती है
प्रतिक्रिया	प्रदर्शन के बाद शिक्षकों और साथियों द्वारा दी गई आलोचनात्मक या रचनात्मक टिप्पणियाँ
व्याख्या कौशल	शिक्षण में जटिल विषयवस्तु को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता
दृश्य सहायक सामग्री	शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले साधन जैसे चार्ट, मॉडल आदि
प्रदर्शन	शिक्षण कौशलों का अनुकरणीय अभ्यास जो उदाहरण के रूप में

शब्द	अर्थ
(Demonstration)	प्रस्तुत किया जाता है
मूल्यांकन	अध्यापन की गुणवत्ता को आंकने की प्रक्रिया; सुधार हेतु आवश्यक

13.5 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- सूक्ष्म अध्यापन की प्रक्रिया, उद्देश्य और उपयोगिता को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विभिन्न शिक्षण कौशलों जैसे प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, दृष्टांत देना आदि को व्यवहार में लागू कर सकेंगे।
- एक सीमित शिक्षण समय व विद्यार्थियों की संख्या में प्रभावशाली शिक्षण अभ्यास कर सकेंगे।
- अपने एवं सहपाठियों के शिक्षण कौशल का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे।
- सूक्ष्म पाठ योजना बनाकर विशिष्ट कौशल का प्रभावी अभ्यास कर सकेंगे।
- भविष्य में पूर्णकालिक शिक्षण के लिए आवश्यक आधार और आत्मविश्वास विकसित कर सकेंगे।

13.6 इकाई के अंत की गतिविधियां

बहुविकल्पीय प्रश्न

1) सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग .... किया जाता है।

a) माध्यमिक कक्षाओं में
b) प्राथमिक कक्षाओं में
c) उच्च माध्यमिक कक्षाओं में
d) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानो में

2) सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है।

a) शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकसित करना
b) छात्रों में क्षमता विकसित करना
c) छात्रों में फीडबैक कौशल विकसित करना
d) इनमें से कोई नहीं

3) वास्तविक कक्षा स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है, यह इंगित करता है ।

a) मैक्रो स्तर
b) सूक्ष्म स्तर
c) व्यक्तिगत स्तर
d) उपयुक्त सभी

4) सूक्ष्म शिक्षण की तकनीक सबसे पहले किसने अपनाई थी ?

a) ड्विघ्त. डबल्यू. एलेन　　b) ड्विघ्त वाल्डो

c) माइकल ब्राउन　　d) स्टेनली जॉन

5) सूक्ष्म शिक्षण चक्र में, शिक्षण कितने मिनट तक चलता है ?

a) 7 मिनट　　b) 10 मिनट

c) 6 मिनट　　d) 5 मिनट

6) सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला चरण है ....

a) कौशल का प्रदर्शन करना　　b) सूक्ष्म पाठ योजना

c) विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना　　d) इनमें से कोई नहीं

7) ड्विघ्त डबल्यू. एलेन ने शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि प्रस्तावित की थी।

a) सूक्ष्म शिक्षण समूह शिक्षण　　b) विचार मंथन

c) संवादात्मक शिक्षण　　d) क्रोधात्मक लक्षण

8) सूक्ष्म शिक्षण के घटक है ....

a) सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति　　b) शिक्षण कौशल

c) प्रतिपुष्टि उपकरण　　d) उपयुक्त सभी

9) छात्राध्यापक के लिए सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावशाली है

a) शिक्षण अभ्यास के वक़्त　　b) शिक्षण अभ्यास के बाद

c) शिक्षण अभ्यास के पहले　　d) इनमें से कोई नहीं

10) सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण है ?

a) 5　　b) 6

c) 4　　d) 7

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. शिक्षण से आप क्या समझते हैं ?
2. सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षण प्रकिया में क्या महत्व है ?
3. शिक्षण के पदों का विवरण करें।
4. सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को विस्तारपूर्वक लिखिए।

5. सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ क्या हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ बताते हुये, इसके लाभ और सीमाओं पर प्रकाश डालिए।
2. सूक्ष्म शिक्षण करते वक़्त एक अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
3. सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न चरणों को विस्तारपूर्वक बताए।

13.7 संदर्भ

1. Malvinder, A & Bhushan, Anand. 2012: Educational Technology: Theory and Practice teaching Learning process. Bawa Publications, Patiala.
2. Sachdeva, M.S. 2006: Essentials of Educational Technology and Management, 21st Century Publications, Patiala.
3. Kochar, S.K. 1985: Methods and Techniques of Teaching, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi.
4. Vandana, M. 2010: A Textbook of Educational Technology, Sanjay Prakashan Publishers, New Delhi.
5. Sachedeva, M.S. 2013: A New Approach to Teaching Learning, Process and Evaluation, Tandon Publications, Ludhiana.

लिंक

https://www.ied.edu.hk/apfslt/v13_issue1/uzun/page2.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Microteaching

http://isites.harvard.edu/fs/html/icb.topic58474/microteaching.html

इकाई 14 : प्रमुख शिक्षण कौशल*

इकाई की रुपरेखा

14.0 प्रस्तावना
14.1 उद्देश्य
14.2 प्रमुख शिक्षण कौशल
14.2.1 प्रस्तावना कौशल
14.2.2 प्रश्न सहजता कौशल
14.2.3 उद्दीपक परिवर्तन कौशल
14.2.4 प्रश्न कौशल
14.2.5 उदाहरण कौशल
14.2.6 पुनर्बलन कौशल
14.2.7 व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना
14.3 सारांश
14.4 शब्दावली
14.5 अधिगम प्रतिफल
14.6 इकाई के अंत की गतिविधियां
14.7 संदर्भ

14.0 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने सूक्ष्म शिक्षण के विषय में गहनता से अध्ययन किया है। हमने पिछली इकाई में पढ़ा था कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया है, जो अभ्यास शिक्षण को एक विशिष्ट कौशल तक सीमित करके और शिक्षण समय और कक्षा के आकार को कम करके शिक्षण स्थिति को सरल और अधिक नियंत्रित शिक्षण में बदल देती है। सूक्ष्म शिक्षण सत्रों के प्रतिभागियों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसमें प्रतिक्रिया देने की क्षमता और खुले दिमाग से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है और उचित शिक्षण-सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। इससे मैत्रीपूर्ण वातावरण में शिक्षक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह छात्र

* Dr. Pooja Singh, Assistant Professor, MANUU CTE, Nuh

शिक्षकों में वांछित परिवर्तन लाने में मदद करता है। व्यवहार मापने योग्य और प्रशिक्षण योग्य हैं। सूक्ष्म-शिक्षण का उपयोग शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने और शिक्षक के व्यवहार में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि सूक्ष्म शिक्षण के दौरान क्या-क्या किया जाता है ? कौन- कौन से ऐसे शिक्षण कौशल हैं, जिनका अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण के दौरान किया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस इकाई में पढ़ने को मिलेंगे।

14.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- शिक्षण कौशलों की प्रकृति, विशेषताओं और शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।
- विभिन्न प्रमुख शिक्षण कौशलों जैसे प्रश्न पूछना, उत्तर प्रतिक्रिया देना, उदाहरण देना, व्याख्या करना, श्यामपट्ट प्रयोग आदि की पहचान कर सकेंगे।
- शिक्षण कौशलों की प्रक्रिया एवं सोपानों (steps) को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे।
- शिक्षण कौशलों के आधार पर पाठ योजना का निर्माण कर सकेंगे।
- शिक्षण कौशलों के व्यवहारिक प्रयोग को अपने अध्यापन में लागू करने में सक्षम होंगे।
- अध्यापन प्रक्रिया में शिक्षण कौशलों के प्रयोग द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी, सरलीकृत और उद्देश्यमूलक बना सकेंगे।

14.2 प्रमुख शिक्षण कौशल

शिक्षण कौशल प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किये जाने वाले शिक्षण कार्यों के व्यवहारों का समूह 'शिक्षण कौशल' या 'अध्यापन कौशल' कहलाता है। **इस इकाई में हम कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों का गहन अध्ययन करेंगे। इन शिक्षण कौशलों में शामिल हैं-**

- **प्रस्तावना कौशल**
- **प्रश्न सहजता कौशल**
- **खोजपूर्ण प्रश्न कौशल**
- **उद्दीपक परिवर्तन कौशल**
- **प्रश्न कौशल**
- **उदाहरण कौशल**
- **पुनर्बलन कौशल**
- **व्याख्या कौशल**

14.2.1 प्रस्तावना कौशल

पाठ को प्रारम्भ करने से पहले शिक्षक को यह जानना आवश्यक होता है कि वह छात्र के पूर्व ज्ञान को परख कर उसे नवीन विषय वस्तु के साथ सम्बन्धित करें। इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले कौशल को प्रस्तावना कौशल (Introduction Skill) अथवा विन्यास-प्रेरणा कौशल (Set-Induction) कहते हैं। इसका प्रयोग पाठ को प्रारम्भ करने से पूर्व करते हैं। प्रस्तावना जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, पाठ की सफलता उतनी ही अधिक सशक्त होगी। इसमें शिक्षक को छात्रों के स्तर एवं ज्ञान का ध्यान रखना चाहिए तथा कल्पना, सृजनशीलता तर्क आदि का प्रयोग कर पाठ का प्रारम्भ रूचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सजग रहना चाहिए। इसे "पाठ के प्रारम्भ में छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के साथ जोड़ने वाले सभी प्रभावपूर्ण प्रयासों को प्रस्तावना कौशल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

प्रस्तावना की विधि : प्रस्तावना का प्रस्तुतीकरण जितना अधिक प्रभावशाली होता है पाठ की सफलता भी उतनी ही अधिक सशक्त होती है। एक अच्छी प्रस्तावना प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नांकित हैं। वे -

- **सीधे-सीधे प्रश्न करना**: इसमें विषय वस्तु से सम्बन्धित पूर्वज्ञान आधारित प्रश्न शिक्षक द्वारा पूछे जाते हैं। इस विधि में शिक्षक एवं शिक्षाथी प्रश्नोंत्तर द्वारा अन्त: क्रिया करते हैं। प्रायः शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं।
- **सम्बन्धित चार्ट, मॉडल, यथार्थ वस्तु का प्रदर्शनः** इस विधि के अन्तर्गत शिक्षक कक्षा में पाठ प्रारम्भ करने से पूर्व विषय वस्तु से सम्बन्धित अ मॉडल अथवा वास्तविक वस्तु का प्रदर्शन करता है। तत्पश्चात प्रदर्शित सहायक सामग्री को आधार बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न विषय वस्तु से सम्बन्धित, पूर्वज्ञान पर आधारित एवं श्रखलाबद्ध अवश्य होने चाहिए। प्रस्तावना की यह विधि अधिक रूचिकर एवं पाठ के विकास में अधिक प्रभावशाली है।
- **कहानी अथवा घटना के वर्णन द्वारा प्रस्तावनाः** इस विधि के अन्तर्गत शिक्षक छात्रों को रूचिकर विषय वस्तु से सम्बन्धित पाठ के विकाम में सहायक कोई कहानी सुनाता है अथवा किसी घटना का वर्णन करता है। कहानी अथवा वर्णित घटना की समयावधि अधिक नहीं होनी चाहिए एवं इसे पाठ के विकास में योगदान प्रदान करना चाहिए। इससे छात्रों में जिज्ञासा उत्पन होती है। उनका ध्यान केन्द्रित करने में सहायता प्राप्त होती है। उचित आरोह-अवरोह एवं हाव-भाव इसे अधिक रोचक बना देते हैं।

सावधानियाँ

प्रस्तावना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। वे -

- प्रश्न सरल एवं उपयुक्त रूप से संरचित होने चाहिए।
- प्रयुक्त भाषा सहज एवं छात्रों के स्तरानुसार होनी चाहिए।
- प्रश्न, कहानी अथवा घटना का वर्णन करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं विषय वस्तु से सम्बन्धित होना चाहिए।
- प्रस्तावना उपयुक्त समयावधि वाली होनी चाहिए। यह सूक्ष्म शिक्षण में 6 मिनट तथा स्थूल शिक्षण में 2-3 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसे छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए।
- प्रस्तावना का प्रारम्भ करते समय चार्ट आदि का प्रयोग उचित ढंग से उचित समय पर किया जाना चाहिए तथा आवश्यकता न रहने पर, उसे प्रदर्शित स्थान से हटाकर यथास्थान रख देना चाहिए।
- विचार, कथन, प्रश्न शृंखलाबद्ध होनी चाहिए।
- प्रस्तावना मूल पाठ को विकसित करने वाली एवं छात्रों को नवीन ज्ञान की ओर प्रेरित करने वाली होनी चाहिए।
- सफल प्रस्तुतीकरण छात्रों में उत्साह पैदा करता है।
- प्रस्तावना की किसी भी विधि का प्रयोग रूचि के अनुसार आवश्यकता एवं स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

प्रस्तावना कौशल के घटक : प्रस्तावना कौशल से सम्बन्धित सूक्ष्म पाठ तैयार करते समय निम्नलिखित घटक अथवा तत्व महत्व पूर्ण होते हैं। इन घटकों को ध्यान में रखकर सूक्ष्म पाठ का विकास करना चाहिए।

वांछनीय घटक

- **पूर्ण ज्ञान से संबंध** : प्रस्तावना में प्रयुक्त कथन एवं विषय वस्तु पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित होनी चाहिए। इससे छात्र विषय वस्तु से सम्बन्धित पूर्वज्ञान का प्रत्यास्मरण कर नवीन ज्ञान की ओर प्रेरित होते हैं। पूर्वज्ञान को आधार बनाकर नया ज्ञान प्रदान करना रूचिकर एवं उपयोगी होता है छात्रों में सजगता एवं उत्सुकता उत्पन्न होती है।
- **कथनों, विचारों पर प्रश्नों का श्रृंखलाबद्ध होना** : प्रस्तावना के कथन, प्रश्न एवं प्रयुक्त विचार एक-दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए इसके लिए पाठ का दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से प्राप्त उत्तर को आधार बनाकर किया जाना चाहिए इसी प्रकार तीसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न के

उत्तर पर आधारित होना चाहिए। कथन, विचार एक दूसरे से जुड़े होने पर पाठ में प्रवाहशीलता आ जाती है। तथा पाठ उचित ढंग से विकसित करने में सहायता मिलती है।

- **उद्देश्य के अनुसार सहायक सामग्री** : मूल पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित दृश्य शृव्य सहायक सामग्री पाठ को सरस एवं प्रभावशाली बनाती है। छात्रों की उत्सुकता बढ़ती है उनका ध्यान शिक्षण प्रक्रियाओं में अधिक केन्द्रित करने में सहायता मिलती है।
- **प्रश्नों, कथनों तथा विचारों का पाठ्य वस्तु एवं इसके उद्देश्यों से संबंध** : प्रस्तावना में प्रयुक्त, प्रश्न, कथन एवं विचारों का संबंध पाठ्य वस्तु एवं इसके उद्देश्यों के साथ अवश्य होना चाहिए। इसमें पाठ का विकास समुचित गति के साथ सही ढंग से होता है। असम्बद्धता होने पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति असम्भव होती है। तथा शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
- **उचित प्रस्तावना अवधि** : प्रस्तावना कौशल को विकसित करने के लिए सूक्ष्म पाठ की अवधि 5-10 मिनट के बीच होनी चाहिए। इसकी अवधि न अधिक और नहीं बहुत कम होनी चाहिए। उचित अवधि छात्रों में पाठ के प्रति रूचि एवं प्रेरणा उत्पन्न करने में समर्थ होती है। प्रायः सूक्ष्म शिक्षण में यह 6 मिनट तथा स्थूल शिक्षण (Macro Teaching) में 2-3 मिनट तक होती है।
- **छात्रों में रूचि एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करना** : प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों में नवीन ज्ञान की ओर अभिप्रेरणा एवं रूचि उत्पन्न हो सके। इससे छात्र अधिक सक्रिय एवं सजग रहते हैं तथा ध्यान शिक्षण में केन्द्रित होता है।

अवांछनीय घटक : वे समस्त घटक या व्यवहार जिनसे प्रस्तावना कौशल को विकसित करने में बाधा पहुंचाती है। इस कौशल के अवांछनीय घटक कहलाते हैं। ये वांछनीय घटक व्यवहार के विपरीत होते हैं। कुछ प्रमुख अवांछनीय घटक निम्नलिखित हैं। वे -

- **पूर्व ज्ञान से असम्बद्धता** : यदि प्रस्तावना में ऐसे कथन प्रयुक्त किये जाते हैं, जिनका छात्र के पूर्वज्ञान से संबंध न हो तो, उसे नवीन ज्ञान की ओर प्रेरित करने में बाधा आती है। पूर्व ज्ञान से असम्बन्धित कथन प्रस्तावना कौशल के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अड़चनें पैदा करते हैं। अत: इन असम्बंधित कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- **कथनों की असम्बद्धता** : कथन एक दूसरे से सम्बन्धित न होने पर कौशल को विकास में वाधित होते हैं। असम्बद्ध कथन अवांछनीय हैं। ऐसे कथनों के प्रयोग से छात्र भ्रमित होते

हैं तथा पूर्वज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ सम्बन्धित करने में असमर्थता का अनुभव करते हैं। अत: इन कथनों के प्रयोग से शिक्षक को बचना चाहिए।

- **अनुपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री** : ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जो प्रकरण के अनुसार न हो तो कौशल के विकास में बाधा पहुंचती है। छात्र भ्रम में पड़ जाते हैं। अनुपयुक्त साधनों का प्रयोग करने से प्रस्तावना का उद्देश्य अधूरा रहता है। छात्र प्राप्त ज्ञान को सम्बन्धित करने में असमर्थ रहते हैं। वे समझ ही नहीं पाते है कि उन्हें क्या और क्यों पढ़ाया जा रहा है।
- **पाठ्य वस्तु से सम्बन्धित न होना** : पाठ्य वस्तु से असम्बन्धित कथन कौशल के लिए अनुपयुक्त होते हैं। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त कथन/प्रश्न आदि यदि प्रकरण से सम्बन्धित न हों तो, कौशल को अर्जित करना पूर्णत: दिशाहीन होता है।
- **अनुपयुक्त समयावधि** : यदि प्रस्तावना को अवधि बहुत कम अथवा बहुत अधिक हो तो छात्र इसमें रूचि नहीं लेते हैं साथ ही मूल शिक्षण में बाधा पहुंचती है। प्रस्तावना कौशल के विकास के लिए अवधि की अनुपयुक्तता अवांछनीय है। अनुपयुक्त अवधि छात्रों को अभिप्रेरित करने में असमर्थ रहती है।

14.2.2 प्रश्न सहजता कौशल

कालांतर से ही मानव जिज्ञासा की सन्तुष्टि प्रश्न – उत्तर से ही होती रही है। भारतीय ज्ञान की सम्पूर्ण परंपरा प्रश्न-उत्तर से भरी पड़ी है। आज भी विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक उत्तर देते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, यह जानने के लिए कि उन्होंने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। शिक्षक पाठ्यवस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भी प्रश्न पूछता है। अर्थात् शिक्षक प्रश्न संबधि कला का आम तौर पर प्रयोग करते हैं। प्रश्न करने की कला के कई पक्ष हैं उनमें से 'सहजता' एक है। प्रश्न कला में प्रवीण शिक्षक अध्यापन कार्य भली प्रकार से कर सकता है। प्रश्न सहजता में प्रश्न की संरचना का क्रम और उत्पाद तीनों का ध्यान रखा जाता है। अच्छी संरचना से तात्पर्य प्रश्न की – स्पष्टता एवं व्याकरणिक शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रासंगिकता व विशिष्टता से है।

जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो, वे तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ देते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएँ गलत, आंशिक रूप से सही या पूरी तरह से सही हो सकती हैं। गलत या आंशिक रूप से सही उत्तरों के मामले में आपको अपने विद्यार्थियों को सही उत्तर तक ले जाना होगा। आपको गहराई तक जाना होगा और कई पूरक प्रश्न पूछकर उनकी प्रतिक्रियाओं की जांच करनी होगी, जो वे पहले से जानते हैं। उस पर और फिर प्रश्न के शब्दों में यदि कोई दोष हो या प्रश्न को समझने में कोई बाधा हो तो, उसे दूर करके उन्हें सही उत्तर की ओर ले जाएं। भले ही प्रतिक्रिया

सही हो, आप छात्रों को प्रतिक्रिया के बेहतर और व्यापक परिप्रेक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। वह तकनीक जो छात्रों की प्रतिक्रिया से संबंधित है, प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछकर छात्रों के ज्ञान की गहराई तक जाती है, जिसे प्राबिंग कहा जाता है। जांच करना एक विशेष कौशल है, जिसे उन सभी शिक्षकों को हासिल करना चाहिए जो अधिक प्रभावी बनने के इच्छुक हैं। इसलिए आपको अपनी मदद के लिए जांच कौशल को जानना और उसका उपयोग करना चाहिए। छात्र इससे अधिक और बेहतर सीखते हैं। चर्चा एवं स्पष्टता की दृष्टि से हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल को पांच घटकों में विभाजित कर सकते हैं। वे -

- अधिक जानकारी के प्रति उन्मुख होना,
- प्रेरक प्रश्न
- पुनः ध्यान केन्द्रित करना
- पुन: निर्देशित
- आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना

- अधिक जानकारी के प्रति उन्मुख होना : यदि छात्र की प्रारंभिक प्रतिक्रिया आंशिक रूप से सही या अपूर्ण है तो, आपको उसे प्रतिक्रिया को विस्तृत करने, स्पष्ट करने या समझाने में मदद करनी चाहिए। आप अतिरिक्त प्रश्न पूछकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न छात्र को उत्तर पूरा करने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में मदद करेंगे और कमियों को दूर करेंगे।

- आपने अपने वक्तव्य में "संस्कृति" शब्द का प्रयोग किया है, उससे आप क्या समझते हैं?
- क्या आप इसे कुछ अन्य शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं? "क्या आप अपने विचार के समर्थन में कुछ उदाहरण दे सकते हैं?

अधिक जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य छात्रों को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और प्रारंभिक प्रतिक्रिया को मानदंड स्तर पर लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे प्रश्न पूछकर आप उन्हें अपना उत्तर पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

- आप अपनी प्रतिक्रिया में और क्या जोड़ सकते हैं?
- अपना उत्तर दूसरे शब्दों में बताइये।
- क्या आप कृपया अपना उत्तर विस्तृत करेंगे?
- आप अपना उत्तर अधिक स्पष्ट कैसे कर सकते हैं?
- अपनी प्रतिक्रिया के समर्थन में कुछ उदाहरण जोड़ें।

आपको, एक शिक्षक के रूप में, छात्र की प्रतिक्रिया के अंतर्निहित तर्क की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और यदि कोई दोषपूर्ण धारणाएं हैं तो उन्हें सही करना चाहिए।

- **प्रेरक प्रश्न** : एक शिक्षक सुराग या संकेत देकर संकेत देता है और अपने छात्रों से प्रमुख प्रश्न पूछकर उनकी मदद करता है। इन उपकरणों का उपयोग करने का उद्देश्य छात्र को उत्तर देने में मदद करना है। स्वयं से सही और पर्याप्त रूप से प्रश्न पूछें। यह कौशल शिक्षक को छात्र को प्रेरित करके उसके ज्ञान की जांच करने की अनुमति देता है। जब आपके छात्र को प्रश्न का सही उत्तर देने में कठिनाई हो तो, आप संकेत का उपयोग कर सकते हैं। प्रेरक प्रश्नों में प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जो छात्र को सही उत्तर विकसित करने में मदद करती है। शिक्षक छात्र को जो वह जानता है उससे प्रेरित करना शुरू करना चाहिए और फिर मानक प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार संकेत आपके शिष्य को एक व्यवस्थित और चरण-दर-चरण पूछताछ प्रक्रिया के माध्यम से सही प्रतिक्रिया तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रश्न पूछने में संकेत का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।

  शिक्षक : संधि किसे कहते हैं ?
  छात्र : मुझे नहीं पता।

  शिक्षक: क्या आप बता सकते हैं कि फिल्मीस्तान शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हैं ?
  छात्र: फिल्म और स्थान।

  अध्यापक: बिलकुल सही ...यही संधि है।
- **पुनः ध्यान केन्द्रित कराने से संबन्धित प्रश्न :** आम तौर पर जब कोई छात्र सही प्रतिक्रिया देता है तो, शिक्षक उस उत्तर को पहले से पढ़ाए गए विषय से जोड़ देता है। इससे उसका (यानी छात्र का) या कक्षाओं का ध्यान संबंधित विषयवस्तु पर पुनः केन्द्रित हो जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य छात्र को अधिक जटिल और नवीन स्थितियों में दी गई प्रतिक्रिया के निहितार्थ से अवगत कराना है।

  उदाहरण: यह किस प्रकार से भिन्न है?

  यह किस प्रकार से समान है?
  इसका संबंध किस प्रकार है...........

  .... का दूसरा दृष्टिकोण क्या है?
- **पुन: निर्देशित करने संबंधी प्रश्न :** एक शिक्षक किसी प्रश्न को 'रीडायरेक्ट' करता है जब वह वांछित प्रतिक्रिया के लिए एक ही प्रश्न कई अन्य छात्रों से पूछता है या निर्देशित करता है। पुनर्निर्देशन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की भागीदारी की जांच करना और उसे बढ़ाना है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अधूरी प्रतिक्रिया होती है या गलत प्रतिक्रिया होती है, तो आप संकेत देकर या अधिक जानकारी मांगकर आगे की जांच कर सकते हैं। इस स्थिति में आप कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी शामिल कर सकते हैं। अपेक्षित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आप कई विद्यार्थियों से एक ही मुख्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

  शिक्षक : हिन्दी साहित्य में प्रगतिवाद के उदय के क्या कारण थे ?

छात्र: कोई प्रतिक्रिया नहीं।
अध्यापक : सुमित (पुनर्निर्देशन)

छात्र : सहज अभिव्यक्ति हेतु ।

अध्यापक: क्या इसका कोई संबंध वर्तमान सत्ता से था ?

(संकेत देते हुए) सुमित ? (पुनर्निर्देशन)

- **आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना :** शिक्षक छात्रों की आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करता है, जब उसका लक्ष्य उनसे सही प्रतिक्रिया के लिए 'क्यों' (कारण) और 'कैसे' (प्रक्रिया) प्राप्त करना होता है। इस घटक का मुख्य उद्देश्य छात्र की बढ़ी हुई आलोचनात्मक जागरूकता का पता लगाना है। शिक्षक छात्र के उत्तरों को तर्कसंगत रूप से उचित ठहराने के लिए प्रश्न पूछता है। इसलिए आप किसी छात्र की प्रारंभिक प्रतिक्रिया का कारण जान सकते हैं।

उदाहरण: आप इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं?

आप यहाँ क्या सोच रहे हैं/मान रहे हैं?

आप इसका पक्ष क्यों लेते हैं?
जब ऊपर दिए गए प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे सही उत्तर के बारे में छात्रों के बीच महत्वपूर्ण जागरूकता बढ़ाते हैं।

14.2.3 उद्दीपक परिवर्तन कौशल

उद्दीपन परिवर्तन कौशल शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों के ध्यान को शिक्षण में केन्द्रित करने के लिए शिक्षक विभिन्न व्यवहारों का प्रयोग करता है जैसे आवाज में उतार चढ़ाव लाना, विभिन्न शारीरिक मुद्राऐं बनाना आदि। ये शिक्षार्थियों को आकर्षित करने में पर्याप्त सक्षम क्रियाएँ हैं इन्हें विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने एकमत से स्वीकार किया है। छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उद्दीपनों में परिवर्तन एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों में सतर्कता बढ़ती है तथा वे अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रायः व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक ही स्थिति में किया गया शिक्षण छात्रों की रूचि को घटा देता है कक्षा का वातावरण नीरस हो जाता है जिससे छात्र शिक्षण में सहयोग नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने उद्दीपनों में निरन्तर एवं आवश्यक परिवर्तन करें जिससे शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। इसे छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए विभिन्न माध्यम से स्थितियों में आवश्यक निरन्तर परिवर्तन को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं।

महत्व : उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है। इसके महत्व को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है:

- इससे कक्षा का वातावरण सक्रिय बनता है।
- यह छात्रों के ध्यान को आकर्षित करता है।
- विद्यार्थी उद्दीपन परिवर्तन द्वारा अभिप्रेरित होते हैं।
- इससे शिक्षण कार्य की नीरसता समाप्त हो जाती है।
- छात्र अधिक सतर्कता के साथ प्रकरण में रूचि लेते हैं।
- शिक्षण की उपयोगिता बढ़ाने में सहायक है।
- उद्दीपन परिवर्तन से विषय वस्तु बोधगम्य बनती है।
- शिक्षक की सक्षमता में आशातीत वृद्धि होती है।

सावधानियां

शिक्षक को उद्दीपन कौशल का प्रयोग करते हुए, निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

- शिक्षक को 3 सेंकड के अन्तराल पर अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहना चाहिए।
- एक ही स्थिति में शिक्षण नहीं करना चाहिए।
- शिक्षण में विविधता लानी चाहिए।
- यन्त्रवत शिक्षण उबाऊ एवं प्रभावहीन होता है। अतः इस पर नियन्त्रण करना चाहिए।
- समय-समय पर आवाज में उतार चढ़ाव लाने चाहिए।
- बीच-बीच में श्यामपट्ट का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।
- अंग संचालन एवं हाव भाव में परिवर्तन उचित रूप से करना चाहिए।
- इसकी अधिकता शिक्षण को प्रभावहीन कर देती है।
- भावों का केन्द्रीयकरण करना चाहिए।
- महत्वपूर्ण शिक्षण बिन्दुओं पर अधिक बल देना चाहिए।
- दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के क्रम में लगातार परिवर्तन करते करना चाहिए।
- बीच-बीच में विराम लेकर कक्षा को शान्तचित से अवलोकित करना चाहिए।
- शिक्षक का स्वयं का व्यवहार ऊर्जा युक्त होना चाहिए।

छात्रों का ध्यान आकर्षित करने वाले कारक छात्रों का ध्यान खींचने में निम्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे

- छात्रों का ध्यान आवाज एवं प्रकाश की तीव्रता को समय-समय पर बदलकर आकर्षित किया जा सकता है।
- भिन्न गतिविधियों का ध्यान आकर्षित करती है।
- सामान्य रूप से चलने वाली प्रक्रिया में यदि कुछ हटकर क्रिया की जाती है तो, तुरन्त छात्रों का ध्यान खींचती है।

- अलग हटकर यदि किसी वस्तु का प्रदर्शन किया जाये तो वह छात्रों का ध्यान तुरन्त खींचती है।
- स्वयं द्वारा नियंत्रित क्रियाएँ इसमें उपयोगी हैं।
- शिक्षक की सक्रियता ध्यान खींचती है।

उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक

वांछनीय घटक

- शारीरिक गतिशीलता : शिक्षक का कक्षा में गतिशील होना छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। शिक्षक कभी श्यामपट्ट की ओर कुछ लिखने या समझाने के लिए अथवा छात्रों की ओर उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए जाता है। शिक्षक द्वारा उचित रूप से चलना-फिरना ध्यान खींचना के लिए आवश्यक है ध्यान रहे जरूरत से ज्यादा घूमना फिरना नितान्त गलत है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शिक्षक कक्षा में भ्रमण के लिए आया हुआ है। शिक्षण के लिए नहीं। इसलिए शिक्षक की गतिशीलता उद्देश्य परक एवं सन्तुलित होनी चाहिए।
- शिक्षक के हाव-भाव या भाव मुद्राएं : शिक्षक के हाव-भाव या भाव मुद्राएँ छात्रों का ध्यान खींचने का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षक अपने हाव-भाव परिवर्तन कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इससे पाठ में छात्रों की रूचि बढ़ जाती है, तथा उनका ध्यान पाठ की ओर आकर्षित होता है। इसके अन्तर्गत, शिक्षक द्वारा हंसना, मुस्कुराना, गम्भीर होना हाथ से इशारा करना, भूभंग, सिर हिलाना चुप रहने का संकेत देना, आंखों से संकेत देना, आदि क्रियाओं को किया जाता है।
- आवाज में परिवर्तन : जब शिक्षक पढ़ाते समय अपनी आवाज में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करता है तो, छात्रों का ध्यान पढ़ायी जा रही विषय वस्तु की ओर आकर्षित होता है मुख्य तथ्यों को जोर से बोलना, कभी आवाज तेज तो, कभी मन्द करना छात्रों को सतर्क बनाता है। एक ही सुर में किया गया शिक्षण कक्षा वातावरण को नीरस बनाता है।
- शिक्षक द्वारा विराम लेना : शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय यदि अचानक विराम ले लिया जाता है तो, छात्र तुरन्त उसकी ओर आकर्षित होते हैं। शिक्षक को पढ़ाने के दौरान उपयुक्त स्थान पर चुप होना चाहिए। शिक्षक का चुप होना अर्थात विराम लेना, उद्देश्यपरक एवं उचित होना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों का ध्यान खींचना, विचार के लिए समय देना अथवा उत्तर के लिए समय देना आदि। यदि शिक्षक शिक्षण करते समय अचानक रूक जाता है तो, सभी छात्र उसकी ओर देखने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि विराम गलत समय एवं स्थान पर नहीं लेना चाहिए। गलत विराम शिक्षण को

प्रभावहीन बना देता है। विराम न तो बहुत छोटा और न ही बहुत बड़ा होना चाहिए। यह उपयुक्त एवं शिक्षण में प्रभावी होना चाहिए।

- छात्र गतिशीलता : छात्र गतिशीलता से तात्पर्य उनकी शारीरिक भागीदारी है। अर्थात छात्रों द्वारा स्वयं कुछ करना जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग करना, नाटक में भाग लेना, उन्हें कुछ करने के लिए कहना आदि से शिक्षण में रूचि उत्पन्न होती है और नीरसता खत्म हो जाती है।
- छात्रों के ध्यान का केन्द्रीकरण : छात्रों का ध्यान पढ़ायी जा रही विषय वस्तु की ओर केन्द्रित करना छात्रों के ध्यान का केन्द्रीकरण कहलाता है। इसके लिए शिक्षक शब्दों एवं संकेतों का सहारा लेता है। जैसे- इधर देखों, बातें मत करो, चुप रहो, ध्यान से सुनो आदि शाब्दिक केन्द्रीकरण तथा इशारे से चुप करना, चेहरे को विभिन्न मुद्राएँ बनाना, महत्वपूर्ण बातों को लिखकर रेखांकित करना आदि भाव मुद्रा केन्द्रीकरण है तथा शिक्षक कभी-कभी शब्दों एवं संकेतों का एक साथ प्रयोग कर छात्रों का ध्यान केन्द्रित करता है।
- अन्तक्रिया में परिवर्तन : दो पक्षों के मध्य विचारों, भावों के आदान प्रदान को अन्तः क्रिया कहते हैं। कक्षागत शिक्षण में उद्दीपन परिवर्तन कौशल का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित होता है। कक्षा में यह अन्तः क्रिया तीन रूपों में हो सकती है। वे-
- शिक्षक द्वारा सम्पूर्ण कक्षा के साथ विचारों आदि के आदान प्रदान से होने वाली शिक्षक-कक्षा अन्त:क्रिया।
- शिक्षक द्वारा किसी छात्र विशेष से होने वाली शिक्षक छात्र अन्तः क्रिया।
- छात्रों के मध्य विचारों एवं भावों के आदान प्रदान से होने वाली छात्र-छात्र अन्तः क्रिया। अन्तः क्रिया में समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए एक ही प्रकार से की गयी अन्त:क्रिया कक्षा वातावरण को नीरस बना देती है।
- श्रव्य-दृश्य क्रम में परिवर्तन : शिक्षक को पढ़ाते समय प्रयुक्त श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। इससे शिक्षण रूचिकर बनता है। बोलते बोलते लिखना, अथवा कुछ दिखाना आदि करने से छात्रों का ध्यान कक्षा की ओर लगा रहता है।

अवांछनीय घटक : इस कौशल के प्रमुख अवांछनीय घटक निम्नलिखित हैं। वे -

- अनुपयुक्त अंग संचालन : आवश्यकता से अधिक हिलना-डुलना, चलना शिक्षण को प्रभावहीन बना देता है। अनुपयुक्त अंग संचालन अवांछनीय है।
- समान स्वर : आवाज कितनी ही अच्छी क्यों न हो, यदि वह समान रहेगी बिना किसी परिवर्तन के तो वह कक्षा में छात्रों को सोने में मदद करती है। समान स्वर अवांछनीय घटक है।

- अन्तः क्रिया का अभाव : अन्तः क्रिया का अभाव एक अवांछनीय घटक व्यवहार है। जब केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं तो, कक्षा का वातावरण नीरस एवं अनुपयुक्त हो जाता है, जो कौशल के विकास को बाधित करता है।
- मूर्तिवत् शिक्षण : यदि शिक्षण बिना किसी हाव भाव के बुत के समान एक ही स्थान पर खड़े रहकर किया जाता है तो, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है। मूर्तिवत शिक्षण अवांछनीय शिक्षण व्यवहार है।
- अपरिवर्तनशील सामग्री : विषय वस्तु शिक्षण सहायक सामग्री आदि में परिवर्तन न होना उद्दीपन परिवर्तन कौशल के लिए अवांछनीय व्यवहार है। इससे कक्षा नीरस एवं शिक्षण प्रभावहीन हो जाता है।

14.2.4 प्रश्न कौशल

प्रश्न पूछना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसे हर शिक्षक को अच्छी तरह से जानना चाहिए। सफल शिक्षण अत्यधिक प्रश्न पूछने पर निर्भर है। प्रश्न पूछने से सोचने की क्षमता बढ़ती है। किसी पाठ में स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। प्रश्नों का उपयोग छात्रों को कुछ तथ्यों को याद रखने, उनकी तर्क क्षमता का अभ्यास करने और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने में उनकी पहचान और भेदभाव की शक्ति का उपयोग करने में मदद करने के लिए किया जाता है। प्रभावी पूछताछ उन्हें चीज़ों और विचारों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।

- प्रश्न पूछना समस्या समाधान की एक तार्किक प्रक्रिया है।
- ज्ञान की अस्थायी प्रकृति को प्रस्तुत करने के लिए प्रश्न पूछना उपयोगी है।
- प्रश्न पूछने का प्रयोग समस्याओं को सुलझाने में किया जाता है।
- शिक्षक शिक्षार्थियों को एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- शिक्षक सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रश्नोत्तरी का उपयोग करता है।
- शिक्षक छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए प्रश्नोत्तरी का उपयोग करता है।
- किसी भी प्रभावी शिक्षण तकनीक की आधारशिला प्रश्न पूछना है।
- यह एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसका उपयोग किसी भी विषय और किसी भी ग्रेड को पढ़ाने में किया जा सकता है।

इस प्रकार प्रश्न पूछना भागीदारी को बढ़ावा देता है, सीखने को बढ़ाता है और छात्रों को प्रेरित करता है। आइए देखें कि प्रश्न पूछना एक शिक्षक के लिए एक आवश्यक कौशल क्यों है? प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल से सुसज्जित एक शिक्षक:

- छात्रों को उनके ज्ञान का प्रदर्शन/परीक्षण करने में मदद करें।
- छात्रों से वांछित जानकारी प्राप्त करें।
- कक्षा में विषय-वस्तु विकसित करें।

- छात्रों को पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम बनाना।
- छात्रों को अपने ज्ञान को एक विशिष्ट नई स्थिति में लागू करने में सक्षम बनाना।
- छात्रों को अवधारणाओं के बारे में उनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायता करना, और
- विद्यार्थियों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए केवल इतना ही कर सकता है कि उनमें आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करें। सोचना एक सतत क्रिया है। यह विचार के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है और छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की ओर ले जाता है। प्रश्न पूछने से सोचने की क्षमता बढ़ती है।छात्रों की सोच का स्तर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के स्तर पर निर्भर करता है। प्रश्न पूछने का स्तर शिक्षण-अधिगम गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से निर्धारित होता है। जिस प्रकार से प्रश्न की संरचना की जाती है, छात्रों की सोच उसी के अनुसार संरचित होती है। प्रश्न का स्तर विद्यार्थियों द्वारा दिये गये उत्तरों के स्तर से भी निर्धारित होता है। उत्तरदाताओं से विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, हम विभिन्न स्तरों पर प्रश्न तैयार कर सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रश्नों का निर्माण करते समय, आप शैक्षिक उद्देश्यों की विभिन्न वर्गीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। कई शोधकर्ताओं ने प्रश्नों की शैलियों और प्रकारों पर काम किया है। मोटे तौर पर प्रश्न चार प्रकार के होते हैं। वे-

- निम्न स्तर के प्रश्न
- मध्यस्तर के प्रश्न
- उच्च स्तर के प्रश्न
- अनुवर्ती प्रश्न

- निम्न स्तर के प्रश्न : प्रश्नों का यह स्तर सोच के स्मृति स्तर तक सीमित है जो उच्च स्तरीय सीखने का आधार बनता है। ये प्रश्न केवल अभिव्यक्ति के तरीके से संबंधित हैं, जैसे "देशभक्ति की भावना को अपने शब्दों में परिभाषित करें"।
- मध्यस्तर के प्रश्न: मध्य स्तर के प्रश्नों में पढ़ाए जा रहे या पहले से सीखे गए तथ्यों/अवधारणाओं की व्याख्या शामिल होती है। व्याख्या में विचारों, अवधारणाओं, सामान्यीकरणों आदि के बीच संबंधों की तुलना या स्पष्टीकरण शामिल है।
- उच्च क्रम के प्रश्न : इस स्तर के प्रश्न बच्चों को सोचने, अर्जित ज्ञान से परे तर्क करने, समस्याग्रस्त स्थितियों का उनके तत्वों में विश्लेषण करने और उन तत्वों के बीच अंतर्संबंध की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रश्न छात्रों को नए विचार उत्पन्न करने और रचनात्मक और तर्क क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। उच्च क्रम के प्रश्नों द्वारा प्रचारित कौशलों को तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। वे - विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन।

14.2.5 उदाहरण कौशल

उदाहरण कौशल को दृष्टान्त व्याख्या अथवा सोदाहरण निरूपण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। इससे तात्पर्य व्याख्या को अधिक प्रभावशाली एवं सरल ढंग से समझाने के लिए उदाहरणों के प्रयोग करने से है। शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त, रोचक एवं सम्बन्धित उदाहरणों का प्रयोग करता है, जिससे छात्र सुगमता से समझ लेने में समर्थ होते हैं। जटिल प्रकरण को इसके द्वारा समझाना आसान होता है। उदाहरण पढ़ायी जाने वाली विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए। उपयुक्त उदाहरण, जटिल संकल्पना (Concept) को बोधगम्य बनाने में सहायक है। शिक्षक चित्रों, स्पष्टीकरणों, उदाहरणों आदि का सहारा लेकर अध्यनाधीन प्रकरण को सुगम बनाकर समझाता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विषय वस्तु को समझाना 'उदाहरण कौशल' कहलाता है।

उदाहरण कौशल के उपागम : उदाहरण कौशल के लिए दो उपागमों का प्रयोग करते हैं। वे-

- शाब्दिक उपागम
- अशाब्दिक उपागम

शाब्दिक उपागम : उदाहरण कौशल के अन्तर्गत शाब्दिक उपागम में उदाहरणों को प्रयोग करना, तुलना करना, कहानी सुनाना, शब्द चित्र खींचना आदि का प्रयोग कुशलता पूर्वक करते हैं।

अशाब्दिक उपागम : इसमें पढ़ायी जाने वाली विषय वस्तु को वास्तविक पदार्थ, रेखाचित्र, चल चित्र, चित्र, मॉडल, मानचित्र (Maps) आदि के द्वारा समझाते हैं।

उद्देश्य : उदाहरण कौशल के निम्न उद्देश्य हैं।

- जटिल प्रकरण को सरल बनाना।
- पाठ को रोचक बनाकर समझाना।
- छात्रों की समस्त इन्द्रियों का यथा सम्भव प्रयोग करना।
- छात्रों को ज्ञात ज्ञान से अज्ञात ज्ञान की ओर अग्रसर करना।
- प्रकरण को बोधगम्य बनाना।
- छात्रों की सक्रियता बढ़ाना।
- शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना।

सावधानियाँ : इस कौशल का प्रयोग निम्न सावधानियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

- उदाहरण का चयन पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
- उदाहरण आदि रूचिकर होने चाहिए।
- इनमें विविधता आवश्यक है, अन्यथा छात्र रूचि लेना कम कर देते हैं।
- इनका प्रयोग छात्र के मानसिक स्तर को समझकर करना चाहिए।
- उदाहरण सरल एवं उचित होनी चाहिए।

- इनका चयन दैनिक जीवन से करना चाहिए।
- उदाहरण उपयुक्त एवं पाठ के विकास में सहायक होनी चाहिए।
- उदाहरण आदि को उपयुक्त माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए।
- उदाहरण की संख्या उचित होनी चाहिए।
- उदाहरण छात्रों से भी प्राप्त करनी चाहिए।

उदाहरण कौशल घटक

वांछनीय घटक

उदाहरण कौशल के प्रमुख घटक निम्न हैं। वे-

- **सरल उदाहरणों का प्रयोग** : छात्रों को पढ़ायी जा रही विषय वस्तु सरल उदाहरणों की सहायता से समझानी चाहिए। सरल से तात्पर्य छात्रों की आयु, कक्षा स्तर, अनुभव, परिस्थितियां, मानसिक विकास आदि को ध्यान में रखने से है। क्योंकि सरल एक सापेक्ष शब्द है जो दृष्टांत बड़े छात्रों के लिए सरल है। सम्भवत: वही उदाहरण छोटे बच्चों के लिए कठिन होते हैं। सरल उदाहरणों के द्वारा छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। जबकि कठिन दृटांत उनकी कक्षा में भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- **संगत उदाहरण** : प्रकरण से सम्बन्धित दृष्टांत प्रयोग करनी चाहिए। संगत उदाहरण से शिक्षण उपयोगी बनता है। असंगत उदाहरण आदि का प्रयोग पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को समझाने में कोई सहायता नहीं करता है। अत: शिक्षक को चाहिए कि वह प्रकरण को समझाने के लिए संगत दृष्टांत प्रयोग करें।
- **रोचक उदाहरणों का प्रयोग** : विषय वस्तु समझाने के लिए रोचक उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए यदि छात्र कक्षा में उत्साहित, सक्रिय एवं उत्सुक है तो, समझना चाहिए कि दिया गया उदाहरण रोचक है। रोचक उदाहरण छात्रों में कौतूहल उत्पन्न करता है। वे अधिक सतर्क व्यवहार करते हैं। ये छात्र के सभी स्तर ध्यान में रखकर दिये जाने चाहिए। जैसे मानसिक स्तर, परिस्थितियां, आयु स्तर, कक्षा स्तर आदि।
- **दृष्टांतों की उपयुक्त संख्या**: कक्षा में प्रकरण समझाने के लिए दृष्टान्तों की उपयुक्त संख्या प्रयुक्त करनी चाहिए। आवश्यकता से कम उदाहरणों से प्रकरण को समझाना एक ओर जहाँ कठिन होता है, वहीं दूसरी और अधिक संख्या से शिक्षण मूल विषय वस्तु से भटक जाता है।
- **छात्रों का प्रत्यय बोध** : शिक्षक को दृष्टांत के द्वारा प्रकरण समझाने के बाद ये देखना चाहिए कि छात्रों को पढ़ायी गयी विषयवस्तु का बोध कितना हुआ है। छात्र प्रत्यय को समझने में किस सीमा तक सफल रहे हैं।
- **छात्रों से उदाहरण आदि प्राप्त करना** : शिक्षक को विषय वस्तु समझाते समय चाहिए कि वह स्वयं के साथ छात्रों से भी सम्बन्धित प्रकरण से उदहारण आदि देने के लिए कहे

इससे छात्र कक्षा शिक्षण में सक्रिय भागीदारी करते हैं तथा प्रकरण की समझ का भी पता चल जाता है।

- **उपयुक्त विधियों का चयन** : प्रत्यय, विचार आदि को समझाने के लिए, शिक्षक को उपयुक्त विधि का चयन करना चाहिए। जैसे आगमन विधि तथा निगमन विधि।

(i) आगमन विधि : इस विधि में शिक्षक पहले विषय वस्तु से सम्बन्धित कुछ उदाहरण आदि प्रस्तुत करता है, उसके पश्चात निष्कर्ष निकालता है।

(ii) निगमन विधि : इस विधि के अन्तर्गत शिक्षक आगमन विधि के विपरीत दृष्टान्त कौशल का प्रयोग करता है। अर्थात् पहले वह विषय वस्तु को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात् उदाहरण आदि के प्रयोग से उसे समझाता है।

- **उपयुक्त माध्यम का चयन** : विषय वस्तु को समझाने के लिए उदाहरण आदि उपयुक्त माध्यम द्वारा देने चाहिए।

उदाहरणों के आधार पर वर्गीकरण

- दृश्य उदाहरण : इसमें मॉडल, चार्ट, चित्र, रेखाचित्र, ग्राफीय निरूपण आदि आंखों से दिखायी देने वाली वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं।
- श्रव्य उदाहरण : इसमें कानों से सुने जाने वाले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे- किसी घटना का वर्णन करना, कहानी कहना, सम्बन्धित अनुभव बताना आदि।
- स्पृश्य उदाहरण : इसके अन्तर्गत स्पृश्य वस्तुओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे-फूल, फल, पत्ती, आदि वास्तविक स्पृश्य वस्तुएँ।

प्रस्तुतीकरण के माध्यम के आधार पर वर्गीकरण : उदाहरण कौशल को प्रस्तुतीकरण के माध्यम के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं।

(i) शाब्दिक प्रस्तुतीकरण : इसके अन्तर्गत शिक्षक विषय वस्तु को समझाने के लिए कहानी कहना, तुलना करना, किसी घटना का वर्णन करना आदि शाब्दिक विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे संकट के समय बुद्धि के प्रयोग से, बचने के लिए शिक्षक मगरमच्छ और बन्दर की कहानी सुना कर उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है।

अशाब्दिक प्रस्तुतीकरण : जब उदाहरण आदि को शब्दों के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो, उसे अशाब्दिक दृष्टान्त प्रस्तुतीकरण कहते हैं। जैसे फूल, पत्ती, जड़, अनाज, मृदा आदि वस्तुओं को प्रस्तुत करना, चित्रात्मक उदाहरण देना, वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग सम्भव न होने पर उनके स्थान पर मॉडलों (प्रतिकृति) का प्रयोग करना।

अवांछनीय कौशल घटक : उदाहरण कौशल के अवांछनीय घटक निम्नलिखित हैं:

- कठिन उदाहरणों का प्रयोग करना : कठिन उदाहरणों का प्रयोग करने से छात्र प्रकरण को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ये छात्रों के मानसिक एवं कक्षा स्तर को ध्यान

में रखकर प्रयोग करनी चाहिए। कठिन उदाहरणों से उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।

- असंगत उदाहरण : शिक्षक द्वारा प्रयुक्त उदाहरण यदि विषय वस्तु से सम्बन्धित न हों तो विषय को समझाने में सहायता नहीं मिलती है। असंगत उदाहरण छात्रों को भ्रमित करते हैं। इनके प्रयोग से बचना आवश्यक है।
- अधिक उदाहरण प्रयोग करना : आवश्यकता से अधिक उदाहरण प्रयोग करने से शिक्षण अपने केन्द्रीय उद्देश्य से दूर हट जाता है। इससे मूल शिक्षण बाधित होता है जो अवांछनीय है। शिक्षक को आवश्यकता से अधिक उदाहरण देने से बचना चाहिए।
- अनुपयुक्त एवं अरोचक उदाहरण : बोझिल एवं अनुपयुक्त उदाहरण दृष्टान्त कौशल के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे छात्रों में शिक्षण के प्रति रूचि समाप्त होने लगती है। अरोचक एवं इधर-उधर के उदाहरणों से केवल समय की बर्बादी होती है।
- अनुपयुक्त प्रस्तुतीकरण : उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण अनुपयुक्त होने पर दृष्टान्त कौशल के विकास में रूकावट पैदा करते हैं। गलत प्रस्तुतीकरण करने से उदाहरण का आकर्षण एवं प्रभाव समाप्त हो जाता है। इनसे बचना चाहिए।

14.2.6 पुनर्बलन कौशल

पुनबर्तन एस-आर सिद्धान्त पर आधारित मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह अनुक्रिया के पश्चात प्रदान किया जाता है, जिससे व्यवहार को स्थायी बनाने में सहायता मिलती है। अर्थात् अनुक्रिया की दर बढ़ाने के लिए उद्दीपनों को प्रस्तुत करने, प्रयोग करने अथवा उन्हें हटाने को पुनर्बलन कहते हैं। इससे अनुक्रिया की सम्भावना बढ़ती है। पुनबर्लन अनुक्रिया के बाद ही दिया जाता है। यदि पुनर्बलन अनुक्रिया के साथ-साथ दिया जाये तो, उसे पृष्ठ पोषण कहा जाने लगता है। यह दो प्रकार का होता है। वे-

सकारात्मक पुनर्बलन

यदि घटना के घटित होने से अनुक्रिया की दर बढ़ती है तो, इस प्रकार के पुनर्बलन को सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यह छात्रों को प्रोत्साहित करता है। इसमें शाबास, उत्तम, अच्छा अति सुन्दर आदि शब्दों अथवा संकेतो के माध्यम से उत्साह बढ़ाया जाता है।

नकारात्मक पुनर्बलन

पुनर्बलन का वह रूप जिसके द्वारा घटना के घटित होने की अनुक्रिया दर क्षीण होती है अवांछित व्यवहार को समाप्त करने में सहायता मिलती है तो इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इसमें गलत, ठीक नहीं है, सुधार करो, सिर हिलाकर मना करना, आंखें तरेरना आदि का प्रयोग कर अवांछनीय क्रियाओं को रोका जाता है।

विशेषताएँ: पुनर्बलन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। वे -

- यह व्यवहार को स्थायी बनाता है।
- यह क्रिया के पश्चात प्रदान किया जाता है।
- पुनर्बलन अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है।
- यह किसी भी स्थिति में क्रिया के साथ क्रियाशील नहीं होता है।
- यह दो प्रकार का होता है सकारात्मक एवं नकारात्मक।
- छात्रों को प्रोत्साहन अथवा हतोत्साहन देने में पूर्ण उपयुक्त है।
- सूक्ष्म शिक्षण में यह बहुत उपयोगी है।
- यह छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करता है।

सावधानियां

- इसका प्रयोग कुशलता पूर्वक करना चाहिए।
- पुनर्बलन में कुछ कथनों को ही बार-बार प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- यह सभी छात्रों को समान रूप से बिना पक्षपात के प्रदान करना चाहिए।
- कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- केवल बुद्धिमान छात्रों पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए।
- उपयुक्त शब्द अथवा संकेत का प्रयोग उचित ढंग से करना चाहिए।
- पुनर्बलन प्रदान करते समय धारा प्रवाह पुनर्बलन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे शाबास, बहुत अच्छे, उत्तम, बैठ जाओ को एक ही छात्र को एक ही बार में बोलना आदि।
- पुनर्बलन शब्दों में विविधिता होनी चाहिए।
- पुनर्बलन का प्रयोग अनुक्रिया के तुरन्त बाद प्रभावशाली है।
- यह छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए।
- सांकेतिक प्रबलकों का प्रयोग कम करना चाहिए। जैसे पुरस्कार देना, टीका टिप्पणी करना आदि।
- विलम्बित प्रबलन केवल आवश्यक होने पर ही दिया जाना चाहिए। जैसे छात्रों द्वारा बड़ा उत्तर देना।

घटक

वांछनीय घटक

पुनर्बलन कौशल के मुख्य घटक निम्न है। वे -

- सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग : इसमें शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे- बहुत अच्छे, उत्तम, अच्छा, सुन्दर, ठीक है,

सही बिल्कुल सही, ठीक कहा, जी हां, आगे बढों, जारी रखो, तथा छात्र के विचारों को शिक्षक द्वारा किसी भी रूप में दोहराना। जैसे- व्याख्या, सार, भाव, आदि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हैं।

- सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग : इसके अन्तर्गत शिक्षक बिना शब्दों के केवल भाव भगिमाओं के द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करता है। जैसे- मुस्कराना, स्वीकृति में सिर हिलाना, प्रसंशा भरी नजरों से देखना, आगे बढ़ने के लिए हाथ से इशारा करना, छात्र की पीठ थपथपाना, श्यामपट्ट पर लिखना आदि सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन कहलाते हैं।
- नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग : इसमें शब्दों के द्वारा नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। यह व्यवहार को कमजोर करता है छात्र की रूचि तथा अभिप्रेरणा कम होने लगती है इनका प्रयोग, छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है। जैसे, नहीं, ठीक नहीं, गलत, बिल्कुल अशुद्ध, सच नहीं है, बेवकूफ, बेकार, निरर्थक, मूर्ख है क्या? चुप बैठो, दिमाग खराब है आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इनके स्थान पर मानवीय नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए जैसे सुधार करो, प्रयास करो, तर्क संगत करो, सही उत्तर दो, नहीं आदि।
- नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग : अवांछित व्यवहार के प्रति जागरूक छात्रों के लिए नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग उचित ढंग से करना चाहिए। अन्यथा छात्र अपमानित अनुभव कर सकते हैं तथा उनकी शिक्षण अधिगम में रूचि कम हो सकती है, कुछ नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन निम्न हैं। आंखें तरेरना, भवें चढ़ाना, चेहरा विकृत करना, सिर हिलाकर मना करना, भाव विशेष की उपेक्षा करना, गुस्से से मेंज आदि पर हाथ मारना, गुस्से से किताब बंद करना आदि।
- छात्र के उत्तर दोहराना : इसके अन्तर्गत शिक्षक छात्रों के मौलिक अथवा विशेष उत्तर को यथावत अपने शब्दों में दोहराता है जिससे छात्र प्रोत्साहित होता है।
- श्यामपट्ट पर उत्तर लिखना : शिक्षक को छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उचित एवं मौलिक उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। इससे छात्रों में उत्साह का संचार होता है तथा सजगता बढ़ती है।
- अतिरिक्त संकेत : शिक्षक शिक्षण करते समय कई अतिरिक्त संकेत करता है। जैसे- हुक्म, हूं, पुच्च आदि इनका प्रयोग अत्यधिक करने से इनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। इनका प्रयोग प्रायः लम्बे उत्तरों में बीच-बीच में किया जाता है।
- नवीनता : पुनर्बलन में नवीनता छात्रों की रूचि बढ़ाती है जिससे वे अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। कथनों, शब्दों आदि में नवीनता होनी चाहिए।

- सभी को पुनर्बलन देना : पुनबर्लन का प्रयोग सभी के लिए किया जाना चाहिए। जिससे कोई छात्र उपेक्षित अनुभव न कर सके।
- पुनर्बलन की उपयुक्तता : उपयुक्त पुनर्बलन छात्रों को अधिक प्रेरित करता है लेकिन अनुपयुक्त प्रवचन छात्रों को आहत कर सकता है।
- उत्साहवर्द्धन : छात्रों का शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए उचित रूप से उनका उत्साहवर्द्धन किया जाना चाहिए।
- छात्रों के सुझाओं का समर्थन : छात्रों के सुझाओं का समर्थन उत्तरों की उपयुक्तता के आधार पर किया जाना चाहिए। सही प्रतिक्रिया को समर्थन मिलने पर छात्र अच्छा महसूस करते हैं तथा शिक्षण क्रिया में सक्रिय रूप से योगदान प्रदान करते हैं।

अवांछनीय घटक

इसके प्रमुख अवांछनीय शिक्षण व्यवहार/घटक निम्न है। वे-

- **समान पुनर्बलकों का प्रयोग :** समान पुनर्बलकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह छात्रों को अभिप्रेरणा देने में निष्प्रभावी होते हैं। छात्रों में उत्साह का संचार करने में ये शब्द विफल रहते हैं।
- **अनुपयुक्त पुनर्बलन :** आवश्यकता से अधिक पुनर्बलन छात्रों को घमण्डी एवं हतोत्साहित कर सकता है। पक्षपात आधारित पुनर्बलन हानिकारक है। इससे शिक्षण प्रक्रिया को आघात पहुंचता है।
- **नवीनता की कमी :** छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करते नवीनता की कमी होना अवांछनीय है। घिसे-पिटे शब्दों का प्रयोग करने से छात्र ऊब जाते हैं, जिससे पुनर्बलन देने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, जो ठीक नहीं है।
- **नकारात्मक पुनर्बलकों का अनुचित प्रयोग :** नकारात्मक पुनर्बलकों का अनुचित प्रयोग छात्रों को हीन भावना से ग्रसित कर सकता है। उनमें कुण्ठा भर सकता है जो, अवांछनीय है। नकारात्मक पुनर्बलकों के प्रयोग से यथा सम्भव बचना चाहिए।

14.2.7 व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना

शिक्षक को कक्षा में विभिन्न व्यवहार करने पड़ते हैं, जो शिक्षण को सुचारू, प्रभावशाली एवं उद्देश्य परक बनाने में सहायक होते हैं। जब शिक्षक कक्षा में विषय वस्तु को अपने शब्दों में छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर स्पष्ट करता है तो, छात्र विषय को समझने में अधिक समर्थ होते हैं। छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने में अधिक सुगमता रहती है। कक्षा में उपस्थित सभी छात्र दिये गये स्पष्टीकरण से लाभान्वित होते हैं। विषय वस्तु को जितने रोचक एवं सरल ढंग से स्पष्ट किया जाता है, छात्रों में अधिगम प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। इस प्रकार विषय वस्तु को समझाना व्याख्या कौशल से सम्बन्धित है। इनके बिना विषय वस्तु को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

अर्थ : व्याख्या कौशल से तात्पर्य विषय वस्तु को सरल, रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर समझने योग्य बनाने से है। व्याख्या द्वारा शिक्षक सभी प्रकार के छात्रों जैसे - बुद्धिमान, कमजोर, परिपक्क एवं अपरिपक्क के सामने इस प्रकार विषय वस्तु प्रस्तुत करता है कि अधिक से अधिक, वे इसे ग्रहण कर सके। शिक्षक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रवाह पूर्ण भाषा, स्पष्ट कथन आदि का प्रयोग करता है। इस प्रकार स्पष्ट की गयी समझने योग्य संकल्पना व्याख्या कहलाती है। यह अति महत्वपूर्ण शिक्षक व्यवहार है, बिना इसके शिक्षक सहायता का छात्रों के लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता है। व्याख्या के बिना विषय वस्तु को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होता है। इसमें कथनों, शब्दों एवं भाषा प्रवाह का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया जाता है। "छात्रों के लिए सरल, रोचक एवं ग्रहण करने योग्य बनाकर विषय वस्तु का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतीकरण व्याख्या कहलाता है।" व्याख्या एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से कथनों, प्रत्ययों (Concept) एवं विषय वस्तु (Content) को समझाने योग्य बनाया जाता है अर्थात व्याख्या कधनों, विचारों, संकल्पनाओं एवं पटताओं के बीच संबंध दिखाने वाली क्रिया है, जिससे विषय वस्तु बोधगम्य वनती है। व्याख्या की तीन प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। वे-

- सूचना देना
- वर्णन करना
- व्याख्या करना

- **सूचना देना** : सूचना देने से तात्पर्य केवल तथ्यों को प्रकाश में लाने से है। इसमें विषय वस्तु से सम्बन्धित तथ्यात्मक कथनों को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तथ्यों से सम्बन्धित कथनों के बीच किसी संबंध को जानने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। सूचना देने से तात्पर्य बिना पारस्परिक सम्बन्धों को जाने तथ्यात्मक कथनों को प्रदान करने से है।
- **वर्णन करना** : यह सूचना देने काउन्नत क्रिया है। इस दूसरी अवस्था में तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तथा उनके मध्य संबंध ज्ञात करने का सतत प्रयास भी करते हैं। इससे विषय वस्तु रोचक बन जाती है।
- **व्याख्या करना** : व्याख्या में तथ्यों, विचारों संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए क्यों, कैसे तथा कभी-कभी क्या से प्राप्त उत्तरों को शामिल करते हैं। इसमें घटना से संबंध रखने वाले कारणों एवं उनसे प्राप्त सूचनाओं के बीच संबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अर्थात घटना को तार्किक रूप से स्पष्ट करते हैं। कारण एवं परिणाम (घटित घटना) के मध्य संबंध स्थापित करते हैं।

"किसी घटना, विचार, कथन, विषय-वस्तु को समझाने की क्रिया को व्याख्या कहते हैं जिसमें घटना आदि से सम्बन्धित कारणो के तार्किक विवेचन से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं।"

महत्व

- यह शिक्षण की महत्व पूर्ण क्रिया है।
- इससे छात्र विषय वस्तु को आसानी से समझ लेते हैं।
- यह अधिगम को प्रभावशाली बनाती है।
- इससे विषय वस्तु को तार्किकता प्राप्त होती है।
- अर्जित ज्ञान स्थायी होता है।
- शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी है।
- इसमें कथनों के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं।
- शिक्षण क्रिया सुगम हो जाती है।
- विद्यार्थियों में रूचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
- कक्षा में छात्रों की सक्रियता बढ़ती है।

सावधानियाँ

- व्याख्या सरल भाषा में रोचक ढंग से की जानी चाहिए।
- व्याख्या को उपदेशत्मक शैली में नहीं करना चाहिए।
- विचारों एवं कथनों में क्रम बद्धता होनी चाहिए।
- व्याख्या को पाठ के उद्देश्य के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए।
- छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर व्याख्या करनी चाहिए।
- कथनों को जोड़ने के लिए उचित योजक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
- व्याख्या के प्रारम्भ में 'भूमिका कथन तथा अन्त में निष्कर्षात्मक कथन प्रस्तुत करनी चाहिए।'
- व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करनी चाहिए।
- व्याख्या में सभी आवश्यक तत्वों को शामिल करना चाहिए।
- बोधात्मक प्रश्न अवश्य किन्तु कम से कम पूछे जानी चाहिए।
- असम्बद्ध कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- भाषा स्पष्ट एवं प्रवाह युक्त होनी चाहिए।
- अधूरे एवं अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए।
- व्याख्या रोचक, सार्थक, प्रभावशाली, एवं छात्रों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

व्याख्या कौशल के घटक

व्याख्या कौशल के घटकों से तात्पर्य उन बातों अथवा तथ्यों से है, जिनको व्याख्या करते समय

ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कौशल के घटकों को ही भागों में बांटा जा सकता है।

वांछनीय कौशल घटक

- **प्रस्तावना कथन प्रयोग करना** : व्याख्या प्रारम्भ करने से पहले शिक्षक को प्रस्तावना कथनों को प्रयोग करन चाहिए। इससे छात्रों को यह पता चल जाता है कि शिक्षक आज हमें क्या बताने वाले हैं। छात्र अध्ययन हेतु स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करने में सक्षम होते हैं। वे इन कथनों से व्याख्या के संकेत प्राप्त करते हैं।
- **निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग** : व्याख्या के अंत में संक्षेप में निष्कर्षात्मक कथनों को प्रयोग किया जाता है। इससे छात्र के समक्ष समझायी गयी विषय वस्तु को निष्कर्ष रूप से रखने में सहायता मिलती है।
- **कथनों की तारतम्यता** : व्याख्या में प्रयुक्त कथन आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित होने चाहिए। कथनों में तारतम्यता व्याख्या के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में व्याख्या का स्वरूप विकृत हो जाता है।
- **भाषा की प्रवाह शीलता** : व्याख्या में प्रयुक्त भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। संतुलित प्रवाह युक्त भाषा से व्याख्या सुगम हो जाती है। छात्र शिक्षक के विचारों को सहजता से आत्मसात करने में सक्षम बन जाते हैं। प्रवाह न तो कम और न ही अधिक होना चाहिए।
- **रोचकता** : छात्र व्याख्या को आसानी से समझ सके। इसके लिए आवश्यक है कि व्याख्या को रोचक बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। उपयुक्त उदाहरण, भाषा का कुशलता पूर्वक उपयोग उचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग व्याख्या को रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **आवश्यक तथ्यों को शामिल करना** : एक अच्छी व्याख्या में सम्बन्धित सभी आवश्यक तथ्यों का शामिल होना आवश्यक होता है। विषय वस्तु से सम्बन्धित सभी गुण, विशेषताएँ, निष्कर्ष आदि घटकों का समावेश व्याख्या को बोधगम्य, सम्पूर्ण एवं प्रभावशाली बना देता है।
- **उचित शब्दों का प्रयोग** : शिक्षक को व्याख्या करते समय विषय वस्तु से सम्बन्धित शब्दों का प्रयोग उचित ढंग से करना चाहिए। आवश्यकतानुकूल उचित शब्द व्याख्या को अच्छा बनाने में सहायक होते हैं।
- **बोधात्मक प्रश्न** : शिक्षक को छात्रों से व्याख्या से सम्बन्धित बोध प्रश्नों को पूछना चाहिए इससे शिक्षक यह जाने में सक्षम होता है कि वह विषय वस्तु को समझाने में किस सीमा तक सफल रहा है, छात्रों ने व्याख्या को कितना समझा है?
- **शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग** : शिक्षक को व्याख्या को प्रभाव युक्त बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जैसे- चार्ट, मॉडल, यथार्थ

पदार्थ, श्याम पट् आदि।

अवांछनीय कौशल घटक

- **असम्बद्ध कथन** : व्याख्या में असम्बद्ध कथनों के प्रयोग से बचना चाहिए। ये व्याख्या के विकास में कोई योगदान नहीं देते हैं। छात्रों का ध्यान व्याख्या से हट जाता है तथा विषय वस्तु को समझने में असमर्थ रहते हैं।
- **निरन्तरता में कमी** : शिक्षक यदि व्याख्या करते समय निरन्तरता में कमी करता है तो, व्याख्या को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। एक विचार को बीच में रोककर नया विचार, बिना किसी उपयुक्त संयोजन के प्रारम्भ कर देने से निरन्तरता में कमी आ जाती है। असंगत कथन भी निरन्तरता में बाधा पैदा करते हैं।
- **भाषा प्रवाह में बाधा** : भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने पर समझायो जा रही विषय वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाती है। भाषा प्रवाह भंग होने से छात्रों की रूचि कम हो जाती है। आधे-अधूरे वाक्य, अनुपयुक्त जोड़ने वाले शब्द, कथनों का परस्पर सम्बन्धित न होना भाषा प्रवाह में रूकावट डालते हैं।
- **अस्पष्ट शब्द अथवा कथनों का प्रयोग** : अस्पष्ट शब्द एवं कथनों के प्रयोग में नहीं लानी चाहिए ये व्याख्या को दिशाहीन कर देते हैं एवं समझने में कठिनाई होती है। जैसे- समझे, जो हैं, ठीक है, जानते हो, प्रतीत होता है, कुछ-कुछ, शायद, घोड़ा-थोड़ा आदि।

व्याख्या कौशल के लिए सूक्ष्म पाठ-योजना

छात्राध्यापक अनुक्रमांक........................... दिनांक ....

छात्राध्यापक का नाम .... कक्षा : VI

विषय:हिन्दी कालांश : V

उपविषय:गद्य(कहानी) अवधि : 6 मिनट

प्रकरण : 'सच्चा मित्र'

शिक्षक: सच्चा मित्र संसार में जिसे मिल जाते हैं, उसे ईश्वर का खजाना मिल जाता है। यह बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें सच्चा मित्र मिल गया है। सच्चे मित्र की पहचान है कि वह अपने मित्र को कठिनाइयों में अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि वह मुसीबतों के समय पर्वत के समान अडिग बना रहता है। जहाँ एक ओर उसे, वे लोग भी छोड़ देते हैं जो अपने आपको उसका संबंधी होने का दावा करते हैं। लेकिन सच्चा मित्र हर परेशानी में मित्र का साथ

देता है। उसे मुश्किलों से निकालने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तभी तो कहा जाता है कि विपत्ति मित्रता की कसौटी होती है, जो विपत्ति में साथ न दे तो वह कदापि सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। जो कठिनाइयों से हमेंशा यथा शक्ति रक्षा करता है, वही सच्चा मित्र है। ऐसी सच्ची मित्रता जिसे मिल जाए, वह दुनिया में सर्वाधिक भाग्यशाली है।

अब, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता/ पूछती हूं।

शिक्षक : ईश्वर का खजाना किसे कहा गया है?
छात्र : सच्चे मित्र को ईश्वर का खजाना कहा गया है।

शिक्षक : सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है ?
छात्र: सच्चे मित्र की पहचान बुरे वक्त में होती है। जो मुसीबतों के समय साथ देता है वहीं सच्चा मित्र है।

शिक्षक : सच्चा मित्र किसके समान अडिग रहता है?
छात्र : सच्चा मित्र मुश्किलों में पर्वत के समान अडिग रहता है।

शिक्षक : दुनिया में सर्वाधिक भाग्यशाली कौन है?
छात्र : सच्चा मित्र जिसके पास हो, वह दुनिया में सर्वाधिक भाग्यशाली है।

14.3 सारांश

- **प्रमुख शिक्षण कौशल** : शिक्षण कौशल प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किये जाने वाले शिक्षण कार्यों के व्यवहारों का समूह 'शिक्षण कौशल' या 'अध्यापन कौशल' कहलाता है। **इस इकाई में हम कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों का गहन अध्ययन किया है। वे-**
- **प्रस्तावना कौशल**: पाठ को प्रारम्भ करने से पहले शिक्षक को यह जानना आवश्यक होता है कि वह छात्र के पूर्व ज्ञान को परख कर उसे नवीन विषय वस्तु के साथ सम्बन्धित करें। इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले कौशल को प्रस्तावना कौशल (Introduction Skill) अथवा विन्यास-प्रेरणा कौशल (Set-Induction) कहते हैं। इसका प्रयोग पाठ को प्रारम्भ करने से पूर्व करते हैं।
- **प्रश्न सहजता कौशल :** कालांतर से ही मानव जिज्ञासा की सन्तुष्टि प्रश्न एवं उत्तर से ही होती रही है। भारतीय ज्ञान की सम्पूर्ण परंपरा प्रश्न एवं उत्तर से भरी पड़ी है। आज भी विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक उत्तर देते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। यह जानने के लिए कि उन्होंने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। शिक्षक पाठ्यवस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भी प्रश्न पूछता है। अर्थात् शिक्षक प्रश्न संबधि कला का आम तौर पर प्रयोग करते हैं।

- **खोजपूर्ण प्रश्न कौशल** : जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो, वे तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ देते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएँ गलत, आंशिक रूप से सही या पूरी तरह से सही हो सकती हैं। गलत या आंशिक रूप से सही उत्तरों के मामले में आपको अपने विद्यार्थियों को सही उत्तर तक ले जाना होगा। आपको गहराई तक जाना होगा और कई पूरक प्रश्न पूछकर उनकी प्रतिक्रियाओं की जांच करनी होगी, जो वे पहले से जानते हैं। उस पर और फिर प्रश्न के शब्दों में यदि कोई दोष हो या प्रश्न को समझने में कोई बाधा हो तो, उसे दूर करके उन्हें सही उत्तर की ओर ले जाएं। भले ही प्रतिक्रिया सही हो, आप छात्रों को प्रतिक्रिया के बेहतर और व्यापक परिप्रेक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं।
- **उद्दीपक परिवर्तन कौशल :** उद्दीपन परिवर्तन कौशल शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों के ध्यान को शिक्षण में केन्द्रित करने के लिए शिक्षक विभिन्न व्यवहारों का प्रयोग करता है। जैसे आवाज में उतार चढ़ाव लाना, विभिन्न शारीरिक मुद्राएँ बनाना आदि। ये शिक्षार्थियों को आकर्षित करने में पर्याप्त सक्षम क्रियाएँ हैं। इन्हें विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने एकमत से स्वीकार किया है। छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उद्दीपनों में परिवर्तन एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों में सतर्कता बढ़ती है तथा वे अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं।
- **प्रश्न कौशल :** प्रश्न पूछना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसे हर शिक्षक को अच्छी तरह से जानना चाहिए। सफल शिक्षण अत्यधिक प्रश्न पूछने पर निर्भर है। प्रश्न पूछने से सोचने की क्षमता बढ़ती है। किसी पाठ में स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। प्रश्नों का उपयोग छात्रों को कुछ तथ्यों को याद रखने, उनकी तर्क क्षमता का अभ्यास करने और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने में उनकी पहचान और भेदभाव की शक्ति का उपयोग करने में मदद करने के लिए किया जाता है। प्रभावी पूछताछ उन्हें चीज़ों और विचारों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।
- **उदाहरण कौशल :** उदाहरण कौशल को दृष्टान्त व्याख्या अथवा सोदाहरण निरूपण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। इससे तात्पर्य व्याख्या को अधिक प्रभावशाली एवं सरल ढंग से समझाने के लिए उदाहरणों के प्रयोग करने से है। शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त, रोचक एवं सम्बन्धित उदाहरणों का प्रयोग करता है, जिससे छात्र सुगमता से समझ लेने में समर्थ होते हैं। जटिल प्रकरण को इसके द्वारा समझाना आसान होता है। उदाहरण पढ़ायी जाने वाली विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए। उपयुक्त उदाहरण, जटिल संकल्पना (Concept) को बोधगम्य बनाने में सहायक है।

- **पुनर्बलन कौशल :** पुनर्बलन एस-आर सिद्धान्त पर आधारित मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह अनुक्रिया के पश्चात प्रदान किया जाता है। जिससे व्यवहार को स्थायी बनाने मैं सहायता मिलती है। अर्थात् अनुक्रिया की दर बढ़ाने के लिए उद्दीपनों को प्रस्तुत करने, प्रयोग करने अथवा उन्हें हटाने को पुनर्बलन कहते हैं। इससे अनुक्रिया की सम्भावना बढ़ती है। पुनबर्लन अनुक्रिया के बाद ही दिया जाता है।
- **व्याख्या कौशल और इसके लिए सूक्ष्म पाठ योजना :** शिक्षक को कक्षा में विभिन्न व्यवहार करने पड़ते हैं, जो शिक्षण को सुचारू, प्रभावशाली एवं उद्देश्य परक बनाने में सहायक होते हैं। जब शिक्षक कक्षा में विषय वस्तु को अपने शब्दों में छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर स्पष्ट करता है तो, छात्र विषय को समझने में अधिक समर्थ होते हैं। छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने में अधिक सुगमता रहती है। कक्षा में उपस्थित सभी छात्र दिये गये स्पष्टीकरण से लाभान्वित होते हैं। विषय वस्तु को जितने रोचक एवं सरल ढंग से स्पष्ट किया जाता है। छात्रों में अधिगम प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। इस प्रकार विषय वस्तु को समझाना व्याख्या कौशल से सम्बन्धित है। इनके बिना विषय वस्तु को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

14.4 शब्दावली

शब्द	**अर्थ**
शिक्षण कौशल	शिक्षक द्वारा प्रभावी अध्यापन के लिए प्रयुक्त व्यावहारिक एवं तकनीकी योग्यताएँ।
प्रस्तावना कौशल	पाठ्य विषय का प्रारंभ इस प्रकार करना कि विद्यार्थी की रुचि और ध्यान केंद्रित हो।
प्रश्न पूछने का कौशल	उद्देश्यपूर्ण एवं उत्तर प्रेरित करने वाले प्रश्नों का उपयोग करना।
व्याख्या कौशल	किसी विचार, तथ्य या अवधारणा को सरल एवं बोधगम्य बनाकर समझाना।
दृष्टांत कौशल	शिक्षण के दौरान उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्टता प्रदान करना।
उद्दीपन परिवर्तन कौशल	शिक्षण में विविधता लाकर विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना।
पुनर्बलन कौशल	विद्यार्थी के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशंसा या समर्थन देना।

14.5 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- प्रमुख शिक्षण कौशलों की परिभाषा, विशेषताएँ और आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग शिक्षण की विभिन्न स्थितियों में कर सकेंगे।
- पाठ योजना निर्माण में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का समावेश कर सकेंगे।
- शिक्षण कौशलों के प्रदर्शन एवं अभ्यास द्वारा आत्म-आकलन एवं सुधार कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन कर उनका उपयोग कर सकेंगे।
- कक्षा शिक्षण को अधिक सजीव, संवादात्मक और प्रभावशाली बनाने में सक्षम होंगे।

14.6 इकाई के अंत की गतिविधियां

बहुविकल्पीय प्रश्न

1) निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल से सम्बन्धित है।

a) श्यामपट्ट लेखन
b) प्रश्नों को हल करना
c) प्रश्नों को पूछना
d) उपयुक्त सभी

2) विषयवस्तु का उदघाटन किस कौशल के अंतर्गत आता है।

a) प्रस्तावना
b) श्यामपट्ट
c) प्रश्न उत्तर
d) उदहारण

3) हाव भाव ------- उप कौशल है।

e) प्रस्तावना कौशल का
f) प्रश्न कौशल का
g) उद्दीपन परिवर्तन कौशल का
h) पुनर्बलन कौशल का

4) शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं ?

a) 6

b) 7

c) 5

d) 8

5) निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की जाँच आती है?

a) प्रस्तावना कौशल

b) उद्दीपन परिवर्तन कौशल

c) प्रदर्शन कौशल

d) प्रश्नोत्तर कौशल

6) निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है।

a) ज्ञान

b) प्रयोग

c) मूल्य

d) बोध

e) निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षण कौशल से संबंधित है?

उत्तर:

1) उपयुक्त सभी

2) विषयवस्तु का उद्घाटन किस कौशल के अंतर्गत आता है?

उत्तर: a) प्रस्तावना

3) हाव-भाव -------- कौशल है।

उत्तर: g) उद्दीपन परिवर्तन कौशल का

4) शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर: b) 7

5. A

6.c

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रस्तावना कौशल किसे कहते हैं और किसी भी पाठ की प्रस्तावना एक अध्यापक किन किन तरीको से निकाल सकता है ?

2. सकारात्म्क पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. उदाहरण कौशल में शाब्दिक उपागम और अशाब्दिक उपागम क्या है ?
4. उद्दीपक परिवर्तन कौशल के वांछनीय घटक बताए।
5. व्याख्या कौशल में व्याख्या की तीन अवस्थाए कौन कौन सी है ?
6. खोजपूर्ण प्रश्न किसे कहते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. व्याख्या कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार कीजिए।
2. पुनर्बलन कौशल से आप क्या समझते हैं ? इसके वांछनीय और अवांछनीय घटको को विस्तार्पूवक समझाइ।
3. शिक्षण के दौरान उदाहरण कौशल का क्या महत्व है ? इसके गुण और दोष को स्पष्ट कीजिए।
4. एक अध्यापक को उद्दीपक परिवर्तन कौशल प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
5. खोजपूर्ण प्रश्न की क्या उपयोगिता है तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।

14.7 संदर्भ

1. पांडे, के. पी. (2007). *शिक्षण कौशल एवं सूक्ष्म शिक्षण*। विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
2. शारदा, सी. एल. (2012). *शिक्षण कौशल एवं शिक्षण विधियाँ*। लखनऊ: भारती पुस्तक भवन।
3. चौहान, एस. एस. (2006). *शिक्षण अधिगम की मनोवैज्ञानिक नींव*। लखनऊ: अग्रवाल पब्लिकेशन।
4. राजपूत, जे. एस. (2004). *अधिगम और शिक्षण कौशल*। नई दिल्ली: एनसीईआरटी।
5. Passi, B.K. (1976). *Becoming Better Teacher – Micro Teaching Approach*। Sahitya Mudranalaya, Ahmedabad.
6. Allen, D. W., & Ryan, K. (1969). *Micro Teaching*. Massachusetts: Addison-Wesley.
7. Yadav, S. (2014). *Teaching Skills and Strategies*. Pearson Education India.

इकाई 15 : सृजनात्मक भाषा के विविध रूप*

इकाई की रुपरेखा

15.0 प्रस्तावना
15.1 उद्देश्य
15.2 साहित्य के विविध रूप व विद्यालयी पाठ्यक्रम में साहित्य को पढ़ना-पढ़ाना
15.3 हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य एवं हिन्दी की विविध विधाओं को पढ़ने–पढ़ाने के उद्देश्य
15.4 साहित्यिक अभिव्यक्ति के विविध रूप (पद्य एवं गद्य)
15.5 गदय की विभिन्न विधाओं को पढ़ना-पढ़ाना
15.6 गद्य की अन्य विधाओं के शिक्षण के उद्देश्य
15.7 सारांश
15.8 शब्दावली
15.9 अधिगम प्रतिफल
15.10 इकाई के अंत की गतिविधियां
15.11संदर्भ

15.0 प्रस्तावना

भाषा की सृजनात्मकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, फिर भी आप से बात करने में सक्षम हूँ। जैसा कि आप ने इस पाठ्यक्रम में पढ़ा ही होगा कि विख्यात भाषाविद चोमस्की जिसने व्यवहारवाद की बुनियाद को चुनौती देते हुए कहा कि भाषा किसी आदत निर्माण या अनुकरण की देन नहीं, अपितु मनुष्य की अन्तर्जात क्षमता है। चोमस्की के इस विचार से पृथक यदि हम यह विश्वास कर लें कि भाषा को नकल या अनुकरण से सीखा जाता है तो, अनजाने में हम सृजनात्मकता को महत्वहीन कर रहे होते हैं। आपने भी अपने अकादमिक जीवन में हिन्दी साहित्य आवश्य ही पढ़ा होगा। गौर करें कि हिन्दी का सम्पूर्ण साहित्य क्या एक जैसा ही है? केवल हिन्दी ही नहीं, अपितु सभी भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी व उर्दू भाषा में भी आप समान रूप से साहित्य के विविध रूप देख सकते/सकती हैं। यह भाषा की सृजनात्मकता ही है कि विभिन्न प्रकार की शैलियों का साहित्य आज हमारे सम्मुख है।

* Dr. Pooja Singh, Assistant Professor, MANUU CTE, Nuh

इस इकाई में हम हिन्दी साहित्य विविध रूपों और उनकी पढ़ाई कैसे हो इस संबंध में पढ़ेंगे। 'साहित्य' शब्द का अभिप्राय मूल रूप से समान रूप से सबका हित करने वाला है। आप साहित्य और उसके लिखने के संदर्भ में बहुत से रूपों को देख सकते हैं। हिन्दी साहित्य में बहुत सी विधाओं को आप देख सकते हैं। इन विधाओं को आप मूल रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वे गद्य और पद

पद : कविता आदि को अधिक विस्तार से पढ़ेंगे।

गद्य : कहानी, निबंध, जीवनी, एकाँकी, नाटक आदि

15.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- सृजनात्मक भाषा की संकल्पना एवं विविध रूपों को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।
- साहित्यिक विधाओं (जैसे कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण) के रचनात्मक पक्ष को पहचान सकेंगे।
- रचनात्मक लेखन की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
- सृजनात्मक लेखन की शिक्षण विधियों का चयन एवं प्रयोग कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों में भाषा के रचनात्मक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियाँ नियोजित कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, भावाभिव्यक्ति एवं चिंतनशीलता को विकसित करने के लिए भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन का प्रयोग कर सकेंगे।

15.2 साहित्य के विविध रूप व विद्यालयी पाठ्यक्रम में साहित्य को पढ़ना-पढ़ाना

विद्यालय पाठ्यक्रम में साहित्य को पढ़ने पढ़ाने के कई आयाम है। साहित्य अपने आप में एक ऐसी विषय वस्तु है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की विषयगत और अंतरविषयात्मक संदर्भ और विमर्श देखे सकते हैं। साहित्य के संदर्भ में जितना महत्वपूर्ण उसकी विषयवस्तु है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उस भाषा की लेगेसी होती है। भाषा का यही गुण उस भाषा को और उसके साहित्य को समृद्ध बनाता है। जहाँ तक हिन्दी साहित्य की बात है तो हिन्दी भाषा के साहित्य की अपनी एक समृद्ध और व्यापक परंपरा है। हिन्दी साहित्य की यह परंपरा आदिकाल से आधुनिक काल और आधुनिक काल में भी गद्य की परंपरा से लेकर आज विभिन्न प्रकार के लेखन शालियों तक आती है। इसमें आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की एक विशाल परंपरा को देख सकते हैं। लेखन की प्रत्येक परंपरा और शैली आप हिन्दी साहित्य में देख सकते हैं।

हिन्दी साहित्य का अध्ययन और स्कूली पाठ्यक्रम में इसे पढ़ना और पढ़ाना अध्यताओं के भीतर साहित्य के मर्म और संवेदनाओं को उतारने के उद्देश्य से परिपूर्ण होता है। स्कूली पाठ्यक्रम की हिन्दी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में आप साहित्य की विभिन्न शैलियों के पाठों को देख सकते हैं। जैसे आपने भी अपने स्कूल के दिनों में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 'ईदगाह', 'बडे भाई साहब', इनके उपन्यास 'निर्मला', 'सेवसादन', कबीर के 'दोहे', बच्चन की 'मधुशाला', सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता 'खिलौने वाला' और 'झाँसी की रानी', जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक 'उर्मिला', हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध व्यंग्य 'एक था आम' और 'एक था ठूंठ', महादेवी वर्मा छायावादी कविता 'नीर भरी दुख की बदली' आदि को पढ़ा होगा। इतना ही नहीं साहित्य की नई विकसित होती परंपरा दलित साहित्य और महिला साहित्य जिन्हे विमर्श की संज्ञा दी जाती है, उनके भी अंश आप वर्तमान पाठ्यचर्या में देख सकते हैं जैसे- एनसीईआरटी की हिन्दी की पुस्तक में दलित साहित्य के तौर पर ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' तथा 'माटीवाली'। साहित्य में आप समाज के हर वर्ग की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा है, और उपेक्षित है। आप दिव्यांग जन से जुड़े सरोकारों को भी देख सकते हैं, फिर वो एनसीईआरटी के पाठ्यचर्या में संकलित हेलेन केलेन की जीवनी हो या संगीता की पहिया कुर्सी या फिर अपने पैर खो चुके जन की कहानी जहाँ-चाह वहाँ राह हो। साहित्य की इन विविध प्रकार की विषय सामाग्री को बतौर आप समझ सकते हैं कि स्कूली पाठ्यचर्या में साहित्य की पढ़ाई का सम्पूर्ण अर्थ संवेदनाओं को जागृत करता है।

15.3 हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य एवं हिन्दी की विविध विधाओं को पढ़ने–पढ़ाने के उद्देश्य

बच्चे/बच्ची अपने माता-पिता, परिजनों से सनु कर आरै उस माहौल में रहकर अनायास ही सीख जाते हैं। वे जब स्कूल जाते/जाती हैं, तब उनके पास इस भाषा का समृद्ध संसार होता है। साथ ही स्कूल की भाषा का भी एक रूप होता है। कुल मिलाकर उनके पास अनेक भाषाओं का संसार होता है। इसे समाज की बहुभाषिक स्थिति कह सकते हैं। दरअसल बहुभाषिकता भारतीय समाज के भाषा बोध की रचनात्मक सच्चाई है। वह हमारी परम्परा और संस्कृति का अभिन्न अंग है। बच्चे/बच्ची की मौलिकता एवं सहज रचनाशक्ति को सामने लाना, हिन्दी भाषा शिक्षक का प्राथमिक दायित्व है। लिहाजा आत्मीय माहौल बनाना उसका ज़िम्मेदारी है।इस माहौल में ही विभन्न भाषाई कौशलों का विकास संभव है। कहना न होगा कि हिन्दी शिक्षण का दायरा इतना व्यापक होना चाहिए कि उसमें उल्लेखित सारे सरोकार शामिल हों। भाषा बच्चे/बच्ची के रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है, यह समझे बिना स्कूल में हिन्दी शिक्षण कि कोई अवधारणा नहीं बन सकती। भाषा शिक्षण के लिए स्कूल में कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो, हमें बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना होगा और समझना होगा कि भाषाएँ सामाजिक -

सांस्कृतिक रूप से बनती हैं एवं हमारे प्रतिदिन के व्यवहार से बदलती है। (41: 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एन.सी.इ.आर.टी, दिल्ली)।

हिन्दी अनेक रूपों में प्राथमिक बच्चे/बच्चियों के जीवन का हिस्सा बनती है। कहीं वह माध्यम भाषा के रूप में तो कहीं विषय के रूप में इस प्रकार हिन्दी शिक्षण को केवल साहित्य तक सीमित करना, उसके व्यापक दायरे को संकुचित करना होगा। विभिन्न विषयों के अध्ययन के दारौन समझ, अवधारणाएं भाषा में ही बनती है। लिहाजा अन्य विषयों के अध्ययन के दारौन भी हिन्दी की भूमिका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इसे विशेष तौर पर रेखांकित करती है। भाषा शिक्षण केवल भाषा कक्षा तक ही सीमित नहीं होता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित की कक्षाएँ भी एक प्रकार से भाषा सीखने का अवसर प्रदान करता है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना उनके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उनके बारे में लिख सकना। (42: 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एन.सी.इ.आर.टी , दिल्ली)

हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य

भाषा एक कौशल है। इसके दो रूप हैं- मौखिक एवं लिखित। भाषा की शिक्षा से तात्पर्य - भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों पर बालक का पूर्ण अधिकार प्राप्त कराना है। अर्थात बालक में सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल को विकसित करना ही भाषा-शिक्षण का उद्देश्य है। मातृभाषा हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं।

ग्राह्यात्मक उद्देश्य - ग्राह्य का अर्थ है ग्रहण करना अर्थात बच्चे में उन कौशलों को विकसित करना जिनके द्वारा वह मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें बच्चों में दो कौशलों को विकसित करना होता है। वे-

- सुनकर विचारों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास-दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा को सुनने और समझने के लिए बच्चों को निम्न बातों में पारंगत करना होगा। ध्वनियों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, स्वराघात व बलाघात का ज्ञान, ध्यानपूर्वक सुनने की आदत का निर्माण, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान, विभिन्न पाठ से संबंधित एवं पाठांतर क्रियाओं में सक्रिय सहयोग लेने के लिए प्रेरित करना आदि।
- पढ़कर विचारों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास - " साहित्य समाज का दर्पण है।" हमारे समाज एवं सभ्यता की सारी पूँजी साहित्य में निहित है। उससे परिचित होने के लिए जरूरी है कि बालक को पढ़ना और पढ़कर ठीक-ठीक अर्थ ग्रहण करना आता हो। अतः भाषा-शिक्षण का एक उद्देश्य है-पढ़ने की योग्यता का विकास करना। इस उद्देश्य

की प्राप्ति के लिए निम्न कौशलों को विकसित करना आवश्यक है। बच्चों के शब्द एवं सूक्ति-भंडार की वृद्धि करना जिससे वे नए-नए शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ एवं भाव ग्रहण कर सकें, मुहावरे एवं लोकोक्ति-भंडार में वृद्धि करना, विराम चिह्नों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण के साथ लिखी हुई भाषा का सस्वर एवं मौन वाचन करना और वाचन करते हुए अर्थ ग्रहण करना, पठित सामग्री में से सूक्तियों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का संग्रह करना, पठित सामग्री का केंद्रीय भाव समझना, उचित हाव-भाव, आरोह-अवरोह एवं यति-गति के अनुसार वाचन की योग्यता विकसित करना तथा पठित सामग्री पर चिंतन-मनन करने की योग्यता का विकास करना आदि।

अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य - अभिव्यंजना का अर्थ है मौखिक या लिखित भाषा के माध्यम से अपने अनुभवों एवं विचारों को दूसरों के सम्मुख अभिव्यक्त करना। जो व्यक्ति अपने विचारों को जितने प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है, वह जीवन में उतनी ही सफलता प्राप्त करता है। अतः हिन्दी-भाषा- अध्यापक का कर्तव्य छात्रों में अभिव्यक्ति-कौशल को विकसित करना भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी बच्चों में दो कौशलों को विकसित करना होता है।

- बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना - सामाजिक प्राणी होने के कारण जीवन में पग-पग पर विचारों का आदान-प्रदान करना होता है। अपने विचारों तथा भावों को शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से सुननेवाला भावानुसार ही बात को ग्रहण कर लेता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चों में निम्न भाषा कौशल विकसित करना आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने का अभ्यास, बोलते समय शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों का शुद्ध प्रयोग, उचित गति, स्वर एवं प्रवाह के साथ बोलने तथा शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए, अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, मधुर वाणी का प्रयोग करना, प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर देना, तर्कसंगत सार्थक बात कहने की योग्यता विकसित करना, क्रमबद्ध रूप से उचित प्रवाह के साथ पूर्ण बात कहने के योग्य बनाना आदि।
- लिखकर विचारों को प्रकट करने की योग्यता का विकास करना - भाषा का लिखित रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। अतः बच्चों में लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना भी भाषा-शिक्षण का एक आवश्यक उद्देश्य है। लिखित भाषा ही साहित्य के भंडार को विकसित करती है और सभ्यता एवं संस्कृति को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करती है। लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करने के लिए बच्चों में निम्न भाषा-कौशलों को विकसित करना जरूरी है। बच्चों को लिपि का पूर्ण ज्ञान देना, सुंदर, सुडौल लेख का अभ्यास कराना, वर्णविन्यास का ज्ञान कराना, शब्दों, सूक्तियों,

मुहावरों एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करना सिखाना, पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, पठित सामग्री का संक्षिप्तीकरण करना, विस्तारीकरण करना, क्रमपूर्वक विचारों को व्यक्त करना, उचित अनुच्छेदों में विभाजित कर लिखना सिखाना, उचित गति एवं सावधानी से लिखने का अभ्यास कराना आदि।

रचनात्मक उद्देश्य - इसे सृजनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है। रचना या सृजन से तात्पर्य है-नई मौलिक रचना करना। सृजनात्मकता की इस प्रवृत्ति ने ही तुलसी, कबीर, टैगोर, सूर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और मैथिलीशरण गुप्त जैसे महान साहित्यकारों को जन्म दिया। प्रत्येक बालक में सृजनशीलता होती है, आवश्यकता इस बात की है कि उसे विकसित होने का उचित अवसर दिया जाए। लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना ही हम अपना उद्देश्य मानकर बच्चों को केवल लिखना सिखाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। भाषा के अध्यापक का कर्तव्य है कि वह बालक की इस ईश्वरप्रदत्त प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहे। लिखना सिखाने के पश्चात बच्चों से कहानी, निबंध, कविता एवं घटना-वर्णन लिखाकर उन्हें अपनी मौलिक प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए अध्यापक लिखित अभिव्यक्ति के कौशलों को विकसित करने के साथ-साथ निम्न प्रयास भी कर सकता है - मौलिक विचारों को उपयुक्त भाषाशैली में व्यक्त करना, बच्चों से पत्र, कविता, कहानी, संवाद, आदि लिखाना, मौलिक विचारों को प्रोत्साहन देना, विभिन्न लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, विभिन्न लेखन-शैलियों का ज्ञान देना एवं जीवनी, आत्मकथा, घटना एवं सार-लेखन का अभ्यास कराना आदि।

श्लाघात्मक उद्देश्य - श्लाघा से तात्पर्य सराहना करने से है अतः इसे सराहनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है। इस उद्देश्य के विकास के साथ-साथ ही साहित्य में छात्रों की रुचि विकसित की जाती है। इसके द्वारा बालक में साहित्यिक अभिवृत्तियों को विकसित किया जाता है। हर बालक कुशल लेखक या कवि तो नहीं बन सकता है परंतु साहित्य की सराहना तो कर सकता है। इसके लिए निम्न कौशलों को विकसित करना आवश्यक होता है। उचित ताल, लय एवं आरोह के साथ काव्य-पाठ करना, साहित्य की विभिन्न विधाओं का रसास्वादन करना, कविताएँ कंठस्थ करना, काव्यांशों व गद्यांशों को कंठस्थ करना, व्याख्या करना एवं मौखिक-लिखित अभिव्यक्ति के समय उद्धृत करना आदि।

समीक्षात्मक उद्देश्य - समीक्षा से अभिप्राय समालोचना से है। बालक का भाषा एवं साहित्यः पर पूर्ण अधिकार कराने की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि वे साहित्य की जिस विधा का अध्ययन करें उसकी प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता को भी देख सकें। बच्चा यह समझ सके कि वह

साहित्य के जिस रूप का अध्ययन कर रहा है, उसकी भाषाशैली, भाव एवं विचार उपयुक्त हैं या नहीं। इस स्तर तक पहुँचने के उपरांत ही बच्चे का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो सकेगा। इसके लिए निम्नलिखित कौशलों की आवश्यकता होती है: पद्य, निबंध, कहानी नाटक एवं उपन्यास आदि को पढ़कर उसकी भाषा-शैली का विश्लेषण, करना, विभिन्न भाषा-गुणों (ओज, प्रसाद, माधुर्य), शब्दशक्तियों (अभिधा, लक्षणा, व्यंजना), विभिन्न रीतियों (वैदर्भी पांचाली, गौड़ी), रस, अलंकार एवं छंद आदि को पहचानना एवं विश्लेषण करना, विभिन्न तत्वों एवं तथ्यों के आधार पर सामग्री की प्रामाणिकता व उपयुक्तता बताना, विभिन्न आलोचनात्मक शैलियों का प्रयोग एवं विभिन्न साहित्यिक रचनाओं का तर्क एवं न्यायसंगत मूल्यांकन करना आदि।

रुच्यात्मक उद्देश्य - रुच्यात्मकता से तात्पर्य है भाषा एवं साहित्य में बालकों की रुचि जाग्रत करना। छात्रों के व्यक्तित्व का उचित विकास करने की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उसकी रुचियों को सही दिशा प्रदान की जाए। बचपन से ही उसकी रुचि को हम जिधर मोड़ देंगे, उसकी क्रियाएँ उसी तरफ प्रवाहित होने लगेंगी। यदि अध्यापक बालक की रुचि साहित्य-अध्ययन की तरफ मोड़ देगा तो बचपन से बच्चे के क्रियाकलापों को सही दिशा मिल जाएगी। इसके लिए निम्न कौशलों को विकसित करना आवश्यक है : पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, साहित्यिक पत्र एवं पत्रिकाओं को पढ़ना, सुरुचिपूर्ण अंशों को कंठस्थ करना एवं एकत्रित करना, कविताओं को कंठस्थ करना, विद्यालय की साहित्यिक क्रियाओं में भाग लेना एवं सहयोग देना तथा विद्यलाय पत्रिका एवं अन्य पत्रिकाओं में योगदान देना आदि।

अभिवृत्यात्मक उद्देश्य - इस उद्देश्य से अभिप्राय है कि बच्चों में उपयुक्त दृष्टिकोणों, आदतों एवं अभिवृत्तियों का निर्माण करना। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य ही बच्चों में सदप्रवृत्तियों को विकसित करना है जिससे देश को आदर्श नागरिक मिल सकें। साहित्य एवं सदप्रवृत्ति में गहरा संबंध है। भाषा का अध्यापक बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि को विकसित करने के साथ-साथ ही उनमें सदप्रवृत्तियों को स्वाभाविक रूप से विकसित कर सकता है। अध्यापक विभिन्न साहित्यिक रचनाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में प्रेम, श्रद्धा, सहृदयता, आस्था, राष्ट्रीय एकता, संवदेनशीलता एवं देश-प्रेम जैसी सद्वृत्तियों को सहज ही विकसित कर सकता है। इसके लिए निम्न योग्यताओं को विकसित करना आवश्यक है। जैसे - विद्यार्थियों को देश-प्रेम, मानव-प्रेम तथा साहित्य-प्रेम की ओर अग्रसर करना, मानवता के प्रति सहृदयता तथा संवेदनशीलता विकसित करना, उनमें राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता विकसित करना, अनेकता में एकता के सिद्धांत को समझाना एवं उसमें आस्था विकसित करना, उच्च

मानवीय आदशों में आस्था एवं श्रद्धा विकसित करना, सांस्कृतिक व सामाजिक मान्यताओं में आस्था विकसित करना, उनकी सद्‌वृत्तियों का पोषण एवं संवर्धन करना तथा उनके आचरण में सद्‌वृत्तियों को सक्रिय करने का प्रयास करना आदि। भाषा-शिक्षण के ये सभी उद्देश्य एक-दूसरे के सहयोगी हैं। ये सभी साथ-साथ चलते हैं। एक के विकास के साथ दूसरा अपने आप ही विकसित हो जाता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति से विद्यार्थी के व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। अध्यापक को इन परिवर्तनों के प्रति सजग रहना चाहिए।

15.4 साहित्यिक अभिव्यक्ति के विविध रूप (पद्य एवं गद्य)

पद्य

कविता को पढ़ना- पढ़ाना

कविता मानव भावनाओं का सुंदरतम और कलात्मक शब्दों में किया गया वर्णन है। कविता आदिकाल से ही मानव संवेदनाओं को जीवंत रूप देने और जीवन में आनंद का संचार करने का काम करती आई है। दरसअसल कविताओं में मानवीय गुणों का विकास करने की अदभूत शक्ति होती है। भाषा शिक्षण में कविता शिक्षण का विशेष महत्व है। इसके अध्ययन से अध्येताओं को भावात्मक संतुष्टि मिलती है तथा उनकी सौन्दर्यात्मक अनुभूति एवं कल्पनाशक्ति में वृद्धि होती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि कविता सीधे हृदय तक पहुँच जाती है। इस दृष्टि से अध्यापक को कविता के माध्यम से विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करने में सहायता मिलती है। भाषा शिक्षण कि दृष्टि से भी कविता शिक्षण का बहुत महत्व है। कविता शिक्षण से विध्यार्थियों को भाषा के विविध रूपों और अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्राप्त होता है और यही ज्ञान उसे अपनी विशेष रचना-शैली विकसित करने में भी सहायता करता है। कविता के मूल तत्व भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, विचार सौंदर्य और कल्पना सौंदर्य तत्व हैं।

- भाव सौंदर्य : कविता में भावों की प्रधानता होती है। इसमें हर्ष, उल्लास, रोष, करुणा, शोक, प्रेम आदि सभी प्रकार के भावों का समावेश होता है। हमने अभी ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता 'झाँसी की रानी' की चर्चा की थी। स्मरण करें इस कविता में कौन सा भाव था या इन्हीं की कविता 'खिलौने वाला' को स्मरण करें कि उसमें कौन सा भाव था।
- भाषा सौंदर्य : भाषा सौंदर्य प्रत्येक कविता का अत्यंतम महत्वपूर्ण पहलू है। अभिव्यक्ति का प्रभावपूर्ण वर्णन ही कविता है। भाषा सौंदर्य में आप नाद,शब्द और चित्रात्मकता का सौंदर्य देख सकते हैं। कविता में वर्णों कि आवृति, दोहराव, उसकी गेयता, उचित यति-गति ही नाद है। शब्द की योजना-अर्थ और भाव का सुंदर समावेश है। जिसे आप अलंकार कह सकते हैं। चित्रात्मकता कविता का वह भाषिक गुण है, जो आपके सामने

कविता को पढ़ने और विशेष अर्थों में सुनने दौरान के बनता है। यह कविता का वह भाषिक तत्व है, जो अमूर्त संवेदना को मूर्तरूप प्रदान करता है।

- विचार सौंदर्य : विचार सौंदर्य कविता में आए और पिरोय हुए वह मूल्य, आदर्श और संस्कार है जो हमें उससे जुडने पर मजबूर करते हैं।
- कल्पना सौंदर्य : यह कविता का वह तत्व है, जो कवि की कल्पना को शाब्दिक रूप में बदल देता है। कविता कल्पनाशक्ति का अद्भुत नमूना होती है। कवि की उसकी नायिका की कल्पना महान कवि मालिक मौहम्मद जायसी के पद्मावत में देखी जा सकती है। इतना ही नहीं सूरदास ने जन्मांध होने के बाद भी कृष्ण का जो रूप अपनी कविताओं और पदों में व्यक्त किया है, वह कल्पना सौंदर्य की लाजवाब मिसाल कही जा सकती है।

उपरोक्त वर्णन से हम यह समझ सकते हैं कि कविता कि पढ़ाई क्यों अवशयक है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर हम कविता की पढ़ाई के कुछ उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। जैसे -

- कविता की पढ़ाई के दौरान सस्वर पठन की कुशलता विकसित करना।
- कविता पढ़ने के बाद उसकी समीक्षा करने की योग्यता का निर्माण।
- कविता को उचित यति-गति, आरोह-अवरोह के साथ गाना।
- कल्पना शक्ति विकसित करना
- पठित अथवा उच्चरित कविता के अर्थ, भाव एवं कल्पना को साथ-साथ ग्रहण करने और उनकी व्याख्या करने की योग्यता विकसित करना।
- कविता रचने की आदत विकसित होना। आदि

कविता की पढ़ाई मूल रूप से उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप की जा सकती है। इसी प्रकार कविता को पढ़ने -पढ़ाने के कुछ विधियाँ भी दृष्टव्य है। वे -

· **गीत विधि:** इस विधि में अध्यापक कविता को उचित यति-गति, आरोह-अवरोह, एवं अनुतान के साथ गा कर सुनाता है और बाद में छात्र-छात्राएँ उसी यति-गति, आरोह-अवरोह, एवं अनुतान के साथ कविता का पाठ करते हैं। यह सबसे प्रचलित और उपयोगी विधि है।

· **अभिनय विधि :** यह गीत विधि का ही एक विकसित रूप है। इस विधि में अध्यापक उचित यति-गति, आरोह-अवरोह, एवं अनुतान के साथ-साथ उचित भांग-भंगिमाएँ बनाकर , भिन्न भिन्न प्रकार के अभिनय करते हुए कविता पाठ करता है और बाद में छात्र-छात्राएँ उसी यति-गति, आरोह-अवरोह, एवं अनुतान के साथ उचित भांग-भंगिमाएँ बनाकर, भिन्न भिन्न प्रकार के अभिनय करते हुए कविता का पाठ करते हैं। यह विधि छात्र- समूह के साथ भी की जा सकती है।

·   **शब्दार्थ कथन विधि :** इस विधि में अध्यापक सबसे पहले कविता का पठन करता है। इसके उपरांत कविता की प्रत्येक पंक्ति में आए शब्दों का अर्थ बताता चलता है। इस प्रकार कविता में आए शब्दों के अर्थ और भाव तथा प्रत्येक पंक्ति का वर्णन अध्यापक कर देता है। इस प्रकार सम्पूर्ण कविता का अर्थ बताने के बाद अध्यापक द्वारा सम्पूर्ण कविता का सरलार्थ कर दिया जाता है।

·   **व्याख्या विधि :** इस विधि में सबसे पहले कविता का सस्वर पाठन किया जाता है तथा बाद में बच्चों से कविता का पाठ करवाया जाता है। उसके बाद कविता को खंडों में बाटकर उनकी व्याख्या की जाती है। इस विधि में पढ़ने –पढ़ाने वाले आपस में प्रश्न –उत्तर करके कविता के खंडों की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार पूरी कविता की व्याख्या शब्द-अर्थ, भाव और विचार के आधार पर की जाती है।

इसके अतिरिक्त कविता के प्रति रुचि बढ़ाने के साधन भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे – कविता गोष्टी, कविता लेखन, अंताक्षरी तथा कविता सम्मेलन आदि।

15.5 गदय की विभिन्न विधाओं को पढ़ना-पढ़ाना

गदय शिक्षण :

- **कहानी**
- **निबंध**
- **जीवनी**
- **एकांकी**
- **आत्मकथा**
- **संस्मरण**
- **रेखाचित्र**
- **यात्रा-वृतांत**

कहानी : कहानियाँ सनुना-सुनाना प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को भाषा सीखने में बहुत मदद करता है। कहानी सुनना बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाने वाला होता है। कई बार बच्चे सुनी हुई कहानी में मनचाहा बदलाव करके अपने मित्रों को सुनाते हैं। इसके द्वारा बच्चे न केवल शब्दों के अर्थ, बल्कि विभिन्न घटनाओं को भी समझने लगते हैं आरै साथ ही यह बच्चों की कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती है। कहानी इस मायने में भी

महत्त्वपूर्ण है। यह बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ाती है। जैसे- जब कभी बच्चे कहानी सुन रहे होते हैं तो उनकी जिज्ञासा लगातार बनी रहती है कि आगे क्या होगा? वे अपने स्तर पर अनुमान लगाते रहते हैं और अगर कहानी उनकी सोच के अनुरूप आगे बढ़ती है तो वे ज्यादा आत्मविश्वासी होने लगते हैं और समय के साथ-साथ उनके अनुमान ज्यादा सटीक होते जाते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कहानियाँ उनको भावी जीवन के लिए तैयार करने में भी मददगार होती हैं। जैसे- खरगोश-शेर वाली कहानी बच्चों को जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने हेतु मानसिक रूप से तैयार करती है। कहानियाँ सुनाते समय हम अपने जीवन के अनुभवों को भी उसमें शामिल करते चलते हैं। कई बार सनुाने वाले को उसमें से कोई बात ज्यादा महत्त्वपूर्ण लगती है तो, वह उस हिस्से को बढ़ा-चढ़ाकर भी सुनाता है। ऐसा करते समय जीवन की घटनाओं, चरित्रों आदि को गढ़ना आरै उसके द्वारा सुनने वाले का ध्यान आकर्षित करना मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही सुनाने वाले का तरीका और हाव-भाव भी इसकी रोचकता पर प्रभाव डालते हैं। तथा जब कहानी में नए शब्दों का उपयोग होता है तो, बच्चे हावभाव के साथ सुनते गए शब्द से उसके अर्थ का अनुमान भी लगा लेते हैं। यह उनके शब्दकोश, सुनने-समझने और अनुमान लगाने की क्षमता में भी इज़ाफा करता है। कहानी सुनाकर उस पर चर्चा करना थोड़ा मुश्किल काम है, परन्तु अगर शिक्षक की तैयारी हो कि चर्चा का उद्देश्य क्या है तो यह काफी आसान व सफल साधन बन सकता है। अधिकतर शिक्षकों को लगता है कि कहानी सनुाते ही उससे क्या शिक्षा मिलती है यह प्रश्न पूछना उनका अधिकार है जबकि बच्चों के साथ सार्थक संवाद की शुरुआत के लिए यह प्रश्न बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। बच्चों को कहानी सनुाना जितना जरूरी है, उतना ही उनसे कहानी सनुना। इससे बच्चों में अपने आपको अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षक द्वारा सुनायी गई कहानी को दोहराने के बजाय बच्चों से उनकी मर्जी की कहानी सुनना ज्यादा फायदेमंद होता है। कहानी के व्यक्तित्व व चरित्र के बारे में प्रतिक्रिया देते समय वह अपने अनुभवों को भी उसमें शामिल करता है। मानव जीवन की किसी घटना, भावनाओं पर आधारित कथा को कहानी की संज्ञा दी जाती है। कहानी संक्षिप्त होती है तथा आधुनिक व्यस्त जीवन के लिए उत्कृष्ट साहित्य है। गद्य साहित्य की अनेक विधाओं में कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है।

कहानी के निम्नलिखित तत्व होते हैं-

- कथावस्तु: प्रत्येक कहानी में एक कथानक होता है। जो जीवन के किसी अंश, घटना अथवा मनोभाव पर आधारित होता है।
- चरित्र-चित्रण: कहानी में एक या अधिक पात्र होते हैं। पात्रों की विभिन्न चरित्रिक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके उनका उल्लेख करने की प्रक्रिया को चरित्र-चित्रण कहते हैं।
- कथोपकथन: कहानी में एकांकी की भांति किन्हीं दो पात्रों के मध्य विचार का आदान-

प्रदान हो तो उसे कथोपकथन की संज्ञा दी जाती है।

- भाषा एवं शैली: कहानी की भाषा एवं शैली पात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार ऐसी हो, जो उनकी मनःस्थिति का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर सके। किसी भी पात्र की भाषा विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तनीय होती है।
- देशकाल और वातावरण : यह कहानी में व्यक्त समय और समाज का उल्लेख करता है।
- उद्देश्य: किसी कहानी में एक निहित उद्देश्य का होना अनिवार्य है। लेखक किसी एक या अनेक जीवन मूल्यों को दृष्टि में रखकर कहानी की रचना करता है।

कहानी शिक्षण के उद्देश्य :

- साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना।
- कहानी में निहित भावों, विचारों, नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
- सृजनात्मक शक्ति का विकास करना।
- शब्द, सूक्ति, मुहावरे आदि के भंडार को समृद्ध करना।
- अंदाजा लगाने की क्षमता का विकास करना।
- एकाग्रता को विकास करना।
- कहानी की रचना शीलता का विकास करना।
- कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना। आदि

कहानी शिक्षण विधि तथा सोपान:

प्रस्तावना : सबसे पहले कक्षा में उचित वातावरण बनाकर कहानी कहने का माहौल बनाया जाता है, जिससे कहानी की पढ़ाई को मनोरंजक और प्रेरणादाई बनाया जा सके।

कहानी कथन /प्रस्तुतीकरण: प्रस्तावना के बाद इस सोपान में कहानी को मजेदार ढंग से सुनाया जाता है। इस सोपान में कहानी को ऐसे सुनाया जाता है कि कहानी सुनने वाले और कहानी सुनाने वाले आपस में विचारों को बाँट सकें। उचित उतार–चढ़ाव और जिज्ञासा के साथ कहानी को सुना और सुनाया जाता है।

कहानी सुनना/ पुनरावृति : इस सोपान में कहानी सुनाने वाला कहानी सुनने वाले से कहानी सुनता है। इस प्रकार से कक्षा में बैठे सभी छात्र बारी बारी से कहानी सुनाते हैं। इस प्रकार कहानी पर चर्चा होती है और बोध प्रश्न भी करवाए जाते हैं। कहानी में नैतिक शिक्षा, भाव, कहानी के चरित्रों, पात्रों पर चर्चा की जाती है।

गृहकार्य: इस सोपान में कहानी से संबन्धित प्रश्नों के आधार पर गृह कार्य करने को दे दिया जाता है।

निबंध : गद्य विधा के पाठों में दो प्रकार के पाठों का समावेश होता है। वे - गहन अध्ययन के पाठ और द्रुत पाठ। शिक्षण की दृष्टि से निबंध गहन अध्ययन का पाठ है। इसके अंतर्गत निबंध की विषयवस्तु तथा भाषिक तत्वों का गहन अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम किसी निबंध पाठ के शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है। फिर उनको ध्यान में रखकर शिक्षण-उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षण-प्रक्रिया के सोपानों को निश्चित किया जाता है।

निबंध शिक्षण के उद्देश्य : निबंध शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। वे -

वाचन संबंधी

- सस्वर वाचन-शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, अनुतान तथा आरोह-अवरोह के साथ सस्वर वाचन की योग्यता।
- मौन पठन-अर्थग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पठन करने की योग्यता।

विषयवस्तु संबंधी

- पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भावों से अवगत होने की योग्यता।
- भावों और विचारों के बोध और अर्थ ग्रहण की क्षमता प्राप्त करने की योग्यता।
- पाठ में निहित जीवन मूल्यों और नैतिक गुणों से परिचित होकर, उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करने की योग्यता।

भाषा संबंधी

- शब्द-भंडार में वृद्धि करने की योग्यता।
- पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता।
- संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा शब्द रचना करने की योग्यता।
- विशिष्ट पदबंधों और वाक्य संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनका उचित प्रयोग करने की योग्यता।
- सूक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों का भाषा-व्यवहार में प्रयोग करने की योग्यता।

सामान्यतः निबंध शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में उपर्युक्त योग्यताओं का विकास अपेक्षित है। पाठ विशेष के संदर्भ में तदनुरूप वाचन संबंधी, भाषा संबंधी, विषयवस्तु संबंधी और जीवन मूल्य संबंधी विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। निबन्ध शिक्षण विधि और शिक्षण प्रक्रिया के सोपान उपर्युक्त उद्देश्यों की संप्राप्ति की दृष्टि से शिक्षण विधि और शिक्षण प्रक्रिया के

सोपान अपनाए जाते हैं। किन्तु इनके सफल कार्यान्वयन के लिए पाठोपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री तथा विद्यार्थियों के पूर्व-ज्ञान को भी ध्यान में रखना उचित रहता है। नीचे निबंध शिक्षण के लिए शिक्षण विधि एवं शिक्षण- 'प्रक्रिया के सोपानों का सामान्य परिचय दिया जा रहा है- शिक्षण सहायक सामग्री एवं प्रस्तावना छात्राध्यापक पाठ की प्रस्तावना को सजीव, रोचक और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पाठ से संबंधित किसी चित्र, फ्लैश कार्ड, चार्ट, ग्राफ या रेखाचित्र आदि का प्रयोग कर सकता है। प्रस्तावना पाठ-विशेष की प्रकृति, स्वरूप और उसकी पाठ्य-वस्तु पर आधारित होनी चाहिए।

निबंध शिक्षण विधि तथा सोपान:

प्रस्तुतीकरण: प्रत्येक पाठ कक्षा स्थिति तथा पाठ की प्रकृति के आधार पर अन्वितियों में विभक्त कर लिया जाता है। निबंध पाठ यदि लम्बा है और उसमें शिक्षण कार्य अधिक है तो, उसे विद्यार्थियों की सुविधा और रुचि के अनुसार दो या दो से अधिक अन्वितियों में विभक्त कर लेना उचित होगा। निबंध पाठ में प्रस्तुतीकरण का आरंभ प्रथम अन्विति के आदर्श वाचन या विद्यार्थियों के मौन वाचन से होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वाचन संबंधी दक्षताओं का विकास करना है।

आदर्श वाचन: प्रथम अन्विति की सामग्री को छात्राध्यापक स्वयं आरोह- अवरोह, गति, प्रवाह और विराम चिह्नों का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ प्रस्तुत करें। इससे श्रोताओं को उनकी बात समझने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन का अधिक महत्त्व हो जाता है। इसलिए आदर्श वाचन से पाठ आरंभ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और विद्यार्थियों के मौन पठन से ही पाठ आरंभ कर दिया जाता है।

अनुकरण वाचन: आदर्श वाचन के पश्चात् विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराना चाहिए, ताकि वे अध्यापक के वाचन के अनुरूप सही और शुद्ध रूप में वाचन करने में अभ्यस्त हो सकें। अनुकरण वाचन से पहले विद्यार्थियों को उससे संबंधित आवश्यक निर्देश दें, ताकि विद्यार्थी निर्देशों के अनुसार पाठ्य-सामग्री की विषयवस्तु पर ध्यान देते हुए सस्वर वाचन कर सकें। यदि विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण के साथ सही ढंग से वाचन करना सीख गए हों तो, उच्च कक्षाओं में विशेषतः छठी कक्षा के बाद विद्यार्थियों से मौन वाचन ही कराना चाहिए। परन्तु मौन वाचन के निर्देश भी विद्यार्थियों को पहले से ही दे दिए जाने चाहिएँ। उन्हें बताएँ कि मौन वाचन केवल आँखों के सहारे ही किया जाता है। उसमें मुँह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए।

बोध परीक्षण: सस्वर एवं अनुकरण वाचन या मौन वाचन के बाद एक-दो बोध प्रश्न इस उद्देश्य से पूछे जाएँ जिससे पता चल सके कि विद्यार्थियों ने वाचन की सामग्री को कितना ग्रहण किया

है। ये प्रश्न कठिन नहीं होने चाहिएँ।

स्पष्टीकरण एवं व्याख्या: व्याख्या निबंध पाठ का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत कठिन शब्दों, उक्तियों, मुहावरों, वाक्यांशों, वाक्यों तथा गहन स्थलों के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की आवश्यकता होती है। इस सोपान को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं-शब्दों का स्पष्टीकरण, सूक्तियों, मुहावरों, वाक्यांशों और लोकोक्तियों का प्रयोग और कठिन स्थलों की व्याख्या। कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण में अध्यापक को शब्दों का अर्थ स्वयं नहीं बताना चाहिए, बल्कि विभिन्न साधनों या युक्तियों द्वारा विद्यार्थियों से अर्थ निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। स्पष्टीकरण की इन युक्तियों में प्रत्यक्ष वस्तुओं, चित्रों, रेखाचित्रों, अंतर्कथाओं, उदाहरणों, दृष्टान्तों आदि का प्रयोग प्रभावकारी होता है। इनके अतिरिक्त संधि-विच्छेद, समास-विग्रह, परिभाषा, व्युत्पत्ति, तुलना, पर्याय, विलोम तथा अर्थकथन और प्रयोग को भी यथावसर उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों और लाक्षणिक प्रयोगों की व्याख्या में भी अंतर्कथाओं के प्रयोग, चित्र प्रदर्शन, अर्थकथन आदि युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। वाक्यों की संरचना सिखाने के लिए वाक्य विश्लेषण, वाक्य विच्छेद तथा वाक्य प्रयोग विधि को उपयोग में लाया जा सकता है। कठिन एवं गहन स्थलों की व्याख्या में विभिन्न प्रसंगों, अलंकारों, अंतर्कथाओं, दृष्टान्तों, उदाहरणों और समीक्षात्मक प्रश्नों का सहारा लिया जाता है।

वस्तु बोध एवं विचार विश्लेषण: पाठ के भाषा पक्ष के साथ-साथ विषयवस्तु के बोध के लिए पाठ में आए हुए तथ्य, सूचना, भाव, विचार आदि से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। इनकी जानकारी के बिना विद्यार्थी पाठ के अर्थग्रहण में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अर्थग्रहण के उपरांत विषयवस्तु में निहित भावों एवं विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। इस कार्य में प्रश्नोत्तर द्वारा विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए। इन प्रश्नों में क्यों और कैसे वाले प्रश्नों की प्रधानता हो। विचार-विश्लेषण की दृष्टि से क्लिष्ट एवं भावपूर्ण स्थलों के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या पर विशेष बल देना चाहिए। यह स्मरण रहे कि यही सोपान शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन: संपूर्ण पाठ के विकास के पश्चात् पाठ से संबद्ध विषयवस्तु और भाषा-ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। इनसे पाठ की पुनरावृत्ति कराई जाती है। मूल्यांकन के प्रश्न ऐसे होने चाहिएँ, जो मुख्य विचारों और उद्देश्यों से संबंधित हों। यदि ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ और पूरी पठित सामग्री पर आधारित हों तो, मूल्यांकन अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है।

गृहकार्य: शिक्षण कार्य के अंत में पाठ से अर्जित ज्ञान को स्थाई बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को गृहकार्य दिया जाता है। गृहकार्य शब्द-रचना, विचाराभिव्यक्ति, प्रयोग, सारांश और भाषा-कार्य आदि के रूप में दिया जा सकता है। परन्तु यह कार्य उतनी ही मात्रा में दिया जाए, जितनी मात्रा में विद्यार्थी उसे सरलता से पूरा कर सकें।

जीवनी : व्यक्ति के जीवन की मार्मिक एवं सारगर्भित घटनाओं के चित्रण को जीवन की संज्ञा दी जाती है। जीवनी में इतिहास के घटनाक्रम एवं उपन्यास के वर्णन रोचकता को वरीयता दी जाती है। चरित्र नायक या नायिका के प्रति लेखक की संवेदना एवं प्रतिभा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्रस्तुत करते समय यह सावधानी अपेक्षित है कि समस्त सामग्री प्रमाणिक हो। जीवनी लेखक का यह भी पुनीत कर्तव्य है कि वह परिश्रमपूर्वक तथ्य प्राप्त करके उन्हें प्रभावशाली एवं मनोहर शैली में प्रस्तुत करें। जीवनी लेखन के लिए यह भी अपेक्षित है कि लेखक को अपने चरित्र नायक के जीवनपथ की सम्यक जानकारी हो। जीवनी साहित्य के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों के भाषा अधिगम के उद्देश्य में उन्हें विशेष सफलता मिलती है। महापुरुषों के जीवन-चरित्र का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करके वे अपने व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जीवनी-पठन में उच्चारण, बलाघात, वर्तनी, शब्द-रूपान्तर, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास, शब्द-भण्डार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पद बोध तथा वाक्य-संरचना आदि भाषिक तत्वों का ज्ञान भी विद्यार्थी स्वाभाविक विधि द्वारा अर्जित करते हैं। व्यक्तित्व का शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करने की दृष्टि से जीवनी का अध्ययन अत्यंत उपयोगी है।

जीवनी शिक्षण विधि तथा सोपान:

प्रस्तावना: जीवनी से हमें महापुरुषों, नेताओं, शिक्षाशास्त्रियों, समाज सेवियों और वैज्ञानिकों की महान उपलब्धियों का परिचय प्राप्त होता है। उनके आदर्शों से प्रेरणा मिलती है। जीवनी पाठ का शिक्षण वस्तुतः विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का एक उत्तम और रोचक साधन है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी महापुरुषों के आचरण का अनुसरण कर समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करने को प्रेरित होते हैं।

जीवनी शिक्षण के उद्देश्य जीवनी शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। वे-

1. वाचन संबंधी

- मौन पठन द्वारा विषयवस्तु को हृदयंगम करने की योग्यता।
- सस्वर वाचन की कुशलता में संवृद्धि करने की योग्यता।

2. विषयवस्तु संबंधी

- पाठगत भावों और विचारों को ग्रहण करने की योग्यता।
- महान पुरुषों के चरित्र, स्वभाव, असाधारण व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा क्रियाकलापों का वर्णन करने की योग्यता।
- उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों एवं सिद्धांतों का उल्लेख करने की योग्यता।

भाषा संबंधी

- अर्थ ग्रहण की दृष्टि से आवश्यक भाषिक तत्वों का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता।.

अभिवृत्ति संबंधी

- महान विभूतियों के जीवन-कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज सुधार, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र निर्माण आदि में योगदान करने के लिए प्रेरित होने की योग्यता।
- जीवनी पाठ के शिक्षण में भाषा संबंधी कार्य प्रासंगिक ही रहता है। उसका विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जाता। विशेष बल जीवन-मूल्यों पर रहता है।

जीवनी शिक्षण-विधि तथा सोपान:

जीवनी की शिक्षण विधि और उसके सोपान क्रमानुसार निम्नलिखित रूप में दिए जा सकते हैं। वे-

प्रस्तावना: पाठ्य-सामग्री के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने और उनकी अभिरुचि जाग्रत करने के लिए अध्यापक आवश्यकतानुसार पाठ की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा पौराणिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। यह पृष्ठभूमि यथासंभव विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए।

बोध परीक्षण: विधिपूर्वक मौन पठन के बाद विद्यार्थियों के बोध की जाँच करने के लिए कुछ उपयुक्त प्रश्न पूछे जाएँ। इनसे विद्यार्थियों के अर्थबोध और ग्रहणशीलता का तो परीक्षण होता ही है। साथ ही उनकी मौन पठन क्रिया की भी जाँच हो जाती है।

वस्तुबोध एवं विचार विश्लेषण: बोध परीक्षण के बाद यदि आवश्यक हो तो, विद्यार्थियों को पुनः पाठ्य-सामग्री के मौन पठन का अवसर दिया जाए और तदुपरांत पाठ्य-सामग्री में निहित तथ्यों, भावों और विचारों का विस्तार से विवेचन किया जाए। विवेचन में प्रश्नोत्तर विधि द्वारा विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से जीवनी में वर्णित व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, नैतिक गुण, महान कार्यों आदि पर प्रश्न पूछे जाएँ और उनसे मिलने वाले नैतिक संदेशों को विद्यार्थियों से स्पष्ट कराया जाए।

पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन: जीवन मूल्यों पर तथ्यात्मक एवं अभिवृत्त्यात्मक प्रश्नों द्वारा पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन कार्य किया जाए।

गृहकार्य : जीवनी पाठ में गृहकार्य से संबंधित प्रश्न, वर्णित महापुरुषों के कार्यों तथा उनकी जीवन घटनाओं पर आधारित होते हैं।

एकांकी

प्रस्तावना: दृश्य-श्रव्य होने के कारण जनसमुदाय के मनोरंजन का जितना प्रिय साधन नाटक है, उतनी और कोई साहित्यिक विधा नहीं है। अपनी शैलीगत विशेषताओं के कारण भावों की सौन्दर्यानुभूति तथा रसानुभूति कराना नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके संवाद या कथोपकथन भावानुकूल भाषा के ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनको यथोचित रूप से बोलने के अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को परिस्थिति और भावों के अनुकूल आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। वे भाषा संप्रेषण की कला में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। नाटक की उपर्युक्त विशेषताएं बहुत सीमा तक एकांकी में भी पाई जाती हैं। यह नाटक की अपेक्षा कलेवर में बहुत छोटा होता है और कक्षा शिक्षण की दृष्टि से अधिक सहज और सरल है। इसीलिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में एकांकी पाठों को रखा जाता है।

एकांकी शिक्षण के उद्देश्य:
एकांकी शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है :-

- एकांकी में निहित सौन्दर्य तत्वों का बोध और भावों की अनुभूति करने की योग्यता।
- विभिन्न पात्रों के संवादों और वार्तालाप को उचित आरोह-अवरोह के साथ प्रसंगानुकूल प्रस्तुत करने की शिक्षण योग्यता।
- जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा आचार-व्यवहार में भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने की योग्यता।
- अभिनय क्षमता विकसित करने की योग्यता।
- एकांकी में प्रयुक्त कठिन शब्दों, सूक्तियों और मुहावरों को स्पष्ट करने की योग्यता।
- एकांकी में निहित उच्च आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करने की योग्यता।

एकांकी शिक्षण के माध्यम से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों में सामान्यतः उपर्युक्त योग्यताओं का विकास अपेक्षित है। पाठ विशेष के संदर्भ में तदनुरूप विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।

एकांकी शिक्षण विधि तथा सोपान-

एकांकी शिक्षण के लिए अनेक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें आदर्श नाट्य

विधि, व्याख्या-विधि और अभिनय विधि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। अभिनय विधि दो प्रकार की होती है। वे- रंगमंच अभिनय विधि और कथाभिनय विधि। इनके अतिरिक्त एक संयुक्त विधि भी प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें उक्त तीनों विधियों का भावेश रहता है। आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक स्वयं अभिनेता के संपूर्ण कार्यों का संचालन करता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता के रूप में एकांकी का रसास्वादन करते हैं। व्याख्या विधि में अध्यापक एकांकी के सभी तत्वों पर स्वयं प्रकाश डालता है और उनकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही वह एकांकी की समीक्षा करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। अभिनय विधि के अंतर्गत रंगमंच पर या कक्षा में अभिनय पर बल दिया जाता है। इन तीनों विधियों में कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी। अतः शिक्षण में इन तीनों का संयुक्त प्रयोग अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार उपर्युक्त विधियाँ एक-दूसरे की पूरक बनकर एकांकी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण एवं प्रभावी बना सकती हैं। संयुक्त विधि के अनुसार एकांकी शिक्षण के सोपानों का वर्णन नीचे दिए जा रहे हैं। वे-

प्रस्तावना: प्रस्तावना के अंतर्गत पाठ से संबंधित प्रसंग की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति अध्यापक एकांकी का संक्षिप्त परिचय देकर या एकांकी के केन्द्रीय भाव को स्पष्ट कर अथवा कुछ भावोत्तेजक प्रश्न पूछकर कर सकता है। प्रस्तावना का संबंध विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा रहना चाहिए।

प्रस्तुतीकरण: एकांकी को प्रस्तुत करते समय यह आवश्यक नहीं कि संपूर्ण एकांकी को एक दिन में ही समाप्त कर दिया जाए। एक बार में एक दृश्य पढ़ाना उपयुक्त होगा अथवा उतने ही दृश्यों को एक बार में पढ़ाया जाए जितने कि एक कालांश में विधिपूर्वक पढ़ाए जा सकें।

आदर्श वाचन : अध्यापक द्वारा पाठ्य-सामग्री का भावानुकूल हाव-भाव के साथ वाचन। आंगिक अभिनय की इसमें आवश्यकता नहीं होती।

अनुकरण वाचन:विद्यार्थी द्वारा उचित हाव-भाव, स्वरारोह-अवरोह के अनुसार सस्वर वाचन।

केंद्रीय भाव परीक्षण: एकाधिक प्रश्नों द्वारा पाठ के केन्द्रीय भाव एवं विषयवस्तु पर विद्यार्थियों के बोध की जाँच।

स्पष्टीकरण एवं भाव-विश्लेषण: एकांकी अनुभूति पाठ है। अतः अध्यापक को ऐसे शब्दों, उक्तियों और मुहावरों आदि का स्पष्टीकरण पहले ही कर देना चाहिए, जो भाव के सौन्दर्य बोध एवं अनुभूति में बाधक होते हैं। इसके बाद भावात्मक स्थलों की व्याख्या की जाए और कथावस्तु, चरित्र चित्रण और संवादात्मक विशेषताओं के गुण दोषों का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाए।

पाठाभिनय : स्पष्टीकरण और भाव विश्लेषण के बाद अध्यापक पात्रों के अनुकूल विद्यार्थियों का

चयन कर उन्हें उन पात्रों के संवादों और अभिनय का दायित्व सौंप देता है। विद्यार्थी अपने-अपने संवादों को याद करके कक्षा में शिक्षक के निर्देशानुसार वाचिक अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इस अभिनय से विद्यार्थियों को भावों एवं पात्रों के अनुकूल विश्वास के साथ संभाषण या संवाद प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं और वे प्रसंग तथा पात्रों के अनुसार भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं।

पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन : इस सोपान के अंतर्गत अध्यापक द्वारा संपूर्ण पठित सामग्री तथा कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, अभिनय और उद्देश्य आदि एकांकी तत्वों पर समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी पाठ को दोहरा भी लेते हैं और उनकी ग्रहण शक्ति का परीक्षण भी हो जाता है।

गृहकार्य : एकांकी के इस सोपान में अध्यापक विद्यार्थियों को कुछ अच्छे संवादों को वाचिक अभिनय के साथ याद करने को दे सकता है अथवा एकांकी की विषयवस्तु, पात्रों के चरित्र चित्रण या भाषा एवं शैली पर प्रश्न लिखने को दे सकता है। एकांकी का सार लेखन या उसका कहानी में रूपान्तरण भी कराया जा सकता है।

आत्मकथा : जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है उसे 'आत्मकथा' कहते हैं। ऐसी रचनाएं उत्तम पुरुष एकवचन में लिखी जाती है। आत्मकथा व्यक्ति के आत्म परीक्षण का श्रेष्ठ साधन है। आत्मकथा द्वारा व्यक्ति विगत घटनाओं के गुण-दोषों के आधार पर आत्म-निर्माण का यत्न भी कर सकता है। कभी सफल एवं सजग व्यक्ति लोक कल्याण की भावना से भी अपनी आत्मकथा लिखकर समाज को लाभान्वित करने का प्रयास कर सकता है। महान सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक आंदोलनों के सम्पर्क में रहने वाले महापुरुषों द्वारा लिखित आत्मकथाएं ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होती है। आत्मकथा लेखक यदि निर्भीक हो तभी अपने दायित्व का निर्वाह कर सकता है। इस दृष्टि से पांडेय बेचन षर्मा 'उग्र' कृत 'अपनी खबर' नामक आत्मकथा हिन्दी साहित्य को सर्वोत्तम देन है। भगवत शरण उपाध्याय की आत्मकथा 'मैंने देखा' रोचक इतिहास के सन्निकट है। विद्यार्थियों के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की 'आत्मकथा' विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी मातृभाषा में लिखी तथा वे अत्यधिक मेंधावी विद्यार्थी, आदर्श पुत्र, सच्चे देशभक्त तथा सहृदय मानव थे। जीवनी तथा आत्मकथा की शिक्षण प्रक्रिया कहानी शिक्षण के समान ही होगी।

संस्मरण : जब स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति का चित्रण किया जाए तब उसे संस्मरण की संज्ञा दी जाती है। संस्मरण में पात्र के प्रति लेखक की अनुभूतियां एवं संवेदनाएं अभिव्यक्त होती हैं। हिन्दी में यह साहित्यिक विधा अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव का परिणाम है।

‘सरस्वती’, ‘विषाल भारत’, ‘सुधा’, एवं ‘माधुरी’ आदि पत्रिकाओं में अनेक उल्लेखनीय संस्मरण प्रकाशित हुए। इलाचंद्र जोषी कृत ‘मेरे पथिक जीवन की स्मृतियां’ एवं वृंदावनलाल वर्मा द्वारा रचित ‘कुछ संस्मरण’ सराहनीय प्रयास हैं। हिन्दी के संस्मरण लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी ने ‘हमारे आराध्य’ कृति के द्वारा संस्मरण लेखकों में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। शिव पूजन सहाय की रचना ‘वे दिन वे लोग’ सेठ गोविन्द दास की रचना ‘स्मृति कण’ प्रकाश गुप्त द्वारा लिखित ‘पुरानी स्मृतियां एवं ‘कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर’ की कृति ‘भूले हुए चेहरे’, ‘दीप जले, शंख बजे’ भी हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधियां हैं।

महादेवी वर्मा ने संस्मरणों में साहित्य के क्षेत्र में स्थान बना लिया है। उनकी दो कृतियां- ‘अतीत के चलचित्र’ तथा ‘स्मृति की रेखाएं’ संस्मरण और रेखाएं’ संस्मरण और रेखाचित्र की मनोहर रचनाएँ हैं। संस्मरणों की श्रंखला में विनोद शंकर व्यास की ‘दिन और रात’ कृति भी महत्वपूर्ण है। आज ‘संस्मरण’ एवं ‘रेखाचित्र’ में विभाजक रेखा खींचते समय यही कहा जा सकता है कि संस्मरणों में अनिवार्यतः अतीत का परिवेश होता है और रेखाचित्र में समकालिकता की झलक होती है। संस्मरण वस्तुतः आत्मकथा तथा निबन्ध के मध्य स्थित है।

रेखाचित्र : किसी व्यक्ति की आकृति, स्वभाव या अन्य विशेषताओं का शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाए तब उसे रेखाचित्र की संज्ञा दी जाती है। स्थान अथवा वस्तु का सजीव चित्रण भी रेखाचित्र क्षेत्र की विभूति बनता है। जैसे कुछ सार्थक रेखाओं से एक सजीव चित्र की सृष्टि करना कुशल चित्रकार की प्रतिभा का परिचायक होता है वैसे ही सार्थक षब्दों में किसी व्यक्ति, घटना स्थान अथवा वस्तु को शब्द-चित्र द्वारा प्रस्तुत करना प्रतिभावान साहित्यकार का कर्म है। प्राचीन साहित्य में व्यक्तियों, पशु-पक्षियों, स्थानों, दृश्यों आदि के अनेक अलंकृत वर्णन काव्य भाषा में उपलब्ध हैं परन्तु स्वतंत्र विधा के रूप में रेखाचित्र का आविर्भाव पश्चिमी साहित्य के प्रभाव की देन है। हिन्दी साहित्य जगत में महादेवी वर्मा एवं रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा विरचित ‘लाल तारा’, ‘माटी की मूरतें’, ‘गेंहूँ और गुलाब’ तथा ‘मील के पत्थर’ ऐसे रेखाचित्र हैं जो भारतीय दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, कला एवं संस्कृति का परिचय देने के साथ-साथ पाठक के मानवीय दृष्टिकोण को भी प्रभावित करने में समर्थ हैं।

यात्रा-वृंतात : यात्रा साहित्य प्रदेश विशेष की आंचलिक विशेषताओं की अनुभूति की अभिव्यक्त करता है। यदि पाठक विवरण के साथ तादात्म्य की स्थिति में पहुंच जाए, तब यात्रा-वृतांत सफल कहा जाएगा। यात्रा साहित्य विभिन्न प्रदेशों की आंचलिकता, जन-जीवन तथा समाज से सर्वाधिक परिचय कराता है। यात्रा प्रयास एवं संस्मरण प्रधान होती है। साहसी पुरुष यदि

प्रतिभा संपन्न हो तो यात्रा साहित्य द्वारा समाज को निश्चय ही सम्पन्न कर सकता है। भारत के गौरव राहुल सांकृत्यायन का यात्रा-वृतांत साहित्य अत्यधिक सुव्यवस्थित है। आपके यात्रा साहित्य में भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं अर्थषास्त्रीय विवरणों का भी बाहुल्य द्रष्टव्य है। उनका 'घुमक्कड़ षास्त्र' निष्चय ही बेजोड़ है। रामधरी सिंह 'दिनकर' कृत 'देश-विदेश तथा मेरे प्रवास की यात्राएं', यषपाल कृत 'लोहे की दीवार के दोनों ओर', भगवत शरण उपाध्याय कृत 'सागर की लहरों पर', रामवृक्ष बेनीपुरी कृत 'पैरों में घुंघरु बांधकर' विशेष उल्लेखनीय यात्रा-वृतांत हैं। यात्रा-वृतांत की शिक्षण प्रक्रिया कहानी शिक्षण प्रक्रिया के समान है।

15.6 गद्य की अन्य विधाओं के शिक्षण के उद्देश्य

- साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना।
- विधा की रचना शीलता तथा एकाग्र होकर पाठ को आत्मसात करने की क्षमता का विकास करना।
- मंच पर अभिनय करने की क्षमता एवं अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना।
- ऐतिहासिक कथाओं, पौराणिक विचारों एवं सामाजिक कुरीतियों से परिचित कराना।
- उचित यति-गति, हाव-भाव, आरोह-अवरोह तथा उतार चढ़ाव के साथ उच्चारण की क्षमता विकसित करना।
- निरीक्षण, कल्पना, बोध एवं विवेचन के गुण विकसित करना।
- भावों, विचारों, नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास करना।
- शब्द, सूक्ति, मुहावरे आदि के भंडार को समृद्ध करना।
- अंदाजा लगाने की क्षमता का विकास करना।
- कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना आदि

गद्य की अन्य विधाओं की शिक्षण की विधियाँ :

- **व्याख्या विधि :** इस विधि में सबसे पहले पाठ को सुनाया जाता है तथा बाद बच्चों से पाठ का पढ़वाया जाता है। उसके बाद पाठ को खंडों में बाटकर उनकी व्याख्या की जाती है। इस विधि में पढ़ने –पढ़ाने वाले आपस में प्रश्न –उत्तर करके पाठ अथवा विषयवस्तु के खंडों की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार पूरी विषयवस्तु की व्याख्या शब्द-अर्थ, भाव और विचार के आधार पर कर दी जाती है।
- **अर्थ कथन :** इस विधि में पाठ का सस्वर वाचन कराया जाता है तथा पाठ सुनाने के बाद पाठ के प्रत्येक अंश का अर्थ ग्रहण किया जाता है और चर्चा की जाती है।

- **विश्लेषण विधि :** इस विधि में प्रश्न और उनके उत्तर के माध्यम से पाठ के तत्वों और भाव पर विचार करते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है तथा इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है।
- **शब्दार्थ कथन विधि :** इस विधि में अध्यापक सबसे पहले पाठ करता है। इसके उपरांत पाठ की प्रत्येक पंक्ति में आए शब्दों का अर्थ बताता है। इस प्रकार कविता में आए शब्दों के अर्थ और भाव तथा प्रत्येक पंक्ति का वर्णन अध्यापक कर देता है। इस प्रकार सम्पूर्ण पाठ का अर्थ बताने के बाद अध्यापक द्वारा सम्पूर्ण पाठ का संदेश अथवा भाव बता दिया जाता है।

15.7 सारांश

साहित्य के विविध रूप व विद्यालयी पाठ्यक्रम में साहित्य को पढ़ना-पढ़ाना : विद्यालय पाठ्यक्रम में साहित्य को पढ़ने पढ़ाने के कई आयाम है। साहित्य अपने आप में एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के विषयगत और अंतरविषयात्मक संदर्भ और विमर्श देखे सकते हैं। साहित्य के संदर्भ में जितना महत्वपूर्ण उसकी विषयवस्तु है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उस भाषा की लेगेसी होती है। भाषा का यही गुण उस भाषा को और उसके साहित्य को समृद्ध बनाता है।

- **हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य एवं हिन्दी की विविध विधाओं को पढ़ने –पढ़ाने के उद्देश्य** :

  बच्चे/बच्ची अपने माता-पिता, परिजनों से सुनकर और उस माहौल में रहकर अनायास ही सीख जाते हैं। वे जब स्कूल जाते/जाती हैं, तब उनके पास इस भाषा का समृद्ध संसार होता है। साथ ही स्कूल की भाषा का भी एक रूप होता है। कुल मिलाकर उनके पास अनेक भाषाओं का संसार होता है। इसे समाज की बहुभाषिक स्थिति कह सकते हैं। दरअसल बहुभाषिकता भारतीय समाज के भाषा बोध की रचनात्मक सच्चाई है। वह हमारी परम्परा और संस्कृति का अभिन्न अंग है। बच्चे/बच्ची की मौलिकता एवं सहज रचनाशक्ति को सामने रखना हिन्दी भाषा शिक्षक का प्राथमिक दायित्व है। लिहाजा आत्मीय माहौल बनाना उसका ज़िम्मेदारी है। इस माहौल में ही विभन्न भाषाई का माहौल का विकास संभव है। कहना न होगा हिन्दी शिक्षण का दायरा इतना व्यापक होना चाहिए कि उसमें उल्लेखित सारे सरोकार शामिल हों।

- **कविता को पढ़ना-पढ़ाना** : कविता मानव भावनाओं का सुंदरतम और कलात्मक शब्दों में किया गया वर्णन है। कविता आदिकाल से ही मानव संवेदनाओं को जीवंत रूप देने और जीवन में आनंद का संचार करने का काम करती आई है। दरसअसल कविताओं में मानवीय गुणों का विकास करने की अदभूत शक्ति होती है। भाषा शिक्षण में कविता शिक्षण का विशेष महत्व है इसके अध्ययन से अध्येताओं को भावात्मक संतुष्टि मिलती है

तथा उनकी सौन्दर्यात्मक अनुभूति एवं कल्पनाशक्ति में वृद्धि होती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि कविता सीधे हृदय तक पहुँच जाती है।

- **कहानी** : कहानियाँ सनुना-सुनाना प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को भाषा सीखने में बहुत मदद करता है। कहानी सुनना बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाने वाला होता है। कई बार बच्चे सुनी हुई कहानी में मनचाहा बदलाव करके अपने मित्रों को सुनाते हैं।

- **निबंध** : गद्य विधा के पाठों में दो प्रकार के पाठों का समावेश होता है- गहन अध्ययन के पाठ और द्रुत पाठ। शिक्षण की दृष्टि से निबंध गहन अध्ययन का पाठ है। इसके अंतर्गत निबंध की विषयवस्तु तथा भाषिक तत्वों का गहन अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम किसी निबंध पाठ के शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है। फिर उनको ध्यान में रखकर शिक्षण-उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षण-प्रक्रिया के सोपानों को निश्चित किया जाता है।
- **जीवनी :** व्यक्ति के जीवन की मार्मिक एवं सारगर्भित घटनाओं के चित्रण को जीवन की संज्ञा दी जाती है। जीवनी में इतिहास के घटनाक्रम एवं उपन्यास के वर्णन रोचकता को वरीयता दी जाती है। चरित्र नायक या नायिका के प्रति लेखक की संवेदना एवं प्रतिभा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं।

- **एकांकी :** दृश्य-श्रव्य होने के कारण जनसमुदाय के मनोरंजन का जितना प्रिय साधन नाटक है, उतनी और कोई साहित्यिक विधा नहीं है। अपनी शैलीगत विशेषताओं के कारण भावों की सौन्दर्यानुभूति तथा रसानुभूति कराना नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके संवाद या कथोपकथन भावानुकूल भाषा के ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

- **आत्मकथा :** जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे 'आत्मकथा' कहते हैं । ऐसी रचनाएं उत्तम पुरुष एकवचन में लिखी जाती है। आत्मकथा व्यक्ति के आत्म परीक्षण का श्रेष्ठ साधन है। आत्मकथा द्वारा व्यक्ति विगत घटनाओं के गुण-दोषों के आधार पर आत्म-निर्माण का यत्न भी कर सकता है।
- **संस्मरण :** जब स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति का चित्रण किया जाए तब उसे संस्मरण की संज्ञा दी जाती है। संस्मरण में पात्र के प्रति लेखक की अनुभूतियां एवं संवेदनाएं अभिव्यक्त होती हैं। हिन्दी में यह साहित्यिक विधा अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव का परिणाम है।

- **रेखाचित्र :** किसी व्यक्ति की आकृति, स्वभाव या अन्य विशेषताओं का शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाए तब उसे रेखाचित्र की संज्ञा दी जाती है। स्थान अथवा वस्तु का सजीव चित्रण भी रेखाचित्र के प्रकृत क्षेत्र की विभूति बनता है। जैसे कुछ सार्थक रेखाओं से एक सजीव चित्र की सृष्टि करना कुशल चित्रकार की प्रतिभा का परिचायक होता है वैसे ही सार्थक शब्दों में किसी व्यक्ति, घटना स्थान अथवा वस्तु को शब्द-चित्र द्वारा प्रस्तुत करना

प्रतिभावान साहित्यकार का कर्म है।

- **यात्रा-वृंतात :** यात्रा साहित्य प्रदेश विशेष की आंचलिक विशेषताओं की अनुभूति की अभिव्यक्त करता है। यदि पाठक विवरण के साथ तादात्म्य की स्थिति में पहुंच जाए तब यात्रा-वृतांत सफल कहा जाएगा। यात्रा साहित्य विभिन्न प्रदेशों की आंचलिकता, जन-जीवन तथा समाज से सर्वाधिक परिचय कराता है।

15.8 शब्दावली

शब्द	अर्थ
सृजनात्मक भाषा	वह भाषा जो भावनाओं, कल्पना और अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को सक्षम बनाती है।
आत्मकथा	लेखक द्वारा स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन।
संस्मरण	किसी व्यक्ति या घटना से जुड़ी स्मृतियों का विवरण।
निबंध	किसी विषय पर लेखक के व्यवस्थित विचारों की अभिव्यक्ति।
कहानी	गद्य की वह विधा जिसमें पात्र, घटना और वातावरण के माध्यम से कथानक का विकास होता है।
रचनात्मक लेखन	मौलिकता, कल्पना और भावनाओं से परिपूर्ण लेखन।
भावाभिव्यक्ति	विचारों और भावनाओं को शब्दों में प्रस्तुत करने की क्षमता।
वर्णनात्मक शैली	जिस शैली में दृश्य, स्थान, पात्र आदि का विस्तारपूर्वक चित्रण किया जाता है।
कल्पनाशीलता	किसी विचार या स्थिति को नए ढंग से सोचने और प्रस्तुत करने की क्षमता।
प्रेरणादायक साहित्य	वह साहित्य जो जीवन-मूल्य, नैतिकता और विचारशीलता को जागृत करता है।

15.9 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- सृजनात्मक भाषा और उसकी विविध अभिव्यक्तियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकेंगे।

- आत्मकथा, संस्मरण, कहानी, निबंध आदि विधाओं में भेद कर सकेंगे।
- रचनात्मक भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त पाठ सामग्री और शिक्षण रणनीतियाँ विकसित कर सकेंगे।
- कक्षा में रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए लेखन अभ्यास और गतिविधियाँ करा सकेंगे।
- छात्रों की भाषा-संवेदनशीलता, कल्पना और रचनात्मकता को पहचान कर विकसित कर सकेंगे।
- साहित्यिक विधाओं के शिक्षण में सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर पाठ्य सामग्री को जीवनोपयोगी बना सकेंगे।

15.10 इकाई के अंत की गतिविधियां

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए -

a. जिनका एक ही उत्तर हो।

b. जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो ।

c. जिनके उत्तर सरल हो।

d. जिनके उत्तर विभिन्न हो।

2. कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है ?

a. व्याख्या प्रणाली

b. खंडान्वय प्रणाली

c. शब्दार्थकथन प्रणाली

d. व्यास प्रणाली

3. कविता शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है ?

a. शब्द भंडार में वृद्दि करना

b. उच्चारण दोषो को सुधारना

c. भाषा से भावुकता बढ़ाना

d. कविता का सरलार्थ बताना

4. कविता शिक्षण के सोपनों को कितने भागो में बांटा जा सकता है ?

a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

5. नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है?

a. कक्षाभिनय प्रणाली

b. रंगमंच प्रणाली

c. अर्थबोध प्रणाली

d. व्याख्या प्रणाली

6. नाटक का तत्व निम्न में से एक है -

a. वस्तु का तत्व

b. कथोपकथन

c. अभिनय

d. ये सभी

7. नाटक शिक्षण के सोपान है -

a. उद्देश्य निर्धारण

b. पूर्व ज्ञान

c. प्रस्तावना

d. ये सभी

8. कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है-

a. समय के सदुपयोग की शिक्षा देना

b. रसानुभूति की क्षमता का विकास करना

c. कल्पनाशक्ति का विकास करना

d. विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना

9. प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियो का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है-

a. कहानी का कलेवर

b. कहानी की लम्बाई व विस्तार

c. बच्चों का समाज - सांस्कृतिक परिप्रेक्षय

d. बच्चों का अनुभव संसार

10. कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है -

a. कथावस्तु बच्चों के स्तरानुकूल हो

b. उसमें गतिशील और क्रमबद्धता हो

c. कथावस्तु में भयानक और वीभत्स दृश्य न हो

d. उपरोक्त सभी

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. हिन्दी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है ?
2. कविता शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ है ?
3. नाटक शिक्षण की शिक्षण विधियाँ विस्तार से लिखिए।
4. हिन्दी शिक्षण की अन्य गद्य विधाएँ कौन सी है ?
5. कहानी शिक्षण के मुख्य सोपान क्या है ?
6. एकांकी शिक्षण के समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
7. आत्मकथा और जीविनी में क्या अंतर है ?
8. गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।
9. साहित्यिक अभिव्यक्ति के विविध रूप से आप क्या समझते हैं ?
10. रेखाचित्र साहित्य की किस विधा से संबंधित है और क्यों ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. कविता शिक्षण से आप क्या समझते हैं ? शिक्षक को कविता पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए?
2. कहानी शिक्षण के उद्देश्यों और सोपानों का वर्णन कीजिये।
3. गद्य की अन्य विधाओ की शिक्षण विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिये।
4. नाटक शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करते हुये, इसके सोपनों को विस्तारपूर्वक लिखिए।
5. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए
    - यात्रा-वृंतात
    - रेखाचित्र

- आत्मकथा

15.11 संदर्भ

1. एन.सी.ई.आर.टी. (2006). *हिन्दी शिक्षण विधियाँ*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।
2. चौहान, एस. एस. (2007). *अधिगम मनोविज्ञान एवं शिक्षण कौशल*। आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
3. यशपाल समिति रिपोर्ट (1993). *शिक्षा में रचनात्मकता का समावेश*। भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. वर्मा, के.एस. (2011). *हिन्दी भाषा शिक्षण*। इलाहाबाद: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
5. नई शिक्षा नीति (2020). भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय।
6. NCERT (2005). *National Curriculum Framework (NCF-2005)*। नई दिल्ली।

इकाई 16 : नाटक, कविता व समकालीन साहित्य को पढ़ना-पढ़ाना*

इकाई की रुपरेखा

16.0 प्रस्तावना
16.1 उद्देश्य
16.2 नाटक को पढ़ना-पढ़ाना
16.3 कविता शिक्षण
16.4 समकालीन बाल एवं दलित साहित्य की पढ़ाई
16.5 हिन्दी की विविध विधाओं के आधार पर गतिविधियों का निर्माण एव कविता की पाठ योजना
16.6 सारांश
16.7 शब्दावली
16.8 अधिगम प्रतिफल
16.9 इकाई के अंत की गतिविधियां
16.10 संदर्भ

16.0 प्रस्तावना

साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। ऐसा मानने के पीछे कारण यह है कि समाज में जो भी घटित होता है, साहित्यकार उसे अपनी कलम से कागजो पर लिखता चला जाता है। समाज के अनुभवों को अपनी लेखनी से परिष्कृत करता है और विभिन्न रूपों में उसकी अभिव्यक्ति करता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि 'वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान'। यानि कविता आह से निकला हुआ साहित्य है। इसी प्रकार बहुत से प्रकार से अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसी क्रम में हम इस इकाई में नाटक, कविता, एवं समकालीन साहित्य के अंतर्गत दलित साहित्य और बाल साहित्य को पढ़ेगे।

* Dr. Pooja Singh, Assistant Professor, MANUU CTE, Nuh

16.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र:

- एकाग्र होकर सुनने की क्षमता का विकास कर सकेंगे।
- नाटक, कविता और समकालीन साहित्य के शैक्षिक महत्व को समझ सकेंगे।
- साहित्यिक विधाओं (नाटक, कविता, आत्मकथा, रेखाचित्र आदि) की रचनात्मक विशेषताओं को पहचान सकेंगे।
- नाटक, कविता और समकालीन गद्य विधाओं के शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ चुन सकेंगे।
- इन विधाओं के शिक्षण में विद्यार्थियों की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे सकेंगे।
- साहित्य शिक्षण को संवेदनशील, सरस और मूल्यपरक बनाने की रणनीतियाँ विकसित कर सकेंगे।

16.2 नाटक को पढ़ना-पढ़ाना

साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में नाटक का सर्वोत्तम स्थान है। 'काव्येषु नाटकं रम्यं' वाक्य से भारतीय साहित्य में नाटक का महत्व स्पष्ट हो जाता है। नाटक भी कहानी की भाँति किसी घटना का रसात्मक एवं संवादात्मक प्रस्तुतीकरण होता है। नाटक में कथावस्तु के अतिरिक्त संवाद एवं अभिनेयता तथा चरित्र-चित्रण प्रमुख तत्व होते हैं। नाटक शिक्षण की प्रमुख तीन विधियां हैं: आदर्श अभिनय विधि में शिक्षक ही सभी पात्रों के संवाद हाथ के सामान्य अभिनय तथा चेहरे की सामान्य भावाभिव्यक्ति के साथ स्वयं पढ़कर बोलता है तथा उसी के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थियों को अनुकरण पाठ करने के लिए निर्देश देता है। अपेक्षित अंशों की व्याख्या करता है। कक्षा अभिनय विधि में शिक्षार्थी विभिन्न पात्रों के संवाद पढ़ते हैं। समय वे पात्र का नाम नहीं लेते। शिक्षक आवश्यक अंशों की व्याख्या शिक्षार्थियों के सहयोग से करता है। भाषा-शैली, पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा जीवन मूल्यों की स्थापना का विश्लेषण कहानी शिक्षण के समान ही होता है। मंच अभिनय विधि में शिक्षार्थी नाटक के पात्रों का वेश पहन कर उनके संवादों को कंठस्थ कर पूरे अभिनय के साथ नाटक को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। यह विधि औपचारिक शिक्षण से हटकर है अतः इस का प्रतिदिन उपयोग नहीं किया जा सकता। कक्षा अभिनय विधि का उपयोग नाटक शिक्षण में सुविधा एवं सुचारु रूप से किया जा सकता है। 'एकांकी' नाटक का लघु रूप है, जिसमें कथा का विस्तार कई अंकों में न होकर, कुछ दृश्यों तक सीमित होता है। इसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक भाव की कलात्मक अभिव्यंजना होती है। स्वरूप की दृष्टि से एकांकी में एक अंक होता है परन्तु दृश्य एक से अधिक हो सकते हैं। कहानी की भांति एकांकी भी मानव जीवन की व्यवस्था की उपलब्धि है।

जिस प्रकार उपन्यास की अपेक्षा कहानी के लेखन एवं पठन में सुगमता होती है, वैसे ही एकांकी लेखन एवं दर्शन भी सुगम होता है।

नाटक-शिक्षण : हिन्दी की शिक्षा में नाटक का महत्त्व

साहित्य की सभी विधाओं में नाटक का सर्वोपरि स्थान है। अन्य विधाओं में पाठक या श्रोता के मन तक उतनी सुगमता से नहीं पहुँचा जा सकता है जितनी सुगमता से नाटक द्वारा। नाटक में अमूर्त भावों को भी मूर्त बनाकर जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्य विधाओं में नहीं। नाट्याचार्य भरतमुनि ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसा कोई ज्ञान, योग, कर्म, शिल्प, शास्त्र, विद्या या कला नहीं है, जिसे नाटक के माध्यम से प्रकट न किया जा सके। 'काव्येषु नाटकं रम्यम्' - संस्कृत के इस वाक्य से नाटक का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। रमणीय विधा होने के कारण नाटक दर्शकों को आनंद तो प्रदान करता ही है, पर इसके साथ-साथ मानव-जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान भी देता है। नाटक-शिक्षण से शिक्षण-प्रक्रिया में सरसता आती है। छात्रों को अभिनय की प्रवृति को संतुष्ट होने का अवसर मिलता है और इससे उनका मानसिक व बौद्धिक विकास भी संतुलित रूप से होता है। बच्चों को अच्छे आचरण और व्यवहार की शिक्षा जितनी सुगमता से नाटक द्वारा दी जा सकती है उतनी किसी अन्य माध्यम से नहीं। शिक्षण-प्रक्रिया में दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग शिक्षण को रोचक बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। नाटक में भी किसी घटना या चरित्र को रंगमंच पर दिखाकर उसे आसानी से समझाया जा सकता है। विभिन्न भाषायी कौशलों के विकास में भी नाटक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। नाटक के संवाद सुनने से छात्रों में श्रवण-कौशल को विकसित करने में सहायता मिलती है। नाटक के संवाद छात्रों को उचित स्वर, गति, उचित हाव-भाव एवं आरोह-अवरोह के साथ मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण देते हैं। आगे चलकर वाचन एवं लेखन कौशल को विकसित करने में भी इनसे सहायता मिलती है। छात्रों के भाषायी ज्ञान में वृद्धि करने में भी नाटक सहायक होते हैं। छात्रों को नाटक से नए-नए शब्दों और उनके वाक्यों में उचित स्थान पर प्रयोग का, सूक्तियों, मुहावरों व लोकोक्तियों के उचित प्रयोग, विचाराभिव्यक्ति एवं परस्पर वार्तालाप करने के ढंग का ज्ञान होता है। नाटक में व्यक्त मानव-जीवन की विभिन्न विरोधी परिस्थितियाँ बच्चों को प्रतिकूल परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करना सिखाती हैं। इनसे बच्चों को मानव जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान होता है। उन्हें अपने देश की संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिलता है और शिष्टाचार की शिक्षा भी मिलती है। नाटक से छात्रों को साहित्य में अभिरुचि विकसित होता है और उनकी सृजनात्मक शक्तियों को भी विकसित करने में सहायता मिलता है। नाटक बच्चों में सामाजिक अभिवृत्तियों को विकसित करने में भी सहायता मिलता है।

नाटक-शिक्षण के उद्देश्य : नाटक मनोरंजन का प्रमुख साधन है, परंतु जैसे कि ऊपर स्पष्ट किया गया है नाटक मातृभाषा से संबंधित विभिन्न कौशलों को विकसित करने एवं बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। नाटक के इस महत्त्व को देखते हुए नाटक-शिक्षण के उद्देश्यों को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है :

- छात्रों की पूर्ण मनोयोग से सुनने एवं सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना।
- छात्रों के शुद्ध उच्चारण, उचित गति एवं उचित स्वर में बोलने का अभ्यास कराना।
- छात्रों की भावानुसार उचित हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना।
- छात्रों में भावानुसार उचित गति एवं हाव-भाव के साथ नाटक का सस्वर पठन करने की योग्यता विकसित करना।
- छात्रों को अवसरानुकूल शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए वार्तालाप करना सिखाना।
- छात्रों के शब्द एवं सूक्ति-भंडार को विकसित करना।
- छात्रों को मुहावरे एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करना सिखाना।
- छात्रों की निरीक्षण, कल्पना, बोध एवं विवेचना शक्ति को विकसित करना।
- छात्रों को अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग करना सिखाना।
- छात्रों को नाटक लेखन-शैली से परिचित कराना।
- छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्षों से परिचित कराना।
- छात्रों को मानव-स्वभाव एवं विभिन्न प्रकार के मानवीय चरित्रों से परिचित कराना।
- छात्रों की आत्मप्रदर्शन की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना।
- छात्रों को पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं एवं सामाजिक दशाओं से परिचित कराना।
- छात्रों को देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देना।
- छात्रों को साहित्य में रुचि विकसित करना।
- छात्रों को मनोरंजन करना तथा उन्हें आनंद प्रदान करना।
- छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करना।
- छात्रों के अनुकरण की मूल प्रवृत्ति का उदात्तीकरण करना।
- छात्रों की वृत्तियों का परिमार्जन कर, उच्च सामाजिक आचरण करने की अभिवृत्ति विकसित करना।
- छात्रों को अभिनय कला एवं नाट्यमंचन की विभिन्न तकनीकों से परिचित कराना।
- छात्रों में नाटक की समीक्षा करने की योग्यता विकसित करना।

विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नाटक-शिक्षण के क्या उद्देश्य हों, इस बात का निर्णय नाटक, कक्षा के स्तर एवं प्राप्त समय आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे, प्राथमिक स्तर पर नाटक-शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना तथा उन्हें उचित हाव-भावानुसार वार्तालाप की शिक्षा देना है तो माध्यमिक स्तर पर इन उद्देश्यों के साथ-साथ मानव-जीवन के विविध पक्षों से परिचित कराना एवं नाटक के गुण-दोषों को परखने की योग्यता का विकास करना है। उच्च स्तर पर इन दोनों स्तरों के उद्देश्य के साथ-साथ छात्रों की सृजनात्मक योग्यता, स्वस्थ अभिवृत्तियों का विकास तथा समीक्षात्मक आलोचना करने की योग्यता का विकास करना भी नाटक-शिक्षण का उद्देश्य है।

नाटक शिक्षण की विधियाँ : मातृभाषा हिन्दी के पाठ्यक्रम में नाटक-शिक्षण को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नाटक की शिक्षा के द्वारा छात्रों में भाषा संबंधी विभिन्न योग्यताओं को विकसित करने के लिए सक्रिय अवसर प्रदान किए जाते हैं और छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास भी किया जाता है। नाटक-शिक्षण के इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापक नाटक की शिक्षा देते समय अपनी रुचि, सुविधा एवं विधि की उपयोगिता को ध्यान में रखकर निम्न विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकता है।

- **अर्थ कथन प्रणाली** : इस विधि में नाटक सस्वर वाचन किया जाता है तथा नाटक सुनाने के बाद नाटक के प्रत्येक अंश का अर्थ ग्रहण किया जाता है और चर्चा की जाती है। इस प्रणाली में अध्यापक स्वयं नाटक का सस्वर वाचन करके या कक्षा के एक या अधिक छात्रों से नाटक का सस्वर वाचन कराकर, स्वयं उसका अर्थ बताता है। उसका उद्देश्य छात्रों को नाटक की कथावस्तु का अर्थ बताना होता है। अन्य पक्षों पर उसका ध्यान नहीं होता है। यह प्रणाली ठीक नहीं है। क्योंकि इससे नाटक-शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसमें नाटक-शिक्षण नीरस हो जाता है।
- **आदर्श नाट्य पठन प्रणाली**: इस विधि में अध्यापक नाटक के सभी पात्रों के संवादों को उचित हाव-भाव एवं अंगसंचालन के साथ सस्वर वाचन द्वारा कक्षा में प्रस्तुत करता है। बीच-बीच में आवश्यकतानुसार कठिन स्थलों की व्याख्या भी करता है। नाटक-शिक्षण के उद्देश्यों की दृष्टि से यह प्रणाली उचित ही है, परंतु यह प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सारा कार्य अध्यापक को स्वयं करना पड़ता है। छात्र तो बस मूक दर्शक एवं श्रोता की भूमिका का निर्वाह करते हैं। उन्हें सक्रिय होने का अवसर नहीं मिल पाता है।
- **व्याख्या प्रणाली**: इस प्रणाली में अध्यापक नाटक के सभी तत्वों-कथावस्तु, जैसे - पात्र एवं चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, भाषा एवं शैली, उद्देश्य, अभिनेयता, देशकाल एवं वातावरण आदि की दृष्टि से व्याख्या करता है। इस प्रणाली से छात्रों को नाटक के तत्वों का विस्तृत ज्ञान होता है, परंतु नाटक-शिक्षण के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में यह विधि

सहायक नहीं होती है। छात्रों को सक्रिय होने का अवसर नहीं मिल पाता है, अतः अमनोवैज्ञानिक भी है। वैसे उच्च स्तर पर इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है।

- **विश्लेषण प्रणाली:** इसे प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। यह व्याख्या प्रणाली का ही परिवर्तित रूप है। इसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछकर नाटक के तत्वों तथा नाटक के भावों की व्याख्या करता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग माध्यमिक एवं उच्च दोनों स्तरों पर किया जा सकता है।

- **रंगमंच प्रणाली**: यह भूमिका अभिनय विधि का विकसित रूप कहा जा सकता है। इस विधि में नाटक का मंचन रंगमंच पर किया जाता है। स्कूल या कक्षा का एक समूह को नाटक का मंचन करने को कहा जाता है। अध्यापक यहाँ एक नाटक निर्देशक की भूमिका निभाता है और इस प्रकार कक्षा में नाटक का मंचन करके नाटक को समझ लिया जाता है। इस विधि में सम्पूर्ण साज-सज्जा तथा पात्रनुकूल परिधानों के साथ बच्चों का समूह अभिनय करता है। इस प्रणाली में नाटक को अध्यापक की देखरेख में रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। छात्र पात्रों के संवादों को याद करके अभिनय का अभ्यास करके और पात्रों के अनुकूल वेशभूषा धारण करके नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। इससे नाटक- शिक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वैसे तो नाटक-शिक्षण के लिए यह सर्वोत्तम प्रणाली है और शिक्षण के सभी स्तरों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु समय, धन और शक्ति के उपयोग की दृष्टि से यह प्रणाली पूरी तरह से उपयोगी नहीं है। पूर्ण सत्र में पाठ्यक्रम के एक-दो नाटक का मंचन तो हो सकता है परंतु सभी नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

- **भूमिका अभिनय**: इस विधि में नाटक का कक्षा में मंचन किया जाता है। कक्षा के एक समूह को नाटक का मंचन करने को कहा जाता है और इस प्रकार कक्षा में नाटक का मंचन करके नाटक को समझ लिया जाता है। इस विधि में साधारण कपड़ों और बिना किसी साजो समान के बच्चों का समूह अभिनय करता है। यह रंगमंच प्रणाली का ही परिवर्तित रूप है। इस प्रणाली में कक्षा के छात्र बिना किसी प्रकार की साज-सज्जा के कक्षा में ही विभिन्न पात्रों के संवाद उचित हाव-भाव के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह प्रणाली नाटक-शिक्षण के उद्देश्यों को कुछ सीमा तक प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है, परंतु इसके सफल प्रयोग के लिए यह जरूरी है कि कक्षाभिनय के पहले कठिन स्थलों की व्याख्या की जाए। यह प्रणाली शिक्षण के सभी स्तरों पर प्रयुक्त की जा सकती है। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं उद्देश्यपूर्ण प्रणाली है। इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं और भाषायी कौशलों में प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। परंतु यह प्रणाली रंगमंच पर अभिनय के बिना अधूरी है। अतः वर्ष में कभी-कभी रंगमंच पर भी नाटकों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे छात्रों को नाट्यकला का पूरा-पूरा ज्ञान मिल सके।

- **समीक्षा-प्रणाली:** इस विधि में प्रश्न और उनके उत्तर के माध्यम से नाटक के तत्वों और भाव पर विचार करते हैं। यह विधि मनोवेज्ञानिक है तथा इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। इस प्रणाली में अध्यापक प्रश्नोत्तर, व्याख्या एवं कथन के माध्यम से नाटक के तत्वों की समीक्षा करता है। नाटक के तत्वों को ध्यान में रखते हुए नाटक के गुण-दोषों का विवेचन किया जाता है। परंतु इस प्रणाली का प्रयोग करने से पहले छात्रों को नाटक के तत्वों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग उपयोगी है।
- **संयुक्त प्रणाली-** उपर्युक्त सभी प्रणालियों के कुछ दोष हैं तो, कुछ गुण भी हैं। अतः नाटक-शिक्षण को सरस, रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक को इन सभी प्रणालियों का मिला-जुला रूप अपनाना चाहिए। सभी प्रणालियों के इस मिले-जुले रूप को ही संयुक्त प्रणाली कहा जाता है। इसके लिए अध्यापक को सबसे पहले स्वयं नाटक का आदर्श वाचन करना चाहिए। उसके बाद पात्रों की संख्या के अनुसार छात्रों को खड़ा करके उनसे अलग-अलग पात्र के संवाद अभिनय सहित पढ़वानी चाहिए। इस कक्षाभिनय के पश्चात छात्रों के स्तर के अनुरूप नाटक के कठिन स्थलों की व्याख्या करनी चाहिए, उन्हें पात्रों की चारित्रिक विशेषता से परिचित कराना चाहिए तथा नाटक के उद्देश्य की समीक्षा भी करनी चाहिए। समय और सुविधा के अनुसार वर्ष में कभी-कभी नाटक का मंचन भी करना चाहिए। इस प्रकार सभी विधियों के संयुक्त रूप का प्रयोग कर अध्यापक अपने नाटक- शिक्षण को रोचक, सरस, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बना सकता है।

नाटक-शिक्षण के समय ध्यान रखने योग्य बातें (Points to be kept in view during Drama Teaching)

नाटक की शिक्षा देते समय अध्यापक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वे-

- अध्यापक की स्वयं की रुचि नाटक में होनी चाहिए।
- अध्यापक को नाट्यकला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
- नाटक का चुनाव छात्रों की आयु, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए।
- नाटक पढ़ाते समय छात्रों को सक्रिय रखने का प्रयास करना चाहिए।
- अध्यापक को उचित भावानुसार हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए नाटक का आदर्श वाचन करना चाहिए।
- नाटक में आए कठिन स्थलों की व्याख्या छात्रों के सक्रिय सहयोग से करनी चाहिए।
- छात्रों की कल्पना-शक्ति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए।
- अध्यापक का व्यवहार प्रेम एवं सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए।

- नाटक-शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नाटक पढ़ने के लिए छात्रों की उत्सुकता को बढ़ाना चाहिए।
- नाटक पढ़ाते समय संपूर्ण कक्षा पर दृष्टिपात करते रहना चाहिए, ताकि सभी बच्चों का ध्यान अध्यापक की तरफ बना रहे।
- छात्रों की नाटक में रुचि विकसित करने के लिए विद्यालय में कभी-कभी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए।
- नाटक से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर देना चाहिए।
- नाटक प्रारंभ करने से पूर्व छात्रों को नाटककार का परिचय भी देना चाहिए।
- नाटक के पात्रों एवं चरित्र की स्पष्ट रूपरेखा खींचनी चाहिए।
- नाटक पढ़ाने के उपरांत प्रश्न पूछकर यह जाँच करनी चाहिए कि छात्रों ने नाटक को कितना समझा है।

इन बातों को ध्यान में रखकर अध्यापक अपने नाटक-शिक्षण को सफल बना सकता है।

16.3 कविता शिक्षण

प्रस्तावना: कविता मानव भावनाओं का सुन्दर तथा कलात्मक शब्दों में किया गया चित्रण है। कविता आदिकाल से ही मानव-हृदय में आनन्द और रस का संचार करती रही है। मनुष्य कविता को सुनकर जितना आनन्द-विभोर होता है, उतना साहित्य की किसी अन्य विधा से नहीं। कविता में मानवीय गुणों का विकास' करने की अद्भुत शक्ति है। विभिन्न भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने "रसात्मक वाक्य" को काव्य की आत्मा माना तो, किसी ने “अलंकृत" शब्दों और अर्थों को। किसी ने “ध्वनि” को काव्य की संज्ञा दी तो, किसी ने वक्रोक्ति को। एक “संगीतमय भावों” को कविता कहता है तो, दूसरा हृदय की मुक्तावस्था के लिए किए गए "सुन्दर शब्द विधान" को। प्रत्येक विद्वान ने कविता के किसी एक तत्त्व या गुण को ही प्रधान मानकर उसकी परिभाषा दी है। कविता इन सभी तत्त्वों का सम्मिश्रण है। इन तत्त्वों का सम्यक् बोध कराना ही कविता शिक्षण का उद्देश्य है। कविता छन्दोबद्ध तथा नियमित यति-गति पर आधारित होने के कारण लय और ताल पर चलती है और इससे मानव-हृदय में रसात्मक अनुभूति होती है जिसे काव्यानन्द कहते हैं। कविता पढ़ाते समय विद्यार्थियों को इसी काव्यानन्द की अनुभूति होनी चाहिए। आगे कविता शिक्षण का महत्त्व तथा उपयोगिता, उसके शिक्षण उद्देश्य, कविता के सौन्दर्य तत्त्व, कविता शिक्षण के अंग, कविता शिक्षण की विधियाँ और कविता में रुचि उत्पन्न करने के उपायों पर चर्चा की गई है। साथ ही कवित्ता शिक्षण की पाठ योजना निर्माण के सोपान तथा पाठ योजना का एक नमूना दिया गया है।

कविता शिक्षण का महत्त्व एवं उपयोगिता : भाषा शिक्षण में कविता शिक्षण का विशेष महत्त्व है। इसके अध्ययन से विद्यार्थियों को भावात्मक संतुष्टि मिलती है। उनकी सौन्दर्यानुभूति तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है और सद्वृत्तियों का विकास होता है। कविता सीधे हृदय को स्पर्श करती है। इस दृष्टि से अध्यापक को कविता के माध्यम से विद्यार्थियों के चरित्र का निमाण करने में सहायता मिलती है। कविता सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् तीनों गुणों से युक्त होने के कारण आनन्द का प्रमुख माध्यम है। अतः कविता शिक्षण के समय अध्यापक विद्यार्थियों को कविता विशेष के अर्थ बोध पर बल न देकर, उसके भाव-सौन्दर्य की ओर भी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करें। सौन्दर्यानुभूति की यही भावना विकसित होकर, विद्यार्थियों के कार्यों तथा विचारों को प्रभावित करती है और उन्हें जीवन तथा संसार में सौन्दर्य का दर्शन कराती है। वे उस सौन्दर्य को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। कविता शिक्षण से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। वह भी कवि की भावनाओं से तादात्मय स्थापित कर जीवन की कटुताओं एवं कुरूपताओं से दूर कल्पना के सुन्दर एवं सुनहरे लोक में विचरण करने लगते हैं। इससे उनमें मौलिकता तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी कविता शिक्षण का बहुत महत्त्व है। कविता 'शिक्षण से विद्यार्थी को भाषा के विविध रूपों और अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वही ज्ञान उसे अपनी विशेष रचना-शैली विकसित करने में भी सहायता देता है।

कविता शिक्षण के उद्देश्य: कविता शिक्षण के उद्देश्य कथा स्तरानुसार भिन्न-भिन्न होंगे। प्रस्तुत विवेचना में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं को ध्यान में रखकर कविता शिक्षण से निम्नलिखित उदेश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है।

प्राथमिक स्तर पर : प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का प्रारंभ कक्षा तीन से किया जाना चाहिए। इससे पूर्व की दो कक्षाओं में छोटे-छोटे बाल गीतों का कण्ठस्थीकरण गेयता के साथ कराने एवं कक्षा में उन्हें वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप में सुनवाने तक ही सीमित रखना चाहिए। कक्षा तीन से पाँच के विद्यार्थियों के लिए कविता शिक्षण के उद्देश्यों को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है।

- शुद्धता, स्पष्टता, यति, गति, आरोह-अवरोह, लय, हाव-भाव और भाव के अनुसार कविता के सस्वर पठन की कुशलता।
- पठित कविता के अर्थ एवं भावों को सुनकर एवं पढ़कर ग्रहण करने की योग्यता।
- पठित कविता के अर्थ को मौखिक एवं लिखित रूप में अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की योग्यता।
- पठित कविता या उसके अंशों को कण्ठस्थीकरण करने की योग्यता
- पठित कविता के अंतर्गत भावों में रुचियों एवं वृत्तियों को परिष्कृत करने की योग्यता।

उच्च प्राथमिक स्तर पर : उच्च प्राथमिक स्तर पर उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य जिन उद्देश्यों का समावेश युक्तियुक्त होगा वे इस प्रकार हैं।

- कविता के सस्वर पठन की कुशलता को और अधिक विकसित करने की योग्यता (विशेषतः लय, आरोह-अवरोह, हाव-भात्र एवं भावानुकूल पठन के अवयवों के समावेश पर बल देते हुए)।
- पठित कविता के अर्थ एवं भावों के ग्रहण के साथ-साथ उनकी व्याख्या की योग्यता।
- पठित कविता में समभाव रखने वाली कविताओं के पठन एवं अभ्यास-पुस्तिकाओं में संकलन करने की योग्यता।
- कविता के भाव-सौन्दर्य एवं भाषिक सौन्दर्य का सामान्य परिचय देने की योग्यता।
- काव्य-पाठ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की योग्यता।
- व्यक्तित्व के भावात्मक एवं मानसिक पक्ष का विकास करने की योग्यता।
- तुकान्त कविता लिखने की योग्यता।

सामान्यतः कविता शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में उपर्युक्त योग्यताओं का विकास अपेक्षित है। पाठ विशेष के संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।

कविता के सौन्दर्य तत्व: कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सौन्दर्यानुभूति कराना है। इसकी अनुभूति अध्यापक तभी करा सकता है जब उसे स्वयं कविता में निहित सौन्दर्य तत्त्वों की जानकारी हो। कविता में मुख्यतः चार प्रकार के सौन्दर्य तत्त्व होते हैं- भाव सौन्दर्य, भाषा सौन्दर्य, कल्पना सौन्दर्य तथा विचार सौन्दर्य। आइए, इन सौन्दर्य तत्त्वों के विषय में चर्चा करें।

- **भाव सौन्दर्य :** कविता में भावों की प्रधानता होती है। कविता में वर्णित हर्ष, शोक, करुणा, उत्साह, प्रेम, वात्सल्य आदि भावों के सौन्दर्य का परिचय देने से विद्यार्थियों में कविता के रसास्वादन की क्षमता विकसित होती है। इस परिचय के आधार पर वे स्वयं कविता के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान कर उनका आनन्द अनुभव करने में समर्थ होने लगते हैं। प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कविता के सस्वर वाचन द्वारा भाव सौन्दर्य की अनुभूति कराई जा सकती है।
- **भाषा सौन्दर्य :** कवि अपने भावों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए सशक्त एवं सरस भाषा का सहारा लेता है। भाषा सौन्दर्य में निम्नलिखित तत्त्व निहित होते हैं।

(1) **नाद सौन्दर्य :** कविता में वर्णों और शब्दों की आवृत्ति, माधुर्य, प्रवाह एवं गेयता लाने के लिए एक निश्चित यति-गति का अनुसरण तथा तुकान्त पदों और छन्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही कविता का नाद कहा जाता है।

(ii) **शब्द योजना :** अपने भावों को सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए कवि सुन्दर शब्द योजना अपनाता है। इसमें वह अर्थालंकारों (उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि), शब्द-शक्तियों (अभिधा, लक्षणा और व्यंजना), गुणों (ओज, प्रसाद और माधुर्य), तथा भावानुकूल भाषा एवं छन्दों का प्रयोग करता है।

(iii) **चित्रात्मकता :** भावों की चित्रात्मक व्यंजना के लिए कवि ऐसे शब्द-चित्रों का प्रयोग करता है जिससे भाव चित्र की भांति आंखों के सामने चित्रित हो सके तथा अमूर्त को मूर्त या मानवीय रूप प्रदान किया जा सके।

- **कल्पना सौन्दर्य :** कविता के माध्यम से कवि अपनी कल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करता है। एक चित्रकार की भांति वह नई-नई कल्पनाएँ करता है। इसके लिए वह नवीन उपमाओं, दृश्य-चित्रों और नए-नए रूपों और आकारों का प्रयोग करता है। जैसे-कभी वह काले-काले बादलों को भूतों के आकार में चित्रित करता है तो, कभी संध्याकाल को सितारों वाली काली साड़ी पहने एक सुन्दर नारी के रूप में देखता है। कवि की नवीन तथा मौलिक कल्पनाएँ ही कविता में कल्पना सौन्दर्य की सृष्टि करती हैं।
- **विचार सौन्दर्य :** कविता में निहित जीवन मूल्यों, आदर्शों, उदात्त गुणों और नैतिक संदेश के द्वारा विचार सौन्दर्य की अनुभूति कराने से विद्यार्थियों में सद्वृत्तियाँ विकसित की जा सकती हैं। कबीर, तुलसी, रहीम आदि के नीति-परक दोहों में विचार सौन्दर्य की प्रधानता पाई जाती है। शिक्षक कविता पढ़ाते समय विद्यार्थियों को उपर्युक्त सौन्दर्य तत्त्वों की अनुभूति कराने का प्रयास करें। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का ध्यान नाद सौन्दर्य, चित्रात्मक सौन्दर्य और विचार सौन्दर्य की ओर आकृष्ट करना उचित होगा। उच्च प्राथमिक स्तर तथा उसके आगे की कक्षाओं में सभी सौन्दर्य तत्त्वों की अनुभूति करानी चाहिए। कविता का हाव-भाव सहित सस्वर वाचन, उदाहरण तथा प्रवचन देकर भावों का स्पष्टीकरण, कविता के सौन्दर्य की अनुभूति कराने में सहायक होगा। इस स्तर पर सौन्दर्य तत्त्वों के शास्त्रीय नामों का परिचय न दिया जाए। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की विश्लेषण शक्ति विकसित हो जाती है। अतः वहाँ उन्हें इन तत्त्वों का शास्त्रीय नाम बताना, उनका दर्शन तथा अनुभूति कराना सार्थक होगा।

कविता शिक्षण के सोपान : कविता शिक्षण के महत्त्व, उद्देश्यों तथा सौन्दर्य तत्वों पर चर्चा करने के पश्चात् अब कविता शिक्षण के अंगों पर चर्चा करें। कविता के तीन प्रमुख अंग होते हैं - वाचन, व्याख्या, भाव-विश्लेषण एवं सौन्दर्यानुभूति।

- **वाचन** : कविता शिक्षण में वाचन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कविता का संबंध कान से होता है, आँख से नहीं। अंग्रेजी भाषा के सुप्रसिद्ध प्राध्यापक हैडो ने कविता को "श्रवण की कला" कहा है। कविता का आनन्द सुनकर अधिक लिया जा सकता है। लययुक्त तथा छन्दबद्ध कविताओं का अध्यापक द्वारा उचित लय, ताल और गति से किया गया सस्वर वाचन विद्यार्थियों को अधिक आनन्द प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार भावात्मक कविताओं को भावानुकूल स्वरों में पढ़कर भाव सौन्दर्य की अनुभूति कराई जा सकती है। कविता के सस्वर वाचन से कक्षा में काव्यमय वातावरण की सृष्टि होती है और यह काव्यमय वातावरण भावानुभूति में सहायक होता है। कविता पाठ अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों द्वारा किया जाना चाहिए।

(क) **अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ** : अध्यापक द्वारा कविता के आदर्श पाठ को ही कविता शिक्षण का प्रथम सोपान माना जाता है। अध्यापक द्वारा कविता का आदर्श पाठ जितना भावानुरूप स्वर, उचित यति-गति तथा हाव-भाव से किया जाएगा, उसका भावार्थ विद्यार्थियों को उतनी ही सरलता से समझ में आएगा और उसकी रसानुभूति भी वे उतनी ही अधिक कर पाएंगे। अध्यापक द्वारा कविता पाठ न तो गाकर किया जाए और न ही उसमें गद्य जैसी नीरसता विद्यमान हो। वाचन करते समय स्वर में मधुरता होना अनिवार्य है। प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठ विशेषकर बाल गीतों तथा दोहों का पाठ गाकर किया जा सकता है, परन्तु उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्णनात्मक तथा सरल साहित्यिक कविताओं का वाचन 'भावानुकूल स्वर में किया जाना ही अपेक्षित है। कविता शिक्षण प्रक्रिया में कविता पाठ कम से कम तीन बार करना चाहिए। पहले आदर्श पाठ् के द्वारा कविता के अर्थ ग्रहण करने के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। दूसरे आदर्श पाठ से कविता के भाव-बोध में सहायता मिलती है। तीसरे आदर्श पाठ के द्वारा पूरी कविता या उसके पद्यांश की विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क पर छाप छोड़ना है ताकि कविता पढ़ने के पश्चात् भी वे उसके आनन्द से विभोर रहें।

(ख) **विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण पाठ :** कविता का अनुकरण पाठ दो प्रकार से करवाया जाता है - व्यक्तिगत तथा सामूहिक। व्यक्तिगत पठन में सम्पूर्ण पद्यांश का या कविता के कुछ अंशों, जैसे - दोहा, कवित्त आदि का तीन-चार विद्यार्थियों द्वारा अलग-अलग सस्वर वाचन करवाया जाता है। सामूहिक अनुकरण पाठ सम्पूर्ण कक्षा द्वारा समवेत स्वर में किया जाता है। इसमें पहले अध्यापक कविता की एक पंक्ति को मधुर स्वर में पढ़ता है। तत्पश्चात् सभी विद्यार्थी उसे उसी स्वर में दोहराते हैं। प्राथमिक स्तर पर अनुकरण पाठ दोनों ही रूपों से कराया जा सकता है। बाल गीतों को पढ़ाने के लिए समवेत पाठ कराना उत्तम है, क्योंकि इसमें बच्चों को अधिक आनन्द आता है। उच्च प्राथमिक तथा उसके आगे की कक्षाओं में कविता शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाव पक्ष तथा कला पक्ष के सौन्दर्य की सराहना करने की क्षमता विकसित करना

होता है। अतः उन स्तरों के विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत अनुकरण विधि ही श्रेयस्कर है। व्यक्तिगत पाठ करते समय यदि कोई विद्यार्थी उच्चारण संबंधी भूल करता है तो उसे उस समय नहीं टोकना चाहिए क्योंकि इससे वह हतोत्साहित हो जाता है और उसे कविता पाठ में रस नहीं आ पाता। उच्चारण संबंधी भूलों का संशोधन आदर्श पाठ द्वारा अन्त में करना उचित है।

- **व्याख्या :** प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयन किए गए बाल गीत, तुकान्त पद्य और वर्णनात्मक कविताएं मुख्यतः लयपूर्वक गाने के लिए होती हैं। सामान्यतः इन कविताओं की शब्दावली सरल होती है, परन्तु यदि कुछ कठिन या नए शब्द आएं तो, उनके अर्थ वार्तालाप, अभिनय तथा उदाहरण के द्वारा बताए जा सकते हैं। प्रयास यह होना चाहिए कि वार्तालाप या प्रश्नोत्तर युक्ति से शब्दार्थ विद्यार्थियों द्वारा अभिव्यक्त हो जाएं। इनकी प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या आवश्यक नहीं है। ऐसी कविताओं में जहाँ शब्द सौन्दर्य या भाव सौन्दर्य हो, उसी की ओर विद्यार्थियों का ध्यान दिलाया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयन की गई कविताओं के विषय, भाव और भाषा अपेक्षाकृत गूढ़ होते हैं। अतः इस स्तर के विद्यार्थियों को कुछ स्थलों पर व्याख्या की आवश्यकता होती है परन्तु कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति करवाना है। गद्य शिक्षण की भांति एक-एक शब्द की व्याख्या करके शब्द-भंडार वृद्धि करना नहीं। इसलिए केवल जो उनके कठिन तथा अपरिचित शब्द कविता की रसानुभूति में बाधा बनते हों उनके अर्थों को सीधे ही स्पष्ट कर देना चाहिए। कविता पढ़ाते समय ब्रज और अवधी भाषा में आए शब्दों के खड़ी बोली के रूप भी बता देनी चाहिएँ। इससे अर्थ बोध में सहायता मिलती है जैसे : लरका-लड़का, जोगी-योगी, मोरी-मेंरी, सारी-साड़ी आदि। इसी प्रकार कविता में प्रसंगानुकूल आए हुए धार्मिक, पौराणिक तथा ऐतिहासिक अंतर्कथाओं को भी संक्षेप में बता देना चाहिए। जहाँ कहीं प्रतीकात्मक (काले बादल - विपत्ति के लिए), लाक्षणिक (श्रवण कुमार - आज्ञाकारी तथा पितृ भक्त के लिए), अलंकारिक (चन्द्रमुखी - सुन्दर स्त्री के लिए) शब्द आएं, उनकी व्याख्या कविता पढ़ाते समय करनी चाहिए। इस प्रकार किया गया काठिन्य निवारण कविता के अर्थ ग्रहण तथा भावानुभूति में सहायक होता है।
- **भाव विश्लेषण एवं सौन्दर्यानुभूति :** भाव विश्लेषण कविता शिक्षण का अंतिम सोपान होता है। कविता में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष प्रधान माना जाता है। शिक्षक का दायित्व केवल कविता में आए कठिन शब्दों या नए प्रसंगों की व्याख्या तक ही सीमित नहीं है। उसे तो अपने विद्यार्थियों को रसानुभूति करने में सक्षम बनाना है। यह तभी संभव है, जब वह अपने विद्यार्थियों को कविता में आए भाव, विचार, कल्पना और भाषा संबंधी सौन्दर्य तत्वों का बोध कराएं। प्रथम दो कक्षाओं में भाव तथा विचार सौन्दर्य पर ही बल देना चाहिए, क्योंकि इसमें कवि का संदेश तथा कविता का मूलभाव निहित

होता है। भाव सौन्दर्य की अनुभूति कराने का सर्वोत्तम साधन कविता का सस्वर वाचन है। तीसरी कक्षा से आगे कविता के सस्वर वाचन के साथ समान भाव की अन्य सरल और गेय कविताओं का वाचन भी किया जाना चाहिए। इससे पढ़ाई जाने वाली कविता का केंद्रीय भाव अधिक स्पष्ट होता है और कविता के प्रति रुचि जागृत होती है। परन्तु उद्धृत की गई कविता अपेक्षाकृत सरल हो तथा विद्यार्थियों ने पहले पढ़ या सुन रखी हो। उच्च प्राथमिक कक्षाओं को कविता पढ़ाते समय अध्यापक को मुख्य भावात्मक स्थलों को पहचान कर उन पर ऐसे उत्प्रेरक प्रश्न पूछने चाहिएँ जो कविता में अभिव्यक्त भाव तथा विचार सौन्दर्य को स्वयं समझने में उनकी सहायता करें। माध्यमिक तथा उससे आगे वाली कक्षाओं में भाव-पक्ष के साथ-साथ कला पक्ष (रस, अलंकार, छन्द, गुण, भाषा-शैली आदि सौन्दर्य तत्त्व) की अनुभूति भी करानी चाहिए। परन्तु कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को तो केवल सुर, लय एवं ताल से ही परिचित कराना पर्याप्त है। इन सौन्दर्य तत्त्वों के नामों को बताने की आवश्यकता नहीं है।

कविता शिक्षण की विधियाँ : कविता शिक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। अध्यापक कविता पढ़ाते समय किस विधि को अपनाए यह कविता के प्रकार, विषय तथा कक्षा स्तर पर निर्भर है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर मुख्यतः बाल गीत, वर्णनात्मक तथा सरल साहित्यिक कविताएँ पढ़ाई जाती हैं। इसी संदर्भ में यहाँ कविता शिक्षण की मुख्य पाँच विधियों की चर्चा की गई हैं। वे - (1) गीत एवं अभिनय विधि, (2) अर्थ बोध विधि, (3) खण्ड विधि, (4) व्याख्या विधि (5) मिश्रित विधि।

- **गीत एवं अभिनय विधि :** नर्सरी तथा कक्षा एक से तीन तक के बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में संगीत प्रधान बाल गीतों तथा तुकांत पदों का समावेश होता है। इन गीतों में ध्वन्यात्मकता होती है जिन्हें मधुर स्वर तथा लय के साथ गाने में उन्हें आनंद आता है। अतः इस स्तर के बच्चों को बाल-कविताओं को पढ़ाने के लिए गीत तथा अभिनय विधि को अपनाना अधिक लाभदायक है। इन कविताओं को व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में गाया जा सकता है। इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक उस गीत का मधुर स्वर में लय के साथ वाचन करता है। उसके पश्चात् अध्यापक और बच्चे हाथ से ताल देते हुए समवेत स्वर में गाते हैं और उन्हें आनंद. की अनुभूति होती है। इन कविताओं के शिक्षण में कठिन शब्दों के अर्थ बताने तथा भावों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें तो बार-बार गाकर पढ़ने से ही कविता शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। इस विधि के अनुसार अध्यापक का आदर्श वाचन, विद्यार्थियों का अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन आदि कविता शिक्षण की प्रक्रिया के मुख्य सोपान बन जाते हैं। कुछ बाल गीत अभिनय प्रधान होते हैं जिन्हें भाव के अनुसार अंग-संचालन करते हुए

गाकर पढ़ाया जा सकता है। इनमें गीत एवं अभिनय दोनों का योग होता है। अभिनय प्रधान बाल गीतों में कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पात्र होता है और कुछ गीतों में एक से अधिक पात्र होते हैं। इस दृष्टि से अभिनय गीत व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन गीतों को पढ़ाते समय अध्यापक बच्चों के सामने लय, स्वर एवं ताल के साथ आदर्श पाठ करता है। साथ ही उन गीतों के भावों को अंग-संचालन द्वारा स्पष्ट करता जाता है। फिर बच्चों को विभिन्न पात्रों की भूमिका में खड़ा कर दिया जाता है और बच्चे पात्रानुसार अभिनय सहित कविता पाठ करते हैं। यदि कविता में पशु-पक्षी आदि पात्र हैं तो बच्चों को वैसी वेशभूषा, मुखौटे, प्रतीक चिहून आदि पहनकर कविता को अभिनय सहित गाने के लिए कहा जा सकता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसके द्वारा खेल ही खेल में बच्चों को बहुत-सी कविताएं कंठस्थ हो जाती हैं और उनमें कविता के प्रति रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रहे कि कविता पाठ में अंग-संचालन उसी सीमा तक हो जहाँ तक कक्षा में शालीनता और अनुशासन बना रहे।

- **अर्थ बोध विधि:** इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को कविता की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बताया जाता है, किंतु इस विधि के अनुसरण से शिक्षण में नीरसता आ जाती है और पाठ गद्य जैसा बन जाता है। इस विधि से विद्यार्थी कविता का अर्थ तो समझ लेते हैं, परन्तु उसे कविता की 'भावानुभूति और रसानुभूति नहीं हो पाती। इस विधि का एक और सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता न्यूनतम हो जाती है। परिणामतः अभीष्ट अधिगम नहीं हो पाता। इसीलिए इसे स्वतंत्र रूप से किसी भी स्तर के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रश्नोत्तर विधि, तुलना विधि आदि की सहायता से करना उचित होगा।
- **प्रश्नोत्तर या खण्डान्वय विधि :** कोई-कोई प्रबन्धात्मक कविता बहुत बड़ी होती है और उसे एक कालांश में पढ़ाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसे कक्षा के आधार पर उचित खंडों या अन्वितियों में विभक्त कर लिया जाता है और एक-एक खण्ड पढ़ाते हुए पूरी कविता का शिक्षण किया जाता है, परन्तु इस विधि में भी पहले पूरी कविता का एक साथ वाचन किया जाता है, जिससे पूरा प्रसंग सामने आ जाए। फिर शिक्षण के लिए प्रस्तावित खण्ड का वाचन किया जाता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर युक्ति की सहायता से उस खण्ड विशेष में कविता शिक्षण को विश्लेषण किया जाता है। फिर सभी खंडों या अन्वितियों को पढ़ा लेने के बाद पूरी कविता का सुसंबद्ध रूप से समग्र भाव स्पष्ट किया जाता है। यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्णनात्मक एवं प्रबंधात्मक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ताकि प्रश्नोत्तरों द्वारा ही विद्यार्थियों को भाव-विश्लेषण हो सके। साहित्यिक कविताओं को इस विधि द्वारा पढ़ाना उचित नहीं है।
- **व्याख्या विधि :** इस विधि द्वारा अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों की व्याख्या करता है। वह प्रत्येक पद का भावार्थ, प्रासंगिक कथाओं की चर्चा, छन्द, रस और

अलंकार का स्पष्टीकरण तथा कवि-संदेश की व्याख्या करता चलता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः साहित्यिक कविताएँ पढ़ाते समय माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए किया जा सकता है क्योंकि इन कक्षाओं के विद्यार्थी मानसिक विकास की दृष्टि से कुछ परिपक्व होते हैं। कविता की व्याख्या यदि अध्यापक स्वयं न करके विद्यार्थियों की सहायता से करें तो अधिक अच्छा होगा। व्याख्या विधि के तीन रूप हैं - व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि।

- **व्यास विधि :** इसमें अध्यापक कथावाचक की भांति कविता के एक-एक शब्द के अर्थ और विशिष्ट भावार्थ विस्तृत रूप में समझाने के लिए कभी उदाहरण और दृष्टांत देता है तो कभी प्रवचन, अवान्तर कथाओं और उद्धरणों को प्रस्तुत करता है।
- **तुलना विधि :** इस विधि द्वारा किसी कविता के एक अंश के भाव को समझाने के लिए समान भाव वाली अथवा विरोधी भाव वाली उसी कवि की या अन्य कवि की कविता के साथ तुलना की जाती है। यह ध्यान रहे कि तुलना के लिए ली गई पंक्तियाँ पढ़ाई जाने वाली कविता से कठिन न हों।
- **समीक्षा विधि :** इस विधि में कैविता के भाव पक्ष और कला पक्ष की प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शास्त्रीय समीक्षा की जाती है। इसमें कविता के सौन्दर्य तत्त्व-छंद, अलंकार, रस, शब्दयोजना, शब्द-शक्तियाँ आदि का विश्लेषण करते हुए भावानुभूति का प्रयास किया जाता है। यह विधि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है।

- **मिश्रित विधिः** इस विधि को आदर्श विधि भी कहा जाता है। इसमें समस्त विधियों के आवश्यक गुणों को कविता की विषयवस्तु और भाव सौन्दर्य के अनुसार अपनाने का प्रयास किया जाता है। कविता शिक्षण की उपर्युक्त वर्णित विधियों की अपनी-अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं। अतः कविता पढ़ाने से पूर्व अध्यापकों को चाहिए कि वे कविता की प्रकृति, कक्षा के स्तर, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण कर लें। तदुपरान्त उनके अनुकूल उचित विधि या दो-तीन विधियों को संयुक्त रूप से अपनाएं।

कविता में रुचि उत्पन्न करने के उपाय : अध्यापक कक्षा में तथा विद्यालय में ऐसा वातावरण निर्मित करें कि विद्यार्थी कविता में स्वतः रुचि लेने लगें। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपाय अपनाएँ जा सकते हैं। वे -

- विद्यार्थियों के समक्ष प्रभावशाली ढंग से लय, ताल, आरोह-अवरोह आदि का ध्यान रखते हुए, कविता का आदर्श पाठ प्रस्तुत किया जाए। इससे उन्हें आनन्द आएगा और वे स्वयं भी कविताओं का सस्वर वाचन करने के लिए उत्साहित होंगे।
- विद्यार्थियों को कविता को सस्वर पढ़ने का अभ्यास कराया जाए।
- विद्यार्थियों को कविताएं कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

- विद्यार्थियों को कविताएं संग्रह करने के लिए प्रेरित किया जाए। उनके द्वारा संगृहीत कविताओं को बाल सभा में पढ़कर सुनाने के अवसर दिए जाएँ।
- विद्यालय में विभिन्न उत्सवों पर काव्य-गोष्ठियों का आयोजन कर, विद्यार्थियों को कविताओं का सस्वर पाठ करने के अवसर दिए जाएँ।
- विद्यालय में प्रमुख कवियों के जन्म दिवसों पर कवि-जयंती का आयोजन किया जा सकता है। इस अवसर पर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए, उनके साहित्य से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए। वर्ष में एक या दो बार विद्यालय में कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाए।
- विद्यालय तथा अन्तर्विद्यालय स्तर पर अन्त्याक्षरी तथा कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए तथा उत्तम ढंग से सस्वर पाठ करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाए।
- विद्यालय में कवि-दरबार का आयोजन किया जाए जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी किसी युग विशेष के कवियों की वेश-भूषा में सज्जित होकर अभिनय तथा भाव-भंगिमा के साथ मंच पर आकर उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को पढ़कर सुनाएँ।
- सत्र में चार-पाँच बार सुभाषित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएँ, जिसमें विद्यार्थियों को प्रसिद्ध कवियों की सुन्दर कविताओं को अभिनयपूर्वक प्रस्तुत करने को कहा जाए।
- विद्यार्थियों को तुकांत अथवा अतुकांत कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें विद्यालय पत्रिका अथवा भिति पत्रिका में स्थान दिया जाए।
- आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली छात्रोपयोगी कविताओं को सीधे प्रसारण या सोशल मीडिया के माध्यम से कक्षा में सुनवाया जाए।

16.4 समकालीन बाल एवं दलित साहित्य की पढ़ाई

वह साहित्य समकालीन साहित्य है, जिसे अभी साहित्य की मूलशाखा से अलग विकसित होते हुए देखा जा रहा है। मूलत: ऐसा साहित्य विषय आधारित है, मुद्दा आधारित है, हम इसे उस साहित्य शाखा से अलग करके देख सकते हैं, जिसका उल्लेख हमने शीर्षक **'साहित्य की विधाओं'** के अंतर्गत किया है। दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, बाल साहित्य आदि उसी प्रकार के साहित्य के उदाहरण है।

बाल साहित्य : आज के विद्यालयी परिप्रेक्ष्य में पठन सबसे महत्त्वपूर्ण क्रिया है। “पढ़ना" शब्द एक प्रकार से शिक्षा प्राप्ति का पर्याय बन गया है। प्रायः यह कहा जाता है कि 'मैं डाक्टरी पढ़ रहा हूँ, वह इंजीनियरिंग पढ़ रहा है', आदि। वस्तुतः समस्त विद्यालयी विषयों में निहित ज्ञान की प्राप्ति का सहज सुलभ साधन पठन ही है। पठन के इस महत्त्व को देखते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि पठन-क्रिया विद्यार्थी-जीवन का एक अनिवार्य अंग बन जाए और विद्यालयी

जीवन में पड़ी हुई, पढ़ने की आदत जीवन भर उसके साथ बनी रहे। ज्ञान-भंडार के प्रतिदिन बढ़ते हुए विस्तार को देखते हुए किसी भी शिक्षक के लिए यह संभव नहीं कि वह समूचे ज्ञान को इकट्ठा कर विद्यार्थी तक पहुँचा दे। इसके लिए विद्यार्थी को स्वयं पढ़ने की आदत/स्वाध्याय का ही सहारा लेना पड़ेगा। किन्तु शिक्षक के नाते हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि विद्यार्थी में किसी न किसी प्रकार पढ़ने की आदत पड़ जाए। एक बार आदत पड़ जाने पर बालक में स्वतः ही स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी। वस्तुतः विद्यार्थी में पठनशीलता के गुण का विकास ही भाषा शिक्षक की सफलता की कसौटी है। विद्यार्थी में पठनशीलता अथवा स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास वर्ष भर एक या दो पाठ्यपुस्तक के साथ बंधे रहने से संभव नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक के दायरे के बाहर पठन का विशाल क्षेत्र है। हमें विद्यार्थी को इस विशाल क्षेत्र से परिचित कराने के लिए अतिरिक्त पठन की ओर ले जाना होगा। इस संदर्भ में बालोपयोगी पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य बाल साहित्य का पठन एक सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है। इनके माध्यम से बालक दिन-प्रतिदिन रोचक एवं मनोरंजक सामग्री के सम्पर्क में आकर पठनशीलता की ओर प्रेरित होगा, साथ ही इनमें प्रकाशित ज्ञान-विज्ञान की नई-नई सामग्री के द्वारा अपने ज्ञान-क्षितिज का विस्तार करेंगा। इतना ही नहीं, बालक की पठनशीलता उसकी कल्पना शक्ति को उद्‌बुद्ध कर उसकी सर्जनात्मक शक्ति को भी उभारती है। प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य आप को हिन्दी में प्रकाशित प्रमुख बालोपयोगी पत्र-पत्रिकाओं की जानकारी प्रदान करना तथा भाषा शिक्षण में उनके समुचित प्रयोग के लिए प्रेरित करना है, जिससे विद्यार्थियों में पठन-रुचि एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो सके और साथ ही उनकी सर्जनात्मकता को उभारने के लिए प्रेरक सामग्री मिल सके।

- **बाल साहित्य-एक सामान्य परिचय :** बाल साहित्य बाल्यावस्था की शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य है। बाल्यावस्था सामान्यतः 5 से 12 या 14 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इसके आरंभिक वर्ष पूर्व बाल्यावस्था तथा बाद के वर्ष उत्तर बाल्यावस्था कहलाते हैं। बच्चों की मोटे रूप से शारीरिक आवश्यकताएँ हैं- भोजन, वस्त्र तथा आवास। सामाजिक आवश्यकताएँ हैं- अपने आयुवर्ग के साथियों से खेलना-कूदना, सम्मान पाना मानसिक आवश्यकताएँ है - जिज्ञासा शान्त करना, ज्ञानार्जन द्वारा व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है - प्यार का आदान-प्रदान, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की भावना आदि। जो साहित्य बाल्यावस्था की इन आवश्यकताओं को आधार मानकर लिखा जाता है वही वास्तविक बाल साहित्य है, क्योंकि इस प्रकार के साहित्य में वह आत्मीयता अनुभव करना है। भाषाई दृष्टि से यदि बाल साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करें तो कहना होगा कि यह वह साहित्य है जो मुख्यतः कहानी, संवाद, कविता आदि विधाओं

को आधार बनाकर बोधगम्य शब्दावली, सुगठित वाक्य विन्यास तथा रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया हो। जिसे किसी समय में बाल साहित्य कहा जाता था, उस पर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रश्न चिह्न लगाने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, जातक कथाएँ आदि प्रौढ़ साहित्य अधिक है और बाल साहित्य कम। उनकी धारणा है कि इन कथा-कहानियों में उपदेशवाद है। इस साहित्य से बच्चों में रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास पनपता है। असली बाल साहित्य वह है जो वैज्ञानिक तथ्यों एवं अन्वेषण पर आधारित हो, जिसमें कथा के पात्र कुछ नयापन कर दिखाने या खोजने में सफल हों। वास्तव में बाल साहित्य में दोनों भावनाओं को समन्वित करने की आवश्यकता है। पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएँ, भारतीय संस्कृति की गोद में पली कथाएँ हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी संस्कार दिए हैं। इन कथाओं में कल्पना, जिज्ञासा, उत्साह, दिशा निर्देश सभी कुछ है। हाँ, नई पीढ़ी के बालकों से उनका अन्वेषण करने का अधिकार छीनना भी अनुचित होगा। सामान्यतः हिन्दी में आधुनिक बाल साहित्य का प्रारंभ अठ्ठारहवीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत "बच्चों का इनाम" (1867) और "लड़कों की कहानी" (1876), बनवारी लाल कृत "शिशु लोरी" और मुंशीराम कृत "बाल रामायण" विशेष उल्लेखनीय पुस्तकें मानी जाती हैं। हिन्दी बाल साहित्य का व्यवस्थित विकास बीसवीं शताब्दी में हुआ। हिन्दी की प्रथम बाल पत्रिका "बाल पत्रकार" सन् 1906 में प्रकाशित हुई। इसके बाद "बाल हितैषी", "कन्या मनोरंजन", "विद्यार्थी", "शिशु”, “बाल सखा" आदि पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई। सन् 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना के बाद काफी बाल साहित्य का प्रकाशन हुआ। इस ट्रस्ट के अन्तर्गत नेहरू बाल पुस्तकालय योजना आरंभ हुई। इसी बीच चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट तथा अन्य कई संस्थाओं की स्थापना हुई जो उपयोगी बाल साहित्य का निर्माण कर रही हैं। विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकें तथा पूरक पुस्तकें बहुत जागरूक भाव से बाल साहित्य को समेंटे हुए हैं। आज दर्जनों नहीं सैकड़ों लेखक बाल सहित्य सृजन में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन शृत तथा शृत-दृश्य बाल साहित्य का सृजन कर रहे हैं। एन.सी.ई.आर.टी. भी सी. आई. ई. टी. के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित बाल साहित्य का सृजन कर रहा है। बहुत संभवतः इक्कीसवीं शताब्दी में शृत बाल साहित्य पठन बाल साहित्य पर हावी हो जाए।

- **बाल साहित्य का महत्त्व :** बाल साहित्य का कई दृष्टियों से महत्त्व है, यथा-
  - मनोरंजन की दृष्टि से
  - ज्ञानवर्धन की दृष्टि से
  - भावार्थ विकास की दृष्टि से

- साहित्यिक विधाओं (कहानी, कविता, जीवनी, यात्रा, नाटक आदि) में प्रवेश की आरंभिक तैयारी की दृष्टि से
- भावी लेखकों का अंकुरण करने की दृष्टि से
- बौद्धिक विकास की दृष्टि से
- संतुलित सांवेगिक विकास की दृष्टि से
- सामाजिक विकास और उसमें समन्वयन की दृष्टि से
- सुरुचि और सौन्दर्य भाव जागरण की दृष्टि से
- चरित्र निर्माण की दृष्टि से
- समसामयिक विषयों की जानकारी की दृष्टि से
- पठन-रुचि जागृत करके पुस्तकालय अध्ययन के लिए तैयार करने की दृष्टि से।

- **बालोपयोगी पत्रिकाओं की जानकारी :** बालोपयोगी पत्रिकाओं की जानकारी का सुगम उपाय यह है कि प्रशिक्षण संस्थान अथवा आसपास के किसी अच्छे पुस्तकालय में नियमित रूप से जाएँ और उपलब्ध पत्रिकाओं की सूची बनाएँ। सूची बनाते समय इसका शीर्षक, मूल्य, संपादक का नाम, पत्र-व्यवहार का पता, प्रकाशन अवधि आदि अवश्य नोट कर लें। कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन कई कारणों से बंद हो जाता है तथा कुछ नई पत्रिकाएँ प्रकाश में भी आती रहती हैं। यहाँ जानकारी के लिए कुछ पत्रिकाओं का उल्लेख किया जा रहा है । वे-

- **चंदामामा** : चंदामामा बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका है जो हिन्दी के अतिरिक्त अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित हो रही है। यह गत 44-45 वर्षों से बच्चों का भरपूर मनोरंजन और ज्ञानवर्धन कर रही है। यह चित्रमय पत्रिका है। इसमें पौराणिक, काल्पनिक तथा चरित्र निर्माण संबंधी कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। कुछ कहानियाँ धारावाहिक रूप से छपती हैं। कहानियों के अतिरिक्त बालोपयोगी देश-विदेश के समाचार, बच्चों की उपलब्धि संबंधी प्रेरक समाचार, प्रश्नोत्तर, फोटो परिचयोक्ति प्रतियोगिता आदि को भी उचित स्थान दिया जाता है। इसके अंक संग्रहणीय हैं।
- **नंदन** : नई पीढ़ी के निर्माण की यह मासिक पत्रिका गत 28-29 वर्षों से नई दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। यह भी चित्रमय पत्रिका है। इसके कई विशेषांक कहानी विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए हैं। रोचक ज्ञान और उत्साहवर्धक कहानियों के अतिरिक्त इसके कई स्थाई स्तंभ हैं, यथा- एलबम, ज्ञान, पहेली, पत्र मिला, नई पुस्तकें, बातें रंग-बिरंगी आदि।
- **बालहंस** : बालहंस पाक्षिक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन गत 6-7 वर्ष से जयपुर, राजस्थान से हो रहा है। इसमें अनेक चित्र कथाएँ प्रकाशित हुई हैं। शब्द परिचय, आती-

पाती, नन्हीं कूंची, नई प्रतियोगिताएं आदि इसमें स्थाई स्तंभ हैं। व्यावहारिक या रचनात्मक कार्य करने के लिए कागज काटने तथा रंग भरने के रोचक कार्य दिए जाते हैं। कुछ अन्य बाल पत्रिकाएँ हैं। जैसे - पराग, बाल भारती, टिंकल, बाल दर्शन, चंपक, मधु मुस्कान, साप्ताहिक, लोट पोट आदि।

- **चकमक:** 'चकमक' को बड़े भी चाव से पढ़ते हैं पर मुख्यतौर पर यह 11-14 साल के इर्द-गिर्द के पाठकों को ध्यान में रखकर बनी जाती है। चकमक बच्चों को एक समझदार इंसान के रूप में जानती है। इसलिए चकमक में दुनिया के तमाम विषयों पर सामग्री पेश की जाती है। चकमक बच्चों को महज़ परियों, राजा-रानियों के लिजलिजी भाषा में लिखे किस्से-कहानियों तक सीमित रखने की सोच पर सवाल खड़े करती है। चकमक जिस गर्मजोशी से कल्पनाशील साहित्य का इस्तकबाल करती है, वैसे ही वह यथार्थ से भी अपने पाठकों को परिचित कराती चलती है। चकमक मानक, जड़ भाषा की जगह लचीली और जीवन्त भाषा की सिफारिश करती है। बच्चों से समानता की भाषा में बात करती है। चकमक में साहित्य व विज्ञान आदि के अलावा कला पर विशेष तौर पर सामग्री पेश की जाती है। कला के नाम पर बच्चों को आम तौर पर बेहद सीमित अर्थों में चित्रकला को सराह पाने के मौके मिलते हैं। वे सकारात्मक पहल की आशा से बड़ों की तरफ देखते हुए अकसर तिकोने पहाड़ों के बीच से उगते सूरजों के इर्द-गिर्द जूझते रहते हैं। चकमक उन्हें जाने-माने कलाकारों के साथ कला की दुनिया के विस्तृत सफर पर ले जाती है। जहाँ उन्हें कला के अनुभव में शामिल होने का मौका मिलता है। चकमक में कथाएँ पाठक के लिए एक अनुभव बनकर आती हैं। इन कथाओं की जड़ जीवन के ठीक पड़ोस में होती है। इसलिए उन्हें पढ़ते-सुनते हुए अपने आसपास के जीवन की गंध आती रहती है।
- **साइकिल:** यह हिन्दी द्विमासिक पत्रिका है, जो 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के पाठकों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य उन्हें सरल, रचनात्मक और प्रगतिशील पठन सामग्री प्रदान करना है जो विज्ञान, कला सह साहित्य की अवधारणाओं को एकीकृत करती है। इसमें सभी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने के लिए महत्वपूर्ण विचारों को शामिल किया गया है।
- **प्लूटो**: प्लूटो, 5-8 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए हिन्दी में एक द्विमासिक पत्रिका है, जो तक्षशिला प्रकाशन द्वारा गुणवत्तापूर्ण बच्चों का साहित्य तैयार करने का एक प्रयास है, जो भारतीय संदर्भ के लिए विशिष्ट है। इसका उद्देश्य युवाओं में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा और प्रेम की चिंगारी जगाना है।

इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त साप्ताहिक हिन्दुस्तान तथा धर्मयुग में भी बच्चों के लिए विशेष स्थान नियत है। आविष्कार, आरोग्य, स्वस्थ जीवन आदि पत्रिकाओं में बालजीवन संबंधी आवश्यक जानकारी होती है। पत्र-पत्रिकाओं से उपयोगी सामग्री की चयन प्रक्रिया एवं कक्षा शिक्षण में उनका उपयोग पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों का यह प्रयत्न रहता है कि उनमें प्रकाशित सामग्री समसामयिक हो। इसके लिए वे वर्ष की प्रमुख घटनाओं, तिथियों, दिनों, वार-त्योहारों आदि की अग्रिम डायरी तैयार कर लेते हैं। इन विशेष दिवसों तथा वार-त्योहारों आदि के विषय में वह पहले ही सामग्री इकट्ठा करना आरंभ कर देते हैं। वे इन अवसरों से संबंधित चित्रों का संग्रह करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों से साक्षात्कार भी लेते हैं। कुछ स्थितियों में पत्र-पत्रिका के विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं। कुछ विशेषांक इतने आकर्षक और उपयोगी होते हैं कि कुछ ही समय बाद दुर्लभ हो जाते हैं। छात्राध्यापकों को चाहिए कि वे समय-समय पर इस सामग्री का चयन करते रहें। इनका प्रयोग कई प्रकार से हो सकता है। पाठ योजना निर्माण में लेखों की सामग्री तथा चित्र काम में लाए जा सकते हैं। इस सामग्री का प्रयोग संस्था में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, यथा- भाषण, वाद-विवाद आदि के रूप में हो सकता है। संस्था के बुलेटैन बोर्ड पर उपयोगी सामग्री को काट कर प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी सामग्री को फोटोस्टेट/जीरोक्स भी करवाया जा सकता है। यदि संस्था में छात्राध्यापक सदन-व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो, इन बुलेटैन बोर्डों के आधार पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकता है। नियमित अध्यापक के रूप में कार्य करते समय तो, विद्यार्थियों के सम्मुख भाषण देने में यह सामग्री वरदान सिद्ध होगी। इससे विद्यार्थियों पर अध्यापक के व्यक्तित्व की अच्छी छाप पड़ती है। इस सामग्री को आधार बनाकर विद्यार्थियों के लिए भाषण आदि की सामग्री तैयार कराई जा सकती है। सामग्री का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि इन्हें विषयानुसार फाइल बनाकर संबंधित फाइल में रखें। संगृहीत सामग्री पर पत्रिका का नाम, पृष्ठ संख्या तथा अंक आदि लिखना न भूलें। ऐसा करने से यह सामग्री संस्था के संग्रहालय की अमूल्य निधि बन सकती है। यदि पत्र-पत्रिकाओं के संग्रह की व्यवस्था संभव है तो, वर्ष के अंकों की जिल्दबन्दी कर ली जाए। विशेषांक भी संपूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जा सकते हैं। आगामी संदर्भ के लिए लेखों की विषय अनुसार सूची बनाई जा सकती है, जो कैटेलोग का कार्य करेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी सचित्र समाचारों की ओर ध्यान देते हों तो दूसरे संपादक के नाम लिखे गए पत्रों की ओर, कुछ बच्चे पत्रिका की कविताओं के नियमित पाठक हों तो कुछ बालोपयोगी नव प्रकाशित पुस्तकों की जानकारी प्राप्त करते हों। प्रकृति तथा प्राकृतिक पर्यावरण में रुचि रखने वाले बच्चों की भी कमी नहीं हैं। यदि आप विद्यार्थियों को पठन तथा पत्रिकाओं के संसार में रमण कराना चाहते हैं तो उनकी वैयक्तिक रुचि भिन्नता का सम्मान करें और रुचि की सामग्री चयन में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दें। हाँ, विद्यार्थियों की रुचि विस्तार के लिए कुछ क्रियाकलाप दिए जा सकते हैं, जिनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। विद्यार्थियों को दो-तीन पत्रिकाओं से अपनी-अपनी रुचि की सामग्री पढ़ने को कहें। बहुत संभव है तीन-चार बच्चों की रुचियों में समानता हो।

अब समान रुचि वाले बच्चों से कहें कि वे कक्षा के सम्मुख उस सामग्री के रुचिकर लगने के कारण बताएँ तथा उस सामग्री का वर्णन भी संक्षेप में करें। ऐसा करने से कुछ अन्य विद्यार्थी भी इस क्षेत्र में रुचि लेने को अग्रसर हो सकते हैं। इस क्रम को वर्ष भर चलाएँ। इस योजना का नाम "अपनी-अपनी रुचि" क्लब रखा जा सकता है। रुचि व्यक्तिगत गुण है। यह जन्मजात नहीं होती। पर्यावरण इसके विकास में सहायक होता है। परिवार, मित्रमंडली तथा विद्यालय इसके विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। पत्रिका में यद्यपि सभी सामग्री रुचिकर होती है, किन्तु फिर भी रुचि भिन्नता के कारण विद्यार्थियों से कहा जा सकता है कि वे अपनी रुचि की सामग्री पत्रिकाओं से ढूंढें।

बाल साहित्य का अभिप्राय बच्चों के लिए लिखे जाने वाले साहित्य से रहता है। इसके अंतर्गत इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि किसी कहानी या कविता मात्र में बच्चों के होने से वह बाल साहित्य नहीं हो जाता। इसके लिए जरूरी है कि वह बच्चों के जीवन से जुड़े अनुभवों, उनके द्वन्द्व एवं उनकी कल्पनाओं आदि को ध्यान में रखकर लिखा गया हो। इससे यह बात उभर कर आती है कि बच्चों के साहित्य पर विचार करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे मन में बच्चों व बचपन के बारे में एक समझ हो। जिसमें बच्चे को एक जागरूक व जिज्ञासु इंसान के रूप देखना, बाल विकास से जुड़े मुद्दों को समझना व समाज को समझना आदि बातें इसमें शामिल हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो, यह बात समझ में आती है कि दुनिया में लिखित रूप से बाल साहित्य की शुरुआत अठारहवीं शताब्दी के दौरान हुई। इससे पहले का अधिकतर साहित्य मौखिक परंपरा का साहित्य था। उसमें बच्चों व बड़ों के लिए कोई विभाजन नहीं था। रामायण व महाभारत की कथाएँ, जातक कथाएँ, पंचतन्त्र की कथाएँ, लोक कथाएँ आदि सभी के सुनने के लिए थी। इसी प्रकार पश्चिम में भी एसेप फेबिल्स, गुलीवर्स ट्रैवल्स व राबिन्सन क्रूसो जैसी रचनाएँ भी सभी के लिए थी। इन पारंपरिक रचनाओं में अधिकतर रचनाएँ नैतिक मूल्यों व उपदेशों पर ही आधारित थी। इसके उपरांत पश्चिम में जब जान लॉक, कमेंनियस व रूसो जैसे विचारकों ने भी बच्चों व उनकी शिक्षा के बारे में सोचना शुरू किया तब बच्चों के लिए अलग से लिखे जाने के बारे में सोच-विचार की शुरुआत हुई। परंतु उस दौरान भी बच्चों के बारे में समझ एक खाली स्लेट की ही थी। इसके साथ लिखी जानेवाली रचनाएँ भी समाज के उच्च वर्ग के बच्चों के लिए ही थीं। इन रचनाओं का मुख्य उद्देश्य भी बच्चों को नैतिक उपदेश देना या शिष्टाचार सिखाना ही था। अठारहवीं शताब्दी के दौरान ही जॉन न्यूबेरी ने बच्चों के लिए अलग से साहित्य के बारे में विचार दिया तथा उन्होंने बच्चों के लिए चित्रात्मक पुस्तकें भी लिखीं। इस प्रकार ज्यों -ज्यों बच्चों के बारे समझ गहरी हुई व प्रिंटिंग का विकास हुआ। उसके साथ ही बाल साहित्य भी विकसित हुआ तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित होनी शुरू हुईं। चित्र पुस्तकों का प्रचलन भी शुरू हुआ। सिर्फ किताबी उद्देश्यों को पूरा करने का ही मकसद नहीं है। उसके साथ-साथ पढ़ने के आनंद से भी जोड़ा गया है। अगर हम अपने देश में भी लिखित बाल साहित्य की

बात करें तो इसकी शुरुआत बीसवीं शताब्दी के दौरान ही मानी जा सकती है। इसके अंतर्गत रची जाने वाली अधिकतर सामग्री पर अगर हम गौर करेंगे तो, हमें उस दौरान के राजनीतिक व सामाजिक संदर्भ को भी समझना होगा। इस समय के हिन्दी लेखक साहित्य की रचना को एक आत्मविश्वासी और अपनी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित समाज का निर्माण मानता था। देशी संस्कृति में गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना से ओत -प्रोत साहित्य देश की आज़ादी के संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। बींजजपेहंतीद्ध उस समय की अधिकतर रचनाएँ देशभक्ति व नैतिकता से ही केन्द्रित रही हैं, जिन्हें हम अपने स्कूली दिनों के दौरान अपनी पाठ्यपुस्तकों में भी पढ़ते रहे हैं। उस दौरान के साहित्य में कहीं न कहीं आज़ादी के संघर्ष के माहौल में अडिग और आत्मविश्वासी बच्चों के चित्रण को भी देखा जा सकता है। ऐसी ही छवि का अंकन 1933 में प्रेमचन्द द्वारा लिखित कहानी 'ईदगाह' में मिलता है। यह कहानी बच्चे की स्वतंत्र रूप से सोचनेवाले एक आत्मविश्वासी बच्चे की छवि को दर्शाती है। बच्चे की यह छवि ही बच्चों के लिए अच्छे साहित्य का आधार के रूप में देखी जाती है। आज़ादी के उपरांत तथा प्रकाशन व्यवस्था में परिवर्तन के साथ लोगों की सांस्कृतिक चेतना भी बदली। महानगरीय संस्कृति का विकास हुआ। इसके अंतर्गत बच्चे को एक नन्हे वयस्क की तरह ही देखा गया। इससे बच्चों के पालन -पोषण और विकास के प्रतिमानों में बदलाव आया। इन सबका बच्चों के साहित्य व उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके बीच प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा मिला। उनसे यह अपेक्षा की जाने लगी कि वे जल्दी -जल्दी पढ़ना लिखना सीखें और दूसरों से आगे निकलें। इस प्रकार की सोच बच्चों की किताबों में भी आसानी से देखी जा सकती है जिनमें बच्चों की जगह बड़े ही सोचते हैं। उनकी सोच ही हावी दिखाई देती हैं। धीरे -धीरे हमारे यहाँ भी बच्चों की शिक्षा में नए विचारों के साथ बाल साहित्य की समझ में बदलाव के प्रयास किए जा रहे हैं। आज बच्चों को ध्यान में रखकर अच्छी किताबें भी प्रकाशित हो रही हैं। इन किताबों का उद्देश्य बच्चों को पढने का आनंद लेना कहा जा सकता है। इन्हें हमें पहचानना होगा। इस दृष्टि से ही बच्चों के साहित्य को देखा जाना चाहिए। इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे।

दलित साहित्य : हिन्दी साहित्य में दलित कहानियाँ लिखी जाती रही हैं। परंतु एक लंबी परंपरा के तौर पर आप इसे नहीं देख सकते। दलित साहित्य हिन्दी साहित्य से इतर एक विमर्श के तौर पर विकसित होती हुई साहित्य की एक शाखा है। दलित साहित्य एक ऐसी साहित्यक परंपरा कही जा सकती है जिसमें दलितों द्वारा उनके साथ हुए सामाजिक व्यवहार की झलक है। दलित साहित्य दलितों में जीवन और उनकी समस्याओं को केन्द्र में रख कर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य है। वास्तव में देखा जाय तो दलित साहित्य सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश है। यदि दलित समस्याओं पर लिखता है, तो उसमें सहानुभूति, यदि गैर-दलित लेखक दलित साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ दलित लेखकों के विचार पर ध्यान देना जरूरी है। दलित साहित्य के स्वरूप का रेखांकन करते हुए कुंवल भारती ने लिखा है- कि "दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को स्थापित

किया है, अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उसी की अभिव्यक्ति करता है.... यह कला के लिए कला का नहीं बल्कि जीवन का ओर जीवन की जिजीविषा का साहित्य है। "यह कहना तर्क संगत है कि जीवन भर सामाजिक विधि व्यवस्था से पीड़ित अछूत या नीच कहे जाने वाले लोगों में सदियों से संचित विद्रोह की भावना दलित साहित्य में दलितों की लेखनी से भड़क उठी है। दलित साहित्य की अवधारणा पर अपना विचार विशिष्ट दलित साहित्यकार डॉ. दयानन्द बटोही के शब्दों में "दलित साहित्य दलितों की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसमें दलित मानवता का स्वर है। एक नकार है। एक विद्रोह है। यह विद्रोह उस व्यवस्था के प्रति है जो सदियों से दलितों का शोषण कर लाभ की स्थिति में है।"* दलित साहित्य में गांवों का ज्यादातर वर्णन देखने को मिलता है। हर गांव में दलितों की बस्ती है। दलितों की बस्तियाँ प्राय: गांव के बाहर ही होती हैं। इनके लिए अलग कुआँ, अलग श्मशान भी होता है। इससे गांव में दलितों के प्रति अन्य सवर्ण जातियों का मनोभाव स्पष्ट हो जाता है। दलित साहित्यकार शरण कुमार ने हंस पत्रिका में लिखा है कि - "दलित साहित्य का जन्म अस्पृश्यता की कोख से हुआ है।" इसी बात को स्पष्ट करते हुए, वे आगे भी कहते हैं कि दलितों की परेशानी, गुलामी, पारिवारिक विघटन, दुःख, गरीबी और उपेक्षापूर्ण जीवन का वास्तविक चित्रण करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। पीड़ा और आह का उदात्त स्वरूप अर्थात् दलित साहित्य है। "दलित साहित्यकारों का मानना है कि एक दलित साहित्यकार ही अपने जीवनानुभव को लेकर दलित साहित्य लिख सकता है। दलित साहित्य दलितों को हृदयहीन ब्राह्मणवादी वर्णव्यवस्था के भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए लिखा जाता है। दलितों को आज भी गैर दलित की सहानुभूति एवं करूणा में बहुत कम विश्वास है। नीलम सिंह द्वारा प्रस्तुत 'दलित विमर्श: सिद्धांत -स्वरूप प्रासंगिता' लेख में भग्न सिंह से कहीं गई बात इस सत्य को परिपुष्ट करती है। "उस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या - क्या। पहले एक मेंहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं लेकिन कपड़ों सहित स्नान किये बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब चाल!" दलित साहित्यकार दलित साहित्य को गांधीवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं मानते। सत्यप्रेमी का कहना है "यह बात भी सत्य है कि स्पृश्यता निवारण गांधी का दूसरा महान उद्देश्य था। इस उद्देश्य में उन्हें उनके साथियों और अनुयायियों ने ही धोखा दिया था, क्योंकि उनके साथ हरिजन बस्तियों में जानेवाले में से कई खद्दरधारी ऐसे थे, जो अपने घर में प्रवेश करने से पूर्व संपूर्ण स्नान करते थे और तुलसी के पत्ते जल में डाल छिड़काव करते थे। "इस प्रकार दलितों पर सवर्ण जातियों के लोगों की भावना समाज में भेदभाव उत्पन्न कर सामाजिक स्थितियों में न केवल भयंकरता उत्पन्न करती बल्कि दलितों में विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है। दलित साहित्य इस सामाजिक असमानता के

खिलाफ है, जो समाज को एक नई दिशा प्रदर्शन करता है। इस संबंध में ओमप्रकाश वाल्मीकि का कहना है कि "दलित साहित्य समाज में समानता, भाईचारा और मानवीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। इस प्रकृति में जो कुछ हमारे सामने है, वह मनुष्य की देन है। इसलिए मनुष्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए दलित साहित्य मनुष्य का साहित्य है।"

इस कड़ी में दलित साहित्य के ओमप्रकाश वाल्मीकि ऐसा नाम है, जिसने दलित साहित्य को एक दिशा दिखाई, इनका साहित्य उच्च दर्जे का है, जिसमें दलितो की संस्कृति उमदा उल्लेख मिलता है। ओमप्रकाश प्रकाश का जन्म वाल्मीकि परिवार में हुआ। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े उसकी उनके साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। वाल्मीकि के अनुसार दलितों द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य ही 'दलित साहित्य' है। उनकी मान्यतानुसार दलित ही दलित की पीडा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। इस आशय की पुष्टि के तौर पर रचित अपनी आत्मकथा 'जूठन' में उन्होंने वंचित वर्ग की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। ओमप्रकाश वाल्मीकि ने अस्सी के दशक से लिखना शुरू किया, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में वे चर्चित और स्थापित हुए सन् 1997 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा 'जूठन' से। इस आत्मकथा से पता चलता है कि किस प्रकार वीभत्स उत्पीड़न के बीच एक दलित रचनाकार की चेतना का निर्माण और विकास होता है। किस प्रकार लंबे समय से भारतीय समाज- व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़ 'चूहड़ा' जाति का एक बालक ओमप्रकाश सवर्णों से मिली चोटों-कचोटों के बीच परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ दलित आंदोलन का क्रांतिकारी योद्धा ओमप्रकाश वाल्मीकि बनता है। दरअसल, यह दलित चेतना के निर्माण का दहकता हुआ दस्तावेज है। यदि हम उक्त रचनाओं की बात करें तो उन्होने कविता संग्रह:- 'सदियों का संताप', 'बस बहुत हो चुका', 'अब और नहीं' कहानी संग्रह:- 'सलाम', 'घुसपैठिए', 'अम्मा और अन्य कई कथाएँ', आत्मकथा:- 'जूठन' तथा आलोचना:- 'दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र', 'मुख्यधारा और दलित साहित्य', 'सफाई देवता', 'दलित साहित्य: अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ' आदि अग्रणी रचनाएँ है। असल में दलित साहित्य हिन्दी में एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ. मुख्य रूप से 1990 के बाद यह शुरू हुआ है। उसमें जो प्रतिभाशाली लेखक थे, उनमें ओमप्रकाश वाल्मीकि सबसे आगे थे. इन लेखकों की रचनाशीलता की गुणवत्ता के कारण वो मुख्यधारा के समांतर धारा के रूप में स्थापित हुआ और उसे स्वीकार भी किया गया। एक व्यक्ति के रूप में ओमप्रकाश वाल्मीकि बहुत ही सहज, निर्भीक और साहस के साथ अपनी सोच-

विचार का सच कहने वाले व्यक्ति थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से मैंने जितना जाना-पहचाना, तो उनके व्यक्तित्व का बराबर मेंरे ऊपर प्रभाव बना रहा है। इतना ही नहीं वाल्मीकि के अतिरिक्त अग्रणी रूप से शरण कुमार लिबाले की 'अक्करमाशी', तुलसीराम की 'मुर्दहिया' आदि है, दरअसल हम इन्हे अग्रणी रूप से जानते हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त लिबाले अन्य 50 अन्य रचनाएँ है। इसी प्रकार बाल्मीकि की भी लगभग 25 अन्य रचनाएँ है, जिन्हे हम नहीं जानते। इसी प्रकार बहुत से दलित साहित्य है जो हमारे समुख होकर भी नहीं है। दलित साहित्य का अधिकतर हिस्सा वाचिक और मौखिक किस्म का है, जिसे लिखने का बीड़ा खुद दलित लेखकों ने उठाया है। साहित्यक शोध के क्षेत्र में वाचिक और मौखिक परम्परा एक महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल और इसे शोध के दौरान प्रयोग में लाना जरुरी है, क्योकि स्मृति का तत्व इस आत्मकथन में रहता है।

16.5 हिन्दी की विविध विधाओं के आधार पर गतिविधियों का निर्माण एव कविता की पाठ योजना

पाठ योजना विशेष रूप से व्यक्तिगत विचार है। प्रत्येक अध्यापक अपने अनुसार और अपने विचार से पाठ की योजना बना सकता है। जैसा की आपको मालूम है कि एक तरफ तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर शिक्षण- अधिगम के बहुत से सिद्धांत है। वहीं दूसरी ओर दर्शन की पृष्ठभूमि से भी इसके कई सिद्धांत है। इसलिए यह तय करना कि कौन किस विधि से और किस विचारधारा से पढ़ाएगा बड़ा ही कठिन काम है। फिर एक विचार ओर आता है कि अध्यापन तरीका छात्र केन्द्रित होगा या अध्यापक केन्द्रित। दरअसल इन सभी विचारों के आधार पर पाठ योजना तैयार की जा सकती है। हम आपको यहाँ हर एक विधा की एक आदर्श पाठ योजना दे रहे हैं। हमने सभी सिद्धांतों का समावेश करने का प्रयास किया है और एक संतुलित पाठ योजना तैयार की है।

कविता की पाठ योजना

कविता साहित्य की एक ऐसी रचना है जो गेय है। जैसा कि अभी आपने उपर पढ़ा भी होगा कि कविता को अक्सर सुर लय ताल का संगम कहा जाता है। कविता का गाया जाता है। परंतु आप देखेंगे कि हिन्दी साहित्य में नई कविता या अकविता की एक लंबी परंपरा है। नई कविता को आप गा नहीं सकते। ऐसी कविताओं को आप किताबों में देखेंगे भी। तो अब सवाल यह उठता है कि आप ऐसी कविताओं को पढ़ाएंगे कैसे? इसलिय यहाँ एक ऐसी कविता पर ही पाठ योजना दी गई है।

"यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत।

स्वयं बिखरनेवाली इसकी, पँखड़ियाँ बिखराना मत॥
गुज़रो अगर पास से इसके इसे चोट पहुँचाना मत।

जीवन की अंतिम घड़ियों में, देखो, इसे रुलाना मत॥
अगर हो सके तो ठंढी-बूँदे टपका देना प्यारे।"

जल न जाय संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे॥
डाल पर वे मुरझाये फूल! हृदय में मत कर वृथा गुमान।
नहीं हैं सुमनकुंज में अभी इसी से है तेरा सम्मान॥
मधुप जो करते अनुनय विनय ने तेरे चरणों के दास।
नई कलियों को खिलती देख नहीं आवेंगे तेरे पास॥

सहेगा वह केसे अपमान? उठेगी वृथा हृदय में शूल।

भुलावा है, मत करना गर्व, डाल पर के मुरझाये फूल!!

नाम: रिहाना
कक्षा : छठी

विषय : हिन्दी
उपविषय :कविता

विषयवस्तु : यह मुरझाया हुआ फूल (कविता)

समय : 35 मिनट

शिक्षण के सामान्य उद्देश्य (शैक्षिक उद्देश्य) :

· अधिगमर्थियों में सुनने, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना

· कविता में आए मूल्यों, विचारों और संदेश को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना।

· उचित हाव-भाव, यति-गति तथा आरोह-अवरोह के साथ भावानुसार कविता पाठ करने के कौशल का विकास करना।

· कल्पना शक्ति का विकास करना।

· काव्य की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना।

शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य (शिक्षक अधिगम के उद्देश्य) :

· यह मुरझाया हुआ फूल कविता में करुणा शब्द के लिए प्रयुक्त किए गए शब्दों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। (ज्ञान से संबन्धित))

· कविता में व्यक्त विचारों की अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। (बोध से संबन्धित)

· कविता में प्रयुक्त संज्ञा एवं क्रिया शब्दों का चयन कर सकेंगे। (प्रयोग से संबन्धित)

· कविता में प्रयुक्त नए और देशज शब्दों का विश्लेषण कर, उनका उल्लेख कर सकेंगे। (विश्लेषण से संबन्धित)

अनुदेशात्मक सामग्री : यह मुरझाया हुआ फूल का कविता लिखा एक चार्ट।

पूर्वज्ञान : बच्चों ने पहले भी करुणा एवं दया संबंधी कविताएं पढ़ी है बच्चे फूल से परिचित है।

प्रस्तावना प्रश्न :

प्रश्न 1 : बाग या पार्क में क्या खिलते हैं । (फूल एवं पौधे)

प्रश्न 2: कुछ फूलों के नाम बताओ । (गुलाब, चमेंली, जैसमीन)

प्रश्न 3: किसी एक ऐसे फूल का नाम बताओं, जो तुम्हें प्राय हर जगह दिखाई देता है। (गुलाब)

उद्देश्य कथन :

आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की करुणा, दया, आत्मबोध और आत्मशक्ति से परिपूर्ण कविता 'यह मुरझाया हुआ फूल' पढ़गें।

प्रस्तुतिकरण :

यह मुरझाया हुआ फूल कविता का पाठ बच्चों के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा।

यह मुरझाया हुआ फूल है

शिक्षण बिन्दु	अध्यापक-अध्यापिका क्रियाएँ	छात्र-छात्राएँ क्रियाएँ
कवि परिचय	इस कविता की रचना प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने और भी कई बाल सुलभ कविताएं लिखी है। "खिलौने वाला" ऐसी ही एक सुंदर कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। **(अध्यापिका आवश्यक बिन्दुओं को श्यामपट्ट पर लिखेगी)**	छात्र-छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेगें और श्यामपट्ट पर लिखे बिन्दुओं को अपनी कॉपी पर लिखेंगे।

कविता का सार	अध्यापिका कविता का सार प्रस्तुत करेंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता करुणा, दया, आत्मबोध और आत्मशक्ति से परिपूर्ण है। इस कविता में कवियत्री ने फूल के जीवन और उसके खूबसूरती को लिखा है। इसके बाद अध्यापिका छात्र-छात्राओं को पुस्तक खोलने और उसमें से कविता निकालने को कहेंगी।	छात्र-छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेगें और अपनी पुस्तक में उक्त कविता के पृष्ठ निकलेंगे।
कविता का आदर्श वाचन	अध्यापिका कविता का उचित हाव-भाव, यति-गति तथा आरोह-अवरोह के साथ भावानुसार कविता का आदर्श पाठ करेंगी।	छात्र-छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेगें।
अनुकरण वाचन	अध्यापिका छात्रों और छात्राओं को निर्देश देंगी और इस दौरान कविता का उचित हाव-भाव, यति-गति तथा आरोह-अवरोह के साथ भावानुसार कविता का पाठ नहीं कर पाने वाले छात्र-छात्राओं की शाब्दिक और अन्य अशुद्धियों को ठीक करेंगी।	अध्यापिका के निर्देश के अनुसार कविता का उचित हाव-भाव, यति-गति तथा आरोह-अवरोह के साथ भावानुसार कविता का अनुकरण वाचन करेंगी।
अर्थ कथन	छात्रा अध्यापिका कविता के कठिन शब्दों का अर्थ बताएगी और उन्हें श्यामपट्ट पर लिखेगी।	छात्र-छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेगें और श्यामपट्ट पर लिखे बिन्दुओं को अपनी कॉपी पर लिखेंगे।

भाव विश्लेषण	अध्यापिका प्रश्न के माध्यम से कविता के भाव, विचार, भाषा और चित्रात्मकता पर चर्चा करेंगी और सोन्द्र्यानुभूति कराएगी। और चर्चा के बाद कविता का मूल संदेश और भाव कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करेंगी। प्रश्न:हमारे आसपास फूल कहाँ कहाँ मिल सकते हैं प्रश्न : सुंदर फूल कैसे बाग की शोभा बढ़ाते हैं। प्रश्न : कवियत्री का फूलों को न तोड़ने के कहने के पीछे क्या मंतव्य हो सकता है। आदि। उपरोक्त चर्चा के बाद कविता का मूल संदेश और भाव कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करेंगी। **अध्यापिका कथन** : यह कविता देश करुणा की कविता है। इसमें फुलेओन के माध्यम से जीवन के सर्वस्व और जीवन शक्ति,कर्तव्य निष्ठा का संदेश मिलता है।	छात्र-छात्राएँ प्रश्न के उत्तर देंगे और चर्चा करेंगे और कविता के भाव, विचार, भाषा और चित्रात्मकता पर के द्वारा कविता की सोन्द्र्यानुभूति करेंगे। छात्र-छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेगें और श्यामपट्ट पर लिखे बिन्दुओं को अपनी कॉपी पर लिखेंगे।
कविता का पुनः आदर्श वाचन	अध्यापिका कविता का भाव ग्रहण करने और रस लेने हेतु उचित हाव-भाव, यति-गति तथा आरोह-अवरोह के साथ भावानुसार कविता का पुनः आदर्श वाचन करेंगी।	छात्र-छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेगें।
कविता का अनुकरण वाचन	अध्यापिका छात्रों और छात्राओं को निर्देश देंगी और इस दौरान कविता का उचित हाव-भाव, यति-गति तथा आरोह-अवरोह के साथ भावानुसार कविता का पाठ ननही कर पाने वाले छात्रों और छात्राओं की शाब्दिक और अन्य अशुद्धियों को ठीक करेंगी।	अध्यापिका के निर्देश अनुसार कविता का उचित हाव-भाव, यति-गति तथा आरोह-अवरोह के साथ भावानुसार कविता का अनुकरण वाचन करेंगे।
अर्थ ग्रहण एवं सौंदर्य बोध परीक्षण (आकलन)	अध्यापिका छात्र-छात्राओं से कुछ प्रश्न पुछेंगी। यह प्रश्न इस बात की पुष्टि करने के लिए पूछे जाएगें की छात्रों और छात्राओं द्वारा कविता को आत्मसात किया है या नहीं।	अध्यापिका के निर्देश अनुसार कविता से पुछे गए सवालों के जवाब देंगे।

गृहकार्य : अध्यापिका के निर्देश अनुसार छात्र और छात्राएँ करुणा, दया, ओजस्व आदि से संबन्धित दो कविताओं को खोजेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा प्रस्तुत कविता को कंठस्थ करके आएंगे।

16.6 सारांश

- **नाटक को पढ़ना-पढ़ाना** : साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में नाटक का सर्वोत्तम स्थान है। 'काव्येषु नाटकं रम्यं' वाक्य से भारतीय साहित्य में नाटक का महत्व स्पष्ट हो जाता है। नाटक भी कहानी की भाँति किसी घटना का रसात्मक एवं संवादात्मक प्रस्तुतीकरण होता है। नाटक में कथावस्तु के अतिरिक्त संवाद एवं अभिनेता तथा चरित्र-चित्रण प्रमुख तत्व होते हैं। नाटक शिक्षण की प्रमुख तीन विधियां हैं। वे आदर्श अभिनय विधि में शिक्षक ही सभी पात्रों के संवाद हाथ के सामान्य अभिनय तथा चेहरे की सामान्य भावाभिव्यक्ति के साथ स्वयं पढ़कर बोलता है तथा उसी के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थियों को अनुकरण पाठ करने के लिए निर्देश देता है।
- **कविता शिक्षण प्रस्तावना:** कविता मानव भावनाओं का सुन्दर तथा कलात्मक शब्दों में किया गया चित्रण है। कविता आदिकाल से ही मानव-हृदय में आनन्द और रस का संचार करती रही है। मनुष्य कविता को सुनकर जितना आनन्द-विभोर होता है, उतना साहित्य की किसी अन्य विधा से नहीं। कविता में मानवीय गुणों का विकास' करने की अद्भुत शक्ति है। विभिन्न भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने "रसात्मक वाक्य" को काव्य की आत्मा माना, तो किसी ने "अलंकृत" शब्दों और अर्थों को। किसी ने "ध्वनि" को काव्य की संज्ञा दी तो, किसी ने वक्रोक्ति को।
- **समकालीन बाल एवं दलित साहित्य की पढ़ाई** : वह साहित्य समकालीन साहित्य है, जिसे अभी साहित्य की मूलशाखा से अलग विकसित होते हुए देखा जा रहा है। मूलत: ऐसा साहित्य विषय आधारित है, मुद्दा आधारित है, हम इसे उस साहित्य शाखा से अलग करके देख सकते हैं, जिसका उल्लेख हमने शीर्षक **'साहित्य की विधाओं'** के अंतर्गत किया है। दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, बाल साहित्य आदि उसी प्रकार के साहित्य के उदाहरण है।
- **बाल साहित्य :** आज के विद्यालयी परिप्रेक्ष्य में पठन सबसे महत्त्वपूर्ण क्रिया है। "पढ़ना" शब्द एक प्रकार से शिक्षा प्राप्ति का पर्याय बन गया है। प्रायः यह कहा जाता है कि 'मैं

डाक्टरी पढ़ रहा हूँ, वह इंजीनियरिंग पढ़ रहा है', आदि। वस्तुतः समस्त विद्यालयी विषयों में निहित ज्ञान की प्राप्ति का सहज सुलभ साधन पठन ही है।

- **दलित साहित्य** : हिन्दी साहित्य में वैसे तो दलित विचार के साथ कहानियाँ आदि लिखी जाती रही हैं। परंतु एक लंबी परंपरा के तौर पर आप इसे नहीं देख सकते। दलित साहित्य हिन्दी साहित्य से इतर एक विमर्श के तौर पर विकसित होती हुई साहित्य की एक शाखा है। दलित साहित्य एक ऐसी साहित्यक परंपरा कही जा सकती है, जिसमें दलितों द्वारा उनके साथ हुए सामाजिक व्यवहार की झलक है।

16.7 शब्दावली

शब्द	**अर्थ**
नाटक	संवादों व अभिनय के माध्यम से मंचित होने वाली साहित्यिक विधा।
कविता	भाव, लय और कल्पना से युक्त काव्यात्मक रचना।
समकालीन साहित्य	वर्तमान समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य।
बाल साहित्य	बच्चों के लिए उपयुक्त, मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद साहित्य।
रेखाचित्र	किसी व्यक्ति का सजीव, संक्षिप्त एवं प्रभावी व्यक्तित्व-चित्रण।
आत्मकथा	लेखक द्वारा अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन।
मंचन	नाटक को अभिनय के साथ मंच पर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।
भावाभिव्यक्ति	हाव-भाव और भाषा के माध्यम से भावना प्रकट करना।
समीक्षा	साहित्यिक कृति का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन।
कविता शिक्षण	छात्रों को कविता के सौंदर्य और अर्थ बोध हेतु प्रेरित करने की शिक्षण विधियाँ।

16.8 अधिगम प्रतिफल

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत छात्र:

- नाटक, कविता और समकालीन साहित्यिक विधाओं की पहचान और उनका शिक्षण महत्व स्पष्ट कर सकेंगे।
- इन विधाओं की प्रभावी शिक्षण विधियों (जैसे: वाचन, अभिनय, विश्लेषण, मंचन) को व्यवहार में ला सकेंगे।

- नाटक की पात्र-विश्लेषण, भावाभिव्यक्ति और संवाद विधियों का शिक्षण में प्रयोग कर सकेंगे।
- कविता की सौंदर्यात्मकता, लय, भावबोध और भाषिक संरचना को कक्षा शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे।
- समकालीन साहित्य (रेखाचित्र, आत्मकथा, बाल साहित्य आदि) को पढ़ाने में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे।
- विद्यार्थियों की साहित्यिक रुचि, आलोचनात्मक क्षमता और जीवन मूल्यों के विकास को प्रोत्साहित कर सकेंगे।

16.9 इकाई के अंत की गतिविधियां

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण बिन्दु है-

    a) रंगीन चित्र b) सार्थक पुनरावृर्ति
    c) संक्षिप्तता d) केवल चित्रात्मकता

2. हिन्दी साहित्य में............... बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं।

    a) त्रिलोचन b) रामनरेश त्रिपाठी
    c) दुष्यंत कुमार d) सुमित्रानंदन पंत

3. 'जूठन' एक आत्मकथा के रचयिता निम्न में से कौन है?

    a) ओमप्रकाश वाल्मीकि b) मुक्तिबोध
    c) नामवर सिंह d) जे. कृष्णामूर्ति

4. नाटक शिक्षण की कितनी विधियाँ मानी जाती हैं ?

    a) 7 b) c) 8
    d) 6 e) f) 5

5. बाल साहित्य में निम्न में से कौन अधिक संबन्धित है?

    a. मनोरंजन b. संताप
    c. सोंदर्य d. पीड़ा

6) निम्न में से कौन दलित साहित्य से अभिप्रेत नहीं है ?

    a. वर्ग b. अस्पृश्यता
    c. अलगाव d. जाति

7) निम्न में से क्या कविता से संबन्धित है ?

a.	ईदगाह (प्रेमचंद)	b.	अकेली (मनु भण्डारी)
c.	लिहाफ (इस्मत चुगतई)	d.	अकाल और उसके बाद (नागार्जुन)

8) निम्न में से कौन सा एक 'नाटक' नहीं है ?

a. सूरज का सातवाँ घोडा	b. चन्द्रगुप्त
c. अंधेर नगरी	d. अंधयुग

9) दलित साहित्य के केंद्र में क्या है ?

a. जीवन की कठनाइयाँ

b. जीवन का उल्लास

c. जीवन के पड़ाव

d. जीवन की सुंदरता

10) तुलसीराम का संबंध निम्न में से किस से है?

a. अक्करमाशी

b. मुर्दहिया

c. जूठन

d. कबीरा खड़ा बाजार में

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. कविता शिक्षण की क्या उपयोगिता है ?
2. नाटक शिक्षण के उद्देश्य बताइए।
3. बाल साहित्य का क्या महत्व है ?
4. कविता शिक्षण के सोपान लिखिए।
5. दलित साहित्य किसे कहते हैं ?
6. दलित साहित्यकार किससे प्रभावित थे और क्यो ?
7. नाटक की शिक्षा देते वक़्त एक अध्यापक को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
8. हिन्दी की शिक्षा में नाटक का क्या महत्व है ?
9. कविता शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है ?
10. दलित साहित्य की हिन्दी साहित्य में क्या भूमिका है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. नाटक शिक्षण की विधियों को विस्तारपूर्वक लिखिए।
2. विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर कविता शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
3. कविता में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को किन उपायों का प्रयोग करना चाहिए उल्लेख कीजिए।
4. बाल साहित्य से आप क्या समझते हो ? कुछ बालोपयोगी पत्रिकाओ के बारे म लिखिए।
5. हिन्दी की किसी भी एक विधा पर पाठ योजना तैयार कीजिए।

16.10 संदर्भ

1. NCERT (2006). *हिन्दी शिक्षण विधियाँ*, नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
2. चौहान, एस.एस. (2007). *हिन्दी भाषा शिक्षण*, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
3. डॉ. वर्मा, के.एस. (2012). *हिन्दी साहित्य शिक्षण*, इलाहाबाद: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
4. नई शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार।
5. MANUU. (2024). *BBED112DST: हिन्दी भाषा शिक्षण – I*, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
6. पांडे, प्रवानी (2023). *हिन्दी साहित्य और शिक्षण विधियाँ*, भोपाल: क्वालिटी पब्लिकेशन।
7. रामस्वरूप चतुर्वेदी (2008). *साहित्य की संरचना और संवेदना*, नई दिल्ली: साहित्य अकादमी।

नमूना प्रश्न पत्र

Pedagogy of School (Hindi)

हिंदी भाषा शिक्षण

Time : 3 Hours | | **Max Marks : 70**

निर्देश: यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है। भाग-1, भाग-2, भाग-3। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिये शब्दों का निर्धारण है। प्रश्न-पत्र के सभी भागों से उत्तर देना अनिवार्य है।

भाग-1 **(10×1=10)**

1. निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है।

(i) भारतीय गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग की स्थापना कब की थी -

(क) 1974 (ख) 1975 (ग) 1976 (घ) 1977

(ii) भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का कर्तव्य तय किया गया है कि हिंदी को एक संम्पर्क भाषा के तौर पर विकसित करे -

(क) धारा 348 (ख) धारा 349 (ग) धारा 350 (घ) धारा 351

(iii) त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख किस शिक्षा आयोग में किया गया है -

(क) राधाकृष्णन आयोग (ख) मुदालीयर आयोग

(ग) कोठारी आयोग (घ) यशपाल आयोग

(iv) 'बडे भाई साहब' किस साहित्यकार की रचना है -

(क) प्रेमचंद (ख) महादेवी वर्मा (ग) जयशंकर प्रसाद (घ) मोहन राकेश

(v) 'प्रचलित भाषा सम्बंधी नियमों की व्याख्या को व्याकरण माना है' यह परिभाषा किस की है?

(क) स्वीट (ख) हैजलिट (ग) जैगर (घ) इनमें से कोई नहीं।

(vi) 'सूक्ष्म शिक्षण' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया?

(क) वी गैलन (ख) डी. एलन (ग) एल टेलर (घ) इनमें से कोई नहीं।

(vii) इंटरनेट एवं वेबसाइट का उपयोग किस प्रणाली के अन्तर्गत आता है?

(क) सम्प्रेषण प्रणाली (ख) ढांचागत प्रणाली

(ग) व्याख्या प्रणाली (घ) इनमें से कोई नहीं।

(viii) हिंदी में नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधियां है -

(क) व्याख्या विधि, विश्लेषण विधियां

(ख) भूमिका अभिनय, रंगमंच अभिनय, अर्थकथन

(ग) केवल गीत विधि

(घ) इनमें से कोई नहीं

(ix) भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?

(क) 14 अगस्त (ख) 14 सितम्बर

(ग) 14 अक्टूम्बर (घ) 14 नवम्बर।

(x) जिस साहित्य को मूलशाखा से अलग विकसित होते हुए देखा जा रहा है, वह है-

(क) प्राचीन कालीन साहित्य (ख) आदिकालीन साहित्य

(ग) भक्तिकालीन साहित्य (घ) समकालीन साहित्य

भाग-2 (5×6=30)

निम्नलिखित आठ प्रश्नों में से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है।

2. मातृभाषा और माध्यम भाषा में अन्तर का उल्लेख कीजिए।
3. हिंदी शिक्षण में सस्वर वाचन के मुख्य गुणों पर रोशनी डालिए।
4. भाषा के शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
5. कक्षा सिद्दान्त प्रणाली के मुख्य गुण व दोष के बारे में लिखिए।
6. राजभाषा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
7. नाटक शिक्षण की मुख्य शिक्षण विधियों की चर्चा करें।
8. 'सूक्ष्म शिक्षण' की प्रक्रिया एवं सोपान का उल्लेख कीजिए।
9. जीवनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

भाग-3 (3×10=30)

निम्नलिखित पांच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दें । प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

10. शिक्षा समितियों की रिपोर्ट में भाषाओं की स्थिति पर विस्तृत चर्चा कीजिए।
11. हिंदी विषय की किसी एक कहानी पर माध्यमिक स्तर की पाठ योजना तैयार
12. कीजिए।
13. अच्छे हिंदी शिक्षण की विशेषताओं की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।
14. शिक्षण के प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म-शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसकी आवश्यकता को बताएँ।
15. बाल साहित्य की व्याख्या करते हुए हिंदी शिक्षण में इसके महत्व को लिखिए।

Notes